

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958¹

(1958 का अधिनियम संख्यांक 44)

[30, अक्टूबर, 1958]

राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीति में भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के विकास का संवर्धन करने और उसका दक्षतापूर्ण रखरखाव सुनिश्चित करने तथा उस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड² स्थापित करने, भारतीय पोतों के³ [रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणक, संरक्षा और सुरक्षा] के लिए उपबन्ध करने तथा वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का साधारणतः संशोधन और समेकन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में, संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 है।

(2) यह उस तारीख⁴ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें⁵ नियत की जा सकती हैं।

⁵[2. अधिनियम का लागू होना—(1) जब तक कि अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध, जो—

(क) ऐसे किसी जलयान को लागू होते हैं, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हैं; या

(ख) ऐसे किसी जलयान को लागू होते हैं जो इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; या

(ग) ऐसे किसी अन्य जलयान को लागू होते हैं, जो पूर्णतः ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन हैं जिनमें से प्रत्येक को धारा 21 के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई विवरण लागू होता है,

वैसे ही लागू होंगे चाहे जलयान कहीं भी हों।

(2) जब तक कि अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयानों से भिन्न जलयानों को लागू होते हैं, इस प्रकार केवल तब लागू होंगे जब ऐसा कोई जलयान भारत के, जिसके अन्तर्गत उसका राज्यक्षेत्रीय सागर खंड भी है, भीतर हो।]

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

⁶[(1) “स्थोरा पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो यात्री पोत नहीं है ;]

¹ 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर; और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर अधिनियम का विस्तार किया गया।

² 1986 के अधिनियम सं० 66 की धारा 3 द्वारा (3-4-1987 से) लोप किया गया।

³ 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 15 दिसंबर, 1958 से भाग 1 और भाग 2 प्रवृत्त हुआ। देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2583क, तारीख 10 दिसंबर, 1958, भारत का राजपत्र, 1958, भाग 2, खंड 3 (ii) पृ० 2829।

17 मार्च, 1959 से भाग 4 प्रवृत्त हुआ। देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 627, तारीख 17 मार्च 1959, भारत का राजपत्र, 1959, भाग 2, खंड 3(ii), पृ० 702। कंट्रोल ऑफ शिपिंग ऐक्ट, 1947 (1947 का 26) की धारा 7, का०आ० 405 से 414 (दोनों सम्मिलित), धारा 436 (जहां तक इसका संबंध क्र० सं० 122 से 125 के सामने वर्णित अपराधों से है), धारा 437 से 442, 447, 448, 456 से 460 और जहां तक धारा 461 और अनुसूची के भाग 1 का संबंध है, 1 अप्रैल, 1960 से प्रवृत्त हुआ। देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 565, तारीख 26 फरवरी, 1960, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii), पृ० 886।

1 जनवरी, 1961 से शेष उपबन्ध प्रवृत्त हुए। देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 3127, तारीख 17 दिसंबर, 1960, भारत का राजपत्र, 1960, भाग 2, खंड 3 (ii), पृ० 3766।

⁵ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

¹[(1क)] “तटीय पोत” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो केवल भारत में किसी पत्तन या स्थान और भारत के महाद्वीप में किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच अथवा भारत में किन्हीं पत्तनों या स्थानों और सीलों या बर्मा में किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच व्यापार में लगा है ;

(2) “भारत का तटीय व्यापार” से भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के महाद्वीप में किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र मार्ग से यात्रियों या मालों का वहन अभिप्रेत है ;

(3) “टक्कर विनियम” से, समुद्र में टक्करों को रोकने के लिए धारा 285 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(4) “कम्पनी” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है ;

(5) “भार रेखा, अभिसमय, जिस देश को लागू है” पद से अभिप्रेत है,—

(क) वह देश जिसकी सरकार की बाबत धारा 283 के अधीन यह घोषित किया गया हो ²*** कि उसने भार रेखा अभिसमय को स्वीकार कर लिया है और यह घोषित नहीं किया गया हो कि उसने उस अभिसमय का प्रत्याख्यान कर दिया है ;

(ख) वह देश जिसकी बाबत यह घोषित किया गया हो कि भार रेखा अभिसमय के ³[अनुच्छेद 32] के उपबंधों के अधीन उक्त अभिसमय उस पर लागू कर दिया गया है और जो ऐसा देश नहीं है जिसकी बाबत यह घोषित किया गया हो कि उक्त अभिसमय उसके उस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन उसे लागू नहीं रहा है ;

(6) “सुरक्षा अभिसमय जिस देश को लागू है” पद से अभिप्रेत है,—

(क) वह देश जिसकी सरकार की बाबत धारा 283 के अधीन यह घोषित किया गया हो कि उसने सुरक्षा अभिसमय को स्वीकार कर लिया है और यह घोषित नहीं किया गया हो कि उसने उस अभिसमय का प्रत्याख्यान कर दिया है ;

(ख) वह राज्यक्षेत्र जिसकी बाबत यह घोषित किया गया हो कि सुरक्षा अभिसमय का उस पर विस्तार है और जो ऐसा राज्यक्षेत्र नहीं है जिसकी बाबत यह घोषित किया हो कि उक्त अभिसमय का उस पर विस्तार नहीं रह गया है ;

(7) धारा 168 से धारा 183 तक (दोनों सहित) के संबंध में, “न्यायालय” से सिविल या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है ;

(8) “महानिदेशक” से धारा 7 के अधीन नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(9) “कष्टिग्रस्त नाविक” से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया ऐसा नाविक अभिप्रेत है जो भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी पोत से सेवोन्मुक्त हो जाने या पीछे छोड़े जाने अथवा पोत के ध्वस्त हो जाने के कारण उस स्थान पर कष्टिग्रस्त है ;

(10) नाविक के संबंध में “चीज-बस्त” के अंतर्गत कपड़े और दस्तावेजें भी हैं ;

(11) पोत के संबंध में “उपस्कर” के अन्तर्गत नावें, नौकोपकरण, पंप, परिधान, फर्नीचर, हर प्रकार के जीवनरक्षा साधित्र, बल्लियां, मस्तूल रिगिंग और पाल, कोहरे के संकेत, बत्तियां, शेषें और कष्टि संकेत, औषधियां और भेषज तथा शल्य-चिकित्सा संबंधी भंडार और साधित्र चार्ट, रेडियो संस्थापन, आग को रोकने, पता लगाने या बुझाने के साधित्र, बल्लियां, कम्पास, कुल्हाड़ियां, लालटेन, लदाई और उतराई के गीयर तथा सब प्रकार के साधित्र और सब अन्य भंडार या वस्तुएं भी हैं जो पोत की हों, या पोत के नौपरिवहन और सुरक्षा के संबंध में उपयोगी या आवश्यक हों ;

⁴[(11क) “कुटुम्ब” से अभिप्रेत है,—

(i) किसी पुरुष की दशा में, उसकी पत्नी, उसकी संतान, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उस पर आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और संतान :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि उसकी पत्नी, उसे शासित करने वाली ऐसी स्वीय विधि या समुदाय की ऐसी रूढिजन्य विधि के अधीन जिससे पति या पत्नी सम्बन्धित हैं, भरण-पोषण के लिए हकदार नहीं रह गई है तो वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब की सदस्य नहीं समझी जाएगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति तत्पश्चात् लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को अभिव्यक्त रूप से यह सूचित नहीं कर देता है कि उसे उसी रूप में माना जाए ; और

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (28-5-1966 से) खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया ।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (21-7-1968 से) “या घोषित किया गया समझा जाए” शब्दों का लोप किया गया ।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (21-7-1968 से) प्रतिस्थापित ।

⁴ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित ।

(ii) किसी महिला की दशा में उसका पति, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और संतान :

परन्तु यदि कोई महिला केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुम्ब से अपवर्जित करने के लिए इच्छा प्रकट करती है तो उसका पति, उसके पति पर आश्रित माता-पिता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी महिला के कुटुम्ब के सदस्य नहीं समझे जाएंगे, जब तक कि ऐसी महिला तत्पश्चात् ऐसी सूचना को लिखित रूप से रद्द नहीं कर देती है।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त दोनों दशाओं में से किसी में, यदि किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, संतान या उसके मृत पुत्र की संतान, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दत्तक-ग्रहण कर ली जाती है और यदि-दत्तक की स्वीय विधि के अधीन दत्तक-ग्रहण वैध रूप से मान्य है तो ऐसी संतान प्रथम वर्णित व्यक्ति के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी ;]

(12) “मछली पकड़ने का जलयान” से, यंत्र चालित साधनों से युक्त ऐसा पोत अभिप्रेत है जो केवल लाभ के लिए समुद्र से मछली पकड़ने में लगा हुआ है ;

(13) “विदेशगामी पोत” से भारत में किसी पत्तन या स्थान और किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच या भारत के बाहर किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच व्यापार में लगा हुआ है और जो देशी व्यापार पोत नहीं है ;

¹[(14) “शीर्षान्तर” से डेक रेखा के ऊपरी सिर से, संबंधित भार रेखा के ऊपरी सिर तक, के बीच वाली, नीचे की ओर की उर्ध्वाधर दूरी अभिप्रेत है ;]

(15) जलयान के संबंध में, “उच्च न्यायालय” से वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अपीली अधिकारिता की सीमाओं के भीतर—

(क) जलयान का रजिस्ट्री पत्तन स्थित है, अथवा

(ख) जलयान उस समय है, अथवा

(ग) वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उद्भूत हुआ है ;

(16) देशी व्यापार पोत से तीन हजार सकल टन से अधिक का ऐसा पोत अभिप्रेत है जो भारत में किसी पत्तन या स्थान और भारत के महाद्वीप में किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच अथवा भारत में किन्हीं पत्तनों या स्थानों और सीलोन, मालदीव द्वीपों, फेडरेशन आफ मलाया, सिंगापुर या बर्मा में किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच व्यापार में लगा है ;

(17) “भारतीय कौंसलीय आफिसर” से केन्द्रीय सरकार द्वारा महाकौंसल, कौंसल, उप-कौंसल, कौंसलीय अभिकर्ता और प्रो-कौंसल के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा महाकौंसल, कौंसल, उप-कौंसल, कौंसलीय अभिकर्ता या प्रो-कौंसल के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी है ;

(18) “भारतीय पोत” से इस अधिनियम के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत पोत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ पर भारत में किसी पत्तन पर रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा पोत भी है जिसे धारा 22 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन भीरतीय पोत के रूप में मान्यता दी गई है ;

²[(18क) “अन्तरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा” से भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान को या विपर्यतः समुद्र यात्रा अभिप्रेत है ;]

(19) “भार रेखा प्रमाणपत्र” से धारा 316 या धारा 321 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

³[(20) “भार रेखा अभिसमय” से 5 अप्रैल, 1966 को लन्दन में हस्ताक्षरित, समय-समय पर यथासंशोधित, अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय अभिप्रेत है ;]

(21) “समुद्री बोर्ड” से धारा 373 के अधीन संयोजित समुद्री जांच बोर्ड अभिप्रेत है ;

(22) “मास्टर” के अन्तर्गत (पाइलट या बंदरगाह मास्टर के सिवाय) ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो पोत का समादेशन करता है या उसका भारसाधक है ;

³[(22क) “न्यूक्लीय पोत” से न्यूक्लीय शक्ति संयंत्र युक्त पोत अभिप्रेत है ;]

(23) “स्वामी” से—

(क) चलत पोत के संबंध में, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका वह पोत है या जिसका पोत में कोई अंश है ;

(ख) चलत जलयान के संबंध में, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका वह चलत जलयान है ;

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (21-7-1968 से) खंड (14) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (28-5-1966 से) अन्तर्वर्ती:स्थापित।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (21-7-1968 से) खंड (20) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(24) “यात्री” से निम्नलिखित के सिवाय, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे पोत पर सवार करके ले जाया जाता है, अर्थात्:—

(क) ऐसा व्यक्ति जो पोत के कारबार के लिए किसी भी हैसियत में पोत पर नियोजित है या लगा है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो या तो मास्टर पर अधिरोपित इस बाध्यता के अनुसरण में कि उसे पोत ध्वस्त, कष्टग्रस्त या अन्य व्यक्तियों को ले जाना होगा, या किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन्हें मास्टर और चार्टर, यदि कोई है, न तो रोक सकता था न निवारित कर सकता था, पोत पर है ;

(ग) एक वर्ष से कम आयु का बालक ;

(25) “यात्री पोत” से बाहर से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला पोत अभिप्रेत है ;

(26) “तीर्थ यात्री” से तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, और तीर्थ यात्री पोत पर सवार किसी यात्री की दशा में तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति के साथ जाने वाला या यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी है ;

¹[(27) “तीर्थ यात्रा” से हैदाज में किसी पवित्र स्थान की या किसी ऐसे अन्य स्थान की तीर्थ यात्रा अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अभिसूचना द्वारा, तीर्थस्थान घोषित किया है ;

(28) “तीर्थ यात्री पोत” से ऐसा विशेष व्यापार यात्री पोत अभिप्रेत है, जो तीर्थ यात्रा काल के दौरान, यथास्थिति, हैदाज को या उससे या केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्ड (27) के अनुसरण में तीर्थस्थान के रूप में घोषित किए गए किसी अन्य स्थान को या उससे समुद्र यात्रा करता है और जो, पोत के सकल टन भार के प्रत्येक सौ टन पर कम से कम एक तीर्थ यात्री के अनुपात में, तीर्थ यात्रियों को ले जाता है ;]

(29) किसी पोत या चलत जलयान के संबंध में, “रजिस्ट्री पत्तन” से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जहां उसे रजिस्टर किया गया है या रजिस्टर किया जाना है ;

(30) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(31) धारा 178 से 183 तक (दोनों सहित) के संबंध में, “कार्यवाही” में कोई वाद, अपील या आदेश भी है ;

(32) “समुचित अधिकारी” से किसी पत्तन या स्थान पर, और ऐसे किसी विषय की बाबत जिसके प्रति इस अधिनियम के ऐसे किन्हीं उपबंधों में, जिसमें वह पद आता है, निर्देश किया गया हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समुचित अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(33) “समुचित वापसी पत्तन” से, किसी मास्टर, नाविक या शिक्षु के संबंध में, जिसे सेवोन्मुक्त कर दिया गया है या पीछे छोड़ दिया गया है, ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिस पर मास्टर, नाविक या शिक्षु को नियोजित किया गया था, या ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, मास्टर, नाविक या शिक्षु द्वारा ऐसे पत्तन के रूप में तय किया जाता है ;

(34) “रेडियो निरीक्षक” से धारा 10 के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(35) “रजिस्ट्रार” से धारा 24 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(36) (क) “संप्रत्यावर्तन व्यय” से किसी कष्टग्रस्त नाविक को समुचित वापसी के पत्तन तक वापस भेजने में, और तब तक जब तक कि वह ऐसे पत्तन पर नहीं पहुंच जाता, आवश्यक कपड़े और भरण-पोषण उपलब्ध कराने पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ध्वस्त पोत नाविक की दशा में, पोत के ध्वस्त हो जाने के पश्चात् उसे पत्तन तक ले जाने में, और इस प्रकार ले जाते समय उसके भरण-पोषण पर उपगत व्ययों का प्रतिसंदाय भी है ; और

(ख) संप्रत्यावर्तन व्ययों के संदर्भ में “अपवादित व्यय” से अभिप्रेत है उन दशाओं में उपगत संप्रत्यावर्तन व्यय जब नाविक को पीछे छोड़ देने का कारण अभित्याग या छुट्टी बिना अनुपस्थिति या अवचार के कारण कारावास या समुद्री बोर्ड द्वारा अवचार के आधार पर पोत से मुक्त है ;

(37) “सुरक्षा अभिसमय” से ²[1 नवम्बर, 1974] को लंदन में हस्ताक्षरित और समय-समय पर यथासंशोधित “समुद्र में जीवन सुरक्षा अभिसमय” अभिप्रेत है ;

³[(38) “सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्रों” से, यथास्थिति, भाग 9 या भाग 9क के अधीन जारी किया गया निम्नलिखित कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र,

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 3 द्वारा (1-12-1976 से) खंड (27) और (28) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा “17 जून, 1960” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (28-5-1966 से) खंड 38 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

- 1[(i) विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र,
(ix) विशेष व्यापार यात्री पोत रिक्त स्थान प्रमाणपत्र,]
(ii) अर्हित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र,
(iii) स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र,
(iv) अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र,
(v) स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र,
(vi) अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र,
(vii) स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो तार प्रमाणपत्र,
(viii) स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो टेलीफोन प्रमाणपत्र,
(ix) झूट प्रमाणपत्र,
(x) न्यूक्लीय यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र,
(xi) न्यूक्लीय स्थोरा यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ;]

(39) “चलत जलयान” से केवल पालों से नौपरिवहन करने के लिए पर्याप्त पालक्षेत्र से युक्त किसी भी विवरण का जलयान अभिप्रेत है, उसमें चाहे नौदन के यांत्रिक साधन लगे हों या नहीं, और इसके अंतर्गत रोइंग नौका या कनोय भी है, किन्तु क्रीडा नौका नहीं है ;

(40) “उद्धरण” के अन्तर्गत उद्धारकर्ता द्वारा उद्धरण सेवाओं के पालन में समुचित रूप से उपगत सब व्यय हैं ;

(41) जलयान के संबंध में “समुद्रगामी” से अन्तरदेशीय जल से या केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्बाध या अंशतः निर्बाध सागर खंड के रूप में घोषित किए गए सागर खंड से परे समुद्र की ओर अग्रसर होने वाला जलयान अभिप्रेत है ;

(42) “नाविक” से इस अधिनियम के अधीन पोत के नाविक दल के सदस्य के रूप में नियोजित या लगाया गया (मास्टर, पाइलट या शिक्षु के सिवाय) प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु धारा 178 से धारा 183 तक (दोनों सहित) के संबंध में, इसके अन्तर्गत मास्टर भी हैं ;

(43) “नाविक रोजगार कार्यालय” से धारा 12 में निर्दिष्ट नाविक रोजगार कार्यालय अभिप्रेत हैं ;

(44) “नाविक कल्याण अधिकारी” से धारा 13 में निर्दिष्ट नाविक कल्याण अधिकारी अभिप्रेत हैं ;

2[(44क) “सुरक्षा” से समुद्रीय सुरक्षा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जलयानों के स्वामियों या प्रचालकों या पत्तन सुविधाओं, अपतट प्रतिष्ठापनों और अन्य समुद्रीय संगठनों या स्थापनों के प्रबंध तंत्र के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए पत्तनों या पोतों या समुद्री नौचालन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित किसी व्यक्ति या वस्तु की,—

(i) आतंकवाद, अंतर्ध्वंस, छिपकर जहाज में यात्रा करने, अवैध उत्प्रवासियों, शरण चाहने वाले अपराधियों, जलदस्युता, सशस्त्र डकैती, अभिग्रहण या मूषण से ;

(ii) किसी अन्य शत्रु के ऐसे कार्य या प्रभाव से, जिससे समुद्री परिवहन सेक्टर की सुरक्षा को खतरा होता है,

सुरक्षा के लिए कोई उपाय भी हैं ;]

(45) “पोत” के अन्तर्गत चलत जलयान नहीं हैं ;

(46) “पोत परिवहन मास्टर” से धारा 11 में निर्दिष्ट पोत परिवहन मास्टर अभिप्रेत है ; किन्तु धारा 178 से धारा 183 तक (दोनों सहित) के प्रयोजनों के लिए किसी नाविक के संबंध में “पोत परिवहन” मास्टर से अभिप्रेत है—

(i) ऐसे पत्तन के लिए नियुक्त किया गया पोत परिवहन मास्टर जिस पर नाविक ने करार किया है या यह विश्वास किया जाता है कि उसने करार किया है ; अथवा

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 3 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित ।

² 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) जहां नाविक ने भारत में कोई करार नहीं किया है वहां, ऐसे पत्तन के लिए नियुक्त किया गया पोत परिवहन मास्टर जिस पर नाविक अपनी अंतिम समुद्र यात्रा पूरी करके वापस आता है या उसके वापस आने की संभावना है ;

(47) “पोत परिवहन कार्यालय” से धारा 11 में निर्दिष्ट पोत परिवहन कार्यालय अभिप्रेत है ;

¹[(47क) “विशेष व्यापार” से, विहित समुद्री क्षेत्रों के भीतर समुद्र मार्ग से बड़ी संख्या में यात्रियों का प्रवहण अभिप्रेत है ;

(47ख) “विशेष व्यापार यात्री” से ऐसा यात्री अभिप्रेत है जिसे विशेष व्यापार यात्री पोत में खुले डैक या ऊपरी डैक या ऐसे डैकों के उन रिक्त स्थानों में ले जाया जाता है जहां आठ से अधिक यात्रियों के लिए स्थान है और इसके अन्तर्गत तीर्थयात्री या तीर्थयात्री के साथ जाने वाला व्यक्ति भी है ;

(47ग) “विशेष व्यापार यात्री पोत” से तीस से अधिक विशेष व्यापार यात्रियों को ले जाने वाला यंत्र चालित पोत अभिप्रेत है ;]

(48) “सर्वेक्षक” से धारा 9 में निर्दिष्ट सर्वेक्षक अभिप्रेत है ;

²[(48क) “टैंकर” से ज्वलनशील प्रकृति के द्रव स्थोराओं का थोक में वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित स्थोरा पोत अभिप्रेत है ;]

(49) “ज्वारीय जल” से समुद्र का कोई भाग या नदी का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जो सामान्य बृहत ज्वार के समय ज्वार के भाटे और चढ़ाव के भीतर हो और बंदरगाह नहीं हो ;

(50) “टिंडल” से चलत जलयान का समनुदेशन करने वाला या उसका भारसाधक अभिप्रेत है ;

3*

*

*

*

(53) “विधिमान्य अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र” से, भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के संबंध में, उस देश की सरकार द्वारा, जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत है, भार रेखा अभिसमय के अनुसार जारी किया गया तात्पर्यित प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(54) “विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र” से, भारतीय पोत से भिन्न किसी पत्तन के संबंध में, उस देश की सरकार द्वारा, जिसमें पत्तन रजिस्ट्रीकृत है, सुरक्षा अभिसमय के अनुसार जारी किया गया तात्पर्यित प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(55) “जलयान” के अन्तर्गत कोई पोत, नौका, चलत-जलयान या नौपरिवहन में प्रयुक्त अन्य विवरण का कोई जलयान है ;

(56) भाग 8 के प्रयोजनों के लिए, “समुद्र यात्रा” से पोत के प्रस्थान के पत्तन या स्थान से उसकी पहुंच के अंतिम पत्तन या स्थान तक की संपूर्ण दूरी अभिप्रेत है ;

(57) “मजदूरी” के अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं ;

(58) “ध्वंसावशेष” के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं यदि वे समुद्र में या ज्वारीय जल में या उनके तटों पर पाए जाते हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे माल जो समुद्र में गिरा दिए गए हों और डूब गए हों तथा जल के नीचे रह गए हों ;

(ख) ऐसे माल जो समुद्र में गिरा दिए गए हों या गिर जाएं और सतह पर तैरते रहें ;

(ग) ऐसे माल जो समुद्र में डूबा दिए गए हों किन्तु जो किसी तैरती हुई वस्तु के साथ जोड़ दिए गए हों जिससे कि उन्हें पुनः खोजा जा सके ;

(घ) ऐसे माल जो फैंक दिए गए हों या परित्यक्त कर दिए गए हों ; और

(ङ) ऐसा जलयान जिसका परित्याग उसके पुनः मिलने की आशा से या ऐसे आशय के बिना कर दिया गया हो ;

(59) “तरुण व्यक्ति” से अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है ।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 3 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित ।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित ।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 3 द्वारा (1-12-1976 से) खंड (51) और (52) का लोप किया गया ।

भाग 2

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

4. **राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना**—(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अभिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा (जो इस भाग में इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है)।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) संसद् द्वारा निर्वाचित छह सदस्य, जिनमें से चार लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से और अन्य दो राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ख) सोलह से अनधिक उतने अन्य सदस्य जितने केन्द्रीय सरकार बोर्ड में,—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) पोत स्वामियों ;

(iii) नाविकों ; और

(iv) ऐसे अन्य हितों, जिनका, केन्द्रीय सरकार की राय में, बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए,

का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करना ठीक समझे :

परन्तु बोर्ड में पोत स्वामियों और नाविकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति समान संख्या में रखे जाएंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के एक सदस्य को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगी।

(4) बोर्ड को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

5. **राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के कृत्य**—बोर्ड—

(क) भारतीय पोत परिवहन से संबंधित विषयों पर, जिसके अन्तर्गत उसका विकास भी है ; और

(ख) इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट करे,

केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा।

6. **इस भाग के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब या उनमें से, किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सके, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और बोर्ड में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को भरने की पद्धति ;

(ख) धारा 5 के अधीन बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करने में बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्त और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते।

भाग 3

साधारण प्रशासन

7. **पोत परिवहन का महानिदेशक**—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अभिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन महानिदेशक को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियां, प्राधिकार या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन करने के लिए, पोत परिवहन महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के किन्हीं ऐसे उपबंधों के अधीन या उनके संबंध में, जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कोई शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य है, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, महानिदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होगी।

(3) महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निर्दिष्ट कर सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन महानिदेशक को प्रदत्त या प्रत्यायोजित किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता का और अधिरोपित किसी कर्तव्य का, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसी महानिदेशक अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे अधिकारी या उस अन्य प्राधिकारी द्वारा भी, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

8. वाणिज्य समुद्री बेड़ा विभाग—(1) केन्द्रीय सरकार, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन पर और भारत में ऐसे अन्य पत्तन पर, जहां वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए, वाणिज्यिक समुद्रीय बेड़ा विभाग का एक कार्यालय स्थापित कर सकेगी और उसे बनाए रख सकेगी।

(2) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के पत्तनों पर वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग का कार्यालय एक प्रधान अधिकारी के भारसाधन में होगा, और किसी अन्य पत्तन पर स्थित कार्यालय ऐसे अधिकारी के भारसाधन में होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(3) प्रधान अधिकारी और अन्य अधिकारी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन करेंगे।

9. सर्वेक्षक—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे पत्तनों पर, जहां वह आवश्यक समझे, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

[1(क) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थोरा पोतों की दशा में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जैसे वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक या सर्वेक्षकों के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी।]

(2) सर्वेक्षक, नौ सर्वेक्षक, पोत सर्वेक्षक या इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक हो सकेंगे।

(3) ऐसे पत्तन पर, जहां इस धारा के अधीन नियुक्त कोई सर्वेक्षक उपलब्ध न हो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अर्हित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(4) ऐसे विषयों के संबंध में, जो सर्वेक्षक की सक्षमता के भीतर हैं, वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी या उपधारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए सब कार्यों का बही प्रभाव होगा मानो वे सर्वेक्षक द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए हों।

10. रेडियो निरीक्षक—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने रेडियो निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम और इसके अधीन नियमों और विनियमों की रेडियो तार, टेलीफोन और दिशा निर्धारकों से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

11. पोत परिवहन कार्यालय—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में ऐसे प्रत्येक पत्तन में, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, एक पोत परिवहन कार्यालय स्थापित कर सकेगी और वहां एक पोत परिवहन मास्टर और उतने उपपोत परिवहन मास्टर तथा सहायक पोत परिवहन मास्टर नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे।

(2) पोत परिवहन मास्टर, उप-पोत परिवहन मास्टर और सहायक पोत परिवहन मास्टर, केन्द्रीय सरकार के, या किसी ऐसे मध्यवर्ती प्राधिकारी के, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे पत्तन पर जिस पर कोई पृथक पोत परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, पोत परिवहन कार्यालय का कारबार, संपूर्ण रूप या भागतः सीमाशुल्क कार्यालय में या पत्तन अधिकारी के कार्यालय में या किसी ऐसे अन्य कार्यालय में, जैसा केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, संचालित होगा, और तदुपरि ऐसे कारबार का संचालन तदनुसार किया जाएगा।

(4) उप-पोत परिवहन मास्टर, सहायक पोत परिवहन मास्टर और ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे पोत परिवहन कार्यालय का कारबार उपधारा (3) के अधीन सुपुर्द किया गया है, या उसके समक्ष किए गए सब कार्यों का बही प्रभाव होगा मानो वे पोत परिवहन मास्टर द्वारा या उसके समक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए हैं।

12. नाविक रोजगार कार्यालय—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत में प्रत्येक ऐसे पत्तन पर जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, एक नाविक रोजगार कार्यालय स्थापित कर सकेगी और वहां एक निदेशक और उतने उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक नियुक्त कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे।

(2) निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक केन्द्रीय सरकार के, या किसी ऐसे मध्यवर्ती प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

(3) उप-निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा या उसके समक्ष किए गए सब कार्यों का वही प्रभाव होगा मानो वे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा या उसके समक्ष किए गए हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे पत्तन पर जहां कोई पृथक् नाविक रोजगार कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, नाविक रोजगार कार्यालय के कृत्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जाएगा जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और तदुपरि इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय का कार्यालय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस पत्तन पर स्थापित नाविक रोजगार कार्यालय समझा जाएगा।

13. नाविक कल्याण अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार भारत में या उसके बाहर ऐसे पत्तनों पर, जहां वह आवश्यक समझे, नाविक कल्याण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त नाविक कल्याण अधिकारी—

(क) भारत में किसी पत्तन पर नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी की दशा में, नाविकों के कल्याण संबंधी ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं ;

(ख) भारत के बाहर किसी पत्तन पर नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी की दशा में, नाविकों के कल्याण संबंधी ऐसे कृत्यों का और भाग 7 अधीन भारतीय कौंसलीय आफिसर के ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समनुदेशित करे।

(3) यदि भारत के बाहर किसी पत्तन पर नियुक्त किया गया कोई नाविक कल्याण अधिकारी भाग 8 के अधीन भारतीय कौंसलीय अधिकारी को समनुदेशित किन्हीं कृत्यों का पालन करता है तो ऐसे कृत्यों का वही प्रभाव होगा मानो उनका पालन भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा उस भाग के प्रयोजनों के लिए किया गया था।

1* * * * *

भाग 5

भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण

20. इस भाग का लागू होना—यह भाग नौदतन के यांत्रिक साधनों से युक्त केवल समुद्रगामी पोतों को लागू है।

21. भारतीय पोत—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी पोत को तब तक भारतीय पोत नहीं समझा जाएगा जब तक वह पूर्णतः ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन न हो जिनमें से प्रत्येक को निम्नलिखित विवरणों में से 2[कोई] लागू होता है:—

(क) भारत का नागरिक ; या

³(ख) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई कम्पनी या निकाय, जिसका प्रधान व्यापार स्थान भारत में है ; या

(ग) कोई सहकारी सोसाइटी, जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है।]

22. रजिस्टर कराने की बाध्यता—(1) प्रत्येक भारतीय पोत, जब तक कि वह ऐसा पोत न हो जिसका शुद्ध टन भार से अधिक नहीं है और जो अनन्यतः भारत के तटों पर नौपरिवहन में लगा है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाएगा।

(2) ऐसा पोत, जिसके रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा उपधारा (1) द्वारा की गई है तब तक भारतीय पोत के रूप में मान्य नहीं होगा जब तक वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर नहीं हो जाता :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ पर भारत के किसी पत्तन पर इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्टर किया गया कोई पोत इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा और भारतीय पोत के रूप में मान्य होगा।

(3) ऐसा पोत जिसके रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा की गई है तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उस पोत का मास्टर यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो, पोत की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश नहीं कर देता।

⁴[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “पोत” के अन्तर्गत मछली पकड़ने का जलयान नहीं है।]

¹ 1986 के अधिनियम सं० 66 की धारा 3 द्वारा (3-4-1987 से) भाग 4 का लोप किया गया।

² 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 2 द्वारा (28-9-1981 से) “किन्हीं को” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 2 द्वारा (27-10-1993 से) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

23. रजिस्ट्री पत्तन—(1) पोतों का रजिस्ट्रीकरण मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों पर तथा भारत में ऐसे पत्तनों पर किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री पत्तन घोषित करे।

(2) ऐसा पत्तन जिस पर कोई भारतीय पोत इस अधिनियम के अधीन उस समय रजिस्टर किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पत्तन उस पोत का रजिस्ट्री पत्तन है जिसका वह पोत है।

24. भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार—मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन पर वाणिज्यिक समद्री बेड़ा विभाग का प्रधान अधिकारी, और किसी अन्य पत्तन पर ऐसा प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, उस पत्तन पर भारतीय पोतों का रजिस्ट्रार होगा :

¹[परन्तु ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे, जब किसी पत्तन पर भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार का पद रिक्त है या ऐसे पद का धारक छुट्टी पर है या वह किसी कारण से अपने पद की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग करने और उनके निर्वहन के लिए पत्तन पर उपलब्ध नहीं है, तब उस पत्तन का ज्येष्ठतम सर्वेक्षक, उस पत्तन पर भारतीय पोतों के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर सकेगा और उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा उसके कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।]

25. रजिस्ट्रीकरण बही—प्रत्येक रजिस्ट्रार एक बही रखेगा जो रजिस्ट्रीकरण बही कहलाएगी और उस बही में निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार प्रविष्टियां की जाएंगी—

(क) पोत का स्वत्व दस अंशों में विभाजित किया जाएगा ;

(ख) इस अधिनियम के उन उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संयुक्त स्वामियों का पारेषण द्वारा स्वामियों की बाबत हैं एक समय में दस से अनधिक व्यक्ति एक पोत स्वामी के रूप में रजिस्टर किए जाने के हकदार होंगे ; किन्तु यह नियम किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी या संयुक्त स्वामी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए या उसके अधीन या उसके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों के फायदाप्रद हित पर प्रभाव नहीं डालेगा ;

(ग) कोई व्यक्ति किसी पोत में अंश (शेयर) के आंशिक भाग के स्वामी के रूप में रजिस्टर किए जाने का हकदार नहीं होगा ; किन्तु पांच से अनधिक कितने भी व्यक्ति पोत या किसी अंश या अंशों के संयुक्त स्वामियों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे ;

(घ) संयुक्त स्वामियों को एक व्यक्ति माना जाएगा और वे किसी पोत में या उसमें के किसी अंश में किसी हित के, जिसकी बाबत वे रजिस्टर किए गए हैं पृथक्-पृथक् रूप से व्ययनित करने के हकदार नहीं होंगे ;

(ङ) कोई कम्पनी ²[या सहकारी सोसाइटी] अपने नाम से स्वामी के रूप में रजिस्टर की जा सकेगी।

26. रजिस्ट्री के लिए आवेदन—भारतीय पोत को रजिस्ट्री के लिए आवेदन—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, स्वामी या उसके अभिकर्ता के रूप में रजिस्टर किए जाने की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा ;

(ख) इस प्रकार रजिस्टर किए जाने की अपेक्षा करने वाले एक से अधिक व्यष्टियों की दशा में, ऐसी अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों में से एक या अधिक द्वारा या उसके या उनके अभिकर्ता द्वारा ; और

(ग) इस प्रकार रजिस्टर किए जाने की अपेक्षा करने वाली कंपनी ³[या सहकारी सोसाइटी] की दशा में, उसके अभिकर्ता द्वारा,

किया जाएगा और यदि अभिकर्ता किसी व्यष्टि द्वारा नियुक्त किया गया है तो अभिकर्ता का प्राधिकार, उसकी नियुक्त करने वाले व्यक्ति के अपने हस्ताक्षर से, लिखित रूप में, प्रमाणित किया जाएगा और यदि अभिकर्ता की नियुक्त कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा की गई है तो उसकी सामान्य मुद्रा से प्रमाणित किया जाएगा।

27. रजिस्ट्री से पूर्व पोत का सर्वेक्षण और माप—(1) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत का स्वामी जिसकी रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जाए ऐसे पोत का सर्वेक्षण और उसके टन भार का विहित रीति से अभिनिश्चय सर्वेक्षक से कराएगा।

(2) सर्वेक्षक पोत के टन भार को और निर्माण के प्रकार को तथा पोत की पहचान के विवरण से युक्त ऐसी अन्य विशिष्टियों को जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक प्रमाणपत्र देगा और सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र रजिस्ट्री से पहले ही रजिस्ट्रार को परिदत्त किया जाएगा।

28. पोत का चिह्नांकन—(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाला भारतीय पोत का स्वामी रजिस्ट्री से पहले ही पोत को विहित रीति में और रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से स्थायी और सहजदृश्य रूप में चिह्नित कराएगा और रजिस्ट्रार ऐसे किसी पोत को, जो इस प्रकार चिह्नित नहीं किया गया है, निरुद्ध कर सकेगा।

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 3 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

² 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्टि किसी अन्य उपबंध के, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय पोत का स्वामी और मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि पोत इस धारा में अपेक्षित के अनुसार चिह्नित रहे और उक्त स्वामी या मास्टर तब के सिवाय जब उसके द्वारा सूचित की गई विशिष्टियों में से किसी में इस अधिनियम में उपबन्धित रीति से परिवर्तन किया जाता है अथवा शत्रु द्वारा या किसी विदेशी युद्धपोत द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए अपने किसी युद्धमान अधिकार के प्रयोग में के सिवाय, ऐसे चिह्नों में कोई परिवर्तन नहीं कराएगा या परिवर्तन नहीं होने देगा।

29. रजिस्टर के समय स्वामित्व की घोषणा—कोई व्यक्ति किसी भारतीय पोत का या उसमें किसी अंश का स्वामी तब तक रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक वह या, कंपनी ¹[या सहकारी सोसाइटी] की दशा में, उसकी ओर से घोषणा करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, विहित प्ररूप में ऐसे पोत के संबंध में, जिसकी बाबत सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र में वर्णन किया गया है, स्वामित्व की घोषणा नहीं कर देता है और उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। स्वामित्व की घोषणा में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :—

(क) यह विवरण कि वह भारत का नागरिक है या नहीं, ²[अथवा कंपनी या सहकारी सोसाइटी की दशा में, कंपनी या सहकारी सोसाइटी धारा 21 के, यथास्थिति, खंड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है या नहीं] ;

(ख) उस समय का जब और उस स्थान का जहां पोत का निर्माण हुआ था विवरण या यदि पोत का निर्माण भारत के बाहर हुआ है और पोत के निर्माण का समय और स्थान ज्ञात नहीं है तो इस आशय का विवरण, तथा इसके अतिरिक्त भारत के बाहर पहले ही रजिस्ट्रीकृत पोत की दशा में, उस नाम का विवरण जिस नाम से उसका ऐसा रजिस्ट्रीकरण हुआ था ;

(ग) पोत के मास्टर का नाम ;

(घ) पोत में उन अंशों की संख्या जिनकी बाबत, यथास्थिति, वह या कम्पनी या सहकारी सोसाइटी स्वामी के रूप में रजिस्टर किए जाने का दावा करता या करती है ; तथा

(ङ) यह घोषणा कि कथन में दी गई विशिष्टियां उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्पष्टीकरण—एक से अधिक व्यक्ति के स्वामित्वाधीन पोत या अंश की बाबत उक्त घोषणा उनमें से ऐसे किसी एक व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी, जिसे उनके द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

30. प्रथम रजिस्ट्री के समय साक्ष्य—भारतीय पोत को प्रथम रजिस्ट्री के समय, स्वामित्व की घोषणा के अतिरिक्त निम्नलिखित साक्ष्य पेश किया जाएगा :—

(क) भारत में निर्मित पोत की दशा में, निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र अर्थात्, पोत के निर्माणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें पोत के उचित नाम का और निर्माणकर्ता द्वारा प्राक्कलित टन भार का तथा उस समय का जब और उस स्थान का जहां पोत का निर्माण हुआ है, और उस व्यक्ति के नाम का, जिसकी ओर से पोत का निर्माण हुआ है, सही वर्णन होगा ; और यदि कोई विक्रय हुआ है तो उस विक्रय की लिखत जिसके द्वारा पोत या उसका कोई अंश रजिस्टर करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति में निहित हुआ है।

(ख) भारत के बाहर निर्मित पोत की दशा में, वही साक्ष्य जो भारत में निर्मित पोत की दशा में होना चाहिए किन्तु तब के सिवाय जब स्वामित्व की घोषणा करने वाला यह घोषणा करे कि पोत के निर्माण का समय और स्थान उसे ज्ञात नहीं है या यह कि निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र उपाप्त नहीं किया जा सकता और ऐसी दशा में विक्रय की केवल वह लिखत अपेक्षित होगी जिसके द्वारा पोत या उसमें का कोई अंश रजिस्टर करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति में निहित हो गया है।

31. रजिस्ट्रीकरण बही में विशिष्टियों की प्रविष्टि—जैसे ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री को प्रारम्भिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया जाए, रजिस्ट्रार पोत की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां रजिस्ट्रीकरण बही में दर्ज करेगा—

(क) पोत का नाम और उस पत्तन का नाम जिसका वह है ;

³[(कक) पोत पहचान संख्यांक ;]

(ख) सर्वेक्षक प्रमाणपत्र में अंतर्विष्टि व्यौरे ;

(ग) स्वामित्व के प्रमाणपत्र में वर्णित उसकी मूल सम्बन्धी विशिष्टियां ; और

(घ) उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी का या स्वामियों का नाम और विवरण तथा यदि एक से अधिक स्वामी हैं तो उनमें से प्रत्येक के स्वामित्वाधीन अंशों की संख्या।

32. रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज—पोत की रजिस्ट्री होने पर रजिस्ट्रार निम्नलिखित दस्तावेजें अपनी अभिरक्षा में रखेगा :—

(क) सर्वेक्षक प्रमाणपत्र ;

(ख) निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र ;

¹ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 5 द्वारा (28-9-1981 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) विक्रय की कोई लिखत जिसके द्वारा पोत पहले विक्रय किया गया हो ;

(घ) स्वामित्व की सभी घोषणाएं।

33. रजिस्टर किए गए भारतीय पोत के हक के बारे में जांच करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) जहां केन्द्रीय सरकार को भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर किए गए किसी भारतीय पोत के हक के बारे में कोई संदेह प्रतीत होता है वहां वह उसके रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को यह निदेश देगा कि वह तीस दिन से अन्यून उतने समय के भीतर, जितना केन्द्रीय सरकार नियत करे और जो तीस दिन से अन्यून नहीं होगा, उक्त रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से इस साक्ष्य की अपेक्षा करे कि पोत भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर किए जाने का हकदार है।

(2) यदि उतने समय के भीतर जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नियत किया जाए, रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में ऐसा साक्ष्य नहीं दिया जाता है कि पोत भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर किए जाने का हकदार है तो, पोत समपहृत किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

34. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना—भारतीय पोत की रजिस्ट्री पूरी हो जाने पर, रजिस्ट्रार एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा जिसमें उसके मास्टर के नाम सहित वे विशिष्टियां होंगी जो रजिस्ट्रीकरण बही में प्रविष्टि की गई हैं।

35. प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग—(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग केवल पोत के विधिपूर्ण नौपरिवहन के लिए किया जाएगा, और किसी स्वामी, बन्धकदार या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसका पोत पर कोई हक, धारणाधिकार, प्रभार या उसमें कोई हित है या जो उसका दावा करता है, उसके आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को परिरुद्ध नहीं कर सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, चाहे पोत में उसका हित है या नहीं, जिसके कब्जे या नियन्त्रण में पोत का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है, पोत को विधिपूर्ण नौपरिवहन के प्रयोजन के लिए उक्त प्रमाणपत्र को अभिरक्षा में रखने के हकदार व्यक्ति द्वारा, या किसी रजिस्ट्रार, सीमाशुल्क कलक्टर या ऐसे परिदान की अपेक्षा विधि द्वारा करने के हकदार अन्य व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उक्त प्रमाणपत्र को उचित कारण के बिना परिदत्त करने से इंकार या लोप नहीं करेगा।

(3) उपधारा (2) की अपेक्षा के अनुसार प्रमाणपत्र का परिदान करने से इंकार या लोप करने वाले किसी व्यक्ति को [यथास्थिति, प्रथम वर्ग का कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट] अपने समक्ष हाजिर होने के लिए, आदेश द्वारा, समन कर सकेगा और ऐसे इंकार की बाबत उसकी परीक्षा कर सकेगा ; तथा यदि यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति इसलिए फरार हो गया है जिससे मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश की उस पर तामील न की जा सके, या यदि वह प्रमाणपत्र परिदत्त न करने पर अड़ा रहता है [तो, उक्त मजिस्ट्रेट] इस तथ्य को प्रमाणित करेगा और तब वही कार्यवाही की जा सकेगी जो प्रमाणपत्र के भुला जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में या इनसे मिलती-जुलती परिस्थितियों में की जा सकती है।

(4) यदि किसी भारतीय पोत का मास्टर या स्वामी किसी पोत की बाबत विधिपूर्वक न दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उस पोत के परिवहन के उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयास करेगा तो वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा और पोत समपहृत किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

36. मूल प्रमाणपत्र के विरूपित हो जाने, खो जाने, आदि की दशा में नया प्रमाणपत्र देने की शक्ति—(1) किसी भारतीय पोत के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विरूपित हो जाने या विकृत हो जाने की दशा में उसकी रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार उक्त प्रमाणपत्र का उसे परिदान किए जाने पर, मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र दे सकेगा।

(2) किसी भारतीय पोत के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के भुला जाने, खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में या, तब जब उसका हकदार व्यक्ति उसे किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा से अभिप्राप्त करने में असमर्थ है, उस पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र देगा।

(3) यदि वह पत्तन जहां, पोत उपधारा (2) में निर्दिष्ट घटना के समय या घटना के पश्चात् प्रथम बार पहुंचता है, भारत के बाहर है तो पोत का मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मामले के तथ्यों की जानकारी हो, ऐसे तथ्यों की और ऐसे पोत के रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और विवरण की अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, निकटतम उपलब्ध भारतीय कौंसलीय आफिसर को घोषणा करेगा जो तदुपरि एक अनन्तिम प्रमाणपत्र देगा जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण रहेगा जिनमें वह प्रमाणपत्र दिया गया है।

(4) मास्टर अनन्तिम प्रमाणपत्र को भारत में अपने उन्मोचन के पत्तन पर प्रथम बार पहुंचने के पश्चात् दस दिन के भीतर उसके रजिस्ट्रीकृत पत्तन के रजिस्ट्रार को परिदत्त करेगा और तदुपरि रजिस्ट्रार एक नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा।

(5) यदि ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसके बारे में यह कहा जा चुका है कि वह भुला गया है, खो गया है या नष्ट हो गया है, तत्पश्चात् किसी समय मिल जाता है, या यदि वह व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का हकदार है, तत्पश्चात् किसी समय उसे अभिप्राप्त कर लेता है तो उक्त प्रमाणपत्र तुरन्त पोत के रजिस्ट्रीकरण पत्तन के रजिस्ट्रार को उसे रद्द किए जाने के लिए परिदत्त किया जाएगा।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

37. मास्टर के परिवर्तन के बारे में प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन—जहां किसी भारतीय पोत का मास्टर परिवर्तित हो जाता है वहां निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति, अर्थात् :—

(क) यदि परिवर्तित समुद्री बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय द्वारा मास्टर के हटाए जाने के परिणामस्वरूप होता है तो समुद्री बोर्ड का पीठासीन अधिकारी या न्यायालय ;

(ख) यदि परिवर्तन किसी अन्य कारण से—

(i) भारत में होता है, तो रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पत्तन पर, जहां परिवर्तन किया जाए इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य जानकारी ; और

(ii) भारत के बाहर किया गया है तो उस पत्तन पर, जहां परिवर्तन किया जाए, भारतीय कौंसलीय आफिसर,

रजिस्ट्री प्रमाणपत्र पर परिवर्तन का ज्ञापन पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित करेगा तथा भारत में किसी पत्तन पर कोई सीमाशुल्क कलक्टर किसी व्यक्ति को किसी भारतीय पोत के मास्टर के रूप में कोई कार्य करने की अनुज्ञा तब तक देने से इंकार कर सकेगा जब तक उसका नाम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र में उस पोत के अन्तिम नियुक्त किए गए मास्टर के रूप में अंतःस्थापित या पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता ।

38. स्वामित्व के परिवर्तन का प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन—(1) जब भी किसी भारतीय पोत के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है तब स्वामित्व का परिवर्तन एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर या तो पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार द्वारा अथवा ऐसे किसी भी पत्तन के, जिस पर पोत पहुंचता है और जिसे पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार द्वारा परिवर्तन पर सलाह दी जाती है, रजिस्ट्रार द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(2) यदि परिवर्तन तब किया जाए जब पोत अपने रजिस्ट्री पत्तन पर है तो मास्टर पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार से ऐसा पृष्ठांकन कराने के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र को, परिवर्तन के पश्चात् तुरन्त और यदि परिवर्तन उस पत्तन से पोत की अनुपस्थिति के दौरान किया जाता है और पोत के वापस आने से पूर्व इस धारा के अधीन पृष्ठांकन नहीं किया गया है तो उस पत्तन पर प्रथम बार वापसी पर, परिदत्त करेगा ।

(3) किसी पत्तन का रजिस्ट्रार, जो पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार नहीं है, जिससे यह अपेक्षित है कि वह इस धारा के अधीन पृष्ठांकन करे, इस प्रयोजन के लिए पोत के मास्टर से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पोत का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र उसे परिदत्त कर दे जिससे कि पोत को उस कारण निरुद्ध न किया जाए, तथा मास्टर तदनुसार उसे परिदत्त करेगा ।

39. पोत के खो जाने या भारतीय पोत न रहने पर प्रमाणपत्र का परिदत्त किया जाना—(1) रजिस्ट्रीकृत पोत के वस्तुतः या आन्वयिकतः खो जाने या शत्रु द्वारा ले जाए जाने, जल जाने या टूट जाने या किसी कारण से भारतीय पोत न रहने की दशा में पोत का, या पोत में किसी अंश का, प्रत्येक स्वामी, उस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर तुरन्त, यदि रजिस्ट्रार को पहले कोई सूचना नहीं दी गई है तो पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को उसकी सूचना देगा और वह रजिस्ट्रार रजिस्ट्री बही में उसकी प्रविष्टि करेगा तथा उस बही में ऐसी रजिस्ट्री, वहां के सिवाय जहां उस बही में दर्ज किए गए किसी अतुष्टि बन्धकों का सम्बन्ध है, बन्द कर दी गई मानी जाएगी ।

(2) किसी ऐसे मामले में, उस दशा के सिवाय जहां पोत का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र भुला दिया गया, खो गया या नष्टि हो गया हो, यदि घटना भारत में किसी पत्तन में होती है तो तुरन्त, या यदि घटना अन्यत्र होती है तो पत्तन में उसके पहुंचने के पश्चात् दस दिन के भीतर, पोत का मास्टर, यदि पहुंच का पत्तन भारत में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को, या यदि पोत भारत के बाहर किसी पत्तन में पहुंचता है तो वहां के भारतीय कौंसलीय आफिसर को, प्रमाणपत्र परिदत्त करेगा और, यथास्थिति, रजिस्ट्रार, यदि वह पोत के रजिस्ट्री पत्तन का स्वयं रजिस्ट्रार नहीं है तो, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा भारतीय कौंसलीय आफिसर, परिदत्त प्रमाणपत्र को तुरन्त पोत के रजिस्ट्रीकृत पत्तन के रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

40. विदेशों में भारतीय पोत बन जाने वाले पोतों के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र—(1) यदि कोई पोत भारत के बाहर किसी पत्तन पर भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर होने का हकदार हो जाता है तो वहां का भारतीय कौंसलीय आफिसर उस पोत के मास्टर के आवेदन पर एक अनंतिम प्रमाणपत्र दे सकेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी उस पोत के संबंध में विहित की जाएं और प्रथम सुविधापूर्ण अवसर मिलते ही प्रमाणपत्र की एक प्रति महानिदेशक को भेजेगा ।

(2) ऐसा अनंतिम प्रमाणपत्र उसकी तारीख से छह माह के अवसान-पर्यन्त या पोत के ऐसे पत्तन पर पहुंचने पर्यन्त जहां कोई रजिस्ट्रार है, इन दोनों में से जो भी बात पहले हो तब तक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के रूप में प्रभावशील रहेगा, और इन दोनों में से कोई बात होते ही प्रभावशाली नहीं रहेगा ।

41. रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के स्थान पर अस्थायी पास—जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण यह बांछनीय नहीं है कि किसी भारतीय पोत को पहले रजिस्टर किए बिना भारत में किसी एक पत्तन से किसी अन्य पत्तन को जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाए वहां वह प्रथम उल्लिखित रजिस्ट्रार को, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, पास देने के लिए प्राधिकृत कर

सकेगा तथा ऐसे पास का उसमें उल्लिखित समयों के लिए और परिसीमाओं के भीतर वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्री प्रमाणपत्र का होता है।

पोतों, अंशों आदि का अन्तरण

42. पोतों तथा अंशों का अन्तरण—(1) कोई व्यक्ति ¹[कोई ऐसे समय जिसके दौरान युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है और जिसके दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है] केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भारतीय पोत या उसमें किसी अंश या हित का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगा और इस उपबंध के उल्लंघन में किया गया कोई संव्यवहार शून्य और अप्रवर्तनीय होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह भारतीय पोत परिवहन के टन भार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, किसी ऐसे अन्तरण या अर्जन का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगी।

¹[(2क) किसी भारतीय पोत का कोई अन्तरण या अर्जन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि,—

(क) उस पोत पर नाविकों के नियोजन के संबंध में उनको देय सभी मजदूरी और अन्य रकमों का संदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न कर दिया गया हो ;

(ख) पोत के स्वामी ने पोत के ऐसे अन्तरण या अर्जन की सूचना महानिदेशक को न दे दी हो।]

(3) इस धारा में अंतर्विष्टि अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भारतीय पोत का या उसमें किसी अंश का अन्तरण केवल लिखित लिखत द्वारा किया जाएगा।

(4) लिखत में पोत का वही ब्यौरा होगा जो सर्वेक्षक के प्रमाणपत्र में है या कोई अन्य विवरण होगा जो पोत के रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप से उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो और लिखत विहित प्ररूप में या उसके मिलते-जुलते ऐसे प्ररूप में होगा जो परिस्थितियों के अनुरूप हो, और अन्तरक द्वारा कम से कम दो साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित की जाएगी और उन साक्षियों द्वारा सत्यापित की जाएगी।

43. अन्तरण की रजिस्ट्री—(1) भारतीय पोत या उसमें के किसी अंश के अन्तरण की प्रत्येक लिखत जब सम्यक् रूप से निष्पादित हो जाए, तब पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की जाएगी और तब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री बही में अन्तरण का नाम, यथास्थिति, पोत या अंश के स्वामी के रूप में प्रविष्टि करेगा और यह तथ्य कि प्रविष्टि कर ली गई है प्रविष्टि करने की तारीख और समय के साथ लिखत पर पृष्ठांकित करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसी लिखत रजिस्ट्री बही में उसी क्रम में प्रविष्टि की जाएगी जिसमें वह रजिस्ट्रार के समक्ष पेश की जाती है।

44. मृत्यु, दिवाला आदि की दशा में भारतीय पोत में स्वत्व का पारेषण—(1) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु हो जाने या उसके दिवालिया हो जाने पर किसी भारतीय पोत या उसमें के अंश के स्वत्व का पारेषण किसी व्यक्ति को किया गया है अथवा किसी ऐसे विधिपूर्ण साधन द्वारा अन्तरण किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन अन्तरण से भिन्न है, वहां,—

(क) वह व्यक्ति पोत की पहचान बताते हुए विहित रूप में एक घोषणा (जिसे इस अधिनियम में पारेषण घोषणा कहा गया है) करेगा तथा उस रीति के बारे में जिसमें, तथा उस व्यक्ति के बारे में जिसको स्वत्व का पारेषण किया गया है, एक विवरण भी देगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा तथा पारेषण को प्राधिकृत करेगा ;

(ख) यदि पारेषण दिवालिएपन के परिणामस्वरूप हुआ है तो पारेषण घोषणा के साथ ऐसे दावे का उचित सबूत भी दिया जाएगा ;

(ग) यदि पारेषण मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ है तो पारेषण घोषणा के साथ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन पत्र या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति, भी दी जाएगी।

(2) रजिस्ट्रार, अपेक्षित दस्तावेजों सहित, ऐसी पारेषण घोषणा प्राप्त होने पर पारेषण के अधीन उस पोत या उसके अंश के, जिसका स्वत्व पारेषित हुआ है, स्वामी के रूप में हकदार व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री बही में प्रविष्टि करेगा तथा जहां एक से अधिक व्यक्ति हों वहां उन सभी व्यक्तियों के नाम प्रविष्टि करेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी भी क्यों न हो, स्वामियों के रूप में रजिस्टर किए जाने का दावा करने वाले व्यक्तियों की संख्या की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए, एक ही व्यक्ति माने जाएंगे :

परन्तु यदि उसकी यह राय है कि पारेषण के कारण पोत भारतीय पोत नहीं रहा है तो इस उपधारा की कोई बात रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह रजिस्टर बही में इस धारा के अधीन कोई प्रविष्टि करे।

¹ 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 3 द्वारा (27-10-1993 से) अंतःस्थापित।

45. पोत के भारतीय पोत न रह जाने की दशा में विक्रय के लिए आदेश—(1) जहां मृत्यु या दिवालिएपन के कारण या किसी पोत या उसमें के अंश के किसी स्वत्व के पारेषण के कारण कोई पोत भारतीय पोत नहीं रह जाता है तो उस पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, जिसमें पोत भारतीय पोत नहीं रहा है, केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय को इस निदेश के लिए आवेदन कर सकेगी कि इस प्रकार पारेषित स्वत्व किसी भारतीय नागरिक को ¹[या किसी ऐसी ²कम्पनी या निकाय या सहकारी सोसाइटी] को विक्रय कर दिया जाए जो धारा 21 के, यथास्थिति, के खंड (ख) या खण्ड (ग) में] विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(3) उच्च न्यायालय आवेदन के समर्थन में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे और वह ऐसा आदेश ऐसे निबंधनों और शर्तों पर कर सकेगा जैसे वह न्यायोचित समझे या ³[यदि] वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पोत भारतीय पोत ही बना हुआ है तो उस दशा में आवेदन को खारिज कर सकेगा; तथा उस दशा में जब पोत या अंश को विक्रय करने का आदेश दिया जाता है तब उच्च न्यायालय यह निदेश देगा कि विक्रय के आगमों को, उस पर हुए व्ययों की कटौती करने के पश्चात् ऐसे पारेषण के अधीन या अन्यथा हकदार व्यक्ति को संदत्त कर दिए जाएं।

(4) विक्रय के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जो विहित किया जाए :

परन्तु उच्च न्यायालय विहित समय के पश्चात् आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार उच्च न्यायालय का यह समाधान कर देती कि ऐसे समय के भीतर आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त हेतुक था।

46. न्यायालय के आदेश से विक्रय होने पर पोत का अंतरण—जहां कोई न्यायालय, चाहे धारा 45 के अधीन या अन्यथा, किसी पोत या उसमें के किसी अंश के विक्रय का आदेश देता है वहां न्यायालय के आदेश में, उस पोत या अंश के अंतरण के अधिकार को ऐसे व्यक्ति में निहित करने को, उच्च न्यायालय नामित करे, एक घोषणा रहेगी और तदुपरि वह व्यक्ति पोत या अंश को उसी रीति से और उसी विस्तार तक अंतरित करने के लिए हकदार होगा मानो वह उसका रजिस्ट्रीकृत स्वामी है, तथा प्रत्येक रजिस्ट्रार किसी ऐसे अंतरण की बाबत इस प्रकार से नामित व्यक्ति की अध्यक्षता का उसी विस्तार तक पालन करेगा मानो ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत स्वामी है।

47. पोत या अंश का बंधक—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत पोत या उसमें का कोई अंश ऋण के लिए प्रतिभूति या अन्य मूल्यवान प्रतिफल बनाया जा सकता है और प्रतिभूति का सृजन करने वाली लिखत (जिसे इस अधिनियम में बंधक कहा गया है), विहित प्ररूप में, या परिस्थितियों के अनुरूप उससे मिलते-जुलते प्ररूप में होगी तथा ऐसी लिखत के पेश किए जाने पर पोत के रजिस्ट्रीकृत पत्तन का रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्री बही में अभिलिखित करेगा।

(2) रजिस्ट्रार बंधक को उसी क्रम में अभिलिखित करेगा जिस क्रम में वे उस प्रयोजन के लिए पेश किए जाएं और रजिस्ट्रार, अपने हस्ताक्षर से ज्ञापन द्वारा, प्रत्येक बंधक पर यह अधिसूचित करेगा कि उसे उसने अभिलिखित किया है और अभिलिखित करने का दिन और समय अधिकथित करेगा।

48. बंधक के उन्मोचन की प्रविष्टि—जहां रजिस्ट्रीकृत बंधक का उन्मोचन किया जाता है वहां रजिस्ट्रार, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित बंधक, धन की रसीद के पृष्ठांकन सहित बंधपत्र पेश किए जाने पर, रजिस्ट्री बही में इस आशय की प्रविष्टि करेगा कि बंधक का उन्मोचन हो गया है और ऐसी प्रविष्टि की जाने पर ऐसी सम्पदा, यदि कोई है, जो बंधककर्ता को संक्रांत हो गई थी, उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी जिसमें वह (मध्यवर्ती कार्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए) बंधक न किए जाने की दशा में निहित होती।

49. बंधकों की पूर्विकता—यदि एक ही पोत या अंश की बाबत एक से अधिक बंधकें अभिलिखित की गई हैं, तो उनके बंधकदारों को, किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना के होते हुए भी, उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक रजिस्ट्री बही में अभिलिखित की गई है न कि उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक की गई है पूर्विकता होगी।

50. बंधकदार का स्वामी न समझा जाना—वहां तक के सिवाय जहां तक किसी बंधक पोत या अंश को बंधकें ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो, बंधकदार अपने बंधक के आधार पर न तो पोत या अंश का स्वामी समझा जाएगा और न बंधककर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसका स्वामी नहीं रहा है।

4[51. बंधकदार के अधिकार—(1) जहां किसी पोत या अंश का केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है, वहां वह बन्धक के अधीन रकम को उच्च न्यायालय के मध्यक्ष के बिना बंधक पोत या अंश का विक्रय करके वसूल करने का हकदार होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (2) में उपबन्धित उच्च न्यायालय में इस प्रकार देय रकम को वसूल करने से बंधकदार को निवारित नहीं करेगी।

¹ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 6 द्वारा (28-9-1981 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 4 द्वारा (27-10-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "किसी भी दशा में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 5 द्वारा (27-10-1993 से) धारा 51 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) जहां पोत या अंश के दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार हैं वहां वे बन्धक के अधीन देय रकम को उच्च न्यायालय में वसूल करने के हगदार होंगे और उच्च न्यायालय डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि बंधक पोत या अंश का डिक्री के निष्पादन में विक्रय कर दिया जाए।

(3) किसी पोत या अंश का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार, जो उपधारा (2) के अधीन बंधक पोत या अंश का विक्रय करके बंधक के अधीन देय रकम को वसूल करने का आशय रखता है पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को ऐसे विक्रय के संबंध में पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचना के साथ धारा 42 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट मजदूरी और अन्य रकमों के संदाय का सबूत होगा।]

52. दिवालेपन से बंधक का प्रभावित न होना—पोत या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक पर बंधक अभिलिखित किए जाने की तारीख के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा किए गए दिवालेपन के किसी कार्य का इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं होगा कि दिवालेपन के प्रारम्भ पर बंधककर्ता का पोत या अंश पर कब्जा था या वह पोत या अंश के बारे में आदेश देने का या उसका व्ययन करने का हकदार था या वह उसका ख्यात स्वामी था, तथा बंधकदार को दिवालिए के अन्य लेनदारों या किसी न्यासी या उसके समनुदेशिती के किसी अधिकार, दावे या हित की अपेक्षा अधिमानता होगी।

53. बंधकों का अंतरण—(1) पोत या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक को किसी व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है और अंतरण को प्रभावी करने वाली लिखत विहित प्ररूप में या परिस्थितियों के अनुरूप, उससे मिलते-जुलते प्ररूप में होगी, तथा ऐसी लिखत के पेश किए जाने पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री बही में अंतरिती का नाम पोत या अंश के बंधकदार के रूप में प्रविष्टि करके अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर के ज्ञापन द्वारा अंतरण की लिखत पर यह अधिसूचित करेगा कि उसे उसने अभिलिखित किया है और अभिलिखित करने का दिन और समय अधिकथित करेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे किसी बंधक का अन्तरण किया गया है अधिमानता के उसी अधिकार का उपभोग करेगा जो अंतरक का था।

54. कुछ परिस्थितियों में बंधक के हित का पारेषण—(1) जहां मृत्यु या दिवालेपन पर अधिनियम के अधीन अन्तरण से भिन्न किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा किसी पोत या अंश में अन्तरिती के हित का पारेषण हो जाता है वहां पारेषण उस व्यक्ति की घोषणा द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा जिसे हित पारेषित हुआ है। घोषणा में वह रीति जिसमें, और वह व्यक्ति जिसे स्वत्व पारेषित हुआ है, अंतर्विष्टि होंगे तथा उसके साथ वैसा ही साक्ष्य होगा जैसा पोत या अंश के स्वामित्व के तत्स्थानी पारेषण की दशा में इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है।

(2) रजिस्ट्रार, घोषणा प्राप्त होने पर और पूर्वोक्त साक्ष्य पेश किए जाने पर, पारेषण के अधीन हकदार व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री बही में पोत या अंश के बंधकदार के रूप में प्रविष्टि करेगा।

पोत का नाम

55. पोत के नाम के बारे में नियम—(1) किसी भारतीय पोत का नाम वही रहेगा जो उस समय उसका रजिस्ट्रीकृत नाम है।

(2) रजिस्ट्रार किसी भारतीय पोत की रजिस्ट्री के लिए प्रस्थापित उसके नाम से रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार का सकेगा यदि वह नाम पहले ही किसी अन्य पोत का है या यदि वह नाम इतना मिलता-जुलता है कि वह प्रवंचन के लिए प्राकलित है या उससे प्रवंचन की संभाव्यता है।

(3) किसी भारतीय पोत के नाम में कोई परिवर्तन विहित रीति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा या अपने नियन्त्रण के अधीन किसी व्यक्ति को करने देगा या इस धारा के अधीन अपेक्षित कोई बात करने से लोप करेगा या अपने नियन्त्रण के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा लोप करने देगा तो पोत को तब तक जब तक कि इस [धारा] के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जाता है; विरुद्ध किया जा सकेगा।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे विदेशी पोत को लागू नहीं होगी जो भारतीय पोत हो गया है, या भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर होना चाहता है।

परिवर्तनों की रजिस्ट्री, नए रूप में रजिस्ट्री और रजिस्ट्री का अन्तरण

56. परिवर्तनों की रजिस्ट्री—यदि किसी रजिस्ट्रीकृत पोत का इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है जिसके कारण वह रजिस्ट्री बही में अन्तर्विष्टि उसके टन भार या वर्णन की बाबत विशिष्टियों के अनुरूप नहीं रह जाता है तो, यदि ऐसा परिवर्तन किसी ऐसे पत्तन पर किया जाता है जहां रजिस्ट्रार है तो वह रजिस्ट्रार, या यदि परिवर्तन अन्यत्र किया जाता है तो, परिवर्तन के पश्चात् पोत ऐसे जिस प्रथम पत्तन पर पहुंचे जहां रजिस्ट्रार है, वहां का रजिस्ट्रार, परिवर्तन की विशिष्टियों को अधिकथित करते हुए कोई आवेदन किए जाने पर या तो परिवर्तन को रजिस्टर कराएगा या यह निदेश देगा कि पोत नए सिरे से रजिस्टर किया जाए।

¹ 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "उपधारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

57. परिवर्तनों की रजिस्ट्री के लिए विनियमन—(1) पोत में परिवर्तन की रजिस्ट्री के प्रयोजन के लिए पोत का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को पेश किया जाएगा, और रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार, या तो रजिस्ट्री प्रमाणपत्र को रखेगा और नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जिसमें पोत का परिवर्तित वर्णन अंतर्विष्ट होगा, अनुदत्त करेगा या विद्यमान प्रमाणपत्र पर परिवर्तन का एक ज्ञापन पृष्ठांकित तथा हस्ताक्षरित करेगा।

(2) इस प्रकार किए गए परिवर्तन की विशिष्टियां और नया प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या पृष्ठांकित करने का तथ्य पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार अपनी रजिस्ट्रीकरण बही में प्रविष्टि करेगा; और वह रजिस्ट्रार, जिसे परिवर्तन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जाता है (यदि वह उस पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार नहीं है तो), अंतिम वर्णित रजिस्ट्रार को पूर्वोक्त विशिष्टियों और तथ्यों को और, जहां नया रजिस्ट्री प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया हो, वहां पुराने रजिस्ट्री प्रमाणपत्र सहित, तुरन्त रिपोर्ट करेगा।

58. जहां पोत को नए सिरे से रजिस्टर किया जाना है वहां अनन्तिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन—(1) जहां ऐसा रजिस्ट्रार, जो पोत के रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार नहीं है, पोत में परिवर्तन के बारे में आवेदन किए जाने पर, यह निदेश देता है कि पोत नए सिरे से रजिस्टर किया जाए वहां वह या तो परिवर्तित विवरण देते हुए एक अनन्तिम प्रमाणपत्र देगा अथवा परिवर्तन की विशिष्टियों को विद्यमान प्रमाणपत्र पर अनन्तिम रूप से पृष्ठांकित करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा अनन्तिम प्रमाणपत्र या अनन्तिम रूप से पृष्ठांकित प्रमाणपत्र, पोत के भारत में उन्मोचन के पत्तन में तदनन्तर प्रथम बार पहुंचने के पश्चात् दस दिन के भीतर उस पत्तन के रजिस्ट्रार को परिदत्त किया जाएगा और वह रजिस्ट्रार पोत को नए सिरे से रजिस्टर कराएगा।

(3) इस धारा के अधीन अनन्तिम प्रमाणपत्र देने वाला या अनन्तिम रूप से पृष्ठांकन करने वाला रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र में या पृष्ठांकन में इस आशय का कथन करेगा कि ऐसा अनन्तिम रूप से किया गया है और मामले की विशिष्टियों की एक रिपोर्ट पोत के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को वैसे ही विवरण के साथ देगा जैसा प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन में है।

59. स्वामित्व बदल जाने पर नए सिरे से रजिस्ट्री—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्टि अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां किसी भारतीय पोत के स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है वहां उस पत्तन का रजिस्ट्रार, जिस पर पोत रजिस्टर किया गया है, पोत के स्वामी के आवेदन पर, यद्यपि इस अधिनियम के अधीन नए सिरे से रजिस्ट्री अपेक्षित नहीं है फिर भी पोत को नए सिरे से रजिस्टर कर सकेगा।

60. नए सिरे से रजिस्ट्री की प्रक्रिया—(1) जहां किसी पोत को नए सिरे से रजिस्टर किया जाता है वहां रजिस्ट्रार वही प्रक्रिया अपनाएगा जो उसने प्रथम रजिस्ट्री के मामले में अपनाई थी और विद्यमान रजिस्ट्री प्रमाणपत्र का उसे परिदान हो जाने पर तथा रजिस्ट्री की अन्य अपेक्षाओं के या स्वामित्व के बदल जाने की दशा में, उनमें से ऐसी अपेक्षाओं के, जैसी वह तात्त्विक समझे, सम्यक् रूप से अनुपालन किए जाने पर, नए सिरे से रजिस्ट्री करेगा और उसके लिए प्रमाणपत्र मंजूर करेगा।

(2) जब पोत को नए सिरे से रजिस्टर किया जाता है तब उसकी पहली रजिस्ट्री वहां तक के सिवाय बंद मानी जाएगी जहां तक उसका संबंध उसमें प्रविष्टि किसी अतुष्टि बंधक से है, किन्तु पोत में स्वामियों या बन्धकदार के रूप में हितबद्ध उन सभी व्यक्तियों के नाम, जो पूर्ववर्ती रजिस्टर में हैं, नए रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाएंगे और नए सिरे से रजिस्ट्री का उन व्यक्तियों में से किसी के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।

61. रजिस्ट्री का अंतरण—(1) किसी पोत की रजिस्ट्री, महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से, पोत के विद्यमान रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को, ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा, जिनका नाम पोत के हितबद्ध स्वामियों या बन्धकदार के रूप में रजिस्टर में दर्ज है, आवेदन किए जाने पर, घोषणा करके, एक रजिस्ट्री पत्तन दूसरे पत्तन को अंतरित की जा सकेगी, किन्तु ऐसे अंतरण का उन व्यक्तियों या उनमें से किसी के हितों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा और वे अधिकार सभी बातों में उसी रीति से लागू होंगे मानो ऐसा कोई अंतरण नहीं किया गया है।

(2) ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार आशयित रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को उसकी सूचना पोत से संबंधित सभी विशिष्टियों की प्रति सहित और पोत में हितबद्ध स्वामी या बंधकदार के रूप में रजिस्टर में दर्ज ऐसे सभी व्यक्तियों के नामों सहित, पारेषित करेगा।

(3) पोत का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या तो विद्यमान रजिस्ट्री पोत के या आशयित रजिस्ट्री पोत के रजिस्ट्रार को परिदत्त किया जाएगा और, यदि वह पूर्ववर्णित रजिस्ट्रार को परिदत्त किया गया है तो आशयित रजिस्ट्री पोत के रजिस्ट्रार को पारेषित किया जाएगा।

(4) आशयित रजिस्ट्री पोत का रजिस्ट्रार पूर्वोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर, पूर्वोक्त रूप में इस प्रकार पारेषित सभी विशिष्टियां और नाम अपने रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा, और उसी समय से ऐसा पोत नए रजिस्ट्री पोत पर रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और पोत के नए रजिस्ट्री पत्तन का नाम उसके पूर्ववर्ती रजिस्ट्री पत्तन के नाम के स्थान पर रखा जाएगा।

62. परित्यक्त पोतों की पुनः रजिस्ट्री पर निर्बन्धन—जहां कोई पोत ध्वस्त हो जाने या परित्यक्त किए जाने या शत्रु द्वारा पकड़े जाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भारतीय पोत के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गया हो वहां वह तब तक पुनः रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के व्यय पर उसका सर्वेक्षण किसी सर्वेक्षक द्वारा नहीं कर लिया जाए और उसके द्वारा उसे समुद्र यात्रा योग्य प्रमाणित न कर दिया जाए।

राष्ट्रीय स्वरूप और झंडा

63. भारतीय पोत के लिए राष्ट्रीय ध्वज—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए गए सभी पोतों के लिए और ऐसे सभी पोतों के लिए जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं किन्तु जो सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकरण के या भारत में उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगमित निकाय के या किसी भारतीय नागरिक के स्वामित्व के अधीन है, उचित राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो तथा विभिन्न वर्गों के पोतों के लिए विभिन्न ध्वज घोषित किए जा सकेंगे।

(2) भारतीय नौसेना का कोई कमीशन्ड आफिसर या कोई सीमाशुल्क कलक्टर या कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर ऐसे किसी पोत पर सवार हो सकेगा जिस पर इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई ध्वज फहराए गए हों और उन ध्वजों को अधिगृहीत कर सकेगा और उन्हें ले सकेगा तथा वे सरकार को समपहृत हो जाएंगे।

64. विधिविरुद्ध भारतीय स्वरूप बनाना—ऐसे पोत पर, जो भारतीय पोत नहीं हैं, सवार कोई व्यक्ति, यह प्रतीत कराने के प्रयोजन से कि वह पोत भारतीय है, उस दशा के सिवाय जब वह शत्रु द्वारा या किसी विदेशी युद्ध पोत द्वारा पकड़े जाने से बचने के प्रयोजन के लिए किसी युद्धमान अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा करता है (जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा), भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करेगा।

65. भारतीय स्वरूप को छिपाना या विदेशी स्वरूप धारण करना—किसी भारतीय पोत का कोई स्वामी या मास्टर उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उस पोत के स्वरूप की जांच करने के हकदार किसी व्यक्ति से पोत के भारतीय स्वरूप को छिपाने के आशय से या पोत के लिए विदेशी स्वरूप धारण करने के आशय से या पूर्वोक्त रूप में हकदार किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने के आशय से जानबूझकर कोई कार्य नहीं करेगा या कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं देगा या कोई कागजपत्र या दस्तावेज वहन नहीं करेगा या वहन करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

66. कुछ दशाओं में भारतीय पोतों द्वारा उचित राष्ट्रीय ध्वजों का फहराया जाना—भारतीय पोत,—

(क) भारतीय नौसेना के किसी जलयान द्वारा उसे संकेत दिए जाने पर ;

(ख) किसी विदेशी पत्तन में प्रवेश करने या उसे छोड़ने पर ;

(ग) यदि पोत पचास सकल टन या उससे अधिक का हो तो किसी भारतीय पत्तन में प्रवेश करने या छोड़ने पर,

उचित राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा।

67. निकासी से पूर्व पोत के राष्ट्रीय स्वरूप की घोषणा करना—(1) सीमाशुल्क कलक्टर तब तक किसी पोत के लिए निकासी पत्र नहीं देगा जब तक ऐसे पोत का मास्टर उसके समक्ष उस देश के नाम की घोषणा नहीं कर देता जहां का होने का वह दावा करता है और तब वह अधिकारी निकासी पत्र पर उस नाम को लिखेगा।

(2) यदि कोई पोत ऐसे निकासी पत्र के बिना समुद्र यात्रा आरम्भ करने का प्रयास करेगा तो वह किसी सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक घोषणा नहीं कर दी जाए।

प्रकीर्ण

68. ऐसे पोतों के दायित्व जिन्हें भारतीय पोत के रूप में मान्यता नहीं दी गई—जहां इस अधिनियम द्वारा यह घोषणा की गई है कि किसी पोत को भारतीय पोत के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी वहां वह पोत भारतीय पोतों द्वारा सामान्य रूप से उपभोग किए जा रहे विशेषाधिकारों, फायदों, लाभों या संरक्षणों का या भारतीय पोतों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वजों का प्रयोग करने का या भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप बनाने का, हकदार नहीं होगा किन्तु शोध्यों के संदाय, जुर्माने और समपहरण के दायित्व तथा ऐसे पोत के फलक पर या ऐसे पोत के किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की बाबत ऐसे पोतों के संबंध में उसी रीति से व्यवहार किया जाएगा मानो वे मान्यताप्राप्त भारतीय पोत हैं।

69. पोत के समपहरण पर कार्यवाही—जहां कोई पोत या तो पूर्णतः या उसका कोई अंश इस भाग के अधीन समपहरण के अधीन हो जाता है वहां भारतीय नौसेना का कोई कमीशन्ड आफिसर, कोई सीमाशुल्क कलक्टर या कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी पोत को समपहृत और निरुद्ध कर सकेगा तथा उसे उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए ले जा सकेगा, तथा तब उच्च न्यायालय यह अधिनिर्णीत कर सकेगा कि पोत और उसके उपस्कर सरकार के पक्ष में समपहृत किए जाएं तथा कोई ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा उच्च न्यायालय को मामले में न्यायसंगत प्रतीत हो और पोत या उसमें के किसी अंश के विक्रय के आगमों का उतना भाग, जितना उच्च न्यायालय ठीक समझे, उस अधिकारी को दिलवा सकेगा जो पोत को अधिनिर्णयन के लिए लाए।

70. न्यास की सूचना ग्रहण न करना—किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक न्यास की कोई सूचना रजिस्ट्रार द्वारा न तो रजिस्ट्रीकरण बही में प्रविष्टि की जाएगी और न ग्राह्य होगी, तथा किसी अन्य व्यक्ति में निहित किन्हीं ऐसे अधिकारों और शक्तियों के अधीन रहते हुए जो रजिस्ट्रीकरण बही से प्रतीत होते हैं पोत या उसमें के किसी अंश के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को पोत या अंश का इस अधिनियम में उपबंधित रीति के व्ययन करने की तथा प्रतिफल के रूप में संदत्त या अग्रिम रूप से संदत्त किए गए किसी धन के लिए प्रभावी रसीद देने की शक्ति होगी।

71. स्वामियों का दायित्व—जहां कोई व्यक्ति स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत पोत या पोत के अंश में बंधक से भिन्न किसी अन्य रूप में फायदाप्रद रूप में हितबद्ध है वहां ऐसा हितबद्ध व्यक्ति और रजिस्ट्रीकृत स्वामी भी, पोत के या उसमें के अंशों के स्वामियों पर इस या किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित धन संबंधी सभी शक्तियों के अधीन होगा तथापि किन्हीं ऐसी शास्तियों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाहियां दोनों पक्षकारों के विरुद्ध या उनमें से किसी एक के विरुद्ध, दूसरे के साथ संयुक्ततः या उससे संयुक्त किए बिना ही, की जा सकेगी।

72. रजिस्ट्रीकरण बही, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना—(1) कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार को आवेदन करके और विहित फीस का संदाय करके कार्यालय समय के दौरान किसी भी समय किसी रजिस्ट्रीकरण बही का निरीक्षण कर सकेगा और रजिस्ट्रीकरण बही की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा।

(2) निम्नलिखित दस्तावेज इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति से किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई रजिस्ट्रीकरण बही तब जब वह रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में से या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में से, जिसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा में वह है, पेश की जाए ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसका रजिस्ट्रार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर ऐसा पृष्ठांकन जिसका रजिस्ट्रार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है ;

(घ) इस भाग के अनुसरण में किसी भारतीय पोत की बाबत की गई प्रत्येक घोषणा।

(3) रजिस्ट्रीकरण बही की किसी प्रविष्टि की कोई प्रमाणित प्रति किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और सभी आशयों के लिए उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्रीकरण बही की उस मूल प्रविष्टि का है जिसकी वह प्रतिलिपि है।

73. सरकारी पोतों की इस भाग के अधीन रजिस्टर करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, निदेश दे सकेगी कि भारतीय नौसेना से भिन्न सरकारी पोत इस अधिनियम के अधीन भारतीय पोत के रूप में रजिस्टर किए जा सकेंगे और तदुपरि यह अधिनियम ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो या तो साधारणतया या सरकार के किसी विशेष वर्ग के पोतों की बाबत अधिसूचना में किए जाएं, उन नियमों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत सरकारी पोतों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति से रजिस्ट्रीकृत भारतीय पोतों को लागू हैं।

74. इस भाग के विषयों की बाबत नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिसमें किसी पोत का टन भार, चाहे वह रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए या अन्यथा, अभिनिश्चित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत परिमाण की पद्धति भी है ;

(ख) किसी पोत के टन भार को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत के बाहर किसी ऐसे देश में, जिसके टन भार संबंधी विनियम तात्त्विक रूप से वैसे ही हैं जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए टन भार विनियम हैं, किसी पोत की बाबत दिए गए किसी टन भार प्रमाणपत्र को मान्यता देना। इसके अन्तर्गत वे शर्तें और निबन्धन भी हैं जिनके अधीन रहते हुए ऐसी मान्यता दी जा सकेगी ;

(ग) वह रीति जिसमें पोतों का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण अधिकारियों के प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(घ) वह रीति जिसमें पोतों का चिह्नांकित किया जाएगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें इस भाग द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज तैयार की जाएगी और वे विशिष्टियां जो ऐसे दस्तावेज में होनी चाहिए ;

(च) वे व्यक्ति जिनके द्वारा और वे प्राधिकारी जिनके समक्ष इस भाग द्वारा अपेक्षित कोई घोषणा की जाएगी तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसी घोषणा से छूट दी जा सकेगी और अन्य साक्ष्य ग्रहण किया जा सकेगा ;

(छ) पोत या अंश पर बंधक का सृजन करने वाली या बन्धक का अन्तरण करने वाली लिखत का प्ररूप ;

(ज) वे विवरणियां जो रजिस्ट्रार द्वारा महानिदेशक या ऐसे अन्य प्राधिकारी को दी जाएंगी जिसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे, अगर वे प्ररूप जिनमें तथा वे अन्तराल जिन पर ऐसी विवरणियां दी जाएंगी ;

¹[(झ) वे फीसों जो रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी पोत के सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए उद्गृहीत की जा सकेंगी, और वह रीति जिसमें ऐसी फीसों का संग्रहण किया जा सकेगा];

(ज) वे फीसों जो इस भाग के अधीन उद्गृहीत की जा सकेंगी और वह रीति जिसमें ऐसी फीसों का संग्रहण किया जाएगा ;

(ट) वह रीति जिसमें रजिस्ट्रार और अन्य प्राधिकारी इस भाग के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे या अपनी बहियां और अन्य रजिस्टर रख सकेंगे ;

(ठ) वह रीति जिसमें सरकार के पोत, जिन्हें धारा 73 के अधीन इस अधिनियम के उपबन्ध लागू किए जा सकेंगे, रजिस्टर किए जा सकेंगे ;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या जो विहित किया जाना है ।

भाग 6

अधिकारियों के प्रमाणपत्र

²[मास्टर, मेट, इंजीनियर, स्किपर आदि]

³[75. भाग का लागू होना—यह भाग निम्नलिखित को लागू है,—

(क) नौदन के यंत्र साधनों से युक्त प्रत्येक समुद्रगामी भारतीय पोत, जहां भी वह हो ; और

(ख) प्रत्येक विदेशी पोत, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हो ।

75क. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संलग्न क्षेत्र” से राज्यक्षेत्र सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 5 के अधीन इस प्रकार वर्णित, या तत्समय अधिसूचित, भारत का संलग्न क्षेत्र, अभिप्रेत है ;

(ख) “अभिसमय” से 7 जुलाई, 1978 को लंदन में हस्ताक्षरित और समय-समय पर यथा संशोधित नाविक प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1978 अभिप्रेत है ।

⁴[76. पोतों के अधिकारियों के पास सक्षमता प्रमाणपत्र का होना—(1) प्रत्येक भारतीय पोत में, जब वह किसी पत्तन या स्थान से समुद्री यात्रा पर जा रहा हो, ऐसे मापमान के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्रमाणित अधिकारी रहेंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, भिन्न-भिन्न प्रकार के पोतों के लिए भिन्न-भिन्न मापमान विहित कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक पोत, चाहे वह समुद्र में हो या किसी पत्तन या स्थान पर हो, निगरानी करने के लिए उतनी संख्या में और ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, जो विहित की जाएं, नियुक्त करेगा ।]

77. अधिकारी कब सम्यक् रूप से प्रमाणित समझे जाएंगे—धारा 86 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन तब तक सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं समझा जाएगा जब तक वह पोत में उसकी हैसियत के लिए समुचित ग्रेड का या उच्चतर ग्रेड का, इस अधिनियम के अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र, धारण न करता हो ।

⁵[78. सक्षमता प्रमाणपत्रों के ग्रेड—(1) निम्नलिखित ग्रेडों में से प्रत्येक के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे, अर्थात् :—

एक्सट्रा मास्टर ;

विदेशगामी पोत का मास्टर ;

विदेशगामी पोत का प्रथम मेट ;

विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट ;

देशी व्यापार पोत का मास्टर ;

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 2 द्वारा (1-7-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (1-7-1989 से) धारा 75 और 76 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 2003 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

⁵ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 3 द्वारा (1-7-1989 से) धारा 78 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

देशी व्यापार पोत का मेट ;
 नौपरिवहन निगरानी अधिकारी ;
 एक्सट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर ;
 समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 ;
 समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 ;
 समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 ;
 समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 ;
 समुद्रगामी पोत का इंजन चालक ;
 मछली पकड़ने के जलयान का स्किपर ग्रेड 1 ;
 मछली पकड़ने के जलयान का स्किपर ग्रेड 2 ;
 मछली पकड़ने के जलयान का मेट ;
 मछली पकड़ने के जलयान का इंजीनियर ;
 मछली पकड़ने के जलयान का इंजन चालक ;
 ट्रेजर मास्टर ग्रेड 1 ;
 ट्रेजर मास्टर ग्रेड 2 ;
 ट्रेजर मेट ग्रेड 1 ;
 ट्रेजर मेट ग्रेड 2 ;
 ट्रेजर इंजीनियर ग्रेड 1 ;
 ट्रेजर इंजीनियर ग्रेड 2 ;
 ट्रेजर चालक ग्रेड 1 ;
 ट्रेजर चालक ग्रेड 2 ।

(2) किसी ग्रेड के इंजीनियर या इंजन चालक के लिए दिए गए सक्षमता प्रमाणपत्र में यह अधिकथित किया जाएगा कि वह उसके धारक को वाष्प या मोटर इंजनों या किसी अन्य प्रकार के इंजनों से युक्त पोतों या मछली पकड़ने के जलयानों के इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए हकदार बनाता है या नहीं तथा ऐसा धारक उस प्रकार के इंजन से युक्त पोत के इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए हकदार नहीं होगा जो प्रमाणपत्र में अधिकथित नहीं है ।

(3) ऐसे मास्टरों, मेटों और इंजीनियरों को जारी किए गए प्रमाणपत्र पर, जिन्हें खतरनाक माल ले जाने वाले पोतों पर कार्य करना होता है, ऐसी अतिरिक्त अर्हताओं के बारे में पृष्ठांकन की अपेक्षा होगी जो विहित की जाए ।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्रेडों से भिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्र दिए जा सकते हैं तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन अन्य ग्रेडों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत सक्षमता प्रमाणपत्र दिए जा सकेंगे ।

(5) विदेशगामी पोत के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि यह देशी व्यापार पोत के तत्स्थानी प्रमाणपत्र से उच्चतर ग्रेड का है, और वह उसके विधिपूर्ण धारक को ऐसे देशी व्यापार पोत के तत्स्थानी ग्रेड में समुद्र यात्रा के लिए हकदार बनाएगा, किन्तु देशी व्यापार पोत का कोई प्रमाणपत्र उसके धारक को विदेशगामी पोत के मास्टर या मेट के रूप में समुद्र यात्रा के लिए हकदार नहीं बनाएगा ।

(6) एक्सट्रा मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी विदेशगामी पोत या देशी व्यापार पोत के मास्टर या मेट या नौपरिवहन निगरानी अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र से उच्चतर ग्रेड का है ।

(7) एक्सट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह मछली पकड़ने के जलयान के समुद्री इंजीनियर अधिकारी, इंजीनियर या इंजन चालक अथवा समुद्रगामी पोत के इंजन चालक के रूप में किसी अन्य सक्षमता प्रमाणपत्र से उच्चतर ग्रेड का है ।]

79. प्रमाणपत्रों के लिए परीक्षा लेना और प्रमाणपत्र देना—(1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति धारा 78 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की अर्हताओं की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति नियुक्त करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक आवेदक को, जिसके बारे में परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से यह रिपोर्ट दी जाए कि वे समाधानप्रद रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और अपने गांभीर्य अनुभव और योग्यता का तथा पोत पर साधारणतया सद् व्यवहार का सबूत दे चुके हैं, ऐसे सक्षमता प्रमाणपत्र देगा जैसा मामले में अपेक्षित हो :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसके पास वह विश्वास करने का कारण है कि रिपोर्ट असम्यक् रूप से दी गई है, प्रमाणपत्र देने से पूर्व आवेदक की पुनः परीक्षा करने या उसके शंसापत्रों और चरित्र के बारे में अतिरिक्त जांच करने की अपेक्षा कर सकेगी।

¹[(3) उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो विहित की जाए।]

2* * * * *

81. प्रमाणपत्रों का प्ररूप—इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक सक्षमता प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में होगा और दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसमें से एक प्रति प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी और दूसरी रखी जाएगी और विहित रीति में अभिलिखित की जाएगी।

82. प्रमाणपत्रों पर प्रभाव डालने वाले आदेशों का अभिलेख—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट शक्तियों के अनुसरण में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र को रद्द करने, निलंबित करने, परिवर्तित करने या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाले सभी आदेशों का टिप्पण धारा 81 के अधीन रखी गई प्रमाणपत्र की प्रति पर प्रविष्टि किया जाएगा।

83. प्रमाणपत्रों का खो जाना—इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र का धारक कोई व्यक्ति जब कभी केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप से यह साबित करे कि उसने अपनी ओर से कोई त्रुटि किए बिना ऐसा प्रमाणपत्र खो दिया है या वह उससे वंचित हो गया है तो केन्द्रीय सरकार, विहित फीस का संदाय करने पर, ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति, जिसका वह इस अधिनियम के अनुसार रखे गए अभिलेख से हकदार प्रतीत हो, उसे देगी और ऐसी प्रति का वही प्रभाव होगा जो मूल प्रति का है।

84. पोत परिवहन मास्टर के समक्ष सक्षमता प्रमाणपत्र का पेश किया जाना—(1) विदेशगामी पोत या दो सौ सकल भार या उससे अधिक के देशी व्यापार पोत का मास्टर—

(क) अपने कर्मीदल के साथ करार पर हस्ताक्षर करने पर, उस पोत परिवहन मास्टर को, जिसके समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, उन सक्षमता प्रमाणपत्रों को पेश करेगा जो पोत के ³[मेट और इंजीनियर] इंजन चालक के पास इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित के अनुसार होने चाहिए; ⁴****

(ख) चालू करार की दशा में दूसरी समुद्र यात्रा और प्रत्येक पश्चात्पूर्ती समुद्र यात्रा के पूर्व पोत परिवहन मास्टर को ऐसे प्रत्येक मेट या इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र भी पेश करेगा जिसे प्रथम बार नियोजित किया जाए और जिसके पास इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र होना चाहिए;

⁵[(ग) जिससे करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, किसी ऐसे पत्तन से जिस पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग की अधिकारिता है, पहली यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व, उक्त विभाग को मास्टर, मेटों और इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के ग्रेडों की विशिष्टियों सहित, कर्मीदल की एक सूची भेजेगा और किसी पश्चात्पूर्ती यात्रा के पूर्व कर्मीदल की सूची में होने वाले किसी परिवर्तन की उस विभाग को रिपोर्ट भी देगा।]

(2) यदि प्रमाणपत्र ऐसे हैं जो, पोत के मास्टर, मेटों और इंजीनियरों के पास होने चाहिए तो सक्षमता प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर पोत परिवहन मास्टर को इस आशय के प्रमाणपत्र देगा कि समुचित सक्षमता प्रमाणपत्र पेश कर दिए गए हैं।

(3) मास्टर, समुद्रयात्रा पर अग्रसर होने से पूर्व, पोत परिवहन मास्टर द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों को सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष पेश करेगा।

(4) सीमाशुल्क कलक्टर किसी ऐसे पोत को ऐसा प्रमाणपत्र पेश किए बिना बाहर की ओर जाने के लिए निकासी पत्र नहीं देगा और यदि कोई पोत बिना निकासी पत्र प्राप्त किए समुद्र यात्रा करने का प्रयास करेगा तो सीमाशुल्क कलक्टर उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक प्रमाणपत्र पेश नहीं कर दिया जाता।

¹ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 5 द्वारा (1-7-1989 से) अंतःस्थापित।

² 1986 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा धारा 80 का लोप किया गया।

³ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा (1-7-1989 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा (1-7-1989 से) “और” शब्द का लोप किया गया।

⁵ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 6 द्वारा (1-7-1989 से) अंतःस्थापित।

85. मिथ्या या त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर अभिप्राप्त प्रमाणपत्रों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र के धारक ने उसे मिथ्या या त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्राप्त किया है तो वह ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा तक तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ।

86. अन्य देशों में दिए गए सक्षमता ^{1*} प्रमाणपत्रों की मान्यता**—(1) यदि भारत से भिन्न किसी देश में प्रवृत्त विधियों द्वारा, इस अधिनियम में निर्दिष्ट, सक्षमता ^{1***} प्रमाणपत्र के समरूप प्रमाणपत्र देने का उपबंध है और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि :—

(क) वे शर्तें जिनके अधीन उस देश में ऐसे प्रमाणपत्र दिए जाते हैं, सक्षमता ^{1***} के ऐसे मानदंड की अपेक्षा करती है जो उनसे निम्नतर नहीं हैं जो इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी प्रमाणपत्र देने के लिए अपेक्षित हैं ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र उस देश की विधि के अधीन दिए गए तत्स्थानी प्रमाणपत्र के स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि उस देश में प्रवृत्त विधियों के अधीन दिए गए और उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सक्षमता ^{1***} प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के अधीन दिए गए और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी सक्षमता ^{1***} प्रमाणपत्र के समतुल्य मान्यताप्राप्त होंगे ।

(2) जब भी इस अधिनियम के उपबंधों में यह अपेक्षा की जाए कि किसी पोत पर किसी भी हैसियत में नियोजित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिए गए सक्षमता ^{1***} प्रमाणपत्र का धारक होना चाहिए, यदि वह ऐसे प्रमाणपत्र का या इस अधिनियम के अधीन दिए गए उच्चतर श्रेणी के प्रमाणपत्र के समतुल्य प्रमाणपत्र का, जो उपधारा (1) के अधीन मान्यताप्राप्त है, धारक है और वह प्रमाणपत्र तत्समय प्रवृत्त है, तो उस हैसियत में नियोजित व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में प्रमाणित है ।

²[86क. प्रमाणित अधिकारियों के बिना विदेशी पोतों का यात्रा आरम्भ न करना—(1) विदेशगामी पोत का प्रत्येक मास्टर, भारत में किसी पत्तन या स्थान से समुद्र यात्रा पर जाने के पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि पोत में समुचित ग्रेडों के अधिकारियों और इंजीनियरों की उतनी अपेक्षित संख्या है जो अभिसंख्या द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) सर्वेक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त समय पर, किसी ऐसे पोत पर, जिस पर इस भाग का कोई उपबंध लागू होता है, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जा सकेगा कि अभिसमय के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्र धारण करने वाले अधिकारियों की वस्तुतः नियुक्ति की गई है और वे उपस्थित हैं, और वह पत्तनों में और समुद्र पर निगरानी कार्यों के लिए ऐसे अधिकारियों की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करेगा ।

(3) यदि सर्वेक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट से अभिसमय की अपेक्षाओं के संबंध में विदेशगामी पोत में कोई कमी प्रकट होती है और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे पोत के लिए समुद्र यात्रा करना असुरक्षित होगा तो उस पोत को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक ऐसी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर लिया जाता है ।]

³[87. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-2 के सक्षमता प्रमाणपत्र पर सेवा-पृष्ठांकन किया जाएगा ;

(ख) समुद्र में या किसी पत्तन या स्थान पर ⁴[विभिन्न प्रकार के पोतों द्वारा] निगरानी रखने के लिए व्यक्तियों की संख्या और वे अर्हताएं जो उनके पास होंगी ;

(ग) सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को परीक्षा का संचालन और धारा 78 के अंतर्गत आने वाले ग्रेडों के लिए उन प्रमाणपत्रों पर पृष्ठांकन ;

(घ) धारा 78 के अंतर्गत आने वाले ग्रेडों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं ;

(ङ) परीक्षा के लिए आवेदकों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस ;

¹ 1986 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा “या सेवा” शब्दों का लोप किया गया ।

² 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा (1-7-1989 से) अंतःस्थापित।

³ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 8 द्वारा (1-7-1989 से) प्रतिस्थापित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (च) वह अवधि जिसके लिए धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा ;
 (छ) ऐसे प्रमाणपत्रों का प्ररूप और वह रीति जिसमें प्रमाणपत्रों की प्रतियां रखी और अभिलिखित की जाएंगी ;
 (ज) वे परिस्थितियां या मामले जिनमें सक्षमता प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित किए जा सकेंगे ।]

¹[भाग 6क

कतिपय प्रमाणपत्र धारकों द्वारा सरकार की या भारतीय पोतों में सेवा करने की बाध्यता

87क. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1979 प्रवृत्त होगा ;

(ख) प्रमाणपत्र से अभिप्रेत है—

- (i) धारा 78 में निर्दिष्ट सक्षमता प्रमाणपत्र ; या
 (ii) धारा 80 में निर्दिष्ट सेवा प्रमाणपत्र ; या
 (iii) धारा 86 में निर्दिष्ट सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा प्रमाणपत्र,

जिसे किसी व्यक्ति ने भारत के वाणिज्यिक नौसेना प्रशिक्षण संस्थानों में से किसी में प्रशिक्षण सुविधाओं का उपभोग करके या किसी भारतीय पोत या भारतीय नौसैनिक पोत पर समुद्री सेवा का अनुभव करके प्राप्त किया है ;

(ग) “सरकार” में निम्नलिखित आते हैं :—

- (i) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन किसी पत्तन के लिए गठित न्यासियों का बोर्ड ;
 (ii) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम ;
 (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकारी कंपनी ; और
 (iv) सरकार द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः वित्त पोषित वाणिज्यिक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान ;

(घ) किसी प्रमाणपत्र के धारक के संबंध में “यथोचित नियोजन” से उस हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र धारण करना एक अनिवार्य अर्हता है ।

87ख. प्रमाणपत्र धारकों द्वारा सरकार को या भारतीय पोतों में कतिपय अवधि तक सेवा करना—(1) भारत का प्रत्येक नागरिक जो, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रमाणपत्र प्राप्त करता है सरकार की या किसी भारतीय पोत में उतनी अवधि के लिए सेवा करने को बाध्य होगा जो ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तारीख से चार वर्ष से आगे नहीं होगी या ऐसी कम अवधि की होगी, जैसी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) भारत का कोई नागरिक जिसने नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रमाणपत्र प्राप्त किया है सरकार के अधीन या किसी भारतीय पोत में नियोजन से अन्यथा कोई नियोजन उस अवधि के अवसान के पूर्व स्वीकार नहीं करेगा जिसके दौरान वह सरकार को या भारतीय पोत में उपधारा (1) के उपबंधों और उसके अधीन किए गए आदेशों के अनुसार सेवा करने को बाध्य है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, भारत का कोई नागरिक जिसने नियत दिन को या उसके पश्चात् दो या अधिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं, सरकार के अधीन या किसी भारतीय पोत में, याथास्थिति, जो सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या कुल मिलाकर सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या ऐसी कम अवधि के लिए जैसी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सेवा करने को बाध्य होगा ।

87ग. धारा 87ख से छूट—(1) जब धारा 87ख में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसने ऐसे नियोजन के लिए आवेदन किया है, उचित अवधि के भीतर यथोचित नियोजन प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह महानिदेशक को यह आवेदन कर सकेगा कि उसे उस धारा की उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं से छूट दी जाए और यदि महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि आवेदन में बताए गए कारण से छूट देना न्यायोचित है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को उन उपधाराओं की अपेक्षाओं से छूट देगा ।

(2) महानिदेशक स्वप्रेरणा से या धारा 87ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को उस धारा की उपधारा (1) और (2) की अपेक्षाओं से छूट दे सकेगा यदि महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी विदेशी सरकार की इस प्रार्थना के अनुपालन में कि भारतीय कार्मिक की सेवाएं उसके पोतों या तटीय स्थापनों में अर्हित कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई जाएं या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अभिकरण द्वारा

¹ 1979 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

इस प्रार्थना के अनुपालन में कि किसी देश में तकनीकी सहकारिता या तकनीकी सहायता कार्यक्रम में उसकी ओर से परामर्शीय सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए भारतीय कार्मिक उपलब्ध कराए जाएं, ऐसा करना आवश्यक है ; या

(ख) यदि इस प्रकार छूट नहीं दी जाती तो ऐसे व्यक्तियों को अनुचित कठिनाई होने की संभावना है ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन छूट के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से वे सभी विशिष्टियां होंगी जिनके आधार पर ऐसी छूट के लिए आवेदन किया गया है ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन को महानिदेशक यथासंभव शीघ्रता के साथ निपटाएगा और जहां महानिदेशक प्रार्थिक छूट देने से इन्कार करता है वहां उसके कारण अभिलिखित करेगा और आवेदक को संसूचित करेगा ।

(5) यदि ऐसे किसी आवेदन को प्राप्ति की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक प्रार्थिक छूट देने से इन्कार नहीं करता है या आवेदक को इन्कार की संसूचना नहीं देता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि महानिदेशक ने ऐसी छूट की मंजूरी दे दी है जिसके लिए प्रार्थना की गई है ।

(6) यदि महानिदेशक प्रार्थिक छूट देने से इन्कार करता है तो आवेदक छूट देने से इन्कार के महानिदेशक के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को ऐसे इन्कार के विरुद्ध अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश से सकेगी जैसे वह उचित समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था :

परन्तु यह और कि महानिदेशक के आदेश की पुष्टि करने वाला कोई आदेश इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को अपना मामला पेश करने का अवसर न दिया जाए ।

87घ. प्रमाणपत्र की विशिष्टियां आदि प्रस्तुत करना—भारत का प्रत्येक नागरिक, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रमाणपत्र प्राप्त करता है ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतरालों पर जैसे विहित किए जाएं, उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाणपत्रों और अपने नियोजन की विशिष्टियां देगा ।]

भाग 7

नाविक और शिक्षु

1[नाविकों, समुद्रयात्रा वृत्तिक का वर्गीकरण, समुद्रीय श्रम मानक और न्यूनतम कर्मीदल मापमान का विहित किया जाना]

88. नाविकों के वर्गीकरण की शक्ति—केन्द्रीय सरकार पोत के अधिकारियों से भिन्न नाविकों का विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकरण कराने के लिए पोत के लिए ऐसे प्रवर्गों के नाविकों के न्यूनतम कर्मीदल का मापमान विहित करने के लिए नियम बना सकेगी तथा विभिन्न वर्गों के पोतों के लिए विभिन्न मापमान विहित किए जा सकेंगे ।

2[88क. परिभाषाएं]—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा” से किसी पोत के संबंध में, परिवहन महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा जारी ऐसी घोषणा अभिप्रेत है कि वह समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों में वर्णित अपेक्षाओं और मानकों को पूरा करता है ;

(ख) “समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र” से समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार, परिवहन महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) “समुद्रीय श्रम अभिसमय” से 23 फरवरी, 2006 को जिनेवा में हस्ताक्षरित समुद्रीय श्रम मानक पर समुद्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है ;

(घ) “समुद्रयात्रा वृत्तिक” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समुद्रगामी पोत के फलक पर किसी हैसियत में नियोजित है या लगा हुआ है या कार्य करता है किंतु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,—

(i) किसी युद्धपोत में किसी व्यक्ति का, किसी हैसियत में फलक पर नियोजन या उसका लगा होना या कार्य करना ; या

(ii) सैन्य या वाणिज्येतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई सरकारी पोत ।

88ख. समुद्रयात्रा वृत्तिकों और पोतों को समुद्रीय श्रम मानकों का लागू होना—(1) समुद्रीय श्रम अभिसमय में यथा अंतर्विष्टि समुद्रीय श्रम मानकों से संबंधित उपबंध, वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगे सभी समुद्रयात्रा वृत्तिकों और पोतों को लागू होंगे, किंतु उनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :—

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) ऐसे पोत जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग या ऐसे परिरक्षित जलमार्गों या क्षेत्रों के भीतर या उनके निकटवर्ती जलमार्गों में दिक्कालित होते हैं, जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि लागू होती है ;

(ख) मत्स्य क्रियाकलाप में लगे पोत ;

(ग) परंपरागत रूप से निर्मित पोत जैसे डॉऊ और जंक ;

(घ) युद्धपोत और सहायक नौसेनाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, पोत परिवहन के महानिदेशक की सिफारिश पर, आदेश द्वारा उक्त उपधारा के उपबंधों को, वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगे हुए पोतों पर, ऐसी छूटों और उपांतरों के साथ, जो वह आवश्यक समझे, विस्तारित कर सकेगी ।]

पोत परिवहन मास्टर

89. पोत परिवहन मास्टरों के कर्तव्य—पोत परिवहन मास्टरों का यह कर्तव्य होगा कि वे :—

(क) इस अधिनियम में विहित रीति में नाविकों के नियोजन और सेवोन्मुक्ति का अधीक्षण करें और उसकी सुविधा प्रदान करें ;

(ख) इस प्रकार नियोजित नाविकों की उचित समयों पर फलक पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साधनों की व्यवस्था करे ;

(ग) समुद्री सेवाओं के लिए शिक्षु बनाने की सुविधा प्रदान करें ;

(घ) पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता और पोत के कर्मिंदल में से किसी के बीच विवादों की धारा 132 के अधीन सुनवाई और विनिश्चय करें ;

¹[(घघ) भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान के विदेशी नाविक के भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के साथ किसी विवाद का परिवाद, रजिस्ट्रीकरण के देश के सक्षम प्राधिकारी को पारेषित करें और ऐसे परिवाद की एक प्रति महानिदेशक, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय को भेजी जाएगी ;]

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन उन्हें तत्समय सौंपे गए नाविकों, शिक्षुओं और वाणिज्य पोतों से संबंधित अन्य कर्तव्यों का पालन करें ।

90. संदत्त की जाने वाली फीसें—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी फीसें नियत कर सकेगी जो पोत परिवहन मास्टर के समक्ष किए जाने वाले सभी नियोजनों और सेवोन्मुक्तियों के समय देय हैं ।

(2) तत्समय देय फीसों के मापमान पोत परिवहन कार्यालय में सहज-दृश्य रूप से लगाए जाएंगे और पोत परिवहन मास्टर किसी नियोजन या सेवोन्मुक्ति की बाबत तब तक कार्यवाही करने से इन्कार कर सकेगा जब तक उनके लिए देय फीसों पहले संदत्त न कर दी जाएं ।

(3) पोतों का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो पोत परिवहन कार्यालय में या पोत परिवहन मास्टर के समक्ष किसी नाविक को नियोजित करे या सेवोन्मुक्त करे, ऐसे नियोजन या सेवोन्मुक्ति की बाबत देय सम्पूर्ण फीसों पोत परिवहन मास्टर को संदत्त करेगा और इस प्रयोजन के लिए स्वयं की भागतः प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रत्येक ऐसे नियोजन या सेवोन्मुक्ति की बाबत इस प्रकार नियोजित किए गए या सेवोन्मुक्त किए गए सभी व्यक्तियों (शिक्षुओं के सिवाय) की मजदूरी में से कटौती कर सकेगा, तथा उनकी राशि से अनधिक कोई राशियां जितनी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, प्रतिधारित कर सकेगा :

परन्तु यदि वे राशियां जिनकी इस प्रकार कटौती की जा सकेगी, किसी मामले में उसके द्वारा देय फीसों की रकम से अधिक हैं तो ऐसा आधिक्य, उसके द्वारा पोत परिवहन मास्टर को ऐसी फीसों के अतिरिक्त, संदत्त किया जाएगा ।

(4) विदेशगामी पोतों के ऐसे नाविकों, जिनके करार इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में चलते रहने वाले करार हों, के नियोजन और सेवोन्मुक्ति पर संदत्त की जाने वाली फीसों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कर्मिंदल को तब से नियोजित किया गया समझा जाए, जब करार पर प्रथम बार हस्ताक्षर किए जाएं और उसे तब से सेवोन्मुक्त समझा जाए जब करार अंतिम रूप से पर्यवसित हो ; तथा सभी अंतरवर्ती नियोजन और सेवोन्मुक्तियां एकल नाविक का नियोजन और सेवोन्मुक्तियां समझी जाएंगी ।

समुद्रीय सेवाओं के लिए शिक्षुता

91. समुद्री सेवाओं के लिए शिक्षुता हेतु सहायता—सभी पोत परिवहन मास्टर ²[सोलह वर्ष से अन्यून आयु के अल्पवय व्यक्तियों को] शिक्षु रखने के इच्छुक या समुद्री सेवा के लिए उस आयु से अन्यून शिक्षुओं की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों को, ऐसी सहायता देंगे जो उसकी शक्ति के भीतर है और उन व्यक्तियों से ऐसी फीसें प्राप्त करेंगे जैसी केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

¹ 1998 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा (26-9-1997 से) अंतःस्थापित ।

² 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

92. समुद्री सेवा के लिए शिक्षता के बारे में विशेष उपबंध—¹[(1) समुद्री सेवा के लिए किसी व्यक्ति की शिक्षता, शिक्षु या यदि वह कोई अल्पवय व्यक्ति है तो उसकी और से उसके संरक्षक तथा शिक्षु की अपेक्षा करने वाले पोत के मास्टर या स्वामी के बीच लिखित संविदा द्वारा होगी।]

(2) प्रत्येक ऐसी संविदा विहित रूप में और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार दो प्रतियों में निष्पादित की जाएगी।

(3) प्रत्येक ऐसी संविदा पत्तन के पोत परिवहन मास्टर की उपस्थिति में निष्पादित और उसके द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा पोत परिवहन मास्टर संविदा का निष्पादन किए जाने से पूर्व अपना यह समाधान कर लेगा कि—

(क) आशयित शिक्षु—

(i) संविदा की विषयवस्तुओं और उपबंधों को समझता है ;

(ii) उससे आबद्ध रहने के लिए स्वतंत्र सहमति देता है ;

(iii) ¹[सोलह वर्ष] की आयु का हो चुका है ; और

(iv) उसके पास इस आशय का प्रमाणपत्र है कि वह समुद्रीय सेवा के लिए शारीरिक रूप से समर्थ है ;

(ख) यदि आशयित शिक्षु ¹[अल्पवय व्यक्ति] है तो शिक्षु के रूप में आबद्ध रहने के बारे में उसके अभिभावक की सहमति अभिप्राप्त कर ली गई है।

(4) भारत में ली गई ऐसी प्रत्येक संविदा और उसका प्रत्येक समनुदेशन, परिवर्तन या रद्दकरण तथा, जहां आबद्ध शिक्षु की मृत्यु हो जाती है या यह अभित्याग कर देता है वहां मृत्यु या अभित्यजन का तथ्य, धारा 93 में विनिर्दिष्ट रीति में अभिलिखित किया जाएगा।

93. संविदा अभिलिखित करने की रीति—अभिलेख के प्रयोजन के लिए—

(क) उस पोत का मास्टर या स्वामी जिसके प्रति समुद्री सेवा के लिए शिक्षु आबद्ध है, दो प्रतियों में निष्पादित संविदा को, उसके निष्पादन के सात दिन के भीतर पोत परिवहन मास्टर को भेजेगा जो एक प्रति को अभिलिखित करेगा और दूसरी प्रति पर यह तथ्य पृष्ठांकित करेगा कि वह अभिलिखित कर ली गई है और उसे मास्टर या स्वामी को पुनः परिदत्त करेगा ;

(ख) मास्टर या स्वामी संविदा के प्रत्येक समनुदेशन या रद्दकरण को और शिक्षु की मृत्यु या अभित्यजन को, यदि वह घटना भारत के भीतर होती है तो, ऐसी घटना के सात दिन के भीतर और यदि वह अन्यत्र होती है तो उतना शीघ्र जितना शीघ्र उन परिस्थितियों में किया जा सके, पोत परिवहन मास्टर को अधिसूचित करेगा।

94. पोत में समुद्र यात्रा से पूर्व प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष संविदाएं पेश करना—(1) पोत का मास्टर भारत में किसी पत्तन से किसी शिक्षु को समुद्र यात्रा पर ले जाने से पूर्व शिक्षु को उस पोत परिवहन मास्टर के समक्ष, जिसके समक्ष कर्मीदल नियोजित किए जाते हैं, हाजिर कराएगा और उसके समक्ष वह संविदा जिससे शिक्षु आबद्ध है तथा उसका प्रत्येक समनुदेशन पेश कराएगा।

(2) कर्मीदल के साथ करार पर शिक्षु का नाम, संविदा और उसके समनुदेशनों की, यदि कोई हों, तारीखें तथा उन पत्तनों के नाम, जिन पर रजिस्टर किया गया है, प्रविष्टि किए जाएंगे।

नाविक रोजगार कार्यालय

95. नाविक रोजगार कार्यालय का कारबार—(1) नाविक रोजगार कार्यालय के कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

²[(क) अनुज्ञप्ति जारी करना, भर्ती और नियोजन सेवाओं का विनियमन और नियंत्रण करना, और—

(i) यह सुनिश्चित करना कि सागरगामी वृत्तिकों की भर्ती या नियोजन के लिए कोई फीस या अन्य प्रभार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या संपूर्णतः या भागतः सागरगामी वृत्तिकों द्वारा वहन नहीं किए जाते हैं ;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि भर्ती और नियोजन सेवाओं के क्रियाकलापों से संबंधित परिवादों के, यदि आवश्यक हों, अन्वेषण के लिए पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं ; और

(iii) नाविकों के प्रवर्गों की बाबत नाविकों का रजिस्टर बनाए रखना ;]

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन विहित प्रवर्गों की बाबत नाविकों का रजिस्टर बनाए रखना ;

(ग) नाविकों और वाणिज्य पोतों से संबंधित ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन जैसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

1* * * *

(3) केन्द्रीय सरकार नाविक रोजगार कार्यालयों को इस अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों का प्रभावशील रूप से प्रयोग करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी; और विशिष्टता तथा, ऐसी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) नाविक रोजगार कार्यालयों द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विषय की बाद ऐसे सलाहकार बोर्ड या अन्य प्राधिकारियों से, जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त गठित करना या विहित करना ठीक समझे, परामर्श करना ;

²[(ख) ऐसी फीसों का उद्ग्रहण और संग्रहण करना जो भर्ती और नियोजन सेवाओं के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिए ऐसी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण और नाविक रोजगार कार्यालय द्वारा दी गई सेवाओं के लिए विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी नाविक रोजगार कार्यालय या किसी भर्ती और नियोजन सेवाओं को उसकी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के प्रतिनिर्देश से, निदेश जारी करना ;

(गक) वे शर्तें, जिनके अधीन भर्ती और रंगरूटों के लिए स्थानन सेवा होगी और विदेश में सागरगामी वृत्तिकों को नियोजित किया जाएगा ;

(गख) वे परिस्थितियां और शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रत्याहृत की जाएंगी ;

(गग) वे शर्तें, जिनके अधीन सागरगामी वृत्तिकों का व्यक्तिगत डाटा और नियोजन सेवाओं द्वारा प्रक्रमित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत ऐसे डाटा का संग्रहण, भंडारण, संयोजन और तीसरे पक्षकारों को संसूचना भी आती है ;]

(घ) किसी ऐसे नाविक रोजगार कार्यालय का अधिक्रमण करना जो किसी ऐसे निदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहे ।

³[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “भर्ती और नियोजन सेवा” से पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन अभिप्रेत है जो नियोजकों की ओर से सागरगामी वृत्तिकों की भर्ती या नियोजकों के साथ सागरगामी वृत्तिकों को नियोजित करने में लगा हुआ है ;]

4* * *

96. अधिनियम के उल्लंघन में नाविकों को नियुक्त करने या उनकी आपूर्ति करने का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति भारत में किसी पोत पर प्रवेश के लिए किसी नाविक का तब तक नियोजन या आपूर्ति नहीं करेगा जब तक ऐसा व्यक्ति पोत का स्वामी, मास्टर या मेट अथवा स्वामी का अभिकर्ता तथा स्वामी के निरन्तर नियोजन में रहने वाला सद्भाविक सेवक न हो या नाविक रोजगार कार्यालय का निदेशक अथवा पोत परिवहन मास्टर न हो ।

(2) कोई व्यक्ति भारत में किसी पोत पर प्रवेश के लिए नाविक के नियोजन या आपूर्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं करेगा जब तक ऐसा व्यक्ति पोत का स्वामी, मास्टर या मेट अथवा स्वामी का अभिकर्ता या स्वामी के निरन्तर नियोजन में रहने वाला सद्भाविक सेवक न हो या नाविक रोजगार कार्यालय का निदेशक अथवा पोत परिवहन मास्टर न हो ।

(3) कोई व्यक्ति किसी नाविक को किसी पोत पर नहीं लेगा या उस पर प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं करेगा यदि वह व्यक्ति जानता है कि वह नाविक इस धारा या धारा 95 के उल्लंघन में नियुक्त या आपूर्ति किया गया है ।

⁵[**97. नाविकों से उनके पोत परिवहन के लिए पारिश्रमिक, संदान, फीस आदि प्राप्त करने का प्रतिषेध—**(1) कोई व्यक्ति या कंपनी या संगठन, जिसके अंतर्गत नाविकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित कोई संघ भी आता है, किसी नाविक या नाविक के रूप में नियोजन की वांछा रखने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति से, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत फीस से भिन्न किसी पारिश्रमिक, संदान या फीस या किसी प्रकार के किसी अनिवार्य अभिदाय, जो ऐसे नाविक या व्यक्ति के नाविक के रूप में नियोजन से संबंधित माना जा सकता है, की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से न तो मांग करेगा और न उसे स्वीकार करेगा ।

(2) नाविक के रूप में किसी व्यक्ति को नियोजित करने वाली या नियोजित करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी व्यक्ति या कंपनी या संगठन द्वारा, जिसके अंतर्गत नाविकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित संघ भी आता है, किसी पारिश्रमिक या संदान या फीस या किसी भी प्रकार के अनिवार्य अभिदान के रूप में, जो

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया ।

⁵ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसे व्यक्ति से ऐसे नाविक के रूप में नियोजन के संबंध में माना जा सकता है, किसी धन की न तो मांग की गई है न ही ऐसा धन प्राप्त किया है।]

¹[97क. विभेद का प्रतिषेध—नाविकों के बीच किसी पोत के फलक पर उनकी भर्ती या नियोजन के लिए निम्नलिखित आधार पर कोई विभेद नहीं होगा,—

(क) नाविकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित किसी विशिष्ट या संघ में उनकी सदस्यता या सदस्यता की कमी और ऐसे संघ की सदस्यता पूर्व अपेक्षित शर्त नहीं होगी ;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण संस्थान, जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या उनकी निरंतर निर्मुक्ति का प्रमाणपत्र जारी करने के स्थान।]

नाविकों की नियुक्ति

98. नाविकों के लिए अर्हताएं और उनकी स्वास्थ्य परीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सामान्यतः सभी नाविक या विशिष्टतया नाविकों का कोई प्रवर्ग किसी पोत में या इस प्रकार विनिर्दिष्ट पोत के किसी वर्ग में, किसी हैसियत में काम करने के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा या समुद्र यात्रा पर नहीं ले जाएगा जब तक उनमें से प्रत्येक के पास विहित अर्हताएं न हों।

(2) उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी पोत में या पोतों के किसी ऐसे वर्ग में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी हैसियत में काम करने के लिए किसी नाविक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा या समुद्र यात्रा पर नहीं ले जाएगा जब तक उनके पास विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया विहित प्ररूप में इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि वह उस हैसियत में नियोजित किए जाने के लिए शारीरिक रूप से समर्थ है।

(3) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ; और विशिष्टतया, तथा ऐसी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार बनाए गए किन्हीं नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह पाठ्यक्रम जिसके अनुसार अध्ययन किया जाएगा, ऐसे व्यावसायिक मानक जिन्हें प्राप्त करना होगा और ऐसी परीक्षाएं जो नाविकों को साधारणतया या किसी वर्ग के नाविकों द्वारा विशिष्टतया उत्तीर्ण करनी होंगी।

(ख) नाविकों के लिए अपेक्षित शारीरिक समर्थता के मानक, नाविकों के विभिन्न वर्गों के लिए परीक्षा किए जाने वाले नाविकों की आयु को या उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो विभिन्न मानक अधिकथित किए जा सकते हैं ;

(ग) नाविकों की स्वास्थ्य परीक्षा की प्रकृति, वे प्राधिकारी जिनके द्वारा परीक्षा की जाएगी और उसके लिए देय फीसें ;

(घ) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का प्ररूप, अंतर्वस्तुएं तथा उसकी विधिमान्यता की अवधि ;

(ङ) जिन व्यक्तियों को प्रथम अवसर पर शारीरिक समर्थता का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया जाए उनकी ऐसे चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाए पुनः परीक्षा तथा ऐसी पुनः परीक्षा के लिए देय फीसें ;

(च) वे परिस्थितियां जिनमें, और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, किसी नाविक या नाविकों के वर्ग या किसी पोत या पोतों के वर्ग को उपधारा (2) के प्रवर्तन से छूट दी जा सकेगी।

99. सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र के बिना नाविकों की भारतीय पत्तन पर नियुक्ति का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, दो सौ टन सकल भार से कम के देशी व्यापार पोत पर के सिवाय किसी पोत पर भारत में किसी पोत से किसी नाविक को इस अधिनियम के अधीन तब तक नियुक्त नहीं करेगा या समुद्र यात्रा पर नहीं ले जाएगा जब तक नाविक के पास इस भाग के अधीन जारी किया गया सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र न हो।

²[99क. समुद्रयात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज के बिना समुद्रयात्रा वृत्तिक के नियोजन का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति किसी पोत में किसी समुद्रयात्रा वृत्तिक को तब तक नियोजित नहीं करेगा या समुद्र में नहीं ले जाएगा, जब तक कि समुद्रयात्रा वृत्तिक के पास समुद्रयात्रा वृत्तिक पहचान दस्तावेज न हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन समुद्रयात्रा वृत्तिक का पहचान दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

1* * * *

100. कर्मीदल के साथ करार—दो सौ टन सकल भार के कम के देशी व्यापार पोत के सिवाय प्रत्येक भारतीय पोत का मास्टर ऐसे प्रत्येक नाविक के साथ जिसे वह भारत में किसी पत्तन पर नियुक्त करे और वहां से अपने नौकर्मी दल के सदस्य के रूप में समुद्री यात्रा पर ले जाए इस अधिनियम के अनुसार करार करेगा (जिसे इस अधिनियम में कर्मीदल के साथ करार कहा गया है)।

101. करार का प्ररूप और उसकी अन्तर्वस्तुएं—(1) कर्मीदल के साथ करार विहित प्ररूप में किया जाएगा और उस पर प्रथम बार हस्ताक्षर करने के समय, दिनांकित किया जाए तथा इसके पूर्व कि कोई नाविक उस पर हस्ताक्षर करे ²[स्वामी या अभिकर्ता और मास्टर उस पर हस्ताक्षर करेंगे]।

(2) कर्मीदल के साथ करार में उसके निबंधनों के रूप में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी :—

(क) जिस पोत या जिन पोतों के फलक पर नाविक सेवा करने का वचनबंध करता है उसका या उनके नाम ;

(ख) आशयित समुद्री यात्रा या नियुक्ति की प्रकृति और, जहां तक व्यवहार्य हो, उसकी अवधि या समुद्री यात्रा पर नियुक्ति की अधिकतम अवधि तथा विश्व के वे स्थान या भाग जहां तक समुद्री यात्रा नहीं की जाएगी या जहां तक नियुक्ति का विस्तार नहीं किया जाएगा ;

(ग) प्रत्येक विभाग में विभिन्न प्रवर्गों के कर्मीदल के सदस्यों की संख्या और वर्णन ;

³[(गग) सप्ताह में कार्य के घंटे और विश्राम जो विहित किए जाएं ;]

(घ) वह समय जब प्रत्येक नाविक फलक पर रहेगा या कार्य आरम्भ करेगा ;

(ङ) वह हैसियत जिसमें प्रत्येक नाविक सेवा करेगा ;

(च) मजदूरी की वह रकम जो प्रत्येक नाविक प्राप्त करेगा ;

³[(चच) छुट्टी के लिए हकदारी जो विहित की जाए ;]

(छ) प्रत्येक नाविक को दी जाने वाली रसद का मापमान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत और राजपत्र में प्रकाशित मापमान से कम नहीं होगा ;

(ज) विनिर्दिष्ट ठंडे प्रदेशों में नियोजन की अवधि के दौरान प्रत्येक नाविक को दिए जाने वाले गर्म कपड़ों का मापमान और अतिरिक्त रसद का मापमान ;

(झ) फलक पर आचरण के बारे में और कदाचार के लिए शास्तियों या अन्य विधिपूर्ण दण्डों के बारे में कोई विनियम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे विनियमों के रूप में अनुमोदित किए गए हों, जिन्हें अंगीकार करना उचित है, और जो अंगीकार करने के लिए पक्षकार करार करते हैं ;

(ञ) ⁴[नियोजन से या नियोजन के अनुक्रम में] होने वाली दुर्घटना से कारित वैयक्तिक क्षति, या मृत्यु के लिए प्रतिकर का संदाय ;

(ट) जहां यह करार पाया जाए कि किसी नाविक की सेवाएं किसी ऐसे पत्तन पर समाप्त हो जाएंगी जो भारत में नहीं है वहां उसे या तो किसी अन्य पोत के फलक पर जो उस पत्तन की ओर जहां से उस नाविक का पोतारोहण किया गया था या भारत में किसी अन्य पत्तन की जा रहा हो, उसे समुचित नियोजन उपलब्ध कराने का या भारत में किसी पत्तन के लिए निःशुल्क, या ऐसे अन्य निबंधनों पर जैसे करार पाए जाएं, मार्ग व्यय उपलब्ध कराने का अनुबन्ध ;

³[(टट) कर्मीदल के साथ करार के निबंधन, भारत में ऐसे संगठनों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा नाविकों के नियोजकों का और नाविकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिसूचित करे, परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किए जाएंगे।]

(ठ) ऐसे अन्य विषयों की बाबत अनुबन्ध जो विहित किए जाएं।

(3) करार में यह उपबंध किया जाएगा कि पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता तथा किसी नाविक के बीच करार से संबंधित किसी विषय की बाबत भारत के बाहर कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसा विचार भारतीय कोंसलीय आफिसर को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय पक्षकारों पर तब तक बाध्यकर रहेगा जब तक पोत भारत में उस पत्तन पर वापस नहीं आ जाता जिस पर नाविक को सेवोन्मुक्त किया जाना है :

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के मामले में ऐसा विचार भारतीय कौंसिलीय आफिसर को निर्दिष्ट किया जाएगा यदि ऐसा निर्देश अन्तरराष्ट्रीय विधि के नियमों के प्रतिकूल है।

(4) कर्मीदल के साथ करार इस प्रकार से तैयार किया जाएगा जिससे उसमें मजदूरी के अग्रिम और आबंटन से संबंधित ऐसे अनुबंध आ जाएं जो प्रत्येक मामले में मास्टर और नाविक की इच्छा पर अंगीकार किए जाएं और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा ऐसे करार में कोई अन्य अनुबंध जो विधि से असंगत न हों, रखे जा सकेंगे।

¹[102. जहां करार भारत के बाहर किया जाए वहां नाविक की नियुक्ति—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर किसी पत्तन पर रजिस्टर किए गए किसी पोत का ऐसा मास्टर, जिसने उस पत्तन की या ऐसे पत्तन, की जिस पर उस पोत का कर्मीदल नियुक्त किया गया था, विधि के अनुसार कर्मीदल के साथ सम्यक् प्ररूप से करार किया है, भारत के किसी पत्तन पर,—

(क) ऐसे नाविक को नियुक्त कर सकेगा जो भारत का नागरिक नहीं है और जिसके पास सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र है, या यथास्थिति, ऐसे देश के, जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत है या ऐसे देश के, जिसमें उक्त करार किया गया था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैसा ही कोई अन्य पहचान दस्तावेज है ; या

(ख) ऐसे नाविक को नियुक्त कर सकेगा जो भारत का नागरिक है और जिसके पास इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया सेवोन्मुक्ति का प्रमाणपत्र है या सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र है,

और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई नाविक पूर्वोक्त करार पर हस्ताक्षर कर सकेगा और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन किसी करार पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा।]

103. भारतीय पोतों के कर्मीदल के साथ करारों की बाबत विशेष उपबन्ध—(1) किसी भारतीय पोत के कर्मीदल के साथ भारत में किए गए प्रत्येक करार की बाबत निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रतिस्थानियों के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक नाविक पोत परिवहन मास्टर की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर करेगा ;

(ख) पोत परिवहन मास्टर करार को प्रत्येक नाविक की ऐसी भाषा में, जिसे वह समझता है, पढ़वा कर सुनवाएगा और स्पष्ट करेगा या अन्यथा यह अभिनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नाविक हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे समझता है और प्रत्येक हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा ;

(ग) जब कर्मीदल प्रथम बार रखा जाता है तब करार की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनमें से एक पोत परिवहन मास्टर द्वारा प्रतिधारित की जाएगी और दूसरी मास्टर को परिदत्त की जाएगी और उसमें प्रतिस्थानियों या पोत के प्रथम बार प्रस्थान के पश्चात् नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विवरणों और हस्ताक्षरों के लिए विशेष स्थान या प्ररूप होगा ;

(घ) यदि उस नाविक के स्थान पर जिसने करार पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किया है और जिसकी सेवाएं पोत के समुद्र यात्रा पर जाने के चौबीस घंटे के भीतर मृत्यु, अभित्याग या किसी अन्य अकल्पित कारण से उपलब्ध नहीं रहती, कोई प्रतिस्थानी नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति यदि व्यवहार्य है तो पोत परिवहन मास्टर के समक्ष की जाएगी और यदि व्यवहार्य नहीं है तो मास्टर पोत को समुद्र यात्रा पर ले जाने से पूर्व यदि ऐसा व्यवहार्य है तो और यदि ऐसा साध्य नहीं है तो तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र करार को प्रतिस्थानी को पढ़कर सुनवाएगा और स्पष्ट करेगा तथा तदुपरि, प्रतिस्थानी उस पर साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करेगा और साक्षी हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा।

(2) किसी विदेशगामी भारतीय पोत के कर्मीदल के साथ भारत में किए गए करार की दशा में, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) करार पोत की एक समुद्र यात्रा के लिए किया जा सकेगा या, पोत की समुद्र यात्रा की औसत अवधि छह मास से कम है तो उसे दो या अधिक समुद्र यात्राओं के लिए बढ़ाया जा सकेगा, तथा ऐसे किए गए करारों को इस अधिनियम में चालू करार कहा गया है ;

(ख) चालू करार दो या अधिक समुद्र यात्राओं के लिए इस प्रकार से किया जा सकेगा जिससे वह या तो उस तारीख से, जिसको यह निष्पादित किया गया है, छह मास के भीतर, या उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् पोत के अपने गन्तव्य पत्तन पर प्रथम बार पहुंचने पर, या ऐसी पहुंच के पश्चात् स्थोरा की उतराई पर, इन तारीखों में से, जो भी अंतिम हो, पर्यवसित हो जाएगा ;

परन्तु यदि उपरोक्त छह मास की अवधि के पर्यवसान के पश्चात् पोत भारत के बाहर किसी पत्तन से किसी अन्य ऐसे पत्तन की ओर से अग्रसर हो जाए जो सीधे मार्ग पर या पोत के भारत में गन्तव्य स्थान की ओर के प्रचलित मार्ग पर नहीं है तो ऐसा चालू करार प्रवृत्त नहीं रहेगा ;

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 5 द्वारा (15-7-1985 से) धारा 102 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ग) चालू करार के अंतिम रूप से पर्यवसित होने के पूर्व भारत के किसी पत्तन पर प्रत्येक वापसी पर मास्टर ऐसे पत्तन के पोत परिवहन मास्टर के समक्ष उस नाविक को सेवोन्मुक्त या नियुक्त करेगा जिसे सेवोन्मुक्त या नियुक्त करने की अपेक्षा विधि द्वारा की जाए, और ऐसी प्रत्येक वापसी पर करार पर, (यथास्थिति), या तो यह कथन कि ऐसी कोई सेवोन्मुक्तियां या नियुक्तियां नहीं की गई हैं या पोत के पत्तन छोड़ने से पूर्व करना आशयित नहीं है अथवा यह कि जो भी सेवोन्मुक्तियां या नियुक्तियां की गई हैं वे विधि की अपेक्षा के अनुसार की गई हैं, पृष्ठांकित करेगा ;

(घ) इस प्रकार पृष्ठांकित चालू करार को मास्टर पोत परिवहन मास्टर को परिदत्त करेगा और यदि करार से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है तो पोत परिवहन मास्टर पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा और करार को मास्टर को लौटा देगा ।

(3) दो सौ टन सकल भार या उससे अधिक के देशी व्यापार भारतीय पोत के कर्मीदल के साथ भारत में किए गए करार की दशा में, उपधारा (1) में, विनिर्दिष्ट उपबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

(क) करार छह मास से दीर्घतर अवधि के लिए नहीं किया जाएगा किन्तु यदि वह अवधि, जिसके लिए करार किया गया है, तब पर्यवसित होती है जब पोत किसी भारतीय पत्तन में नहीं है तो करार तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक पोत किसी भारतीय पत्तन में पुनः नहीं आ जाता :

परन्तु कोई करार उस अवधि के पर्यवसान के पश्चात्, जिसके लिए वह किया गया है, तीन मास से अधिक की अवधि तक संबंधित नाविक की लिखित सहमति से ही प्रवृत्त रहेगा अथवा नहीं ;

(ख) एक ही स्वामी के दो या अधिक पोतों में सेवा के लिए करार मास्टर की बजाय स्वामी द्वारा किया जाएगा, और करार करने की बाबत इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

104. चालू करारों का कतिपय दशाओं में नवीकरण—(1) जहां किसी विदेशगामी भारतीय पोत के कर्मीदल के साथ कोई चालू करार किया गया है और पोत उस तारीख से, जिसको करार किया गया है, छह मास की अवधि के पर्यवसान के पश्चात् भारत में ऐसे गन्तव्य पत्तन पर पहुंचता है जो वह पत्तन नहीं है जिस पर कर्मीदल को सेवोन्मुक्त करने का करार किया गया है तो मास्टर, पोत परिवहन मास्टर के पूर्व अनुमोदन से कर्मीदल के साथ करार का नवीकरण कर सकेगा या पोत परिवहन मास्टर द्वारा पोत के मास्टर से ऐसे गन्तव्य पत्तन से भारत में ऐसे पत्तन तक, जहां, कर्मीदल को सेवोन्मुक्त करने का करार किया गया हो, समुद्री यात्रा के लिए करार के नवीकरण की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(2) यदि पोत परिवहन मास्टर उपरोक्त के अनुसार करार के नवीकरण की अपेक्षा करता है तो और पोत का मास्टर उसका नवीकरण कराने से इंकार कर देता है तो कर्मीदल के निर्वाह का, और उस पोत तक जिस पर सेवोन्मुक्ति के लिए उन्होंने करार किया है, उनके प्रवहण का, व्यय, जो सरकार द्वारा उपगत किया जाए, पोत पर प्रभार होंगे, तथा वैसे ही वसूलीय होंगे मानो वह कष्टग्रस्त नाविकों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपगत व्यय है ।

105. कर्मीदल में परिवर्तनों की रिपोर्ट देना—¹[(1)] प्रत्येक विदेशगामी भारतीय पोत और दो सौ टन सकलभार या उससे अधिक के देशी व्यापार भारतीय पोत का मास्टर, जिसका कर्मीदल पोत परिवहन मास्टर के समक्ष नियुक्त किया गया हो, उस पत्तन को, जहां नियुक्तियां की गई हैं, अंतिम रूप से छोड़ने के पूर्व ऐसे प्रत्येक परिवर्तन की जो कर्मीदल में किया गया हो, विहित प्ररूप में एक पूर्ण और सही कथन हस्ताक्षर करके निकटतम पोत परिवहन मास्टर को भेजेगा और वह कथन साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

²[(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन की एक प्रति संबंधित नाविक के नियोजन कार्यालय को भी भेजी जाएगी ।]

106. कर्मीदल के साथ करार के बारे में प्रमाणपत्र—(1) प्रत्येक विदेशगामी भारतीय पोत या दो सौ टन सकल भार या उससे अधिक के देशी व्यापार भारतीय पोत की दशा में, इस अधिनियम के अनुसरण में कर्मीदल के साथ करार के सम्यक् रूप से निष्पादन पर तथा विदेशगामी भारतीय पोत की दशा में, जब तक करार चालू करार हो, करार के प्रथम बार प्रारम्भ के पश्चात् दूसरी और प्रत्येक पश्चात्पूर्व समुद्री यात्रा के पूर्व, उस करार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों का मास्टर द्वारा अनुपालन किए जाने पर भी, पोत परिवहन मास्टर पोत के मास्टर को इस आशय का प्रमाणपत्र देगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक पोत का मास्टर समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के पूर्व उस प्रमाणपत्र को ऐसे सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष पेश करेगा जिसका कर्तव्य पत्तन निकासी पत्र देना है ।

(3) सीमाशुल्क कलक्टर किसी ऐसे पोत को ऐसा प्रमाणपत्र पेश किए बिना बाहर की ओर जाने का निकासी पत्र नहीं देगा और यदि ऐसा कोई पोत निकासी पत्र के बिना समुद्र यात्रा पर जाने का प्रयास करता है तो सीमाशुल्क कलक्टर उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक उपरोक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है ।

(4) ऐसे प्रत्येक पोत का मास्टर पोत के भारत में ऐसे पत्तन पर, जिस पर कर्मीदल को सेवोन्मुक्त किया जाता है, पहुंचने के अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसा करार पोत परिवहन मास्टर को परिदत्त करेगा, तथा ऐसा पोत परिवहन मास्टर तदुपरि मास्टर को ऐसे

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 6 द्वारा (15-7-1985 से) धारा 105 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 6 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित ।

परिदान का प्रमाणपत्र देगा ; और सीमाशुल्क कलक्टर ऐसा प्रमाणपत्र पेश किए बिना किसी ऐसे पोत को अन्दर की ओर आने का निकासी पत्र नहीं देगा ।

107. करार की प्रति तक कर्मीदल की पहुंच होना—मास्टर प्रत्येक समुद्री यात्रा या नियुक्ति के प्रारम्भ पर करार की एक सुपाठ्य प्रति और, यदि आवश्यक हो तो ऐसी भाषा में, जिसे कर्मीदल में से अधिकांश समझते हों, उसका प्रमाणित अनुवाद भी, (हस्ताक्षरों को छोड़कर) पोत के ऐसे भाग में रखवाएगा या लगवाएगा जहां तक कर्मीदल की पहुंच हो सके ।

108. कर्मीदल के साथ करार में परिवर्तन—कर्मीदल के साथ किसी करार में से मिटाई गई कोई बात, कोई अन्तरलेखन या परिवर्तन (उन जोड़े गए अंशों के सिवाय जो पोत के प्रथम बार प्रस्थान के पश्चात् नियुक्त प्रतिस्थापितों या व्यक्तियों के पोत परिवहन के लिए किए गए हों) तब तक पूर्णतः अपरिवर्तनीय होंगे । [जब तक उद्धर्षण, अंतरालेखन या परिवर्तन में हितबद्ध सभी व्यक्तियों की सहमति से लिखित अनुप्रमाणन द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता कि वे—

(क) यदि भारत में किए गए हैं तो किसी पोत परिवहन मास्टर या सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा किए गए हैं ; या

(ख) यदि भारत के बाहर किए गए हैं तो किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा या भारत के बाहर ऐसे किसी पत्तन पर जहां कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत है ।]

अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन

²[**109. कतिपय दशाओं में अल्पवय व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रतिषेध**—(1) किसी पोत पर सोलह वर्ष की आयु से कम का कोई व्यक्ति किसी भी हैसियत में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या समुद्र यात्रा पर नहीं ले जाया जाएगा ।

(2) (क) कोई अल्पवय व्यक्ति, रात्रि में कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाएगा :

(ख) रात्रि में कार्य की अवधि, ऐसी होगी, जो विहित की जाए ;

परंतु पोत परिवहन का, महानिदेशक, रात्रि में,—

(i) प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए ; या

(ii) विनिर्दिष्ट प्रकृति के कर्तव्य का पालन करने के लिए,

रात्रि में ऐसे कार्य पर जो ऐसे अल्पवय व्यक्ति के स्वास्थ्य या कल्याण के लिए अहितकर नहीं होगी, आदेश द्वारा, किसी अल्पवय व्यक्ति को लगाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।]

3*

*

*

*

*

111. अल्पवय व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा—(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई अल्पवय व्यक्ति किसी पोत पर किसी हैसियत में काम करने के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा या समुद्र यात्रा पर नहीं ले जाया जाएगा जब तक मास्टर को विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाणपत्र परिदत्त नहीं कर दिया गया है कि अल्पवय व्यक्ति उस हैसियत में नियोजित किए जाने के लिए शारीरिक रूप से समर्थ है ।

(2) उपधारा (1)—

(क) उस पोत पर, जिसमें नियोजित किए गए सभी व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं, अल्पवय व्यक्ति के नियोजन को लागू नहीं होगी ; या

(ख) वहां लागू नहीं होगी जहां पोत परिवहन मास्टर ने, अत्यावश्यकता के आधार पर, मास्टर को उपधारा (1) द्वारा, आरक्षित प्रमाणपत्र परिदत्त किए बिना ही किसी अल्पवय व्यक्ति की नियुक्ति और समुद्र यात्रा पर ले जाया जाना प्राधिकृत कर दिया हो, तथा ऐसा अल्पवय व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में के सिवाय, उस प्रथम पत्तन के परे, जिस पत्तन पर, वह पोत, जिसमें उसे नियोजित किया गया है, ठहरता है, नियोजित नहीं किया जाता है ।

(3) इस धारा के अधीन अपेक्षित शारीरिक समर्थता का प्रमाणपत्र उस तारीख से, जिस तारीख को वह दिया गया है, एक वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा ।

112. पोत में अल्पवय व्यक्तियों की सूची या रजिस्टर बनाए रखना—प्रत्येक भारतीय पोत और ऐसे अन्य पोत के, जिसमें भारत में अल्पवय व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, कर्मीदल के साथ प्रत्येक करार में उन अल्पवय व्यक्तियों की, जो कर्मीदल के सदस्य हैं, उनकी जन्म तिथियों की विशिष्टियों सहित, एक सूची सम्मिलित की जाएगी, और किसी ऐसे पोत की दशा में, जहां ऐसा कोई करार

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 7 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया ।

नहीं है, मास्टर अल्पवय व्यक्तियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनकी जन्म तिथियों की विशिष्टियां और वे तारीखें भी होंगी जिनको वे कर्मीदल के सदस्य हुए हैं या सदस्य नहीं रहते हैं।

¹[113. अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी,—

(क) वे प्राधिकारी, जिनके दिए गए शारीरिक समर्थता के प्रमाणपत्र धारा 111 के प्रयोजनों के लिए स्वीकार किए जाएंगे ;

(ख) उस पोट पर, जिस पर कर्मीदल के साथ कोई करार नहीं किया गया है, रखे जाने वाला अल्पवय व्यक्तियों के रजिस्टर का प्ररूप।]

भारतीय पोटों से भिन्न पोटों के मास्टरों द्वारा नाविकों की नियुक्ति

114. भारतीय पोटों से भिन्न पोटों के मास्टरों द्वारा नाविकों की नियुक्ति—(1) भारतीय पोट से भिन्न किसी पोट का मास्टर जब भारत से बाहर किसी पत्तन की ओर अग्रसर होने के लिए भारत में किसी पत्तन पर कोई नाविक नियुक्त करे तो वह ऐसे नाविक के साथ एक करार करेगा और ऐसे करार पोट परिवहन मास्टर के समक्ष उस रीति में किया जाएगा जो इस अधिनियम द्वारा विदेशगामी भारतीय पोटों की दशा में करार करने के लिए उपबंधित है।

(2) ऐसे करारों के प्ररूप और उनमें अंतर्विष्ट किए जाने वाले अनुबंधों तथा करार करने और हस्ताक्षरित करने की बाबत इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे नाविक की नियुक्ति को लागू होंगे।

(3) भारतीय पोट से भिन्न पोट का मास्टर उतनी रकम का, जितनी भारत में किसी पत्तन पर उस मास्टर द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक नाविक की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, भारत में निवासी किसी अनुमोदित व्यक्ति की प्रतिभूति सहित, एक बंधपत्र देगा बंधपत्र में ऐसे करार और अनुबंधों के सम्यक् पालन के लिए और किसी ऐसे नाविक की बाबत, जिसे भारत के बाहर किसी पत्तन पर सेवोन्मुक्त कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए और जो कष्टग्रस्त हो जाए तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुक्त कर दिया जाए, उन व्ययों के प्रतिसंदाय के लिए, जो केन्द्रीय सरकार को उपगत करने हों, शर्तें होंगी :

परन्तु पोट परिवहन मास्टर इस धारा के अधीन बंधपत्र के निष्पादन का वहां अधित्यजन कर सकेगा जहां पोट के स्वामी का भारत में किसी पत्तन पर अभिकर्ता है और ऐसा अभिकर्ता उन सभी विषयों की बाबत दायित्व स्वीकार करता है जिसके लिए पोट का मास्टर उस दशा में दायी होता यदि उसने इस धारा के अधीन बंधपत्र निष्पादित किया होता अथवा पोट परिवहन मास्टर अभिकर्ता से ऐसी प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है जैसी केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे।

(4) धारा 90 के अधीन नियत की गई फीसें प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की बाबत देय होंगी, और इस प्रकार नियुक्त किए गए नाविकों की मजदूरी में से कटौतियां उस विस्तार तक और उस रीति में की जा सकेंगी जहां तक और जैसी धारा 90 के अधीन अनुज्ञात है।

115. व्यक्तियों को नाविकों के रूप में नियुक्त करने का प्रतिषेध करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राष्ट्रीय हित में या साधारणतया नाविकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उसे, लिखित आदेश द्वारा, भारतीय पोट से भिन्न किसी पोट के मास्टर या अभिकर्ता को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, भारत में या भारत के किसी विनिर्दिष्ट भाग में ऐसे पोट पर नाविक के रूप में सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति होगी।

116. भारतीय पोटों के लिए भारत के बाहर नाविकों की नियुक्ति—भारत के बाहर नाविकों की नियुक्ति की बाबत निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे :—

जब किसी भारतीय पोट का मास्टर भारत के बाहर किसी पत्तन पर किसी नाविक की नियुक्ति करता है तब उसे भारत के कर्मीदल के साथ किए गए करारों की बाबत इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे—

(क) किसी ऐसे पत्तन पर, जहां भारतीय कौंसलीय आफिसर है, मास्टर नाविक को समुद्र यात्रा पर ले जाने से पूर्व कौंसलीय आफिसर की मंजूरी उपाप्त करेगा और, यदि उस पत्तन पर प्रवृत्त विधि किसी के प्रतिकूल नहीं है तो, नाविक को उस अधिकारी के समक्ष नियुक्त करेगा ;

(ख) मास्टर भारतीय कौंसलीय आफिसर से निवेदन करेगा कि वह करार पर यह अनुप्रमाणित करे कि उसमें उसके सामने हस्ताक्षर किए गए हैं तथा करार अन्यथा इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित के अनुसार किया गया है, तथा यह भी कि वह उसकी मंजूरी से किया गया है, और यदि ऐसा अनुप्रमाणन नहीं किया जाता है तो साबित करने का भार मास्टर पर होगा कि नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित के अनुसार की गई है।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

117. पोत पर चढ़ने और नाविकों की पड़ताल करने की शक्ति—भारत में किसी पत्तन पर इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत रूप में किसी पोत के फलक पर नाविकों का ले जाया जाना रोकने के प्रयोजन के लिए पोत परिवहन मास्टर या उप या सहायक पोत परिवहन मास्टर या नाविक रोजगार कार्यालय का कोई निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक, किसी भी समय ऐसे पोत में प्रवेश कर सकेगा जिस पर, उसे यह विश्वास करने का कारण है कि, नाविकों का परिवहन किया जा रहा है, तथा उसमें नियोजित विभिन्न नाविकों की पड़ताल और परीक्षा कर सकेगा।

नाविकों को सेवोन्मुक्ति

118. पोत मास्टर के समक्ष सेवोन्मुक्ति—(1) जब विदेशगामी पोत में सेवारत कोई नाविक उसकी नियुक्ति के पर्यवसान पर भारत में सेवोन्मुक्त किया जाता है तो उसे पोत परिवहन मास्टर के समक्ष इस अधिनियम द्वारा उपबंधित रीति में सेवोन्मुक्त किया जाएगा चाहे कर्मीदल के साथ किया गया करार समुद्र यात्रा के लिए करार है या चालू करार है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध दो सौ टन सकल भार या उससे अधिक के देशी व्यापार भारतीय पोत में सेवारत नाविकों की सेवोन्मुक्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह विदेशगामी पोत पर सेवारत नाविकों की सेवोन्मुक्ति की बाबत लागू होते हैं :

परन्तु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां किसी नाविक की दो या अधिक पोतों में सेवा करने के लिए धारा 103 के अनुसरण में किए गए किसी करार के अधीन तब सेवोन्मुक्त किया जाए जब उसे किसी ऐसे अन्य पोत पर नियुक्त किया जाना हो जिससे करार का संबंध है।

(3) जिस पोत को पूर्वगामी अंतिम उपधारा लागू होती हो उससे भिन्न देशी व्यापार पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता यदि ऐसी वांछा करे तो उस पोत का नाविक उसी रीति में सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा जिस रीति में विदेशगामी पोत के नाविक सेवोन्मुक्त किए जाते हैं।

119. सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र—(1) मास्टर भारत में अपने पोत से सेवोन्मुक्त किए गए नाविक को या तो उसकी सेवोन्मुक्ति पर या उसकी मजदूरी के संदाय पर, उसकी सेवा की अवधि और उसकी सेवोन्मुक्ति पर या सेवोन्मुक्ति का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए उसकी सेवोन्मुक्ति का विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करेगा और उसे देगा।

(2) मास्टर प्रत्येक प्रमाणपत्र धारक अधिकारी की सेवोन्मुक्ति पर, जिसका क्षमता प्रमाणपत्र उसे परिदत्त किया गया है और उसके द्वारा रखा गया है, उस प्रमाणपत्र को भी उस अधिकारी को वापस कर देगा।

120. नाविक के काम के बारे में प्रमाणपत्र—(1) जब कोई नाविक भारत में किसी पोत से सेवोन्मुक्त किया जाता है तब मास्टर उस पोत परिवहन मास्टर को जिसके समक्ष सेवोन्मुक्ति की जाती है विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट निम्नलिखित का कथन करते हुए देगा, अर्थात् :—

(क) नाविक के काम की क्वालिटी ; या

(ख) नाविक ने कर्मीदल के साथ किए गए करार के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा किया है या नहीं ; या

(ग) यह कि मास्टर उक्त विशिष्टियों के बारे में कोई राय प्रकट नहीं करना चाहता है,

और यदि नाविक ऐसा वांछा करे तो पोत परिवहन ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उसे देगा या उसके सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित करेगा।

(2) वह नाविक जो धारा 119 के अधीन सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र का हकदार है, यदि ऐसी वांछा करता है, तो, मास्टर उसे उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र के स्थान पर या इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के स्थान पर एक चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र दे सकेगा जिसमें निम्नलिखित कथन का पृष्ठांकन करते हुए उसकी सेवा की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(क) नाविक के काम की क्वालिटी ; या

(ख) नाविक ने कर्मीदल के साथ किए गए करार के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा किया है या नहीं ; या

(ग) यह कि मास्टर उक्त विशिष्टियों के बारे में कोई राय प्रकट नहीं करना चाहता है,

और मास्टर तदुपरि, उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र को हस्ताक्षरित करेगा और उसे देगा।

(3) यदि मास्टर यह कथन करता है कि वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में उल्लिखित विशिष्टियों पर कोई राय प्रकट नहीं करना चाहता है तो वह राय प्रकट न करने के कारण अपनी आफिशियल लाग बुक में प्रविष्टि करेगा।

121. भारतीय पोतों के मास्टरों द्वारा नाविकों को सेवोन्मुक्ति या उन्हें पीछे छोड़ना—(1) भारतीय पोत का मास्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी के प्राधिकार के बिना—

(क) किसी नाविक को उस अवधि के अवसान के पूर्व, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, तब तक सेवोन्मुक्त नहीं करेगा जब तक नाविक अपनी सेवोन्मुक्ति के लिए सहमत नहीं हो जाता; या

(ख) किसी नाविक या शिक्षु को, उन परिस्थितियों में के सिवाय जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, पीछे नहीं छोड़ेगा, तथा उपरोक्त अधिकारी कर्मिंदल के साथ किए गए करार पर यह प्रमाणित करेगा कि उसने ऐसा प्राधिकार दिया है, तथा नाविक को सेवोन्मुक्त करने या नाविक या शिक्षु को पीछे छोड़ने के कारण भी प्रमाणित करेगा।

(2) उपरोक्त अधिकारी जिसे उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार प्राधिकार के लिए आवेदन किया गया है, उन कारणों की जांच करेगा जिनसे नाविक को सेवोन्मुक्त किया जाना है या नाविक और शिक्षु को पीछे छोड़ा जाना है और स्वविवेकानुसार ऐसा प्राधिकार दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा :

परन्तु यदि उसका यह समाधान हो जाए कि नाविक बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के—

(क) अपने पोत पर जाने में या उसमें समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने में असफल रहा है या उसने ऐसा करने से इंकार किया है ; या

(ख) समुद्र यात्रा के प्रारम्भ पर या उसके दौरान अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए अपने पोत से छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहा है,

तो वह अपना प्राधिकार देने से इंकार नहीं करेगा।

(3) उपरोक्त अधिकारी ऐसे सभी नाविकों या शिक्षुओं का अभिलेख रखेगा जो उसके प्राधिकार से सेवोन्मुक्त किए जाते हैं या पीछे छोड़े जाते हैं, और यदि नाविक या शिक्षु के विरुद्ध धारा 191 के अधीन कोई आरोप लगाया जाता है तो यह तथ्य कि कोई ऐसा प्राधिकार अभिलिखित नहीं किया गया है इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा कि प्राधिकार नहीं दिया गया था।

122. पीछे छोड़े गए नाविक या शिक्षु को मजदूरी और अन्य सम्पत्ति—(1) यदि कोई नाविक या शिक्षु पीछे छोड़ दिया जाता है तो मास्टर नाविक या शिक्षु को उस समय, जब उसे पीछे छोड़ा गया हो, मजदूरी की बाबत देय रकम और उसके द्वारा फलक पर छोड़ी गई सभी सम्पत्ति का विवरण आफिशियल लाग बुक में प्रविष्ट करेगा, तथा ऐसी सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेगा।

(2) भारत में जिस पत्तन पर समुद्र यात्रा समाप्त होती है उस पर आगमन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर मास्टर को—

(क) नाविक या शिक्षु को मजदूरी की बाबत देय रकम और उसके द्वारा फलक पर छोड़ी गई सभी सम्पत्ति का विवरण ;

(ख) जहां अनुपस्थित नाविक या शिक्षु द्वारा धारा 191 का उल्लंघन करने के कारण हैं वहां नाविक या शिक्षु की अनुपस्थिति से पोत के मास्टर या स्वामी को होने वाले किसी व्यय की पूर्ण विशिष्टियों सहित विवरण,

पोत परिवहन मास्टर को परिदत्त करेगा और, यदि पोत परिवहन मास्टर द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो, ऐसे वाऊचर पेश करेगा जैसे विवरणों का सत्यापन करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित हो।

(3) मास्टर पोत परिवहन मास्टर की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणों को परिदत्त करते समय नाविक या शिक्षु को मजदूरी की बाबत देय रकम और उसके द्वारा फलक पर छोड़ी गई सम्पत्ति परिदत्त करेगा तथा पोत परिवहन मास्टर उसके लिए विहित प्ररूप में रसीद मास्टर को देगा।

(4) मास्टर उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विवरणों में दर्शाए गए ऐसे व्यय जैसे पोत परिवहन मास्टर को उचित रूप में प्रभार्य प्रतीत हों, उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट मजदूरी या सम्पत्ति में से प्रतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा।

123. विदेशी पत्तन पर सेवा की समाप्ति पर नाविक की स्वदेश वापसी—(1) जब किसी नाविक या शिक्षु की सेवा भारत के बाहर किसी पत्तन पर उसकी सम्मति के बिना और उस अवधि के अवसान के पूर्व, जिसके लिए नाविक को नियुक्त किया गया था या शिक्षु आबद्ध था, पर्यवसित हो जाती है तो पोत का मास्टर या स्वामी किन्हीं अन्य संबंधित बाध्यताओं के अतिरिक्त, जो उनमें से किसी पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की गई हैं नाविक या शिक्षु को रैंक या रेटिंग के अनुसार, उसके भरण-पोषण के लिए, और उस नाविक या शिक्षु को समुचित वापसी पत्तन तक वापस पहुंचाने के लिए, यथोचित व्यवस्था करेगा।

(2) यदि मास्टर या स्वामी बिना पर्याप्त हेतुक के उपधारा (1) का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो भरण-पोषण और उचित वापसी पत्तन को यात्रा करने के व्यय यदि वे नाविक या शिक्षु द्वारा चुकाए गए हैं तो, उसे देय मजदूरी के रूप में वसूल किए जा सकेंगे और यदि वे भारतीय कौसलीय अधिकारी द्वारा चुकाए गए हैं तो धारा 161 की उपधारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन सम्मिलित व्यय के रूप में माने जाएंगे।

स्पष्टीकरण—उक्त व्ययों की व्यवस्था करने में असमर्थता इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उचित हेतुक नहीं मानी जाएगी।

124. स्वामित्व के परिवर्तन पर नाविक की सेवोन्मुक्ति—(1) यदि कोई भारतीय पोत, तब जब वह भारत के बाहर किसी पत्तन पर है या उसकी ओर समुद्र यात्रा कर रहा है अंतरित या व्ययनित कर दिया जाता है तो उस पोत का प्रत्येक नाविक या शिक्षु उस

पत्तन पर सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा यदि वह भारतीय कौंसिलीय अधिकारी की उपस्थिति में पोत में समुद्र यात्रा पूरी करने के लिए, यदि ऐसी यात्रा जारी रखी जाए तो, लिखित सम्मति नहीं दे देता।

(2) यदि कोई नाविक या शिक्षु उपधारा (1) के अनुसार किसी भारतीय पोत से सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है तो धारा 123 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो नाविक या शिक्षु की सेवा उसकी सम्मति के बिना तथा उस अवधि के अवसान के पूर्व, जिसके लिए नाविक को नियुक्त किया गया था या शिक्षु आबद्ध था, पर्यवसित कर दी गई है।

(3) यदि वह समुद्र यात्रा, जिसके लिए नाविक या शिक्षु को नियुक्त किया गया है, जारी न रखी जाए तो प्रत्येक नाविक या शिक्षु, जिसे उपधारा (1) के अनुसार सेवोन्मुक्त किया गया है, उस मजदूरी का हकदार होगा जिसका वह हकदार होता यदि उसकी सेवा उस अवधि के अवसान के पूर्व, जिसके लिए नाविक नियुक्त किया गया था या शिक्षु आबद्ध था, स्वामी द्वारा, सदोष पर्यवसित कर दी गई होती।

मजदूरी का संदाय

125. मास्टर द्वारा मजदूरी का हिसाब देना—(1) इस धारा के अधीन किसी नाविक का हिसाब चुकाने या उसे सेवोन्मुक्त करने से पूर्व प्रत्येक पोत का मास्टर इस अधिनियम द्वारा उपबंधित समय पर और रीति में नाविकों को मजदूरी का, और किसी भी मद पर उनमें से की गई सभी कटौतियों का पूरा और सही हिसाब विहित प्ररूप में देगा।

(2) उक्त हिसाब या तो स्वयं नाविक को या उसके पोत छोड़ने के समय या उससे पूर्व, अथवा सेवोन्मुक्त या हिसाब चुकाने के चौबीस घंटे से अन्यून पूर्व पोत मास्टर को दिया जाएगा।

126. नाविकों को रैंक में अवनत करना—(1) जहां मास्टर किसी नाविक को रैंक में अवनत करता है वहां वह रैंक में अवनति करने का विवरण तुरन्त आफिशियल लाग बुक में प्रविष्ट करेगा या कराएगा, तथा नाविक को प्रविष्टि की एक प्रति देगा; और रैंक में अवनति के परिणामस्वरूप मजदूरी में कोई कमी तब तक नहीं की जाएगी जब तक इस प्रकार प्रविष्टि न कर दी जाए और उसकी प्रति इस प्रकार न दे दी जाए।

(2) नाविक को रैंक में अवनत करने के परिणामस्वरूप मजदूरी में कोई कमी धारा 125 और धारा 127 के अर्थ में मजदूरी में से कटौती मानी जाएगी।

127. नाविकों की मजदूरी में से कटौतियां—(1) नाविक की मजदूरी में से कोई कटौती करने की तब तक अनुज्ञा नहीं की जाएगी जब तक उसे ऐसे परिदान के पश्चात् होने वाले किसी विषय की बाबत के सिवाय, इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए हिसाब में सम्मिलित न कर दिया जाए।

(2) मास्टर उन विभिन्न विषयों को, जिनकी बाबत कटौतियों की जाएं, और संबंधित कटौतियों की रकम, जैसे ही कटौती की जाए उस प्रयोजन के लिए रखी गई बही में प्रविष्ट करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो उस बही को मजदूरी के संदाय के समय, और संदाय की बाबत किसी शिकायत या प्रश्न पर किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय भी, पेश करेगा।

128. मजदूरी का पोत परिवहन मास्टर के समक्ष संदाय—(1) जहां कोई नाविक पोत परिवहन मास्टर के समक्ष भारत में सेवोन्मुक्त किया जाता है वहां वह अपनी मजदूरी वहां के सिवाय जहां सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया जाए, पोत परिवहन मास्टर के माध्यम से या उसकी उपस्थिति में प्राप्त करेगा।

(2) यदि दो सौ टन सकल भार से कम के देशी व्यापार पोत का मास्टर या स्वामी ऐसी वांछा करे तो उस पोत का नाविक अपनी मजदूरी उस रीति में प्राप्त कर सकेगा जिस रीति में विदेशगामी पोत से या दो सौ टन सकल भार या उससे अधिक के देशी व्यापार पोत से सेवोन्मुक्त नाविक प्राप्त करता है।

129. मजदूरी के संदाय का समय—(1) प्रत्येक पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता प्रत्येक नाविक को उसकी मजदूरी उसकी सेवोन्मुक्ति के पश्चात् चार दिन के भीतर देगा और नाविक अपनी सेवोन्मुक्ति के समय उसे शोध्य अतिशेष के चतुर्थांश भाग के बराबर राशि उस मद्दे संदत्त किए जाने का हकदार होगा।

(2) यदि कोई मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता बिना किसी पर्याप्त हेतुक के उस समय संदाय करने में असफल रहता है तो वह नाविक को, उसकी सेवोन्मुक्ति की तारीख से आरम्भ होने वाले प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब संदाय में विलम्ब हो जाए, दो दिन के वेतन से अनधिक उतनी रकम देगा जितनी पोत परिवहन मास्टर प्रत्येक मामले में विनिश्चित करे किन्तु इस प्रकार संदेय राशि दस दिन के वेतन के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन संदेय कोई राशि मजदूरी के रूप में वसूल की जा सकेगी।

130. मजदूरी का परिनिर्धारण—(1) जब नाविक को सेवोन्मुक्त किया जाए और पोत परिवहन मास्टर के समक्ष उसकी मजदूरी का परिनिर्धारण पूरा किया जाए जब नाविक पोत परिवहन मास्टर की उपस्थिति में विहित प्ररूप में, पूर्व समुद्री यात्रा या नियुक्ति की बाबत सब दावों के नियुक्ति पत्र पर, हस्ताक्षर करेगा और पोत परिवहन मास्टर उसे सत्यापित करेगा।

(2) इस प्रकार हस्ताक्षरित और सत्यापित नियुक्ति पत्र पोत परिवहन मास्टर द्वारा रख लिया जाएगा और पक्षकारों के बीच, पूर्व समुद्री यात्रा या नियुक्ति की बाबत सब मांगों के पारस्परिक उन्मोचन और परिनिर्धारण के रूप में प्रवृत्त होगा किन्तु नियोजन से और उसके दौरान होने वाली किसी घटना से कारित वैयक्तिक क्षति के लिए प्रतिकर के किसी दावे को विवर्जित नहीं करेगा।

(3) निर्मुक्ति पत्र की एक प्रति, जो पोत परिवहन मास्टर के स्वहस्ताक्षर से सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित की गई हो, उसके द्वारा उसके ऐसे किसी पक्षकार को दी जाएगी जो उसकी अपेक्षा करे, तथा ऐसी प्रति ऐसे दावों से संबंधित किसी प्रश्न पर साक्ष्य में ग्राह्य होगी और उसका वही पूरा प्रभाव होगा जो उस मूल प्रति का है जिसकी प्रति के रूप में वह तात्पर्यित है।

(4) नाविक की मजदूरी का इस अधिनियम के अनुसार से भिन्न किसी रूप में संदाय, प्राप्ति या परिनिर्धारण ऐसी मजदूरी की बाबत किसी दावे से उन्मोचन के रूप में या उसकी तुष्टि के साक्ष्य के रूप में प्रवृत्त नहीं हो गया ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(5) मास्टर द्वारा पोत परिवहन मास्टर के समक्ष कोई संदाय किए जाने पर, पोत परिवहन मास्टर, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए, तो इस प्रकार संदत्त पूर्ण रकम के विवरण को हस्ताक्षरित करेगा और मास्टर को देगा, तथा, वह विवरण मास्टर और उसके नियोजक के बीच इस बात के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा कि मास्टर ने उसमें उल्लिखित संदाय कर दिए हैं।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, नाविकपोत के मास्टर या स्वामी के विरुद्ध किसी विनिर्दिष्ट दावे या मांग को स्वहस्ताक्षरित निर्मुक्ति पत्र में से छोड़ सकता है तथा छोड़े गए किसी दावे या मांग निर्मुक्ति टिप्पण निर्मुक्ति पत्र पर दर्ज किया जाएगा, तथा ऐसी निर्मुक्ति इस प्रकार दर्ज किए गए किसी दावे या मांग के उन्मोचन और परिनिर्धारण के रूप में प्रवृत्त नहीं होगा और न उपधारा (4) किसी ऐसे दावे या मांग की बाबत किए गए किसी संदाय, प्राप्ति या परिनिर्धारण को ही लागू होगी।

¹[130क. कुछ असंवितरित रकमों का नाविकों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना—धारा 160 के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, पोत परिवहन मास्टर के पास निक्षिप्त या नाविक द्वारा किए गए आर्बंटन टिप्पण के अनुसार संदाय करने के लिए या नाविक या उसके नामनिर्देशिनी को संदाय किए जाने के लिए, पोत परिवहन मास्टर द्वारा वसूल की गई कोई रकम, यदि ऐसी रकम पोत परिवहन मास्टर के पास कम से कम छह वर्ष तक अदावाकृत रह जाती है, नाविकों के कल्याण के लिए ऐसी रीति से उपयोग में लाई जा सकेगी जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।]

131. नाविक को मजदूरी भेजने की सुविधा की मास्टर द्वारा व्यवस्था—जहां नाविक पोत के मास्टर से ऐसी वांछा प्रकट करे कि उसे शोध्य मजदूरी के अतिशेष के किसी भाग को किसी बचत बैंक या निकट संबंधी को भेजने की सुविधा उसे प्रदान की जाए तो मास्टर अतिशेष का उतना भाग जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, इस प्रकार भेजने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा, किन्तु यदि राशि पोत के पत्तन छोड़ने के पूर्व देय हो जाए और पोत पत्तन में हो तब, अथवा इस शर्त पर के सिवाय कि नाविक को पोत में समुद्र यात्रा पर जाना होगा, मास्टर ऐसी सुविधा देने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा।

132. पोत परिवहन मास्टरों द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय—(1) जहां कर्मिदल के साथ किए गए करार के अधीन कोई विवाद भारत में किसी पत्तन पर पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता और पोत के कर्मिदल में से किसी व्यक्ति के बीच उत्पन्न हो जाता है वहां उसे निम्नलिखित स्थितियों में पोत परिवहन मास्टर को भेजा जाएगा :—

²(क) जहां विवाद की रकम, पांच लाख रुपए तक या दस लाख रुपए से अनधिक की ऐसी उच्चतर रकम तक है जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विवाद के पक्षकारों में से किसी के अनुरोध पर ;]

(ख) किसी अन्य मामले में, तब जब विवाद के दोनों पक्षकार विवाद को पोत परिवहन मास्टर को सुपुर्द करने के लिए लिखित करार करें।

³[(1क) भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान पर भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के साथ विवाद का कोई परिवाद जो किसी भारतीय नाविक से पोत परिवहन मास्टर को प्राप्त हुआ हो।]

(2) पोत परिवहन मास्टर इस प्रकार भेजे गए विवाद की सुनवाई और विनिश्चय करेगा तथा भेजे जाने के पश्चात् उसके द्वारा दिया गया कोई अधिनिर्णय पक्षकारों के अधिकारों के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे भेजे जाने या विनिश्चय के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज उसका प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा।

(3) इस धारा के अधीन पोत परिवहन मास्टर द्वारा किया गया ⁴[अधिनिर्णय, यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] द्वारा उसी रीति से प्रवृत्त किया जाएगा जैसे ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन मजदूरी के संदाय के लिए दिया गया कोई आदेश।

(4) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की कोई बात ऐसे किसी विषय को लागू नहीं होगी जो पोत परिवहन मास्टर को इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए भेजा गया हो।

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 8 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

² 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1998 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा (26-9-1997 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 द्वारा और अनुसूची द्वारा "अधिनिर्णय मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

133. पोत के कागजपत्रों को पेश करने की अपेक्षा करने की पोत मास्टर की शक्ति—(1) पोत परिवहन मास्टर नाविक की मजदूरी, दावा या सेवोन्मुक्ति से संबंधित ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष हों, स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से या किसी मेट या कर्मिदल के अन्य सदस्य से, कार्यवाही में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित कोई लॉगबुक, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा उस स्थान पर या उसके निकट मौजूद व्यक्तियों में से किसी से हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा और उस विषय पर उसकी परीक्षा कर सकेगा।

134. नाविक को विदेशी करेंसी में संदाय करने के बारे में नियम—जहां नाविक या शिखु ने अपनी मजदूरी का भारतीय या अन्य करेंसी में संदाय करने के लिए पोत परिवहन मास्टर के साथ करार किया है वहां करार में अधिकथित से भिन्न किसी करेंसी में उसकी मजदूरी का या उस मद्दे कोई संदाय, करार में किसी बात के होते हुए भी, उस स्थान पर, जहां संदाय किया जाता है, तत्समय चालू विनियम दर से किया जाएगा।

अग्रिम मजदूरी और मज़दूरी का आबंटन

135. अग्रिम मजदूरी—(1) कर्मिदल के साथ किए गए किसी करार में ऐसा अनुबंध सम्मिलित किया जा सकेगा कि नाविक को करार के अधीन देय एक मास की मज़दूरी की रकम से अनधिक कोई राशि, इस शर्त पर संदत्त की जा सकती है कि वह करार के अनुसरण में समुद्र यात्रा पर जाएगा।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, नाविक के नियोजन द्वारा नाविक को या उसकी ओर से, धन का कोई संदाय करने के लिए इस शर्त पर किया गया कोई करार शून्य होगा कि वह नाविक भारत में किसी पोत से समुद्र यात्रा पर जाए तथा किसी ऐसे करार को पूरा करने के लिए या उसकी बाबत संदत्त किसी धन की कटौती नाविक की मज़दूरी में से नहीं की जाएगी, तथा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार संदत्त या संदत्त किए गए तात्पर्यित किसी धन की बाबत नाविक या उसके समनुदेशिती के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने, वाद लाने या ऐसे धन का मुजरा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) कोई नाविक, जिसे विधिपूर्ण रूप से नियुक्त किया गया है और जिसने अपने करार के अधीन कोई अग्रिम संदाय प्राप्त किया है, संदाय के उसे वास्तव में देय हो जाने के पूर्व, जानबूझकर या अवचार से, अपने पोत पर उपस्थित होने में चूक नहीं करेगा या उस पोत का अभित्यजन नहीं करेगा।

(4) जहां पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जाए कि विधिपूर्ण रूप से नियुक्त किसी नाविक ने जानबूझकर या अवचार से, अपने पोत पर उपस्थित होने में चूक की है वहां पोत परिवहन मास्टर मामले को महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा, जो यह निदेश दे सकेगा कि धारा 119 और 120 में निर्दिष्ट नाविक के सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह ठीक समझे, विधारित कर लिए जाएं, और नाविक के सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र के इस प्रकार विधारित रहने के दौरान महानिदेशक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में आवश्यक दस्तावेज हो, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतियां या उनमें से प्रभावित उद्धरण देने से इंकार कर सकेगा।

136. नाविक की मज़दूरी की बाबत आबंटन टिप्पण—(1) नाविक यह अपेक्षा कर सकेगा कि आबंटन करने के करार में एक टिप्पण द्वारा यह अनुबंध जोड़ा जाए कि उसे देय मासिक मज़दूरी की रकम के (तीन चौथाई से अनधिक) किसी भाग को उसके कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य या किसी ऐसे संबंधी के पक्ष में या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए आबंटित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त अनुमोदित किया जाए और टिप्पण में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्रत्येक पोत परिवहन मास्टर या अन्य अधिकारी, जिसके समक्ष नाविक नियुक्त किया जाता है, नाविक द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात्, नाविक से यह पूछेगा कि आबंटन टिप्पण के जरिए अपनी मज़दूरी के आबंटन के लिए किसी ऐसे अनुबंध की अपेक्षा करता है।

(3) जब कभी नाविक ऐसे अनुबंध की अपेक्षा करता है तो कर्मिदल के साथ किए गए करार में ऐसा अनुबंध जोड़ दिया जाएगा और यह माना जाएगा कि ऐसा अनुबंध मास्टर द्वारा करार पाया गया है।

(4) आबंटन टिप्पण विहित प्ररूप में होगा और उस पर पोत का स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता तथा नाविक हस्ताक्षर करेंगे।

137. आबंटित राशियों के संदाय का प्रारम्भ और संदाय—(1) आबंटन टिप्पण के अधीन ¹[संदाय उस तारीख से एक मास की समाप्ति पर, आरम्भ होगा, जिसकी मज़दूरी के लिए नाविक का अधिकार प्रारम्भ होता है] और प्रथम मास के पश्चात् प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की समाप्ति पर किया जाएगा, तथा केवल उस मज़दूरी की बाबत किया जाएगा जो संदाय की तारीख से पहले अर्जित की गई है।

(2) जिस स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ने आबंटन टिप्पण का लिखा जाना प्राधिकृत किया है वह मांग किए जाने पर टिप्पण के अधीन देय राशियां पोत परिवहन मास्टर को देगा तथा, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो पोत परिवहन मास्टर उसके लिए वाद ला सकेगा और उस खर्चे सहित वसूल कर सकेगा :

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 10 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु वाद का विचारण करने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप से यदि यह दर्शाया जाए कि नाविक की वह मज़दूरी जिसमें से आबंटन का संदाय किया जाना था, समपहत की गई है या वह उसका हकदार नहीं रहा है तो ऐसी राशि वसूल करने योग्य नहीं होगी किन्तु जब तक नाविक की अनुपस्थिति से कर्मीदल में कारित परिवर्तन के शासकीय विवरण से, जो इस अधिनियम के अधीन तैयार किया गया और मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित है, अथवा आफिशियल लाग बुक में इस समय की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति से, कि नाविक की मृत्यु हो गई या उसने पोत छोड़ दिया है, पोत मास्टर के इसी आशय के किसी विश्वसनीय पत्र से अथवा किसी भी प्रकार के ऐसे अन्य साक्ष्य से, जैसा न्यायालय पर्याप्त समझे, न्यायालय के समाधानप्रद रूप से उसके प्रतिकूल नहीं दर्शाया जाए, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि नाविक अपनी मज़दूरी सम्यक् रूप से अर्जित कर रहा है।

(3) पोत परिवहन मास्टर उपरोक्त कोई राशि प्राप्त करने पर उसे आबंटन टिप्पण में इस निमित्त नामित व्यक्ति को संदत्त करेगा।

(4) ऐसी सभी प्रतियां और संदाय इस प्रयोजन के लिए रखी गई बही में प्रविष्टि की जाएंगी, तथा उक्त बही में की सभी प्रविष्टियां पोत परिवहन मास्टर के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

(5) उक्त बही सभी उचित समयों पर संबंधित पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

मज़दूरी की बाबत नाविकों के अधिकार

138. मज़दूरी और रसद का अधिकार—नाविक की मज़दूरी और रसद का अधिकार या तो उस समय से जब वह कार्य आरम्भ करे अथवा उस समय से जो काम के आरम्भ के लिए या फलक पर उपस्थित होने के लिए करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, दोनों में से जो भी बात पहले हो, आरम्भ माना जाएगा।

[138क. नाविकों के काम के घंटे—सभी नाविकों के लिए सामान्य काम के घंटे एक सप्ताह में अड़तालीस घंटों में से अधिक नहीं होंगे।]

139. मज़दूरी और उद्धारण की वसूली के अधिकार का समपहत न होना—(1) किसी करार के आधार पर नाविक का पोत पर धारणाधिकार समपहत नहीं होगा और न वह अपनी उस मज़दूरी की वसूली के लिए, जिसका वह, करार के अभाव में, हकदार होता, किसी उपचार से बंचित किया जाएगा तथा किसी भी करार के आधार पर वह, पोत के खो जाने की दशा में, मज़दूरी के अपने अधिकार का परित्याग नहीं करेगा या ऐसे किसी अधिकार का परित्याग नहीं करेगा जो उद्धारण के रूप में उसे है या अभिप्राप्त है तथा किसी करार में इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों से असंगत कोई अनुबंध शून्य होगा।

(2) इस धारा की कोई बात नाविक द्वारा किए गए किसी ऐसे अनुबंध को लागू नहीं होगी जो किसी ऐसे पोत के नाविक द्वारा, जिसे करार के निबंधनों के अनुसार उद्धारण सेवा के लिए नियोजित किया जाना हो, किसी अन्य पोत पर की गई उद्धारण सेवा के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक की बाबत किया गया है।

140. मज़दूरी का भाड़ा पर निर्भर न होना—(1) मज़दूरी का अधिकार भाड़ा अर्जित करने पर निर्भर नहीं होगा, और ऐसा प्रत्येक नाविक और शिक्षु जो किसी मज़दूरी की मांग करने और उसे वसूल करने का तब हकदार हो जब वह पोत, जिसमें वह सेवा कर रहा है, भाड़ा अर्जित करे तो वह, विधि के अन्य सभी नियमों, और मामले को लागू शर्तों के अधीन रहते हुए, इस बात के होते हुए भी मज़दूरी की मांग करने और वसूल करने का हकदार होगा कि कोई भाड़ा अर्जित नहीं किया गया है, किन्तु पोत के ध्वस्त हो जाने या खो जाने के सब मामलों में इस बात का सबूत कि उसने पोत, स्थोरा और भंडार को बचाने के लिए भरसक परिश्रम नहीं किया था, उसे उसकी मज़दूरी के दावे से वर्जित कर देगा।

(2) जहां किसी ऐसे नाविक या शिक्षु की मृत्यु मज़दूरी के संदाय के पूर्व हो जाती है जो, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती तो, इस धारा के आधार पर मज़दूरी की मांग करने और वसूल करने का हकदार होता तो मज़दूरी का संदाय ऐसी रीति में किया जाएगा या वह ऐसी रीति में उपयोजित की जाएगी जैसी इस अधिनियम द्वारा समुद्र यात्रा के दौरान मरने वाले नाविक की मज़दूरी की बाबत उपबंधित की गई है।

141. पोत के ध्वस्त हो जाने, बीमारी, आदि के कारण सेवा का पर्यवसान होने पर मज़दूरी—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी नाविक की सेवा पोत के ध्वस्त हो जाने, खो जाने या परित्याग कर दिए जाने के कारण या समुद्री यात्रा पर अग्रसर होने में नाविक की असमर्थता या अयोग्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए प्रमाणपत्र के अधीन, ऐसे नाविक को भारत के बाहर किसी स्थान पर तट पर छोड़ दिए जाने के कारण, करार में नियत की गई तारीख के पूर्व पर्यवसित हो जाती है तो नाविक—

(क) पोत के ध्वस्त हो जाने, खो जाने या छोड़ दिए जाने की दशा में—

(i) उस तारीख से जिसको उसकी सेवा ऐसे पर्यवसित की जाती है उस तारीख तक अवधि के लिए जब तक उसे समुचित वापसी पत्तन को वापस नहीं कर दिया जाता है और वह वहां वापस नहीं पहुंचा है, उस दर से मज़दूरी प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दर से वह अपनी सेवा के पर्यवसान की तारीख को हकदार था :

¹ 1998 के अधिनियम सं० 9 की धारा 4 द्वारा (26-9-1997 से) अंतःस्थापित।

परन्तु वह अवधि जिसके लिए वह मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा, एक मास से कम नहीं होगी, और

(ii) अपनी चीजबस्त की हानि के लिए—

(क) देशी व्यापार पोत पर नियोजित नाविक की दशा में, एक मास की मजदूरी से अन्यून ; और

(ख) विदेशगामी पोत पर नियोजित नाविक की दशा में, तीन मास की मजदूरी से अन्यून,

प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने में असमर्थता या अयोग्यता की दशा में, उस तारीख से, जिसको उसकी सेवा पर्यवसित कर दी जाती है, उस तारीख तक जब तक उसे समुचित वापसी पत्तन पर वापस नहीं कर दिया जाता है और वह वहां पहुंच नहीं जाता है, मजदूरी का हकदार होगा ।

(2) नाविक निम्नलिखित किसी अवधि की बाबत कोई मजदूरी उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) वह अवधि जिसके दौरान वह उपयुक्त रूप से नियोजित था या नियोजित किया जा सकता था ;

(ख) वह अवधि जिसके दौरान वह कष्टग्रस्त या निराश्रित नाविक के रूप में उपचार के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन करने से अपनी उपेक्षा के कारण असफल रहा है ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन प्रतिकर के रूप में देय कोई रकम नाविक को संदाय करने के लिए या मृत नाविक की दशा में, ¹[धारा 159क के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या यदि उसने कोई ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया है या उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन शून्य है या शून्य हो गया है तो उसके विधिक वारिसों को] संदाय के लिए, भारत में नाविक की नियुक्ति के पत्तन पर पोत परिवहन मास्टर के पास जमा कर दी जाएगी ।

142. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति, काम से इंकार या कारावास के दौरान मजदूरी का प्रोद्भूत न होना—(1) नाविक या शिक्षु,—

(क) उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है, अथवा

(ख) उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह अपेक्षा किए जाने पर काम करने से विधिविरुद्ध रूप से इंकार करता है, या उपेक्षा करता है, अथवा

(ग) जब तक मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे विधिपूर्वक कारावास में रखा गया है,

मजदूरी का हकदार नहीं होगा ।

(2) नाविक या शिक्षु किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान उसने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो मजदूरी का दावा करने का हकदार होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि वह बीमारी, उपहति या क्षति के कारण ऐसा करने में असमर्थ था । किन्तु वह तभी होगा जब यह साबित न हो कि—

(क) उसकी बीमारी, उपहति या क्षति उसके अपने जानबूझकर किए गए कार्य या त्रुटि या उसके अपने कदाचार के कारण हुई थी ; अथवा

(ख) उसकी बीमारी समुचित बीमारी वापसी पत्तन पर लगी थी या उसकी उपहति या क्षति समुचित वापसी पत्तन पर हुई थी और वह नियोजन के कारण हुई नहीं मानी जा सकती थी ; अथवा

(ग) उसने अपनी बीमारी, उपहति या क्षति के लिए ऐसा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सा उपचार करने से अनुचित रूप से इंकार कर दिया था जिसमें उसके जीवन के लिए कोई समझ में आने योग्य जोखिम नहीं थी ।

143. नाविक को समय पूर्व सेवोन्मुक्ति के लिए प्रतिकर—(1) यदि ऐसा कोई नाविक, जिसने करार पर हस्ताक्षर किया है, करार के निबंधनों के अनुसार से भिन्न उसकी ओर से ऐसी किसी त्रुटि के बिना जो उसकी सेवोन्मुक्ति को न्यायोचित ठहराए, तथा उसकी सहमति के बिना, सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है तो वह मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता से, उस मजदूरी के अतिरिक्त जो उसने अर्जित की हो, सेवोन्मुक्ति के कारण उसे कारित नुकसान के लिए शोधय प्रतिकर के रूप में उतनी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी पोत परिवहन मास्टर सेवोन्मुक्ति की बाबत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत करे :

परन्तु इस प्रकार देय प्रतिकर—

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 11 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) उस नाविक की दशा में, जिसे समुद्र यात्रा आरम्भ होने के पूर्व सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो, एक मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा ; और

(ख) उस नाविक की दशा में, जिसे समुद्र यात्रा आरम्भ हो जाने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो तीन मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन देय प्रतिकर मजदूरी के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

144. मजदूरी का विक्रय करने और उसे भारित करने पर निर्बन्धन—(1) जहां तक नाविक या शिक्षु को शोध्य या प्रोद्भूत होने वाली मजदूरी का प्रश्न है—

(क) वह किसी न्यायालय के आदेश से कुर्क नहीं की जाएगी ;

(ख) उसके उद्भूत होने के पूर्व किया गया उसका कोई समनुदेशन, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर आबद्धकर नहीं होगा;

(ग) ऐसी मजदूरी प्राप्त करने के लिए कोई मुख्तारनामा या प्राधिकार अप्रतिसंहरणीय नहीं होगा ;

(घ) ऐसी मजदूरी किसी पूर्ववर्ती समनुदेशन या कुर्की या विल्लंगम के होते हुए, भी नाविक या शिक्षु को मजदूरी का संदाय होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के उपबन्ध नाविक की मजदूरी के उतने भाग को लागू नहीं होंगे जितना केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी निधि या स्कीम को अभिदाय के रूप में समनुदेशित किया गया हो या जाए, जिसका मुख्य प्रयोजन नाविक के स्वास्थ्य या समाज बीमा फायदों के लिए उपबन्ध करना है तथा उपधारा (1) के खंड (क) और (घ) के उपबन्ध ऐसे समनुदेशन को प्रभावी करने के लिए की गई या की जाने वाली किसी बात को लागू नहीं होंगे ।

(3) इस धारा की कोई बात आबंटन टिप्पणों की बाबत इस अधिनियम के उपबन्धों पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

मजदूरी वसूल करने की पद्धति

145. मजदूरी के लिए संक्षिप्त कार्यवाही—(1) नाविक या शिक्षु, या उसकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे ही उसे शोध्य कोई मजदूरी देय हो जाए, ¹[यथास्थिति, किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी महानगर मजिस्ट्रेट] को आवेदन करेगा जो उस स्थान में या उसके निकट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, जहां नाविक या शिक्षु की सेवा पर्यवसित हुई है अथवा जहां उसे सेवोन्मुक्त किया गया है या जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिस पर दावा किया गया है, निवास करता है, ²[तथा ऐसा मजिस्ट्रेट] मामले का विचारण संक्षिप्त रूप से करेगा ³[और ऐसे मजिस्ट्रेट] द्वारा किया गया आदेश मामले में अंतिम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा ।

146. मजदूरी के लिए वादों पर निर्बन्धन—नाविक या शिक्षु को शोध्य मजदूरी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में किसी नाविक या शिक्षु द्वारा या उसकी ओर से वहां के सिवाय संस्थित नहीं की जाएगी जहां—

(क) पोत का स्वामी दिवालिया घोषित कर दिया जाए ;

(ख) पोत किसी न्यायालय के प्राधिकार से बंदी बना लिया जाए या विक्रय कर दिया जाए ;

(ग) ³[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] दावा न्यायालय को निर्दिष्ट कर दे ।

147. मजदूरी का कतिपय दशाओं में भारत के बाहर वसूली करने योग्य न होना—जहां किसी नाविक को ऐसी समुद्री यात्रा के लिए नियुक्त किया जाता है जिसका पर्यवसान भारत में होना है तो वह तब तक अपनी मजदूरी के लिए भारत के बाहर किसी न्यायालय में वाद नहीं ला सकेगा जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित मंजूरी से, तथा मास्टर की लिखित सहमति से, सेवोन्मुक्त नहीं कर दिया जाता है या वह मास्टर की ओर से, या उसके प्राधिकार से, ऐसा दुर्व्यवहार साबित नहीं कर देता है जिससे उसके फलक पर बने रहने की दशा में उसके जीवन को खतरे की उचित आशंका हो ।

148. मजदूरी, संवितरण आदि के लिए मास्टर के उपचार—(1) अपनी मजदूरी की वसूली के लिए पोत के मास्टर को, जहां तक मामले में संभव हो, वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो नाविक को इस अधिनियम या किसी विधि या रूढ़ि के अधीन प्राप्त हैं ।

(2) पोत के मास्टर को और पोत मास्टर के रोगग्रस्त हो जाने या बीमारी के कारण असमर्थ हो जाने के कारण पोत के मास्टर के रूप में विधिपूर्वक कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जहां तक मामले में संभव हो, पोत की बाबत उसके द्वारा उचित रूप से किए

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "किसी मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "तथा मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

गए संवितरणों या उपगत दायित्वों की वसूली के लिए वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो मास्टर को अपनी मजदूरी की वसूली के लिए प्राप्त हैं।

(3) यदि मास्टर की ऐसी मजदूरी, संवितरण या दायित्व की बाबत दावे के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में कोई मुजरा दावा किया जाता है या कोई प्रतिदावा किया जाता है तो न्यायालय कार्यवाही के पक्षकारों के बीच तब उठने वाले या विद्यमान और अनिर्णीत सब प्रश्नों पर विचार करेगी तथा उनका अधिनिर्णय करेगी और सब हिसाबों को तय करेगी और यदि कोई अतिशेष शोध्य पाया जाता है तो उसके संदाय का निर्देश देगी।

संविदाओं को विखंडित करने की न्यायालय की शक्ति

149. मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता तथा नाविक या शिक्षु के बीच संविदा को विखंडित करने की न्यायालय की शक्ति—जहां पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता तथा नाविक या शिक्षु के बीच उनके उस रूप में संबंधों से या उसके आनुषंगिक किसी विवाद की बाबत कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित की जाती है, अथवा इस धारा के प्रयोजन के लिए संस्थित की जाती है, वहां न्यायालय, यदि वह मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना न्यायोचित समझता है तो, मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता तथा नाविक या शिक्षु के बीच किसी संविदा को ऐसे निबंधनों पर विखंडित कर सकेगी जैसे वह न्यायोचित समझे और यह शक्ति ऐसी किसी अन्य अधिकारिता के अतिरिक्त होगी जिसका प्रयोग न्यायालय इस धारा से स्वतंत्र रूप में कर सकेगा।

नाविकों और नियोजकों के बीच विवाद

150. नाविकों और उनके नियोजकों के बीच विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति—(1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे पोतों के, जिनमें नाविक नियोजित हैं या नियोजित किए जाने की संभावना है, नाविकों या नाविकों के किसी वर्ग या नाविकों की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है तथा ऐसा विवाद नाविकों के नियोजन से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी विषय की बाबत है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों का एक अधिकरण गठित कर सकेगी और विवाद को अधिनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) इस प्रकार गठित अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने में, सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित हैं:—

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
- (ख) दस्तावेज पेश कराना ;
- (ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;
- (घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए,

और अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(3) विवाद का कोई पक्षकार, कार्यवाही के अन्य पक्षकार या पक्षकारों की सहमति और अधिकरण की इजाजत के सिवाय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में इस बात का हकदार नहीं होगा कि कोई विधि व्यवसायी उसका प्रतिनिधित्व करे।

(4) अधिकरण निर्देश का निपटारा शीघ्रता से करेगा और कार्यवाही समाप्त होने पर यथासंभव शीघ्र अपना अधिनिर्णय केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार अधिनिर्णय प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित कराएगी तथा अधिनिर्णय ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार की यह राह है कि अधिनिर्णय को या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना लोक आधार पर समीचीन नहीं होगा वहां वह उस उक्त तीस दिन की अवधि के पर्यवसान के पूर्व, राजपत्र में आदेश द्वारा अधिनिर्णय को या तो नामंजूर कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, तथा जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करती है वहां अधिनिर्णय, यथास्थिति, प्रवर्तनीय नहीं होगा या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रवर्तनीय होगा।

(6) जो अधिनिर्णय इस धारा के अधीन प्रवर्तनीय हो गया है वह—

- (क) विवाद के सभी पक्षकारों पर ;
- (ख) जहां विवाद का कोई पक्षकार पोत का स्वामी है वहां उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर, आवद्धकर होगा।

(7) अधिनिर्णय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनिर्णय उसके प्रवर्तनीय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और तत्पश्चात् उस तारीख से जिस तारीख को अधिनिर्णय से आवद्ध किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय को पर्यवसित करने के अपने आशय की सूचना दी जाती है, दो मास की अवधि बीत जाने तक प्रवृत्त रहेगा।

(8) किसी अधिनिर्णय के अधीन पोत के स्वामी से नाविक को शोध्य कोई रकम मजदूरी के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(9) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की कोई बात उन पोतों के, जिनमें कोई नाविक नियोजित है या नियोजित किए जा सकते हैं, ऐसे नाविकों या नाविकों के किसी वर्ग या नाविकों की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच किसी विवाद को लागू नहीं होगी।

151. अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तों, आदि का अपरिवर्तित रहना—धारा 150 के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान—

(क) कोई नाविक या नाविकों का वर्ग या नाविकों की यूनियन हड़ताल नहीं करेगी या हड़ताल पर नहीं रहेगी या अन्यथा कोई कार्य ऐसी रीति से नहीं करेगी जिसमें उन पोतों के, जिसमें नाविक नियोजित हैं या नियोजित किए जा सकते हैं, सामान्य कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़े; और

(ख) पोत का कोई स्वामी—

(i) विवाद से संबंधित नाविकों को ऐसी कार्यवाही के आरम्भ के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले; या

(ii) विवाद से संबंधित किसी विषय की बाबत किसी नाविक को सेवोन्मुक्त या दंडित नहीं करेगा।

मृत नाविकों और शिक्षुओं की सम्पत्ति

152. मृत नाविकों की चीजबस्त का मास्टर द्वारा भारसाधन में लिया जाना—(1) यदि किसी ऐसे पोत पर नियुक्त किया गया कोई नाविक या शिक्षु जिसकी समुद्र यात्रा भारत में समाप्त होनी है, समुद्र यात्रा के दौरान मर जाता है तो पोत का मास्टर नाविक या शिक्षु के निकट संबंधी को, और उसकी नियुक्ति जिस पत्तन पर की गई है उसके पोत परिवहन मास्टर को, मृत्यु की सूचना देगा तथा नाविक या शिक्षु के किसी ऐसे धन या चीजबस्त को, जो पोत के फलक पर हों, अपने भारसाधन में लेगा।

(2) तदुपरि मास्टर आफिशियल लाग बुक में निम्नलिखित विशिष्टियां दर्ज करेगा, अर्थात् :—

(क) धनराशि का विवरण और अन्य चीजबस्त का ब्यौरेवार वर्णन ;

(ख) मृतक को शोध्य मजदूरी की राशि का और मजदूरी में से की जाने वाली कटौती की रकम का, यदि कोई है, विवरण।

(3) उक्त धन, मजदूरी के अतिशेष और चीजबस्त को इस अधिनियम में नाविक या शिक्षु की संपत्ति कहा गया है।

153. समुद्री यात्रा के दौरान मरने वाले नाविक की सम्पत्ति की बाबत कार्यवाही करना और उसका हिसाब—(1) यदि किसी ऐसे पोत पर नियुक्त कोई नाविक या शिक्षु, जिसकी समुद्र यात्रा भारत में समाप्त होनी है, उस समुद्र यात्रा के दौरान मर जाता है और वह पोत भारत में किसी पत्तन पर आने से पूर्व अन्यत्र किसी पत्तन पर पहुंचता है और वहां अड़तालीस घण्टे रहता है तो मास्टर मामले की रिपोर्ट ऐसे पत्तन के भारतीय कौंसलीय आफिसर को देगा और पोत के गंतव्य स्थान और समुद्र यात्रा के संभावित समय की बाबत उस अधिकारी को उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी भी देगा।

(2) यदि भारतीय कौंसलीय अधिकारी यह समीचीन समझता है तो नाविक या शिक्षु की सम्पत्ति का परिदान और संदाय उसे करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा किए जाने पर उसकी रसीद मास्टर को देगा और कर्मीदल के साथ किए गए करार पर अपने हस्ताक्षर से उसकी बाबत ऐसी विशिष्टियां पृष्ठांकित करेगा जिनकी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए।

(3) मास्टर भारत में अपने गंतव्य पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर पोत परिवहन मास्टर के समक्ष रसीद पेश करेगा।

(4) जहां नाविक या शिक्षु की उपरोक्त रूप में मृत्यु हो जाती है और पोत अन्यत्र किसी पत्तन पर पहुंचे बिना या उपरोक्त रूप में वहां ठहरे बिना भारत में किसी पत्तन की ओर अग्रसर हो जाता है या भारतीय कौंसलीय आफिसर उपरोक्त रीति से सम्पत्ति के परिदान और संदाय की अपेक्षा नहीं करता है वहां मास्टर, भारत में अपने गंतव्य पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् अड़तालीस घण्टे के भीतर, उस पत्तन पर पोत परिवहन मास्टर को सम्पत्ति का संदाय और परिदान करेगा।

(5) मास्टर द्वारा इस मद्दे दावा की गई किसी कटौती की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक आफिशियल लाग बुक में की प्रविष्टि से और ऐसे अन्य वाउचरों से भी, यदि कोई हो, जिनकी पोत परिवहन मास्टर द्वारा उचित रूप से अपेक्षा की जाए, उसका सत्यापन नहीं कर लिया जाता है।

(6) गंतव्य पत्तन पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में इस धारा के उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन किए जाने पर, भारत स्थित पोत परिवहन मास्टर को उस आशय का प्रमाणपत्र देगा।

154. मृत नाविक की सम्पत्ति का मास्टर द्वारा संदाय और परिदान किया जाना—(1) यदि पोत का मास्टर मृत नाविक या शिक्षु की सम्पत्ति को भारसाधन में लेने की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में या आफिशियल लाग बुक में उसकी बाबत उचित प्रविष्टियां करने में या ऐसी सम्पत्ति का संदाय या परिदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी सम्पत्ति के लिए उपरोक्त रीति से पोत परिवहन मास्टर को देनदार होगा तथा तदनुसार उसका संदाय और परिदान करेगा।

(2) सम्पत्ति उसी न्यायालय में और उसी रीति में वसूल की जा सकेगी जिसमें नाविक की मजदूरी इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकती है।

155. मृत नाविक की पोत के फलक पर नहीं किन्तु विदेश में छोड़ी गई सम्पत्ति—यदि किसी भारतीय पोत का या किसी ऐसे अन्य पोत का जिसकी समुद्र यात्रा भारत में समाप्त होनी है, भारत में नियुक्त किया गया कोई नाविक या शिक्षु भारत के बाहर किसी स्थान पर कोई धन या चीजबस्त छोड़कर जो पोत के फलक पर न छोड़ी गई हो मर जाता है तो उस स्थान पर या उसके निकट का भारतीय कौंसलीय आफिसर ऐसे धन और अन्य चीजबस्त का (जिसे इसमें इसके पश्चात् मृत नाविक या शिक्षु की सम्पत्ति कहा गया है) दावा कर सकेगा और उसे अपने भारसाधन में ले सकेगा।

156. मृत नाविक की सम्पत्ति की बाबत कार्रवाई—(1) वह भारतीय कौंसलीय आफिसर या पोत परिवहन मास्टर जिसे मृत नाविक या शिक्षु की चीजबस्त परिदत्त की जाती है या जो इस अधिनियम के अधीन ऐसी चीजबस्त को भारसाधन में ले लेता है यदि वह ठीक समझे तो, चीजबस्त का विक्रय कर सकेगा तथा ऐसे किसी विक्रय के आगम मृत नाविक या शिक्षु की सम्पत्ति का भाग समझे जाएंगे।

(2) उक्त चीजबस्त में सम्मिलित किन्हीं मूल्यवान वस्तुओं का विक्रय करने के पूर्व ऐसा अधिकारी या पोत परिवहन मास्टर ऐसी मूल्यवान वस्तुओं का व्यय न करने के बारे में मृत नाविक या शिक्षु के निकट संबंधी की इच्छा अभिनिश्चित करने का प्रयास करेगा और यदि साध्य और विधिपूर्ण हो तो ऐसी इच्छा को पूरा करेगा।

(3) वह भारतीय कौंसलीय आफिसर जिसे किसी मृत नाविक या शिक्षु की सम्पत्ति परिदत्त की जाती है या जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी सम्पत्ति को अपने भारसाधन में ले लेता है, उस सम्पत्ति का उस पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को जहां मृत नाविक या शिक्षु का नियोजन किया गया था ऐसी रीति में भेजेगा और उनकी बाबत ऐसा हिसाब देगा जो विहित की जाए या किया गया।

157. अपने पोत के साथ नष्ट हो गए नाविकों की मजदूरी, आदि की वसूली—(1) जहां कोई नाविक या शिक्षु अपने पोत के साथ नष्ट हो जाएं वहां केन्द्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, पोत के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से उसे शोध्य मजदूरी और प्रतिकर उसी न्यायालय में और उसी रीति में वसूल कर सकेगा जहां या जिसमें नाविक की मजदूरी वसूल की जा सकती है तथा उस मजदूरी की बाबत उसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसी अन्य मृत नाविकों या शिक्षुओं को शोध्य मजदूरी और प्रतिकर के बारे में इस अधिनियम के अधीन की जाती है।

(2) मजदूरी और प्रतिकर की वसूली के लिए किसी कार्यवाही में यदि किसी शासकीय अभिलेख से या अन्य साक्ष्य से यह दिखाया जाता है कि पोत ने, कार्यवाही संस्थित किए जाने के बारह मास या उससे अधिक पूर्व, कोई पत्तन छोड़ा था तो उसके बारे में तब तक जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जाता कि छूटने के पश्चात् बारह मास के भीतर उसके बारे में कुछ सुना गया है, यह समझा जाएगा कि वह या तो उस समय के ठीक पश्चात् जब उसके बारे में अंतिम बार कुछ सुना गया था या ऐसी पश्चात्पूर्वी किसी तारीख से जिसे मामले के सुनवाई करने वाला न्यायालय संभाव्य समझे, खो गया है।

158. भारत में मरने वाले नाविकों की सम्पत्ति—यदि किसी नाविक या शिक्षु की मृत्यु भारत में हो जाती है और वह अपनी मृत्यु के समय उस पोत के मास्टर या स्वामी से, जिसमें उसने सेवा की हो, कोई चीजबस्त या असंदत्त मजदूरी का दावा करने का हकदार था तो मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसी सम्पत्ति को उस पत्तन पर, जहां नाविक या शिक्षु को सेवोन्मुक्त किया गया था या सेवोन्मुक्त किया जाना था, पोत परिवहन मास्टर को या किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा या उसका हिसाब देगा।

159. पोत परिवहन मास्टर द्वारा मृत नाविक की सम्पत्ति का संदाय—जहां मृत नाविक या शिक्षु की कोई सम्पत्ति पोत परिवहन मास्टर को संदत्त या परिदत्त की जाती है वहां पोत परिवहन मास्टर उस नाविक या शिक्षु या उसकी सम्पत्ति की बाबत उपगत व्ययों के लिए ¹[उतनी राशियों की कटौती करने के पश्चात् जितनी वह करना उचित समझता है, धारा 159क के अधीन इस निमित्त नाविक या शिक्षु द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का अवशिष्ट का संदाय और परिदान करेगा और यदि उसने कोई ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया है या उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन शून्य हो गया है तो पोत परिवहन मास्टर]—

(क) अवशिष्ट को किसी दावेदार को, जो उक्त पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से स्वयं को उसका हकदार साबित करे, संदत्त और परिदत्त करेगा तथा उक्त पोत परिवहन मास्टर ऐसा करने पर इस प्रकार संदत्त या परिदत्त अवशिष्ट की बाबत हर अन्य दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा ;

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 12 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन प्रोवेट या प्रशासन पत्र या प्रमाणपत्र¹ [या महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45) की धारा 29 के अधीन प्रमाणपत्र] लेने की अपेक्षा करेगा और तदुपरि अवशिष्ट का मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को संदत्त और परिदत्त करेगा।

²[159क. नामनिर्देशन—(1) कोई नाविक धारा 141 की उपधारा (3) और धारा 159 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई शिक्षु, धारा 159 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगा :

परन्तु यदि नाविक या शिक्षु का कुटुम्ब है तो वह पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए केवल अपने कुटुम्ब के एक या अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा और यदि किसी नाविक या शिक्षु का, ऐसे नामनिर्देशन के पश्चात् कुटुम्ब हो जाता है तो नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा।

(2) वह प्ररूप जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन किया जा सकेगा, ऐसे किसी नामनिर्देशन का रद्दकरण या परिवर्तन (जिसके अन्तर्गत नया नामनिर्देशन किया जाना है) और ऐसे नामनिर्देशनों से सम्बन्धित सभी अन्य विषय ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।]

160. मृत नाविक की अदावाकृत सम्पत्ति का व्ययन—(1) जहां मृत नाविक या शिक्षु को ऐसी सम्पत्ति के लिए, जो पोत परिवहन मास्टर द्वारा प्राप्त की गई है, ऐसे प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर उसके लिए उसके समक्ष कोई दावा नहीं किया जाता है वहां पोत परिवहन मास्टर ऐसी सम्पत्ति का विक्रय कराएगा और विक्रय के आगमों का संदाय भारत के लोक लेखा में करेगा।

(2) विक्रय के आगमों को इस प्रकार संदाय करने के पश्चात् यदि उसके लिए कोई दावा किया जाता है और दावा पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से साबित कर दिया जाता है तो वह रकम या उसका उतना भाग जितना पोत परिवहन मास्टर को दावेदार को शोध्य प्रतीत हो, दावेदार को संदत्त किया जाएगा, तथा यदि दावा इस प्रकार से स्थापित नहीं किया जाता है तो दावेदार अर्जी द्वारा उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, तथा ऐसा न्यायालय, या तो मौखिक अथवा शपथपत्र पर साक्ष्य लेने के पश्चात् अर्जी की बाबत ऐसा आदेश करेगा जैसा वह न्यायसंगत समझे :

परन्तु पोत परिवहन मास्टर द्वारा सम्पत्ति की प्राप्ति का छह वर्ष के पर्यवसान के पश्चात् ऐसी सम्पत्ति का कोई दावा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना ग्रहण नहीं किया जाएगा :

³परन्तु यह और कि यदि विक्रय के आगमों के इस प्रकार संदाय किए जाने के छह वर्ष की समाप्ति के पूर्व उसके लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो उस रकम या उसके किसी भाग का, ऐसी रीति से, जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, नाविकों के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकेगा।]

161. कष्टग्रस्त नाविक का उपचार और भरण पोषण—(1) कोई नाविक जिस स्थान पर कष्टग्रस्त हो वहां का या उस स्थान के आसपास का भारतीय कौंसिलीय आफिसर कष्टग्रस्त नाविक द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस नाविक को समुचित वापसी पत्तन तक वापस भेजने की व्यवस्था, तथा जब तक उक्त नाविक ऐसे पत्तन पर नहीं पहुंच जाता है तब तक उसके लिए आवश्यक कपड़े और भरण पोषण की व्यवस्था भी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा।

(2) कष्टग्रस्त नाविक को, नियमों में उपबंधित विस्तार तक और शर्तों पर के सिवाय, भरण पोषण का या समुचित वापसी पत्तन पर भेजे जाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत, अपवादित व्ययों से भिन्न, सभी ऐसे संप्रत्यावर्तन व्यय केन्द्रीय सरकार को शोध्य ऋण होंगे और उस पोत का स्वामी या अभिकर्ता उसके लिए दायी होगा जिसमें वह नाविक, जिसकी बाबत व्यय उपगत किया गया है, अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था तथा स्वामी या अभिकर्ता नाविक से कोई ऐसी रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को संदत्त की जाए।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय केन्द्रीय सरकार को शोध्य ऋण होगा जिसके लिए वह नाविक, जिसकी बाबत वे उपगत किए गए हैं, और उस पोत का, जिसमें वह नाविक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था, स्वामी या अभिकर्ता उसके लिए संयुक्ततः तथा पृथक्तः दायी होंगे तथा स्वामी या अभिकर्ता नाविक से ऐसी कोई रकम वसूल करने का हकदार होगा जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई हो, तथा नाविक को शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग, जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा।

(5) किसी कष्टग्रस्त नाविक की बाबत उस पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा, जिसका कि वह नाविक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह कष्टग्रस्त हो गया था, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय स्वामी या अभिकर्ता को शोध्य ऋण होगा जिसके लिए नाविक दायी होगा और स्वामी या अभिकर्ता नाविक को

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 12 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 13 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

³ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 14 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा ; किन्तु वह अपवादस्वरूप व्ययों से भिन्न कोई संप्रत्यावर्तन व्यय नाविक से वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) किन्हीं ऐसे व्ययों की, जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के अर्थ में केन्द्रीय सरकार को शोध्य ऋण है, वसूली के लिए किसी कार्यवाही में केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके निदेश के अधीन व्ययों के हिसाब का पेश किया जाना तथा उन व्ययों के संदाय का सबूत इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा कि व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत किए गए थे ।

(7) केन्द्रीय सरकार को इस धारा के अधीन शोध्य कोई ऋण उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति से ऐसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में धारा 145 के अधीन मजदूरी वसूल की जा सकती है ।

162. समुचित वापसी पत्तन तक नाविक की वापसी के लिए व्यवस्था की रीति—(1) नाविक को समुचित वापसी पत्तन तक किसी उचित मार्ग से या तो समुद्री मार्ग से या सड़क मार्ग से या यदि आवश्यक हो तो वायु मार्ग से अथवा भागतः किसी एक मार्ग से और भागतः इन मार्गों में से किसी अन्य मार्ग से भेजा जा सकेगा ।

(2) यदि मार्ग समुद्री मार्ग है तो नाविक को वापस भेजने के लिए पूरे मार्ग के लिए अथवा मार्ग के किसी ऐसे भाग के लिए जो समुद्री मार्ग है नाविक को किसी ऐसे भारतीय पोत पर सवार कराने की, जिस पोत को अपने कर्मीदल को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता हो, या यदि ऐसा व्यवहार्य नहीं है तो, नाविक के लिए किसी भारतीय या विदेशी पोत में यात्रा की, व्यवस्था की जाएगी या यात्रा व्यय के लिए धन देकर यात्रा की व्यवस्था की जाएगी तथा जहां तक मार्ग के ऐसे किसी भाग का संबंध है जो सड़क मार्ग या वायु मार्ग है तो उसकी यात्रा के और यात्रा के दौरान उसके भरण पोषण के व्यय का संदाय करके या उन व्ययों के संदाय करने के लिए उसे साधन उपलब्ध करा कर यात्रा की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) जहां पोत के मास्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सेवोन्मुक्त नाविक की समुचित वापसी पत्तन तक वापसी के लिए व्यवस्था करे वहां मास्टर, नाविक के यात्रा व्यय या उसकी यात्रा के व्ययों की व्यवस्था करने के बजाय या उसे यात्रा व्यय या उन व्ययों का संदाय करने के लिए साधन उपलब्ध कराने के बजाय, समुचित अधिकारी के पास उतनी राशि जमा कर सकेगा जितनी वह अधिकारी नाविक को समुचित वापसी पत्तन तक वापस करने के व्ययों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समझे ।

163. पोतों पर कष्टग्रस्त नाविकों को ग्रहण करना—(1) भारतीय पोत का मास्टर अपने पोत पर ऐसे सभी कष्टग्रस्त नाविकों को सवार करने के लिए ग्रहण करेगा जिन्हें पोत पर सवार करने की भारतीय कौंसलीय अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाती तथा उन्हें यात्रा व्यय और भरण पोषण उपलब्ध कराएगा तथा यात्रा के दौरान ऐसे प्रत्येक कष्टग्रस्त व्यक्ति के लिए उतनी ही राशि सुविधा की व्यवस्था करेगा जितनी सामान्यतः पोत के सेवोन्मुक्त कर्मीदल को सामान्यतः दी जाती है तथा उक्त कष्टग्रस्त नाविक की रैंक या रेटिंग के अनुसार समुचित निर्वाह की व्यवस्था करेगा ।

(2) यदि भारतीय कौंसलीय आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे नाविकों के लिए पोत पर वास-सुविधा नहीं है और उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है तो कष्टग्रस्त नाविकों को इस धारा के अनुसार पोत पर ग्रहण करने की पोत के मास्टर से अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

164. कष्टग्रस्त नाविकों को पोतों पर लेने के बारे में उपबन्ध—(1) जहां किसी कष्टग्रस्त नाविक को उसके समुचित वापसी पत्तन तक वापस करने के प्रयोजन के लिए किसी भारतीय पोत के फलक पर सवार किया जाता है वहां वह भारतीय कौंसलीय आफिसर, जिसके द्वारा नाविक को इस प्रकार सवार कराया जाता है, इस प्रकार सवार कराए गए नाविकों की विशिष्टियां पोत के कर्मीदल के साथ करार पर पृष्ठांकित करेगा ।

(2) जिस भारतीय कौंसलीय आफिसर के निदेश से कष्टग्रस्त नाविक फलक पर सवार किए गए हैं, उसके द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर जिसमें कष्टग्रस्त नाविकों की संख्या और नाम तथा वह समय जब उनमें से प्रत्येक को पोत पर ग्रहण किया गया है और मास्टर द्वारा ऐसी घोषणा किए जाने पर जिनमें उन दिनों की संख्या, जिनके दौरान प्रत्येक कष्टग्रस्त नाविक के निर्वाह व्यय प्राप्त किया है, पोत के कर्मीदल की पूर्ण संख्या तथा पोत के फलक पर नियोजित नाविकों की वास्तविक संख्या और उस संख्या में, उस अवधि के दौरान जब कष्टग्रस्त नाविकों ने निर्वाह व्यय प्राप्त किया है, प्रत्येक परिवर्तन अधिकथित किया गया है, मास्टर इस प्रकार ले जाए गए और जिनके लिए व्यवस्था की गई हो ऐसे प्रत्येक नाविक के लिए, जो पोत के कर्मीदल की कुल संख्या को पूरा करने के लिए वांछित संख्या से अधिक हो, प्रत्येक दिन के लिए निर्वाह व्यय और यात्रा व्यय की बाबत उतनी राशि का संदाय प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अनुज्ञात करे ।

165. कष्ट का साक्ष्य—इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में केन्द्रीय सरकार का या ऐसे अधिकारी का, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे इस आशय का प्रमाणपत्र कि प्रमाणपत्र में नामित कोई नाविक कष्टग्रस्त है इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि ऐसा नाविक इस अधिनियम के अर्थ में कष्टग्रस्त है ।

166. नाविक को जिस वापसी पत्तन को भेजा जाना है या जिस मार्ग से भेजा जाना है उसका भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा विनिश्चय—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि नाविक को किसी मामले में किसी वापसी पत्तन को भेजा जाना है या उसे किस मार्ग से भेजा जाना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय संबंधित भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा किया जाएगा और इस उपबन्ध के अधीन

किसी प्रश्न का विनिश्चय करने में भारतीय कौंसिलीय आफिसर नाविक की सुविधा और होने वाले व्यय, दोनों को, ध्यान में रखेगा तथा जहां ऐसी स्थिति हो वहां इस तथ्य को भी ध्यान में रखेगा कि कोई भारतीय पोत, जिसके कर्मिंदल में व्यक्तियों की कमी है, समुचित वापसी पत्तन की ओर अग्रसर होने वाला है।

167. कष्टग्रस्त व्यक्तियों की बाबत नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार भारत के बाहर किसी स्थान में कष्टग्रस्त नाविकों की सहायता, भरण पोषण और समुचित वापसी पत्तन को वापसी की बाबत तथा उन परिस्थितियों की बाबत जिनमें, और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, नाविकों को मुक्त किया जा सकेगा तथा इस भाग के अधीन मार्ग व्यय की व्यवस्था की जा सकेगी, और कष्टग्रस्त नाविकों से संबंधित इस भाग के उपबंधों को साधारणतया क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

रसद, स्वास्थ्य और वास-सुविधा

168. पोतों में पर्याप्त रसद और जल की व्यवस्था—(1) सब भारतीय पोतों पर, और अन्य सभी पोतों पर जिन पर नाविकों को नियुक्त किया जाए, अच्छी क्वालिटी की और कर्मिंदल के उपयोग के लिए ठीक, तथा कर्मिंदल के साथ किए गए करार में विनिर्दिष्ट मापमान के अनुसार, पर्याप्त रसद और जल की व्यवस्था की जाएगी।

(2) धारा 176 के अधीन निरीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति यदि यह निष्कर्ष निकालता है कि रसद या जल खराब क्वालिटी के हैं तथा उपयोग के अयोग्य हैं या मात्रा में कम है तो वह पोत के मास्टर को यह बात लिखित में संज्ञापित करेगा और यदि वह ठीक समझे तो, पोत को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक त्रुटियों का उसके समाधानप्रद रूप से उपचार नहीं कर दिया जाता।

(3) मास्टर ऐसी रसद या जल का प्रयोग नहीं करेगा जिसका खराब क्वालिटी का होना संज्ञापित किया गया है और ऐसे रसद या जल के स्थान पर अन्य उचित रसद या जल की व्यवस्था करेगा तथा यदि रसद या जल की मात्रा कम संज्ञापित की जाए तो मास्टर कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रसद या जल उपाप्त करेगा।

(4) निरीक्षण करने वाला व्यक्ति परिणाम के प्रारम्भ का विवरण आफिशियल लाग बुक में दर्ज करेगा और, यदि वह पोत परिवहन मास्टर नहीं है तो, उसकी रिपोर्ट पोत परिवहन मास्टर को भेजेगा तथा वह रिपोर्ट किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

(5) यदि निरीक्षण कर्मिंदल के सदस्यों के आवेदन के अनुसरण में किया गया था और निरीक्षण करने वाला व्यक्ति निरीक्षण के परिणाम के विवरण में यह प्रमाणित करता है कि शिकायत मिथ्या थी और या तो तुच्छ थी या परेशान करने वाली थी, तो कर्मिंदल का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसने निवेदन किया है अपनी मजदूरी में से एक सप्ताह की मजदूरी से अनधिक राशि स्वामी को समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(6) पोत का मास्टर और उस रसद या जल का जो इस धारा के अधीन निरीक्षण किए जाने के दायित्वाधीन है, भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा।

¹[(7) पोत का मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति, पोत पर नाविकों को प्रदान किए गए खाद्य और पेय जल की मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार ऐसे मानकों को और खाद्य को लागू ऐसे खानपान मानक, जो विहित किए जाएं, बनाए रखेगा।

(8) पोत का मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति, जानकारी का अभिवर्धन और उपधारा (7) में निर्दिष्ट मानकों का क्रियान्वयन करने के लिए शैक्षणिक क्रियाकलाप कराएगा।]

169. कम या खराब रसद के लिए भत्ते—(1) निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में, अर्थात् :—

(क) यदि समुद्र यात्रा के दौरान उन रसदों में से किसी की, जिसके लिए नाविक ने अपने करार द्वारा अनुबंध किया है, निश्चित मात्रा कम कर दी जाती है, अथवा

(ख) यदि यह दर्शाया जाता है कि उन रसदों में से कोई यात्रा के दौरान क्वालिटी में खराब रही है या प्रयोग में लाने के अयोग्य है,

तो नाविक, रसद जितने समय तक चालू रही है उसके अनुसार उस कम या खराब मात्रा के लिए, ऐसे मापमान के अनुसार, जैसा विहित किया जाए, प्रतिकर के रूप में राशि प्राप्त करेगा जो उसे मजदूरी के अतिरिक्त संदत्त की जाएगी और मजदूरी के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(2) यदि उस न्यायालय के समाधानप्रद रूप से, जिसके समक्ष मामले का विचारण किया जाता है, यह दर्शाया जाता है कि कोई रसद, जिसकी निश्चित मात्रा में कमी की गई है, उपाप्त नहीं की जा सकी थी या उचित मात्रा में उसका प्रदाय नहीं किया जा सकता था, या उसके बदले में उचित और समतुल्य प्रतिस्थानी वस्तु का प्रदान किया गया था तो न्यायालय आदेश करते समय उन परिस्थितियों पर विचार करेगा।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

170. विदेशगामी भारतीय पोत द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित रसोइया साथ ले जाना—(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ऐसे टन भार वाला, जैसा विहित किया जाए, प्रत्येक विदेशगामी भारतीय पोत इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्रमाणित रसोइया रखेगा और साथ ले जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार उन अर्हताओं, अनुभव या समुद्री सेवा को विनिर्दिष्ट करते हुए जो उन व्यक्तियों के लिए अपेक्षित होंगे जो इस अधिनियम के अधीन रसोइया के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के इच्छुक हों, तथा ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके अधीन कोई ऐसा प्रमाणपत्र संजूर, रद्द या निलंबित किया जा सकेगा, नियम बना सकेगी।

171. फलक पर बाट और माप—पोत का मास्टर उन विभिन्न रसदों और वस्तुओं की मात्रा का अवधारण करने के लिए, जिनका प्रदाय किया जाए, उचित बाट और माप पोत के फलक पर रखेगा तथा जब कभी उनकी मात्रा के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो तब रसदों और वस्तुओं के प्रदाय के समय उनका प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा।

172. कतिपय पोतों के फलक पर उपलब्ध कराए जाने वाले और रखे जाने वाले बिस्तर, तौलिए, औषधियां, चिकित्सा भण्डार, आदि—(1) पांच सौ सकल टन भार से अधिक के प्रत्येक पोत का स्वामी प्रत्येक नाविक को उसके वैयक्तिक उपयोग के लिए, ऐसे मापमान के अनुसार, जैसा विहित किया जाए, बिस्तर, तौलिए, भोजन के बर्तन और अन्य वस्तुओं का प्रदाय करेगा या प्रदाय कराएगा, तथा विभिन्न वर्गों के पोतों की बाबत विभिन्न मापमान विहित किए जा सकेंगे।

(2) विदेशगामी भारतीय पोतों और दो सौ सकल टन भार या उससे अधिक के सभी देशी व्यापार पोतों पर ऐसे मापमान के अनुसार जैसा विहित किया जाए, यात्रा के दौरान होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं के लिए उपयुक्त औषधियां, चिकित्सा भण्डार, साधित्र और प्राथमिक उपचार उपस्कर पर्याप्त मात्रा में सदैव रखे जाएंगे।

(3) पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी का या ऐसे अन्य व्यक्ति का, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, यह कर्तव्य होगा कि वह उन औषधियों, चिकित्सा भण्डारों और साधित्रों का निरीक्षण करे जिनकी पोत पर व्यवस्था अपेक्षित है।

173. कतिपय पोतों द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को साथ ले जाना—¹[(1) प्रत्येक विदेशगामी पोत,—

(क) विहित संख्या से अधिक व्यक्तियों का (जिसमें कर्मिदल सम्मिलित हैं) वहन करने वाला, अपने कर्मिदल के भाग के रूप में ऐसी अर्हताओं वाला एक चिकित्सा अधिकारी; और

(ख) विहित संख्या से कम व्यक्तियों का वहन करने वाला, ऐसी चिकित्सीय सुविधाएं, जो समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार विहित की जाएं,

रखेगा।]

(2) इस धारा की कोई बात ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] और तीर्थयात्री पोत को लागू नहीं होगी।

174. बीमारी की दशा में चिकित्सीय परिचर्या के व्यय—(1) यदि भारतीय पोत के मास्टर या नाविक या शिक्षु को कोई उपहति या क्षति हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है (जो उसके अपने जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम या उसके अपने कदाचार के कारण हुई उपहति, क्षति या बीमारी नहीं है) जिसके परिणामस्वरूप उसे उसके समुचित वापसी पत्तन से भिन्न किसी स्थान पर सेवोन्मुक्त करना पड़े या पीछे छोड़ना पड़े तो उसे आवश्यक शल्य चिकित्सीय और चिकित्सीय परामर्श, परिचर्या और उपचार तथा औषधियों की व्यवस्था करने के व्यय, तथा जब तक मास्टर या नाविक या शिक्षु आवश्यक चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के पश्चात् स्वस्थ नहीं हो जाता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या उसे उस पत्तन को वापस नहीं लाया जाता, जहां से उसका पोत परिवहन किया गया था, या ऐसे अन्य पोत को वापस नहीं लाया जाता, जैसा करार पाया जाए, उसके भरणपोषण के व्यय भी, तथा उस पत्तन तक उसके प्रवहन के व्यय और मृत्यु की दशा में, उसके दाह संस्कार या दफन करने के व्यय, यदि कोई हों, उस मद्धे उसकी मजदूरी में से कोई कटौती किए बिना, पोत के स्वामी द्वारा चुकाए जाएंगे।

(2) यदि मास्टर, नाविक या शिक्षु की किसी बीमारी या क्षति के कारण संक्रमण को निवारित करने के लिए, या पोत की सुविधा के लिए या अन्यथा उसके समुचित वापसी पत्तन से भिन्न पत्तन पर उसके पोत से अस्थायी रूप से हटाया जाता है, और वह तद्दन्तर अपने कर्तव्य पर वापस आता है तो उसे हटाने के, और पोत से अलग रहने के दौरान उसके लिए आवश्यक शल्य चिकित्सीय और चिकित्सीय परामर्श, परिचर्या और उपचार के तथा औषधि और उसके भरणपोषण की व्यवस्था करने के व्यय उसी रीति से चुकाए जाएंगे।

(3) पोत के फलक पर रहने के दौरान मास्टर, नाविक या शिक्षु को दी जाने वाली सभी औषधियों और शल्य चिकित्सा तथा चिकित्सीय परामर्श परिचर्या और उपचार के व्यय उसी प्रकार से चुकाए जाएंगे।

(4) अन्य सभी मामलों में, किसी मास्टर, नाविक या शिक्षु की बीमारी की बाबत स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से उपगत किन्हीं उचित व्यय की मास्टर, नाविक या शिक्षु की मजदूरी में से कटौती की जाएगी यदि भारतीय कौसलीय आफिसर या पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से वे साबित कर दिए जाते हैं।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) "यात्री पोत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(5) जहां इस धारा के अधीन किन्हीं व्ययों का संदाय मास्टर, नाविक या शिक्षु द्वारा स्वयं किया जाए वहां वे उसी प्रकार वसूल किए जा सकेंगे मानो वे सम्यक् रूप से अर्जित मजदूरी है तथा, यदि किन्हीं ऐसे व्ययों का संदाय सरकार द्वारा किया जाता है तो, वह रकम पोत पर भार होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा बाद के पूरे खर्च सहित वसूल की जा सकेगी।

175. नाविकों के लिए स्थान सुविधाएं—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे वर्ग के पोतों में, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध कराए जाने वाली कर्मिदल स्थान सुविधा की बाबत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शर्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह न्यूनतम स्थान जो किसी ऐसे पोत में, जिसे ये नियम लागू हैं, नाविकों और शिक्षुओं की शयन सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जिनके द्वारा ऐसी शयन सुविधा के किसी विनिर्दिष्ट भाग का उपयोग किया जा सकेगा ;

(ख) किसी ऐसे पोत में, कर्मिदल स्थान सुविधा या उसका कोई भाग नियत किया जाए, उसकी स्थिति तथा वे मानक जिनका अनुपालन किसी ऐसी स्थान सुविधा के निर्माण, उपस्कर और सज्जा में किया जाएगा ;

(ग) किसी ऐसी स्थान सुविधा की व्यवस्था या उसमें परिवर्तन के हेतु प्रस्थापित किन्हीं संकर्मों के नक्शों और विनिर्देशों का ऐसे प्राधिकारी को पेश किया जाना जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए तथा किन्हीं ऐसे संकर्मों के निरीक्षण के लिए उस प्राधिकारी को प्राधिकार देना ;

(घ) किसी ऐसी स्थान सुविधा का रखरखाव और मरम्मत तथा किसी ऐसी स्थान सुविधा का उन प्रयोजनों से जिनके लिए वह आशयित है, किन्हीं भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने का प्रतिषेध या उस पर निर्बन्धन ;

(ङ) वह रीति, जिसमें ऐसे पोतों की बाबत, जो इस धारा के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के प्रारम्भ पर रजिस्टर किए जाते हैं या निर्माणाधीन हैं, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् कार्यवाही की जा सकेगी ;

¹[(च) वे फीस, जो कर्मिदल स्थानों के सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए और कर्मिदल की स्थान सुविधा के रेखांकों की संवीक्षा करने के लिए उद्गृहीत की जा सकेगी और वह रीति जिसमें ऐसी फीस का संग्रहण किया जा सकेगा,]

तथा ऐसे नियमों में पोतों के विभिन्न वर्गों की बाबत विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित कर्मिदल की स्थान सुविधाओं की बाबत विभिन्न उपबन्ध बनाए जा सकेंगे।

(3) धारा 176 के अधीन निरीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति यदि यह निष्कर्ष निकालता है कि कर्मिदल स्थान सुविधा अस्वास्थ्यप्रद है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो वह इस बात को पोत के मास्टर को लिखित में संज्ञापित करेगा, और यदि वह ठीक समझे, तो पोत को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक त्रुटियों का उसके समाधानप्रद रूप से उपचार नहीं कर दिया जाता।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “कर्मिदल स्थान सुविधा” पद के अन्तर्गत शयन कक्ष, भोजन कक्ष, स्वच्छता सम्बन्धी सुविधा, अस्पताल सुविधा, मनोरंजन सुविधा, भण्डार घर और खान-पान सुविधा जिनकी व्यवस्था नाविकों और शिक्षुओं के उपयोग के लिए की जाए तथा जो ऐसी सुविधा नहीं है जिसका उपयोग यात्रियों द्वारा भी किया जा सकता है या जिसकी व्यवस्था यात्रियों के उपयोग के लिए भी की गई है, सम्मिलित हैं।

176. पोत परिवहन मास्टर, आदि द्वारा रसद, जल, बाटों और मापों तथा स्थान सुविधाओं का निरीक्षण—पोत परिवहन मास्टर सर्वेक्षक, नाविक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय कौंसलीय आफिसर या किसी पत्तन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,—

(क) किसी ऐसे पोत की दशा में, जिस पर नाविकों को उस पत्तन पर सवार किया गया है, किसी भी समय पोत के फलक पर प्रवेश कर सकेगा, तथा

(ख) किसी भारतीय पोत की दशा में, किसी भी समय पोत के फलक पर प्रवेश कर सकेगा और यदि मास्टर या कर्मिदल में से तीन या अधिक व्यक्ति ऐसा निवेदन करें, तो ऐसा अवश्य करेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन पोत पर उलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित—

- (i) रसद और जल,
- (ii) बाट और माप,
- (iii) नाविकों के लिए स्थान सुविधाओं,

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

तथा भोजन और जल के भण्डारण और धराई उठाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थान और उपस्कर और रसोईघर और भोजन तैयार करने और परोसने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों का भी, यथास्थिति, निरीक्षण कर सकेगा या करेगा।

¹[176क. पोतों का, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा का रखा जाना—(1) किसी अन्य देश में, पांच हजार टन कुल या अधिक के और अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे या किसी पत्तन या पत्तनों के बीच प्रचालित समस्त पोत, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा को रखेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नहीं आने वाले पोत, जब तक उनको केन्द्रीय सरकार से छूट प्रदान नहीं की जाए, ऐसा प्रमाणपत्र, ऐसी रीति और प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखेंगे।

(3) पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, नाविक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय कौंसिलीय आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी पत्तन पर कोई अन्य अधिकारी, किसी पोत का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निरीक्षण कर सकेगा और पोत का मास्टर या पोत का भारसाधक कोई व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण अधिकारी को, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा उपलब्ध कराएगा।]

177. समुद्र पर मास्टर द्वारा रसद, जल और सुविधा का निरीक्षण—ऐसे भारतीय पोत का, जो समुद्र पर है, मास्टर, नाविकों और शिक्षुओं के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई रसद और जल का तथा कर्मिदल स्थान सुविधा का, यह अविनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि वे इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार रखे जा रहे हैं या नहीं, प्रत्येक दस दिन में कम से कम एक बार निरीक्षण कराएगा तथा, निरीक्षण करने वाला व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखी गई पुस्तक में निरीक्षणों के परिणाम का विवरण दर्ज करेगा।

²[177क. दुर्घटनाओं आदि का रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, 30 अक्टूबर, 1970 को अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साधारण सम्मेलन में अंगीकृत सागरगामियों की उपजीविका जन्य दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए नियम बना सकेगी जिससे भारतीय पोतों के लिए निरापद कार्यकरण परिस्थितियां सुनिश्चित हो सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके तथा भिन्न-भिन्न वर्ग के पोतों के लिए या भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में एक ही वर्ग के पोतों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाए जा सकेंगे।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिससे किसी उपस्कर या गियर का अनुरक्षण, निरीक्षण या परीक्षण किया जा सकेगा और ऐसे अनुरक्षण, निरीक्षण और परीक्षण संबंधी शर्तें ;

(ख) वह रीति, जिससे किसी पदार्थ के उपयोग को या प्रसंस्करण को ऐसे किसी उपस्कर या गियर के विनिर्माण के लिए विनियमित किया जाएगा ;

(ग) नाविकों के उपयोग के लिए ऐसे उपस्कर या गियर तक सुरक्षित पहुंच मार्गों की व्यवस्था और नाविकों के लिए, जहां आवश्यक हो, बचाव के कपड़ों के लिए व्यवस्था ;

(घ) किसी विनिर्दिष्ट संक्रिया में या किन्हीं विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन नाविकों के नियोजन के घंटों पर निर्बन्धन ; और

(ङ) वह रीति, जिससे और वह प्ररूप, जिसमें और वे व्यक्ति जिनको पोत के फलक पर होने वाली दुर्घटना की रिपोर्ट की जाएगी।]

मुकदमेबाजी की बाबत नाविकों के संरक्षण हेतु विशेष उपबन्ध

178. सेवारत नाविकों का अर्थ—नाविकों को, कर्मिदल के साथ किए गए करार की तारीख का प्रारम्भ होने वाली और नाविकों को ऐसे करार से अंतिम रूप से उन्मोचित करने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इन उपबन्धों के प्रयोजन के लिए सेवारत नाविक समझा जाएगा।

179. वादपत्रों, आदि में दी जाने वाली विशिष्टियां—(1) यदि किसी न्यायालय में कोई वादपत्र, आवेदन या अपील पेश करने वाले किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि विपक्षियों में से कोई सेवारत नाविक है तो वह वादपत्र, आवेदन या अपील में तदनुसार कथन करेगा।

(2) यदि किसी कलक्टर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा नाविक, जो साधारणतया उसके जिले में निवास करता है या उस जिले में उसकी सम्पत्ति है और जो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में पक्षकार है, वहां हाजिर होने में असमर्थ है या वह सेवारत है तो कलक्टर इन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कर सकता है।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 15 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

180. जिन नाविकों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है उनकी दशा में सूचना देना—(1) यदि कलक्टर ने धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन यह प्रमाणित किया है या न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई नाविक, जो न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है, वहां हाजिर होने में असमर्थ है या सेवारत नाविक है तो न्यायालय कार्यवाही को निलंबित कर देगी और उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को देगा :

परन्तु न्यायालय कार्यवाही को निलंबित करने और सूचना देने से विरत रह सकता है, यदि—

(क) कार्यवाही ऐसी है जो नाविक द्वारा अकेले हो या अन्य के साथ संयुक्त रूप से, अग्रक्रयाधिकार को प्रवर्तित कराने के उद्देश्य से संस्थित की गई है या लाई गई है, अथवा

(ख) कार्यवाही में नाविक के हित, न्यायालय की राय में, या तो कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार के हित के समान हैं और ऐसे अन्य पक्षकार द्वारा उनका यथेष्ट रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है, अथवा केवल औपचारिक प्रकृति के हैं।

(2) यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, यह प्रतीत हो कि यद्यपि कोई नाविक कार्यवाही में पक्षकार नहीं है किन्तु कार्यवाही के परिणाम से तात्त्विक रूप से संबंधित है और हाजिर रहने में असमर्थता के कारण उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो वह न्यायालय कार्यवाही को निलंबित कर सकेगा और उसकी सूचना पोत मास्टर को देगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर यदि पोत परिवहन मास्टर न्यायालय को प्रमाणित करता है कि नाविक सेवारत नाविक है तो न्यायालय तदुपरि नाविक की बाबत कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यदि नाविक की निरन्तर गैरहाजिरी के कारण कार्यवाही को और आगे निलंबित करने का प्रश्न उठता है तो न्यायालय ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने में इस अधिनियम के उपबंधों के उन प्रयोजनों को ध्यान में रखेगा जो नाविक को मुकदमेबाजी की बाबत विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं।

(4) यदि पोत परिवहन मास्टर यह प्रमाणित करता है कि नाविक तत्समय सेवारत नाविक नहीं है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहता है कि नाविक सेवारत नाविक है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे, तो कार्यवाही को चालू रख सकेगा।

181. सेवारत नाविक के विरुद्ध पारित डिक्रीयों और आदेशों को अपास्त करने की शक्ति—(1) जहां न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी नाविक के विरुद्ध, तब जब वह सेवारत नाविक है, कोई डिक्री या आदेश पारित कर दिया जाता है तो नाविक, या यदि सेवारत नाविक रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि उक्त न्यायालय को उस डिक्री या आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय का, विरोधी पक्षकार को, यदि सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह अपेक्षित है कि उस डिक्री या आदेश को, जहां तक वह नाविक के विरुद्ध है, अपास्त किया जाना चाहिए तो न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझता है, तदनुसार आदेश कर सकेगा, और यदि उसे यह प्रतीत होता है कि कार्यवाही का कोई विरोधी पक्षकार धारा 179 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे विरोधी पक्षकार के विरुद्ध नुक्सानी अधिनिर्णीत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के लिए परिसीमाकाल उस तारीख से जिसको नाविक डिक्री या आदेश पारित किए जाने के पश्चात् प्रथम बार सेवारत नाविक नहीं रहता है, या जहां उस कार्यवाही में, जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया है, नाविक पर समन या सूचना सम्यक् रूप से तामील नहीं की गई है, वहां उस तारीख से जिस तारीख को आवेदक को डिक्री या आदेश की जानकारी हुई है, दोनों तारीखों में से जो पश्चात्पूर्ती हो, साठ दिन होगी, और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) की धारा 5 के उपबन्ध ऐसे आवेदनों को लागू होंगे।

(3) जहां वह डिक्री या आदेश जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है ऐसी प्रकृति का है कि उसे केवल नाविक के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता है तो वह सभी पक्षकारों या उनमें से ऐसों के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध डिक्री या आदेश किया गया है, अपास्त किया जा सकेगा।

(4) जहां न्यायालय किसी डिक्री या आदेश को इस धारा के अधीन अपास्त करता है वहां वह, यथास्थिति, उस वाद, अपील या आवेदन में, जिसकी बाबत डिक्री या आदेश पारित किया गया था, कार्यवाही के लिए दिन नियत करेगा।

182. जहां नाविक पक्षकार है वहां परिसीमा विधि का उपांतरण—न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए, जिसमें नाविक पक्षकार है, पूर्वगामी उपबंधों में या भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित परिसीमाकाल की गणना करने में वह अवधि या अवधियां, जिसके या जिनके दौरान नाविक सेवारत नाविक रहा है तथा यदि नाविक की मृत्यु सेवारत नाविक के रूप में कार्य करने के दौरान हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख से उस तारीख तक की अवधि, जिसको उसके निकट संबंधी को पोत परिवहन मास्टर द्वारा या अन्यथा प्रथम बार नाविक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है, अपवर्जित कर दी जाएगी :

परन्तु यह धारा अग्रक्रयाधिकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से संस्थित या किए गए किसी वाद, अपील या आवेदन की दशा में, ऐसे क्षेत्रों और ऐसी परिस्थितियों में के सिवाय जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू नहीं होगी।

183. संदेहास्पद विषयों का पोत परिवहन मास्टर को निर्दिष्ट किया जाना—यदि किसी न्यायालय को इस बारे में संदेह है कि, धारा 180 और 181 के प्रयोजनों के लिए, कोई नाविक किसी विशेष समय या किसी विशेष अवधि के दौरान सेवारत नाविक है या था कि नहीं तो वह उस प्रश्न को पोत परिवहन मास्टर को निर्दिष्ट कर सकेगा और पोत परिवहन मास्टर का प्रमाणपत्र उस प्रश्न पर निश्चयक साक्ष्य होगा।

अन्य विषयों की बाबत नाविकों के संरक्षण के लिए उपबन्ध

184. परिवाद लाने की सुविधाएं—यदि नाविक या शिक्षु मास्टर से यह कथन करता है कि वह उसके विरुद्ध या कर्मिंदल में से किसी के विरुद्ध ¹[यथास्थिति, किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या अन्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष परिवाद लाना चाहता है तो मास्टर,—

(क) यदि पोत उस समय ऐसे स्थान पर है, जहां, यथास्थिति, ¹[कोई प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या अन्य समुचित अधिकारी है, तो ऐसा कथन किए जाने के पश्चात् उतना शीघ्र जितना पोत की यात्रा में संभव हो, और

(ख) यदि पोत उस समय ऐसे स्थान पर नहीं है तो ऐसे स्थान पर उसके प्रथम बार पहुंचने के पश्चात् उतना शीघ्र जितना पोत की यात्रा में संभव हो,

परिवादी को किनारे जाने की अनुज्ञा देगा या उसे समुचित संरक्षण के अधीन किनारे भेजेगा जिससे कि वह परिवाद लाने में समर्थ हो सके।

185. उद्धारण के समनुदेशन या विक्रय का अविधिमान्य होना—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नाविक या शिक्षु को देय उद्धारण का उसके उद्धृत होने के पूर्व किया गया कोई समनुदेशन, समनुदेशन करने वाले व्यक्ति को आबद्ध नहीं करेगा, तथा किसी ऐसे उद्धारण की प्राप्ति के लिए कोई मुख्तारनामा या प्राधिकार अप्रतिसंहरणीय नहीं होगा।

186. समुद्र यात्रा के अंत तक किसी ऋण का वसूलीय न होना—सेवा करने के लिए नियुक्त किए जाने के पश्चात् किसी नाविक द्वारा उपगत कोई ऋण तब तक वसूलीय नहीं होगा जब तक करार की गई सेवा समाप्त नहीं हो जाती।

187. नाविक की सम्पत्ति का निरुद्ध न किया जाना—(1) कोई व्यक्ति जो नाविक या शिक्षु के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण के अधीन ग्रहण करेगा या लेगा नाविक या शिक्षु द्वारा उसकी अपेक्षा किए जाने पर उसे, ऐसी रकमों की कटौती करने के अधीन रहते हुए जैसी नाविक या शिक्षु द्वारा भोजन या वासा या अन्यथा किसी बात की बाबत उक्त व्यक्ति को न्यायपूर्वक देय हो, लौटा देगा या उसके मूल्य का उसे संदाय करेगा।

(2) जहां ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] इस धारा के उल्लंघन के लिए जुर्माना अधिरोपित करता है वहां वह यह निदेश कर सकेगा कि ऐसे धन या सम्पत्ति का मूल्य, उपरोक्त कटौती के, यदि कोई है, अधीन रहते हुए अथवा स्वयं सम्पत्ति, नाविक या शिक्षु को तुरन्त संदत्त या परिदत्त की जाए।

188. वासा घर के स्वामियों द्वारा याचना करने का प्रतिषेध—जब पोत भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हो तब कोई व्यक्ति—

(क) नाविक या शिक्षु से किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर, जो वासा किराए पर लगाता है, उसका वासी होने की याचना नहीं करेगा; अथवा

(ख) नाविक या शिक्षु की कोई सम्पत्ति, उसके निदेश और मास्टर की अनुज्ञा के सिवाय, पोत के बाहर नहीं ले जाएगा।

189. नाविकों द्वारा पोत को छोड़ने के पूर्व उस पर अनुज्ञा के बिना चढ़ने का प्रतिषेध—जब पोत समुद्र यात्रा की समाप्ति पर भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंच जाता है तब यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में नहीं है या इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, नाविकों के नियोजन की समाप्ति पर या उन्हें सेवोन्मुक्त किए जाने पर (जो भी बात अन्त में हो) उनके द्वारा पोत छोड़े जाने के पूर्व मास्टर की अनुज्ञा के बिना पोत के फलक पर जाता है, तो मास्टर उसे अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा और ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही के लिए उसे तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "किसी मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अनुशासन के बारे में उपबंध

190. जीवन या पोत को खतरे में डालने वाले अवचार—भारतीय पोत का, चाहे वह पोत जहां भी हो, या किसी अन्य पोत का, जब वह पोत भारत में हो, कोई मास्टर, नाविक या शिक्षु जानबूझकर—

(क) ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिसकी प्रवृत्ति पोत को तुरन्त हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करने या उसे गम्भीर नुकसान पहुंचाने की हो अथवा पोत के या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन को तुरन्त खतरा या क्षति पहुंचाने की हो, अथवा

(ख) पोत को तुरन्त हानि होने, नष्ट होने या उसका गम्भीर नुकसान होने से परिरक्षण के लिए या पोत की या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन की क्षति से परिरक्षण के लिए उसके द्वारा किए जाने के लिए उचित और अपेक्षित किसी विधिपूर्ण कार्य को करने से इंकार नहीं करेगा या उसका लोप नहीं करेगा।

191. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति—(1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई नाविक और कोई भी शिक्षु—

(क) अपने पोत का अभित्यजन नहीं करेगा ; अथवा

(ख) उचित कारण के बिना पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में या अपने पोत में यात्रा पर अग्रसर होने में उपेक्षा नहीं करेगा या उससे इंकार नहीं करेगा, समुद्र यात्रा के प्रारम्भ पर या यात्रा के दौरान पत्तन से पोत के चलने के चौबीस घंटे के भीतर किसी समय छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा, या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना किसी समय अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह तथ्य कि वह पोत जिस पर नाविक या शिक्षु को नियुक्त किया गया है या जिसका वह है, समुद्र यात्रा के अयोग्य है एक उचित कारण समझा जाएगा :

परन्तु यह तब जब नाविक या शिक्षु ने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने में असफल रहने या इंकार करने या अपने पोत में यात्रा पर अग्रसर होने से पूर्व या पोत में स्वयं को अनुपस्थित रखने या अनुपस्थित होने से पूर्व मास्टर को या पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, नाविक कल्याण अधिकारी, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय कौसलीय आफिसर या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी पत्तन पर इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह शिकायत की हो कि पोत समुद्र यात्रा के अयोग्य है।

192. अभित्याजक के सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र को निलंबित करने की शक्ति—यदि समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जाता है कि नाविक ने अपने पोत का अभित्यजन किया है या वह अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा है तो समुचित अधिकारी महानिदेशक को इस आशय की तुरंत रिपोर्ट देगा जो तदुपरि यह निदेश कर सकेगा कि नाविक का सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र उतनी अवधि के लिए जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए प्रतिसंहत किया जाए।

193. अभित्याजक या कारावासित नाविक का पोत के फलक पर प्रवहण—(1) यदि नाविक या शिक्षु अपने पोत का अभित्यजन करता है या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है तो पोत का मास्टर, कोई मेट, स्वामी या स्वामी का अभिकर्ता ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो नाविक या शिक्षु के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकेगी, उस नाविक या शिक्षु का अपने पोत के फलक पर प्रवहण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग करा सकेगा जितना मामले की परिस्थितियों में उचित हो।

(2) भारतीय पोत पर नियुक्त नाविक या शिक्षु यदि समुद्र यात्रा के प्रारम्भ या उसके दौरान, भारत के बाहर अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अपराध करता है या अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो मास्टर, कोई मेट, स्वामी या स्वामी का अभिकर्ता तब, और वहां तक जहां तक कि उस स्थान पर लागू विधियों द्वारा अनुज्ञात हो, पहले कोई वारण्ट उपाप्त किए बिना ही उसके गिरफ्तार कर सकता है।

(3) कोई व्यक्ति अनुचित या अपर्याप्त कारण से किसी नाविक या शिक्षु को गिरफ्तार नहीं करेगा या फलक पर उसका प्रवहण नहीं करेगा।

(4) जहां नाविक या शिक्षु को अभित्यजन या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति या अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध के आधार पर किसी न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, और मास्टर या स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसी अपेक्षा करे तो न्यायालय उस अपराध के लिए सुपुर्द करने और दण्डादिष्ट करने के बजाय समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए उसे उसके पोत के फलक पर प्रवहण करा सकेगा या उसे इस प्रकार प्रवहण किए जाने के लिए पोत के मास्टर या किसी मेट, स्वामी या उसके अभिकर्ता का सौंप देगा, तथा ऐसे मामले में आदेश कर सकेगा कि मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे प्रवहण के कारण उचित रूप से उपगत कोई खर्चे और व्यय अपराधी द्वारा संदत्त किए जाएं तथा, यदि आवश्यक हो तो उस मजदूरी में से जो उसने तब अर्जित की है या उस समय अस्तित्वशील नियोजन के आधार पर आगे अर्जित की जाए, कटौती कर ली जाए।

194. अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध—विधिपूर्वक नियुक्त किया गया नाविक या कोई शिक्षु अनुशासन के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा यदि वह निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह पोत के परिदान पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् और उसे सुरक्षा में रखे जाने के पूर्व छुट्टी के बिना पोत को छोड़ देता है ;

(ख) यदि वह किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर निरन्तर अवज्ञा का या कर्तव्य की जानबूझकर निरन्तर उपेक्षा का दोषी है ;

(ग) यदि वह विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर निरन्तर अवज्ञा का या कर्तव्य की जानबूझकर निरन्तर उपेक्षा का दोषी है ;

(घ) यदि वह मास्टर पर या पोत के किसी अन्य ¹[अधिकारी या किसी नाविक या शिक्षु पर हमला करता है] ;

(ङ) यदि वह विधिपूर्ण आदेशों की अवज्ञा के लिए या कर्तव्य की उपेक्षा के लिए या पोत के नौवहन में अड़चन डालने के लिए या समुद्र यात्रा की प्रगति में बाधा डालने के लिए कर्मीदल में से किसी के साथ मिल जाता है ;

(च) यदि वह अपने पोत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या उसके भण्डार या स्योरा की बाबत आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग करता है या उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है ।

195. नाविक या शिक्षु द्वारा माल की तस्करी—(1) यदि विधिपूर्वक नियुक्त किया गया नाविक या कोई शिक्षु किसी माल की तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके कारण पोत के मास्टर या स्वामी को हानि या नुकसान हो जाता है तो वह नाविक या शिक्षु, मास्टर या स्वामी को उस हानि या नुकसान की प्रतिभूति के लिए पर्याप्त राशि के संदाय का दायी होगा और उसकी पूरी मजदूरी या उसका कोई भाग, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दायित्व की तुष्टि के लिए प्रतिधारित की जा सकेगी या किया जा सकेगा ।

(2) यदि विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई नाविक अफीम, भांग या किसी अन्य स्वापक औषधि या स्वापक पदार्थ की तस्करी के अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो महानिदेशक यह निदेश दे सकेगा कि नाविक का सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाए या उतनी अवधि के लिए जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर दिया जाए ।

196. आफिशियल लाग बुक में अपराधों की प्रविष्टि—यदि इस अधिनियम के अर्थ में अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है अथवा अवचार का कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए अपराधी का करार जुर्माना अधिरोपित करता है और यह आशयित है कि जुर्माना वसूल किया जाए तो—

(क) आफिशियल लाग बुक में उस अपराध या कार्य की प्रविष्टि की जाएगी और मास्टर, मेट और कर्मीदल में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ; और

(ख) अपराधी को, यदि वह पोत में ही है तो पोत तदन्तर किसी पत्तन पर पहुंचने के पूर्व, या यदि पोत उस समय पत्तन में है तो उसकी वहां से रवानगी के पूर्व, उस प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और उसे सुभिन्न और सुश्रव्य रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी और वह तदुपरि उसका ऐसा उत्तर दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे ; और

(ग) प्रविष्टि की प्रति का इस प्रकार से दिए जाने और पढ़कर सुनाए जाने का विवरण तथा यदि अपराधी ने कोई उत्तर दिया है तो उसे उसी प्रकार प्रविष्टि किया जाएगा और उपरोक्त रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ; और

(घ) इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियां किसी पश्चात्पूर्ती विधिक कार्यवाही में, यदि साध्य हो तो, पेश या साबित की जाएंगी, और इस प्रकार पेश किए जाने या साबित किए जाने में व्यतिक्रम की दशा में ; मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय, स्वविवेकानुसार, अपराध या अवचार का कार्य के साध्य ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा ।

197. अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट—किसी भारतीय पोत पर भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई नाविक यदि अभित्यजन करता है या भारत में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो पोत का मास्टर ऐसे अभित्यजन या अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के अड़तालीस घंटे के भीतर उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, देगा यदि उस बीच में अभित्यजक या अनुपस्थित नाविक लौट नहीं आता है ।

198. विदेश में अभित्यजन की प्रविष्टियां और प्रमाणपत्र—(1) जब कोई भारतीय पोत भारत के बाहर किसी स्थान पर हो तब उससे अभित्यजन के प्रत्येक मामले की दशा में मास्टर, ऑफिशियल लाग बुक में अभित्यजन की प्रविष्टि को उस स्थान के भारतीय कौंसलीय ऑफिसर के समक्ष पेश करे और वह अधिकारी तदुपरि प्रविष्टि की एक प्रति तैयार और प्रमाणित करेगा ।

(2) मास्टर ऐसी प्रति को तुरन्त उस पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को संप्रेषित करेगा जहां नाविक या शिक्षु को पोत परिवहन किया गया था तथा यदि अपेक्षित हो तो मास्टर उसे किसी विधिक कार्यवाही में पेश कराएगा ।

(3) उपरोक्त के अनुसार तैयार की गई और प्रमाणित की गई तात्पर्यित प्रति ऐसे अभित्यजन से संबंधित विधिक कार्यवाही में साध्य में ग्राह्य होगी ।

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 16 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

199. मजदूरी के समपहरण के लिए कार्यवाहियों में अभित्यजन साबित करने के लिए सुविधाएं—(1) जब कभी यह प्रश्न उठता है कि किसी नाविक या शिक्षु की मजदूरी पोत से अभित्यजन के लिए समपहृत की गई है या नहीं तो समपहरण पर जोर देने वाले व्यक्ति के लिए यह दर्शाना पर्याप्त होगा कि नाविक या शिक्षु को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था या वह पोत का था, तथा उसने या तो समुद्र यात्रा अथवा नियोजन पूर्ण होने के पूर्व पोत छोड़ दिया था यदि, समुद्र यात्रा का पर्यवसान भारत में होना था और पोत लौटा नहीं था तो यह कि वह पोत से अनुपस्थित था और उसके पहुंचने पर ऑफिशियल लाग बुक में सम्यक् रूप से प्रविष्टि की गई है।

(2) तदुपरि वह अभित्यजन, जहां तक उसका संबंध इस भाग के अधीन मजदूरी के किसी समपहरण से है, तब तक साबित कर दिया गया समझा जाएगा जब तक नाविक या शिक्षु सेवोन्मुक्त का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप से अन्यथा यह नहीं दर्शाता है कि उसके पास पोत छोड़ने के पर्याप्त कारण थे।

200. समपहरण का उपयोजन—(1) जहां कोई मजदूरी या अन्य संपत्ति पोत से अभित्यन के लिए इस अधिनियम के अधीन समपहृत की जाए वहां उसका उपयोजन अभित्यजन के कारण पोत के मास्टर या स्वामी को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा और, ऐसी प्रतिपूर्ति के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी।

(2) मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता मजदूरी की यदि वह मजदूरी अभित्यजन के पश्चात् अर्जित की गई हो तो ऐसी प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए उसी रीति में वसूल कर सकता है जैसे अभित्याजक समपहरण न होने की दशा में उसे वसूल कर सकता था और ऐसी मजदूरी से संबंधित किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय तदनुसार उनका संदाय करने का आदेश दे सकेगी।

201. मजदूरी के लिए वादों में समपहरण और कटौती के प्रश्नों का विनिश्चय—नाविक या शिक्षु की मजदूरी के समपहरण या उनमें से कटौतियों से संबंधित कोई प्रश्न, उस मजदूरी की बाबत विधिक रूप से संस्थित की गई किसी कार्यवाही में, इस बात के होते हुए भी अवधारित किया जा सकेगा कि वह अपराध, जिसकी बाबत प्रश्न उठा है, यद्यपि वह इस अधिनियम द्वारा कारावास तथा समपहरण दोनों से ही दंडनीय है, किसी दांडिक कार्यवाही का विषय नहीं बनाया गया है।

202. पोत परिवहन मास्टरों के साथ करारों के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय—(1) किसी नाविक पर अवचार के किसी कार्य के लिए उसके करार के अधीन अधिरोपित प्रत्येक जुर्माने की कटौती और संदाय निम्नलिखित प्रकार से किया जाए, अर्थात् :—

(क) यदि अपराधी को भारत में किसी पत्तन या स्थान पर सेवोन्मुक्त किया जाता है और वह अपराध उसकी बाबत ऐसी प्रविष्टियां, जैसी ऊपर की गई हैं, उस पोत परिवहन मास्टर के, जिसके समक्ष अपराधी को सेवोन्मुक्त किया जाता है, समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो मास्टर या स्वामी ऐसे जुर्माने की कटौती अपराधी की मजदूरी में से करेगा और उसका संदाय ऐसे पोत परिवहन मास्टर को करेगा ; और

(ख) यदि नाविक की सेवोन्मुक्ति भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर की जाती है और वह अपराध ऐसी प्रविष्टियां जैसी ऊपर कही गई हैं उस भारतीय कौंसलीय अधिकारी के, जिसकी मंजूरी से नाविक को इस प्रकार सेवोन्मुक्त किया जाता है, समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो तदुपरि उस जुर्माने की कटौती उपरोक्त प्रकार से की जाएगी, और ऐसी कटौती की प्रविष्टि ऑफिशियल लाग बुक में की जाएगी और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा पोत की भारत वापसी पर मास्टर या स्वामी ऐसे जुर्माने का संदाय उस पोत परिवहन मास्टर को करेगा जिसके समक्ष कर्मिदल सेवोन्मुक्त किया जाए।

(2) अवचार का वह कार्य, जिसके लिए ऐसा कोई जुर्माना किया गया है और संदत्त किया गया है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा दंडनीय नहीं होगा।

(3) पोत परिवहन मास्टर द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त किए गए सभी जुर्मानों के आगम नाविकों के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग में लाए जाएंगे जैसी केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

203. नाविक या शिक्षु को अभित्यजन के लिए फुसलाया जाना—कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से किसी नाविक या शिक्षु को उसके पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने या समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने की उपेक्षा करने या इंकार करने या पोत का अभित्याग करने के लिए या उससे उसके कर्तव्य से अन्यथा अनुपस्थित रहने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा।

204. अभित्याजकों को संश्रय न देना—कोई व्यक्ति ऐसे नाविक या शिक्षु को, जिसने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने से जानबूझकर उपेक्षा की है या इंकार किया है या अपने पोत का अभित्यजन किया है यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि नाविक या शिक्षु ने ऐसा किया है, उसे संश्रय नहीं देगा या नहीं छिपाएगा :

¹[परन्तु इस धारा के उपबंधों का विस्तार उस मामले में नहीं होगा जिसमें नाविक या शिक्षु के पति या पत्नी द्वारा संश्रय दिया गया है या छिपाया गया है।]

205. भराई करने वालों और नाविकों का विवशता के अधीन वहन—(1) कोई व्यक्ति पोत में स्वयं को नहीं छिपाएगा और स्वामी, अभिकर्ता या मास्टरों या मेट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना जो सम्मति देने के लिए हकदार है पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा।

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 17 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

(2) ऐसा प्रत्येक सागरगामी व्यक्ति जिसे पोत का मास्टर इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के प्राधिकार के अधीन पोत पर सवार करने और वहन करने के लिए बाध्य है तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त सम्मति के बिना पोत में समुद्र यात्रा पर जाता है अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हीं विधियों के उन्हीं विनियमों तथा अनुशासन भंग के कारण होने वाले अपराधों या अनुशासन भंग करने की प्रवृत्ति रखने वाले अपराधों के लिए वैसे ही जुर्मानों के और दंडों के अधीन होगा मानो वह कर्मिंदल का सदस्य है और उसने साथ करार पर हस्ताक्षर किया है।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्मति के बिना किसी पोत पर समुद्र यात्रा पर चला जाता है तो भारत में, या भारत के बाहर, किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचने वाले किसी भारतीय पोत का मास्टर और भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत का मास्टर उस तथ्य की रिपोर्ट पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र समुचित अधिकारी को लिखित में देगा।

206. भारत में पोत परिवहन न किए गए नाविक के मास्टर या स्वामी की शिकायत पर, कारावासित किए जाने की दशा में प्रक्रिया—यदि भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई नाविक पोत के मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी शिकायत पर या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए उसे एक मास से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया है कारावासित किया जाता है तो—

(क) कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की या ऐसे अधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को ऐसे कारावास की अवधि के दौरान नाविक के रूप में भारत में पोत के फलक पर कार्य के लिए नियुक्त नहीं करेगा; और

(ख) केन्द्रीय सरकार या ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ऐसे नाविक को उस पोत के मास्टर या स्वामी को जिस पोत पर सेवा करने के लिए उसे नियुक्त किया गया है सौंप सकेगी या सौंप सकेगा और यदि ऐसा मास्टर या स्वामी केन्द्रीय सरकार या उपरोक्त अधिकारी के समाधानप्रद रूप से कारण बताए बिना उस नाविक को ग्रहण करने से इंकार करता है तो केन्द्रीय सरकार या उपरोक्त अधिकारी ऐसे मास्टर या स्वामी से—

(i) ऐसे नाविक को शोध्य मजदूरी और उसका धन और अन्य संपत्ति;

(ii) ऐसी राशि जैसी केन्द्रीय सरकार या उपरोक्त अधिकारी की राय में ऐसे नाविक के उस पत्तन तक, जहां से उसका पोत परिवहन किया गया है और खर्च के ऐसे मापमान के अनुसार जो कष्टग्रस्त नाविकों की दशा में प्रायः दिए जाते हैं, यात्रा व्यय के खर्च को चुकाने के लिए पर्याप्त राशि,

स्थानीय पोत परिवहन कार्यालय में जमा करने की अपेक्षा करेगी या करेगा।

207. ऐसे नाविक को जिसका भारत में पोत परिवहन नहीं किया गया है और जो कारावास भोग रहा है, फलक पर भेजने की शक्ति—यदि भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई नाविक किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए उसे तीन मास से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया है, कारावासित किया जाता है, और यदि ऐसे कारावास के दौरान तथा उसकी नियुक्ति की समाप्ति से पूर्व उसकी सेवाएं पोत के फलक पर अपेक्षित हैं तो मास्टर या स्वामी या उसके अभिकर्ता की प्रार्थना पर कोई मजिस्ट्रेट नाविक को समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए पोत के फलक पर प्रवहण करा सकेगा या उसे पोत के मास्टर या किसी मेट के पास या स्वामी या उसके अभिकर्ता के पास, उनके द्वारा उसका प्रवहण किए जाने के लिए इस बात के होते हुए भी भिजवा सकेगा कि वह अवधि जिसके लिए उसे कारावास का दंड दिया गया था, समाप्त नहीं हुई है।

208. मास्टर के परिवर्तन पर दस्तावेजों का उत्तराधिकारी को सौंप जाना—(1) यदि समुद्र यात्रा के दौरान किसी भारतीय पोत के मास्टर को हटा दिया जाता है या अतिष्ठित कर दिया जाता है या वह किसी अन्य कारण से पोत को छोड़ देता है और कमान किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उक्त मास्टर पोत के नौवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और पोत के कर्मिंदल को, जो उसकी अभिरक्षा में है, अपने उत्तराधिकारी को सौंप देगा।

(2) ऐसा उत्तराधिकारी पोत का कमान ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात् ऑफिशियल लाग बुक में उन दस्तावेजों की सूची दर्ज करेगा जो उसे इस प्रकार सौंपी गई है।

209. एक पोत से दूसरे पोत को नाविक के अंतरण होने पर दस्तावेजों का संप्रेषण—जहां किसी नाविक को, उसके करार के अधीन एक पोत से दूसरे पोत को अंतरित कर दिया जाता है वहां उस पोत का मास्टर, जिससे नाविक को अंतरित किया गया है, यथासाध्य शीघ्र, अन्य पोत के मास्टर को नाविक संबंधित वे सब दस्तावेज, जो उसके कब्जे में हैं, संप्रेषित करेगा।

210. विदेश में नियुक्त किए गए नाविक या शिक्षु का भारत में छोड़ा जाना—(1) पोत का मास्टर भारत के बाहर नियुक्त किए गए नाविक या शिक्षु को तब तक भारत में किसी स्थान पर सेवोन्मुक्त नहीं करेगा जब तक वह ऐसे अधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, लिखित मंजूरी पहले अभिप्राप्त नहीं कर लेता है; किन्तु ऐसी मंजूरी को, तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक नाविक या शिक्षु की सेवा समाप्ति पर उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस उपधारा के अधीन मंजूरी इस प्रकार नियुक्त किए गए अधिकारी के विवेकानुसार दी जाएगी या विधायित की जाएगी, किन्तु जब भी वह विधायित की जाती है तब उसे विधायित करने के कारण उस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे।

211. विदेशी पोतों के अभित्याजक—(1) जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि भारत के बाहर किसी देश की सरकार द्वारा भारतीय पोतों से उस देश में अभित्यजन करने वाले नाविकों को बरामद करने और उन्हें पकड़ने के लिए सम्यक् सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिकथित करते हुए कि ऐसी सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी, यह घोषित कर सकेगी कि वह धारा ऐसे देश के पोतों के नाविकों को, ऐसी परिसीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए लागू होगी।

(2) जहां यह धारा किसी देश के पोत के नाविकों को लागू होती है और किसी ऐसे पोत से, जब तक वह भारत में हो, कोई नाविक अभित्यजन करता है तो कोई भी न्यायालय, जो तब मामले का संज्ञान कर सकता था जब नाविक या शिक्षु ने भारतीय पोत से अभित्यजन किया होता, उस देश के कौंसलीय आफिसर के आवेदन पर, अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देगा और उस प्रयोजन के लिए, शपथ दी गई जानकारी पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकेगा तथा अभित्यजन का सबूत दिए जाने पर उसका उसके पोत पर प्रवहण किए जाने का या उस पोत के मास्टर या मेट या स्वामी या उसके अभिकर्ता को अभित्याजक का इस प्रकार के प्रवहण किए जाने के लिए परिदत्त किए जाने का आदेश और कोई ऐसा वारण्ट या आदेश तदनुसार निष्पादित किया जा सकेगा।

ऑफिशियल लाग

212. ऑफिशियल लागों का रखा जाना और दिनांकित किया जाना—(1) दो सौ सकल टन भार से कम के देशी व्यापार पोत के सिवाय प्रत्येक भारतीय पोत में एक ऑफिशियल लाग विहित प्ररूप में रखी जाएगी।

(2) ऑफिशियल लाग, मास्टर या स्वामी के विवेकानुसार सुभिन्न रूप से या पोत के साधारण लाग के साथ इस प्रकार से जोड़ कर रखी जाएगी जिससे कि सब मामलों में ऑफिशियल लाग बुक के रिक्त स्थानों को सम्यक् रूप से भरा जा सके।

213. ऑफिशियल लाग बुक में प्रविष्टियां कैसे और कब की जाएंगी—(1) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रविष्टि ऑफिशियल लाग बुक में, उस घटना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र की जाएगी जिससे यह सम्बन्धित है, तथा यदि वह घटना वाले दिन नहीं की जाती है तो वह इस प्रकार से की जाएगी और दिनांकित की जाएगी जिससे घटना की तारीख और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि प्रकट हो सके और यदि प्रविष्टि पोत के उन्मोचन के अन्तिम पत्तन पर पहुंचने से पूर्व हुई किसी घटना की बाबत की जाती है तो वह उसकी पहुंच के चौबीस घण्टे से अधिक पश्चात् नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ऑफिशियल लाग बुक में की प्रत्येक प्रविष्टि मास्टर द्वारा और मेट या कर्मीदल के किसी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, तथा—

(क) यदि प्रविष्टि क्षति या मृत्यु की प्रविष्टि है तो फलक पर के चिकित्सीय अधिकारी द्वारा भी, यदि कोई है, हस्ताक्षरित की जाएगी, और

(ख) यदि प्रविष्टि ऐसे नाविक या शिक्षु को, जिसकी मृत्यु हो गई है, शोध्य मजदूरी या उसकी सम्पत्ति की बाबत है तो मेट द्वारा और मास्टर के अतिरिक्त कर्मीदल के किसी अन्य सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षरित की जाएगी।

(3) ऑफिशियल लाग बुक में इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित रीति में की गई प्रत्येक प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

214. ऑफिशियल लाग बुक में दर्ज की जाने के लिए अपेक्षित प्रविष्टियां—(1) उस पोत का मास्टर, जिसके लिए ऑफिशियल लाग बुक अपेक्षित है, निम्नलिखित विषयों को ऑफिशियल लाग बुक में प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा, अर्थात्:—

(क) उसके कर्मीदल के सदस्य की किसी विधिक अधिकरण द्वारा प्रत्येक दोषसिद्धि और दिया गया दण्ड ;

(ख) उसके कर्मीदल के सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अपराध जिसके लिए अभियोजन करना या समपहरण करना या जुर्माना आहरित करना आशयित है, तथा जैसा कि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है उस प्रविष्टि को पढ़ कर सुनाए जाने की बाबत और आरोप के उत्तर की बाबत (यदि कोई हो) विवरण ;

(ग) प्रत्येक अपराध जिसके लिए फलक पर दण्ड दिया जाता है तथा दिया गया दण्ड ;

(घ) उसके कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य के कार्य की क्वालिटी की बाबत रिपोर्ट या ऐसा विवरण कि मास्टर उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता तथा राय ने देने के कारणों का विवरण ;

(ङ) कर्मीदल के सदस्य को होने वाली बीमारी, उपहृति या क्षति का प्रत्येक मामला तथा उसकी प्रकृति और अपनाया गया चिकित्सीय उपचार (यदि कोई हो) ;

(च) फलक पर होने वाली मृत्यु का प्रत्येक मामला और उस मृत्यु का कारण तथा ऐसी विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं ;

(छ) फलक पर होने वाला प्रत्येक जन्म, शिशु लड़का है या लड़की माता-पिता के नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं ;

(ज) फलक पर होने वाला प्रत्येक विवाह और पक्षकारों के नाम और आयु ;

(झ) ऐसे प्रत्येक नाविक या शिक्षु का नाम जो मृत्यु से भिन्न किसी कारण से कर्मीदल का सदस्य नहीं रह जाता है, और सदस्य न रहने का स्थान, समय, रीति और कारण ;

(ञ) समुद्र यात्रा के दौरान मरने वाले नाविक या शिक्षु को, शोधय मजदूरी और उसमें से की जाने वाली सभी कटौतियों की रकमें ;

(ट) समुद्र यात्रा के दौरान मरने वाले नाविक या शिक्षु का लिया गया धन या अन्य सम्पत्ति ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो ऑफिशियल लाग बुक में प्रविष्टि के लिए विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

(2) प्रत्येक ऐसे पोत का मास्टर, भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने पर या ऐसे अन्य समय और स्थान पर जैसा, केन्द्रीय सरकार किसी पोत या पोतों के वर्ग की बाबत निर्दिष्ट करे ऐसे प्ररूप में जैसा महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए पोत के फलक पर किसी बालक के जन्म, या किसी व्यक्ति की मृत्यु की बाबत उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का एक विवरण महानिदेशक को परिदत्त करेगा या संप्रेषित करेगा ।

(3) (क) महानिदेशक उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई विवरणियों में से ऐसी विवरणियों की, जिनका सम्बन्ध भारत के नागरिकों से है, एक प्रमाणित प्रति ऐसे अधिकारी को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, तथा ऐसे अधिकारी उसे ऐसी रीति में, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, परिरक्षित कराएगा ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्ति के संबंध में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर की गई प्रविष्टि को प्रत्येक ऐसी प्रति प्रमाणित प्रति समझी जाएगी ।

215. ऑफिशियल लागों की बाबत अपराध—(1) ऑफिशियल लाग बुक इस अधिनियम में अपेक्षित रीति में रखी जाएगी और वह प्रविष्टि, जो इस अधिनियम द्वारा उसमें प्रविष्टि की जाने के लिए निर्दिष्ट है, इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट समय पर और रीति में की जाएगी ।

(2) कोई व्यक्ति किसी ऐसी घटना की बाबत जो पोत के अपने उन्मोचन के अंतिम पत्तन पर पहुंचने से पूर्व घटी है, पोत के पहुंचने के चौबीस घण्टे से अधिक पश्चात् ऑफिशियल लाग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं करेगा या नहीं कराएगा या ऐसी प्रविष्टि की जाने में सहायता नहीं देगा ।

216. ऑफिशियल लागों का पोत परिवहन मास्टरों को परिदान—ऐसे प्रत्येक जलयान का मास्टर जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन ऑफिशियल लाग बुक रखने की अपेक्षा की गई है, पोत के भारत में उसके गंतव्य स्थान के अंतिम पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर या कर्मीदल की सेवोन्मुक्ति पर दोनों में से जो भी बात पहले हो, समुद्र यात्रा की ऑफिशियल लाग बुक का परिदान उस पोत परिवहन मास्टर को करेगा जिसके समक्ष कर्मीदल को सेवोन्मुक्त किया जाता है ।

217. पोत के अन्तरण या खो जाने की दशा में ऑफिशियल लागों का पोत मास्टर को भेजा जाना—(1) यदि किसी कारण से किसी भारतीय पोत की बाबत ऑफिशियल लाग की आवश्यकता न रह जाए तो पोत का मास्टर या स्वामी ऐसी आवश्यकता समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि पोत तब भारत में है तो एक मास के भीतर, और यदि पोत अन्यत्र है तो छह मास के भीतर ऑफिशियल लाग बुक की समाप्ति के समय तक सम्यक् रूप से पूरा करके उस पत्तन के, जहां वह पोत है, पोत परिवहन मास्टर को परिदत्त या संप्रेषित करेगा ।

(2) यदि पोत खो जाए या छोड़ दिया जाए तो उसका मास्टर या स्वामी यदि साध्य हो तो यथासंभव शीघ्र पोत के खो जाने या छीने जाने के समय तक ऑफिशियल लाग बुक को सम्यक् रूप से पूरा करके उस पोत के रजिस्ट्री पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को परिदत्त या संप्रेषित करेगा ।

सागरगामी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

218. सागरगामी व्यक्ति राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के कृत्य—(1) केन्द्रीय सरकार साधारणतया नाविकों के (चाहे वे तट पर हों, या पोत के फलक पर) कल्याण संवर्धन के लिए उपायों की बाबत तथा विशिष्टतया निम्नलिखित की बाबत उसे परामर्श देने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक परामर्श बोर्ड का गठन करेगा जिसका नाम सागरगामी व्यक्ति राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (जिसमें इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) होगा—

(क) नाविकों के लिए होस्टलों या बोर्डिंगों और आवास गृहों की स्थापना ;

(ख) नाविकों के फायदे के लिए क्लबों, कैन्टीनों, पुस्तकालयों और अन्य सुख-सुविधाओं की स्थापना ;

(ग) नाविकों के लिए अस्पतालों की स्थापना या नाविकों के लिए चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था ;

(घ) नाविकों के लिए शैक्षिक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ।

(2) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी :—

- (क) बोर्ड की संरचना और उसके सदस्यों की पदावधि ।
- (ख) बोर्ड द्वारा कारबार के संचालन में अपनाई जानी वाली प्रक्रिया ;
- (ग) बोर्ड के सदस्यों को देय यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते ;
- (घ) नाविकों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाए (जो विभिन्न वर्गों के पोतों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेगी) पोतों के स्वामियों द्वारा संदेय फीसों का उद्ग्रहण और नाविकों के कल्याण के लिए अन्य उपाय करना ;
- (ङ) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ऐसी फीसें संगृहीत या वसूल की जा सकेंगी, और वह रीति जिसमें ऐसी फीसों के आगम, संग्रहण के खर्चों की कटौती करने के पश्चात् खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोजित किए जाएंगे ।

¹[218क. समुद्रीय श्रम अभिसमय के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, समुद्रीय श्रम अभिसमय के उपबंधों का ध्यान रखते हुए और भारत में ऐसे संगठनों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा नाविकों के नियोजकों का और नाविकों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला अधिसूचित करे, परामर्श करने के पश्चात्, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (i) धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (गग) के अधीन सप्ताह में कार्य-घंटे और विश्राम ;
- (ii) धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (चच) के अधीन छुट्टी की हकदारी ;
- (iii) धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन रात्रि में कार्य की अवधि ;
- (iv) धारा 168 की उपधारा (7) के अधीन पोतों पर नाविकों को प्रदत्त खाद्य को लागू खानपान मानकों सहित खाद्य और पेय जल की मात्रा और गुणवत्ता के लिए मानक ;
- (v) धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं और खंड (ख) के अधीन चिकित्सीय सुविधाएं ;
- (vi) धारा 176क की उपधारा (2) के अधीन पोतों को प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र की रीति और प्ररूप ;
- (vii) धारा 176क की उपधारा (3) के अधीन सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र और सामुद्रिक श्रम अनुपालन की घोषणा के कब्जे का सत्यापन करने के लिए पोत में निरीक्षण करने की रीति ;
- (viii) कोई अन्य विषय, जो सामुद्रिक श्रम अभिसमय से संबंधित विहित किया जाए या विहित किया जाना है ।]

भाग 8

यात्री पोत

यात्री पोतों का सर्वेक्षण

219. भाग का लागू होना—यह भाग केवल नौ दहन के यांत्रिक साधनों से युक्त समुद्रगामी यात्री पोतों को लागू है किन्तु ²[विशेष व्यापार यात्री पोतों] से संबंधित इस भाग के उपबन्ध—

- (क) किसी ऐसे माल को, जो तीस से अधिक ²[विशेष व्यापार यात्रियों] का वहन नहीं कर रहा हो ; या
- (ख) किसी ऐसे पोत को जो भारत में किसी पत्तन या स्थान को या उससे ²[विशेष व्यापार यात्रियों] के वहन के लिए आशयित नहीं हो,

लागू नहीं होंगे ।

220. पोत द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना यात्रियों का वहन न करना—(1) कोई पोत भारत में के पत्तनों या स्थानों के बीच या भारत में के किसी पत्तन या स्थान को या उससे भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से या उस तक बारह से अधिक यात्रियों का वहन तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास और उस समुद्र यात्रा के लिए, जिसकी ओर वह अग्रसर होने वाला है, या उस सेवा के लिए जिसके लिए उसे नियोजित किया जाने वाला है, इस भाग के अधीन प्रवृत्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्र न हो :

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे पोत को, जिसे धारा 235 के अधीन प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि प्रमाणपत्र से यह प्रतीत न हो कि वह उस समुद्र यात्रा के लिए जिस पर पोत अग्रसर होने वाला है, या उस सेवा के लिए जिसके लिए उसे नियोजित किया जाने वाला है, लागू नहीं है, अथवा जब तक यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह पोत प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के पश्चात् क्षतिग्रस्त हो गया है या नुकसान पहुंचा है या वह समुद्र यात्रा के अयोग्य या अन्यथा अक्षम है।

(2) कोई सीमाशुल्क अधिकारी किसी ऐसे पोत को, जिसके लिए इस भाग द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अपेक्षित है, तब तक न तो पत्तन निकासी मंजूर करेगा और न उस पोत के लिए कोई पाइलट समनुदेशित किया जाएगा, जब तक उसका स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर इस भाग के अधीन प्रवृत्त प्रमाणपत्र, जो उस समुद्र यात्रा के लिए जिसकी ओर वह पोत अग्रसर होने वाला है, या उस सेवा के लिए जिसके लिए उसे नियोजित किया जाने वाला है, लागू है, पेश नहीं कर देता है।

(3) यदि कोई ऐसा पोत, जिसके लिए इस भाग द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अपेक्षित है, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के बिना किसी पत्तन को छोड़ेगा या छोड़ने का प्रयास करेगा तो सीमाशुल्क कलक्टर या पोत पर सवार कोई पाइलट उसे तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है।

221. सर्वेक्षण की शक्ति—(1) प्रत्येक ऐसे यात्री पोत का स्वामी या अभिकर्ता, जिसके लिए इस भाग के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अपेक्षित है, उसका सर्वेक्षण विहित रीति में कराएगा।

(2) सर्वेक्षक, इस धारा के अधीन सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर पोत के फलक पर जा सकेगा और पोत और उसके किसी भाग तथा उसके फलक पर की मशीनों, उपस्कर या वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु यह तब जब वह पोत की लदाई या उतराई में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं डालता है या किसी समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने से उसे अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं करता है या उसमें विलम्ब नहीं करता है।

(3) पोत का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर और प्रत्येक अधिकारी सर्वेक्षण के लिए सब उचित सुविधाएं देगा, और पोत तथा उसकी मशीनों और उपस्करों या उसके किसी भाग की बाबत ऐसी सब जानकारी देगा जैसी सर्वेक्षक द्वारा उचित रूप से अपेक्षित हो।

222. सर्वेक्षण की बाबत फीस—इस अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व उस पोत का जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर ऐसे अधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए,—

(क) पोत के टन भार पर विहित दरों के अनुसार संगणित फीस देगा ; और

(ख) यदि सर्वेक्षण मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास से भिन्न किसी सर्वेक्षण पत्तन पर किया जाता है तो उस पत्तन तक सर्वेक्षक की यात्रा के लिए व्यय (यदि कोई है) की बाबत उतनी अतिरिक्त फीस देगा जितनी केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

223. सर्वेक्षण की घोषणा—इस भाग के अधीन सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर ऐसा सर्वेक्षण करने वाला सर्वेक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का औचित्य है तो, सर्वेक्षण किए गए पोत के स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर को, विहित प्ररूप में निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त एक सर्वेक्षण घोषणा तुरन्त परिदत्त करेगा, अर्थात् :—

(क) यह कि पोत के हल और मशीन आशयित सेवा के लिए पर्याप्त हैं और अच्छी दशा में हैं ;

(ख) यह कि पोत का उपस्कर ऐसी दशा में है, और मास्टर, मेटों, इंजीनियरों या इंजन चालकों तथा रेडियो बेतार प्रचारकों के प्रमाणपत्र ऐसे हैं, जैसे इस अधिनियम द्वारा तत्समय प्रवृत्त और पोत को लागू किसी अन्य विधि द्वारा अपेक्षित है ;

(ग) वह अवधि (यदि अवधि एक वर्ष से कम है) जिसके लिए पोत का हल, मशीनें और उपस्कर पर्याप्त होंगे ;

(घ) वे यात्राएं या यात्राओं के वर्ग जिन पर जाने के लिए पोत, सर्वेक्षक की राय में, पोत के निर्माण और उपस्करों की दृष्टि से ठीक है ;

(ङ) यात्रियों की वह संख्या जिसका वहन करने के लिए पोत, सर्वेक्षक की राय में ठीक है, यदि आवश्यक हो तो डैक पर, कैबिनो में तथा डैक और कैबिनो के विभिन्न भागों में वहन किए जाने वाले यात्रियों की संख्याएं पृथक्-पृथक् दी जा सकेंगी ; ऐसी संख्या वर्ष के समय, समुद्र यात्रा की प्रकृति, वहन किए जा रहे स्थोरा या अन्य परिस्थितियों की दृष्टि से ऐसी शर्तों और फेरफारों के अध्याधीन होगी जैसी उस मामले में अपेक्षित हों ; तथा

(च) कोई अन्य विहित विशिष्टियां।

224. स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर द्वारा घोषणा का केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना—(1) वह स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर जिसे सर्वेक्षण घोषणा दी जाए, उसे प्राप्त करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर उसे ऐसे अधिकारी को भेजेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

(2) यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर ऐसा करने में असफल रहेगा तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान घोषणा के भेजे जाने में विलम्ब हो, पांच रुपए प्रतिदिन से अनधिक राशि उससे समपहृत की जाएगी तथा वह इस प्रकार समपहृत की गई किसी राशि का संदाय सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के परिदान के समय करेगा।

225. केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की मंजूरी—(1) सर्वेक्षण घोषणा प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस भाग के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, एक प्रमाणपत्र दो प्रतियों में तैयार कराएगी और उसे उस पत्तन के, जिस पर पोत का सर्वेक्षण किया गया है, ऐसे अधिकारी के माध्यम से जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे सर्वेक्षण किए गए पोत के स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर को, उसके द्वारा आवेदन किए जाने और धारा 224 में उल्लिखित राशियों का (यदि कोई हैं) संदाय करने पर, परिदत्त कराएगी।

(2) इस धारा के अधीन मंजूर किया गया प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में होगा उसमें इस आशय का विवरण रहेगा कि पोत के सर्वेक्षण और उसकी बाबत सर्वेक्षण घोषणा के पारेषण कि इस भाग के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है, तथा उसमें—

(क) पोत की बाबत ऐसी विशिष्टियां जैसी धारा 223 के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) की अपेक्षाओं के अनुसार सर्वेक्षण घोषणा में रहनी चाहिए; और

(ख) कोई अन्य विहित विशिष्टियां,

भी दी जाएंगी।

226. द्वितीय सर्वेक्षण का आदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि इस भाग के अधीन सर्वेक्षण करने वाला सर्वेक्षक किसी पोत की बाबत धारा 223 के अधीन सर्वेक्षण घोषणा देने से इंकार कर देता है या ऐसी घोषणा देता है, जिससे सर्वेक्षण किए गए पोत का स्वामी या अभिकर्ता या मास्टर असंतुष्ट है तो केन्द्रीय सरकार स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जैसी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे और जो पूर्व सर्वेक्षण के लिए फीस की रकम के दुगुने से अधिक नहीं है, किसी अन्य सर्वेक्षक को पोत का सर्वेक्षण करने का आदेश देगी।

(2) इस प्रकार निर्दिष्ट सर्वेक्षक तुरन्त पोत का सर्वेक्षण करेगा और सर्वेक्षण के पश्चात् या तो घोषणा देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी घोषणा दे सकेगा जैसी उसे उन परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो और उसका विनिश्चय, उसके सिवाय, जैसा इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित है, अंतिम होगा।

227. सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों की अस्तित्वावधि—(1) इस भाग के अधीन मंजूर किया गया सर्वेक्षण प्रमाणपत्र—

(क) जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्; या

(ख) यदि वह अवधि एक वर्ष से कम है, तो उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए हल, बायलर, इंजन या उपस्करों में से किसी के पर्याप्त होने का उल्लेख प्रमाणपत्र में किया गया है; या

(ग) उस पोत के, जिससे प्रमाणपत्र का सम्बन्ध है, स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर को केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सूचना दिए जाने के पश्चात् कि केन्द्रीय सरकार ने प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित कर दिया है,

प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(2) यदि प्रमाणपत्र के अवसान के समय कोई यात्री पोत भारत से अनुपस्थित है तो सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की बाबत इस भाग के उपबन्धों का तब तक उल्लंघन नहीं समझा जाएगा जब तक पोत भारत में अगली वापसी के पश्चात् यात्रियों को लेकर प्रथम बार यात्रा आरम्भ नहीं कर देता।

228. केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन—(1) इस भाग के अधीन मंजूर किया गया सर्वेक्षण प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि :—

(क) सर्वेक्षक द्वारा हल, बायलर, इंजन या पोत के उपस्करों में से किसी की पर्याप्तता की बाबत घोषणा कपटपूर्वक या गलती से की गई थी; या

(ख) प्रमाणपत्र झूठी या त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर अन्यथा जारी किया गया था।

(2) किसी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को उपधारा (1) के अधीन रद्द या निलंबित करने के पूर्व प्रमाणपत्र के धारक को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा कि प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित क्यों नहीं कर दिया जाए :

परन्तु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किया जाएगा, प्रमाणपत्र के धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं था।

229. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को मंजूरी के पश्चात् पोत में परिवर्तन और अतिरिक्त सर्वेक्षण—(1) जिस पोत की बाबत इस भाग के अधीन दिया गया सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर किया जाता है उसका स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर पोत के हल, उपस्कर या मशीन में ऐसा कोई परिवर्तन किए जाने के पश्चात् जो पोत की सक्षमता या यात्रा-योग्यता पर प्रभाव डालता है, ऐसे व्यक्ति को, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, परिवर्तन की पूर्ण विशिष्टियों सहित लिखित सूचना यथासंभव शीघ्र देगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पोत की बाबत सर्वेक्षण की अंतिम घोषणा किए जाने के पश्चात्—

(क) पोत के हल, उपस्कर या मशीन में उपरोक्त जैसा कोई परिवर्तन किया गया है, या

(ख) पोत के हल, उपस्कर मशीन को कोई क्षति हुई है या वे अन्यथा अपर्याप्त हैं,

तो केन्द्रीय सरकार, पोत का ऐसे विस्तार तक, जैसा वह ठीक समझे, पुनः सर्वेक्षण कराने की अपेक्षा कर सकेगी, और यदि ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता तो उक्त पोत की बाबत इस भाग के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगी।

230. पर्यवसित या रद्द किए गए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के परिदान की अपेक्षा करने की शक्ति—इस भाग के अधीन मंजूर किया गया प्रत्येक सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, जब वह पर्यवसित हो जाए, या रद्द कर दिया जाए या निलंबित कर दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को परिदत्त किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

231. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र का पोत के सहजदृश्य भाग में लगाया जाना—जिस पोत के लिए इस भाग के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर किया जाता है उसका स्वामी, प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर तुरन्त उसकी एक प्रति पोत के किसी सहजदृश्य भाग में, जहां उसे उस पर सवार व्यक्तियों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके, चिपकवाएगा और तब तक चिपका रहने देगा जब तक प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है और पोत को प्रयोग में लाया जाता है।

232. पोत द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए यात्रियों का वहन न करना—(1) किसी समुद्र यात्रा पर जाने वाला कोई पोत धारा 220 का उल्लंघन करते हुए यात्रियों का वहन नहीं करेगा या वहन करने का प्रयास नहीं करेगा या वह पोत के फलक पर या उसके किसी भाग पर उतनी संख्या से अधिक संख्या में यात्रियों को नहीं लेगा जितनी संख्या सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में यात्रियों की ऐसी संख्या के रूप में दी गई है जिसका समुद्र यात्रा पर वहन करने के लिए वह पोत या उसका वह भाग योग्य है।

(2) यदि ऐसे किसी पोत का, जो धारा 220 का उल्लंघन करते हुए यात्रियों का वहन करता है या वहन करने का प्रयास करता है, मास्टर या कोई अन्य अधिकारी अनुज्ञप्त पाइलट है तो वह पाइलट के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का उतनी अवधि के लिए जितनी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

यात्री पोतों में व्यवस्था बनाए रखना

233. यात्री पोतों के संबंध में अपराध—(1) यदि, ऐसे पोत की दशा में जिसके लिए इस भाग के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है,—

(क) कोई व्यक्ति, जिसे मत्त होने या उपद्रवी होने के कारण स्वामी या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा पोत में प्रवेश करने से इंकार कर दिया गया है और उसके किराए की रकम (यदि वह संदत्त की गई हो) लौटा दिए जाने अथवा उसे निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् भी, पोत में प्रवेश करने का प्रयत्न करता रहता है ;

(ख) कोई व्यक्ति जिससे, पोत के फलक पर मत्त होने या उपद्रवी होने के कारण, स्वामी या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी ऐसे स्थान पर, जहां वह सुविधापूर्वक ऐसा कर सकता है, पोत को छोड़ने की प्रार्थना की जाती है, और वह उसके किराए की रकम (यदि वह संदत्त की गई हो तो) लौटाए जाने या निविदत्त कर दिए जाने के पश्चात् भी, प्रार्थना का अनुपालन नहीं करता है ;

(ग) पोत पर सवार कोई व्यक्ति पोत के मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी किसी यात्री को दिक् करता है या दिक् करता रहता है ;

(घ) कोई व्यक्ति, जो किसी स्थान पर पोत के फलक पर आ जाता है और पोत के भरे होने के कारण पोत के स्वामी या उसके नियोजनाधीन किसी व्यक्ति द्वारा, पोत के उस स्थान से खाना होने के पूर्व, पोत को छोड़ने की प्रार्थना करने पर तथा उसके किराए की रकम लौटा दिए जाने (यदि वह संदत्त की गई हो तो) या निविदत्त कर दिए जाने पर भी, ऐसी प्रार्थना का अनुपालन नहीं करता है ;

(ङ) कोई व्यक्ति पहले अपने किराए का संदाय किए बिना और किराए के संदाय से बचने के आशय से पोत में यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है ;

(च) कोई व्यक्ति पोत के ऐसे स्थान पर पहुंचने पर, जिसके लिए उसने अपना किराया संदत्त किया है, जानते हुए और जानबूझकर पोत को छोड़ने से इंकार करता है या ऐसा करने में उपेक्षा करता है ;

(छ) पोत पर का कोई व्यक्ति, पोत के मास्टर या अन्य अधिकारी की प्रार्थना पर किराए का संदाय करने में या उसके किराए का संदाय प्रकट करने वाली ऐसी टिकट या अन्य रसीद, यदि कोई हो, जैसी पोत से यात्रा करने वाले और उसके लिए किराए का संदाय करने वाले व्यक्तियों को प्रायः दी जाती है, दिखाने में असफल रहता है,

तो वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) किसी ऐसे पोत पर का कोई व्यक्ति ऐसी रीति में जानबूझकर कोई ऐसी बात नहीं करेगा या नहीं कराएगा जिससे पोत की मशीन या टेकिल के किसी भाग को बाधा या क्षति पहुंचे या पोत के नौपरिवहन या प्रबन्ध में या पोत पर या उसकी बाबत कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा लगे कर्मिंदल या उसमें से किसी को बाधा पहुंचे, अड़चन हो या दिक्कत हो।

(3) किसी ऐसे पोत का मास्टर या अन्य अधिकारी और उसके द्वारा अपनी सहायता के लिए बुलाए गए सब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन कोई अपराध करता है और जिसके नाम का पता मास्टर या अधिकारी को अज्ञात है, वारण्ट के बिना निरुद्ध कर सकेगा और अपराधी को सुविधानुसार शीघ्रता से। [यथास्थिति, निकटतम प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] के समक्ष विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए ले जा सकेगा।

234. मत्त यात्रियों को यात्री पोतों से निकालने की शक्ति—किसी यात्री पोत का मास्टर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मत्त होने के कारण या अन्यथा ऐसी दशा में है या ऐसी रीति में व्यवहार करता है जिससे पोत पर सवार यात्रियों को क्षोभ या क्षति होती हो तो वह उसे पोत पर सवार होने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकता है, तथा यदि कोई ऐसा व्यक्ति सवार है तो उसे किसी सुविधापूर्ण स्थान पर किनारे पर उतार सकता है, और ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रवेश से इंकार किया जाए या जिसे किनारे पर उतार दिया जाए, ऐसे किसी किराए की वापसी का हकदार नहीं होगा जो उसने संदत्त किया है।

235. भारत के बाहर अनुदत्त सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों या आंशिक सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों वाले पोत—(1) जब यह अपेक्षित हो कि पोत को इस भाग के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र से युक्त होना चाहिए और केन्द्रीय सरकार का—

(क) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पेश किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि पोत का भारत के बाहर किसी देश के पत्तन पर सरकारी तौर पर सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) यह समाधान हो जाता है कि उस सर्वेक्षण से अधिनियम की अपेक्षाओं का तात्त्विक रूप से अनुपालन साबित हो गया है ; और

(ग) यह समाधान हो जाता है कि इस भाग के अधीन मंजूर किए गए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र उस देश में प्रवृत्त विधियों के अधीन अपेक्षित तत्स्थानी प्रमाणपत्र के स्थान पर वहां स्वीकार किए जाते हैं,

तो केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे तो, उन अपेक्षाओं की बाबत जिनका इस प्रकार अनुपालन किया गया है, पोत के किसी और सर्वेक्षण से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है, और ऐसा प्रमाणपत्र दे सकती है जिसका वही प्रभाव होगा जैसा इस भाग के अधीन सर्वेक्षण के पश्चात् दिए गए प्रमाणपत्र का है।

(2) जब केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा की है कि उसका यह समाधान हो गया है कि घोषणा में विनिर्दिष्ट, भारत से बाहर के किसी देश के पत्तन पर किया गया सरकारी सर्वेक्षण ऐसा है जिससे इस अधिनियम की अपेक्षाओं का तात्त्विक रूप से अनुपालन होना साबित हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे पत्तन पर मंजूर किए गए विधिमान्य सर्वेक्षण प्रमाणपत्र से युक्त किसी पोत की दशा में, सर्वेक्षण से अभिमुक्ति प्रदान करने और प्रमाणपत्र देने की उस शक्ति का, जो उपधारा (1) द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त है, प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध विधिमान्य आंशिक सर्वेक्षण प्रमाणपत्रों से, जिनके अन्तर्गत डाकिंग प्रमाणपत्र भी है, युक्त पोतों की दशा में वैसे ही लागू होंगे मानो ऐसे पोत भारत के बाहर के देशों के पत्तनों पर मंजूर किए गए वैसे ही प्रमाणपत्रों से युक्त पोत हैं, किन्तु यह इस उपांतरण के अधीन रहते हुए होगा कि उक्त उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

236. सर्वेक्षण के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन सर्वेक्षण करने और समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किया सकेगा, अर्थात् :—

(क) वे समय और स्थान जिन पर और वह रीति जिसमें, सर्वेक्षण किए जाएंगे ;

(ख) निर्माण, मशीनों, उपस्करों और उपखण्ड भार रेखाओं के चिह्नित करने के बारे में वे अपेक्षाएं जिन्हें पोतों को साधारणतया, या पोतों के किसी वर्ग को विशिष्टतया, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के पूर्व पूरा करना होगा ;

(ग) दो या अधिक सर्वेक्षकों द्वारा पोतों का सर्वेक्षण ;

(घ) सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षक के कर्तव्य और जहां दो या अधिक सर्वेक्षक नियोजित किए जाते हैं वहां, नियोजित किए गए सर्वेक्षकों में से प्रत्येक के कर्तव्य ;

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "निकटतम मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें इस भाग के अधीन सर्वेक्षण की घोषणाएं की जाएंगी, और सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तैयार किए जाएंगे तथा उनमें से प्रत्येक में अधिकथित की जाने वाली विशिष्टियों की प्रकृति ;

(च) वे दरें जिनके अनुसार, सर्वेक्षणों की बाबत देय फीसों सब सर्वेक्षण पत्तनों या उनमें से किसी की दशा में संगणित की जाएंगी ;

(छ) पोतों के हलों में और जलरोधी दीवारों (बल्कहेड) में प्रवेश द्वारों का बंद किया जाना और उन्हें बंद रखना ;

(ज) उपरोक्त प्रवेश द्वारों का सुरक्षित रखा जाना, और ठीक स्थान पर रखा जाना तथा उन्हें बंद करने की युक्तियों का निरीक्षण ;

(झ) उपरोक्त प्रवेश द्वारों को बंद करने की प्रयुक्तियों के मशीन तंत्र का प्रचालन और उसके प्रचालन से संबंधित अभ्यास ; तथा

(ञ) रखी जाने वाली आफिशियल लाग बुक या अन्य अभिलेख में उपरोक्त विषयों में से किसी के बारे में की जाने वाली प्रविष्टियां ।

¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] और तीर्थयात्री पोत

237. वे पत्तन या स्थान जहां विशेष व्यापार यात्री या तीर्थ यात्री चढ़ाए या उतारे जा सकेंगे—(1) ¹[कोई विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत भारत के भीतर किसी ऐसे पत्तन स्थान से रवाना या अग्रसर नहीं होगा या उस पर ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों को नहीं उतारेगा, जो उस पत्तन या स्थान से भिन्न हो, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा, ¹[विशेष व्यापार यात्री पोतों] या तीर्थ यात्री पोतों के लिए नियत किया गया है ।

(2) इस प्रकार नियत किए गए पत्तन या स्थान से समुद्र यात्रा के लिए रवाना या अग्रसर होने के पश्चात् किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, ¹[विशेष व्यापार यात्री] या तीर्थ यात्री के रूप में, इस प्रकार नियत किए गए किसी अन्य पत्तन या स्थान पर के सिवाय, पोत पर सवार करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

238. रवानगी के दिन की सूचना देना—(1) ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता पत्तन से रवाना या अग्रसर होने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए अधिकारी को यह सूचना देगा कि पोत पर ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों का वहन किया जा रहा है, पोत का गंतव्य स्थान कौन सा है तथा उसके चलने का प्रस्थापित समय क्या है ।

(2) यह सूचना—

(क) ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] की दशा में, चलने के समय से चौबीस घण्टे से अन्यून पूर्व दी जाएगी, और

(ख) तीर्थ यात्री पोत की दशा में, रवानगी के मूल पत्तन पर, यदि वह भारत में है तो और किसी अन्य दशा में, उस प्रथम पत्तन पर, जिसका वह भारत में स्पर्श करे, चलने के समय से तीन दिन से अन्यून पूर्व, तथा अन्य सब पत्तनों पर, चलने के समय से चौबीस घण्टे से अन्यून पूर्व, दी जाएगी ।

239. पोत पर प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति—धारा 238 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उस धारा के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति पोत पर किसी भी समय प्रवेश करने के लिए और उसका तथा उसकी फिटिंगों और फलक पर की रसदों और भण्डारों का निरीक्षण करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

240. क और ख प्रमाणपत्र के बिना पोत का न चलना—²(1) भारत के पत्तनों या स्थानों के बीच विशेष व्यापार यात्रियों का वहन करने के लिए आशयित पोत धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान से तब तक समुद्र यात्रा आरम्भ नहीं करेगा जब तक मास्टर के पास धारा 241 और धारा 242 में उल्लिखित प्रभाव के प्रमाणपत्र न हों ।

(1क) भारत में के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान को या विपर्यतः विशेष व्यापार यात्रियों का वहन करने के लिए आशयित पोत धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान से तब तक समुद्र यात्रा आरम्भ नहीं करेगा जब तक मास्टर के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र न हो :—

(i) यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ;

(ii) झूट प्रमाणपत्र ;

(iii) विशेष यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ;

(iv) विशेष व्यापार यात्री पोत स्थान प्रमाणपत्र ; और

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 4 द्वारा (1-12-1976 से) पूर्ववर्ती उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(v) धारा 242 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र ।]

(2) वह सीमाशुल्क कलक्टर जिसका कर्तव्य पोत निकासी पत्र मंजूर करना है, तब तक ऐसा निकासी पत्र मंजूर नहीं करेगा ¹[जब तक मास्टर के पास निर्दिष्ट समुद्र यात्रा के लिए, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में समुचित प्रमाणपत्र न हो] ।

²[241. क प्रमाणपत्र की विषयवस्तु—(1) धारा 240 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों में से प्रथम प्रमाणपत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् क प्रमाणपत्र कहा गया है) विहित प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां रहेंगी जैसी विहित की जाएं ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण और विशिष्टियां रहेंगी, अर्थात् :—

(i) यह कि पोत समुद्र यात्रा योग्य है ;

(ii) यह कि पोत समुचित रूप से उपस्करों और फिटिंगों से युक्त है तथा संवातित है ;

(iii) उन विशेष व्यापार यात्रियों की संख्या जिनका वहन करने के लिए पोत प्रमाणित है ; और

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं ।

(3) क प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी लघुतर अवधि के लिए, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।]

242. ख प्रमाणपत्र की विषयवस्तु—ख प्रमाणपत्रों में से द्वितीय प्रमाणपत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् ख प्रमाणपत्र कहा गया है) विहित प्ररूप में होगा और उसमें निम्नलिखित विवरण रहेंगे :—

(क) पोत द्वारा की जाने वाली समुद्र यात्रा और वे अंतर्वर्ती पत्तन (यदि कोई हों) जिनका वह स्पर्श करेगा ;

(ख) यह कि पोत पर समुचित संख्या में अधिकारी या नाविक हैं ;

³[(ग) यह कि मास्टर के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र हैं :—

(i) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र और क प्रमाणपत्र ; या

(ii) झूट प्रमाणपत्र सहित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और विशेष व्यापार यात्री पोत स्थान प्रमाणपत्र ; या

(iii) न्यूक्लीय यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ।]

(घ) यह कि पोत पर विहित रीति में अनुज्ञप्त उतने चिकित्सा अधिकारी और परिचारक हैं जितने विहित किए जाएं ;

(ङ) यह कि कर्मीदल के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन, ईंधन और शुद्ध जल और अन्य वस्तुएं (यदि कोई हों), जो ⁴[विशेष व्यापार यात्री पोतों] या तीर्थ यात्री पोतों के लिए विहित की जाएं, विहित क्वालिटी की, समुचित रूप से पैक की हुई और उस समुद्र यात्रा के दौरान, जो पोत को करनी है (जिसके अन्तर्गत करन्तीन के दौरान निरुद्ध रखने का समय भी है) पोत पर सवार विशेष व्यापार यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को विहित मापमान के अनुसार संदाय के लिए पोत पर रख दी गई है ;

(च) ⁴[विशेष व्यापार यात्री पोत] की दशा में, यदि पोत को ऐसे खराब मौसम में, जैसा धारा 262 के अधीन बनाए नए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, यात्रा करनी है, और ऊपरी डेक यात्रियों का वहन करना है तो, यह कि यह पोत पर्याप्त अडवाल (बुलवर्क) और बड़ा आच्छादन (डबल आर्निंग) से अथवा मौसम के लिए अन्य पर्याप्त बचाव साधनों से युक्त है ;

(छ) ⁴[विशेष व्यापार यात्री पोत] की दशा में, केबिनों की संख्या और ऐसे ⁴[विशेष व्यापार यात्रियों] की संख्या जिन्हें सवारी पत्तन से सवार किया गया है ;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों, जैसी ⁴[विशेष व्यापार यात्री पोतों] या तीर्थ यात्री पोतों के लिए विहित की जाएं ।

243. प्रमाणपत्र मंजूर करने के हकदार अधिकारी—वे व्यक्ति, जिनके द्वारा क प्रमाणपत्र और ख प्रमाणपत्र मंजूर किए जाएंगे, धारा 238 के अधीन नियुक्त अधिकारी होंगे, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रमाणकर्ता अधिकारी कहा गया है ।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 4 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 4 द्वारा (1-12-1976 से) पूर्ववर्ती धारा 241 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 6 द्वारा (1-12-1976 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

244. पोत का सर्वेक्षण—धारा 238 द्वारा अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रमाणकर्ता अधिकारी, यदि वह ठीक समझता है तो, पोत का सर्वेक्षण किसी सर्वेक्षक से, मास्टर या स्वामी के व्यय पर कराएगा। सर्वेक्षक प्रमाणकर्ता अधिकारी को यह रिपोर्ट करेगा कि पोत उसकी राय में समुद्र यात्रा योग्य है या नहीं और उस सेवा के लिए, जिसके लिए उसे लगाया गया है, उसमें समुचित उपस्कर और फिटिंग लगाई गई है या नहीं और वह समुचित रूप में संवातित है या नहीं :

¹[परन्तु यह कि वह धारा 242 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करने वाले पोत का सर्वेक्षण तब तक नहीं कराएगा जब तक कि इस कारण से कि पोत को नुकसान हुआ है या उसमें परिवर्तन किए गए हैं या किसी अन्य उचित कारण से वह समझता है कि वह पोत उस सेवा के लिए जिसके लिए उसे लगाया गया है समुद्र यात्रा के लिए अयोग्य नहीं है या समुचित उपस्करों या फिटिंग से रहित है और समुचित रूप से संवातित नहीं है।]

245. ख प्रमाणपत्र मंजूर करने के बारे में विवेकाधिकार—(1) प्रमाणकर्ता अधिकारी ख प्रमाणपत्र मंजूर नहीं करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मौसम की स्थिति प्रतिकूल रहने की संभावना है या पोत के फलक पर कोई ऐसा स्थोरा है जिसकी अपनी क्वालिटी, मात्रा या भराई के ढंग के कारण ²[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(2) उपरोक्त के सिवाय, और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रमाणपत्र मंजूर करने या मंजूर न करने का विवेकाधिकार प्रमाणकर्ता अधिकारी को होगा और जब वह प्रमाणपत्र मंजूर न करे तो ऐसा करने के कारण संबंधित व्यक्ति को संसूचित किए जाएंगे।

(3) उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग करने में वह अधिकारी केन्द्रीय सरकार के या ऐसे प्राधिकारी के जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, नियंत्रण के अधीन होगा।

246. क प्रमाणपत्र की प्रति का प्रदर्शित किया जाना—मास्टर या स्वामी पोत की बाबत इस भाग के अधीन मंजूर किए गए क प्रमाणपत्र की एक प्रति पोत के किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा जिससे कि वह उस पर सवार व्यक्तियों को दिखाई दे सके और उस प्रति को इस प्रकार से तब तक लगाए रखेगा जब तक वह प्रवृत्त रहे।

247. विशेष व्यापार यात्रियों या तीर्थ यात्रियों को विहित रसद का प्रदाय किया जाना—(1) ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] का मास्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई ठेकेदार, उचित कारण के बिना, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, किसी ²[विशेष व्यापार यात्री] को विहित मात्रा में भोजन, ईंधन और जल का प्रदाय करना नहीं छोड़ेगा तथा तीर्थ यात्री पोत का मास्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई ठेकेदार, उचित कारण के बिना, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, किसी तीर्थ यात्री को विहित मात्रा में भोजन और जल का, जैसा इस भाग के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है प्रदाय करना नहीं छोड़ेगा।

(2) जहां ²[विशेष व्यापार यात्री] को जारी की गई टिकट के निबंधनों के अनुसार वह पोत के मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता द्वारा भोजन के प्रदाय का हकदार नहीं है वहां ऐसे यात्री की दशा में उपधारा (1) इस प्रकार प्रभावी होगी मानो उस उपधारा में से “भोजन” के प्रति निर्देश का लोप किया गया था।

248. सवार यात्रियों की संख्या का इस भाग द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञात संख्या से अधिक न होना—²[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत इस भाग द्वारा या इसके अधीन उस पोत के लिए अनुज्ञात संख्या से अधिक संख्या में ²[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों का वहन नहीं करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे विशेष व्यापार यात्रियों या तीर्थ यात्रियों को जो इस भाग द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञात संख्या से अधिक हैं, उतरवा सकेगा और उन्हें किसी ऐसे पत्तन को भेज सकेगा जहां पर उन्हें उतारने के लिए संविदा की गई हो, तथा उन्हें इस प्रकार से भेजने के खर्च पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता से ऐसे ऐसे वसूल कर सकेगा मानो वे खर्चे इस भाग के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो और ऐसे अधिकारी का स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र उपरोक्त खर्च की रकम का निर्णायक सबूत होगा।

249. विशेष व्यापार यात्री या तीर्थ यात्री का ऐसे स्थान से भिन्न स्थान पर न उतारा जाना जहां उतारे जाने के लिए उसने संविदा की है—²[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ पोत का कोई मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता किसी ²[विशेष व्यापार यात्री] या तीर्थ यात्री को ऐसे पत्तन या स्थान से, जिस पर उतरने के लिए ²[विशेष व्यापार यात्री] या तीर्थ यात्री ने संविदा की है, भिन्न किसी पत्तन या स्थान पर तब तक नहीं उतारेगा जब तक उसकी पूर्व सम्मति न हो या जब तक समुद्र की जोखिम या अपरिहार्य दुर्घटना के कारण उसे इस प्रकार से उतारना आवश्यक न हो जाए।

250. भारतीय कौंसलीय आफिसरों द्वारा यात्रियों का भेजा जाना—(1) यदि भारत में के किसी पत्तन या स्थान से किसी समुद्र यात्रा पर गए हुए किसी पोत का कोई ²[विशेष व्यापार यात्री] अपनी किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के बिना भारत के बाहर के उस पत्तन या स्थान पर पहुंच जाता है जिस पत्तन या स्थान के लिए पोत मूलतः नहीं जा रहा था या जिस पर उतरने की उसने संविदा नहीं की थी, तो उस पत्तन या स्थान पर या उसके निकट का भारतीय कौंसलीय आफिसर ऐसे यात्री को उसके आशयित गन्तव्य स्थान को तब के

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 7 द्वारा (1-12-1976 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सिवाय भेज सकेगा जब पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, यात्री के पहुंचने के अड़तालीस घंटे के भीतर उस आफिसर को लिखित में ऐसा वचनबद्ध नहीं करता कि वह उस समय के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर यात्री को उसके मूल गन्तव्य स्थान को भेज देगा और तदनुसार उस अवधि के भीतर उसे भेज नहीं देता।

(2) भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा या उसके प्राधिकार से इस प्रकार भेजा गया यात्री अपने यात्रा व्यय की वापसी का या यात्रा व्यय की हानि के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

251. यात्रियों को भेजने में उपगत व्ययों की वसूली—(1) भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा यात्री को उसके गन्तव्य स्थान को भेजने की बाबत धारा 250 के अधीन उपगत सब व्यय, जिसके अन्तर्गत यात्री को उसके गन्तव्य स्थान को भेजने तक उसके भरण-पोषण का खर्चा भी है, उस पोत के, जिस पर से यात्री उतरा था, स्वामी, चार्टरर, अभिकर्ता और मास्टर से संयुक्ततः और पृथक्तः केन्द्रीय सरकार को शोधय ऋण होगा।

(2) उस ऋण की वसूली के लिए किसी कार्यवाही में भारतीय कौंसलीय आफिसर का स्वहस्ताक्षरित तात्पर्यित प्रमाणपत्र, जिसमें मामले की परिस्थितियों और व्ययों की कुल रकम अधिकथित की गई हो, व्यय की रकम का और इस तथ्य का कि व्यय सम्यक् रूप से अधिकथित किया गया था, प्रथमदृष्ट्या साध्य होगा।

252. पोत द्वारा संविदा के उल्लंघन में समुद्र यात्रा का प्रतिषेध—¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, समुद्र में जोखिम या अन्य अपरिहार्य दुर्घटना के कारण से अन्यथा, पोत को उस समुद्र यात्रा की बाबत, जो पोत को करनी है, और उस समय की बाबत, जो समुद्र यात्रा में लगना है, ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों के साथ की गई किसी विनिर्दिष्ट या विवक्षित संविदा या करार का उल्लंघन करते हुए, चाहे वह संविदा या करार सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा किया गया हो या अन्यथा, किसी पत्तन या स्थान का स्पर्श नहीं करने देगा।

253. सवार होने और उतरने के पत्तनों को जानकारी का भेजा जाना—(1) ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत भारत के भीतर जिस पत्तन या स्थान को स्पर्श करे या वहां पहुंचे, उस पत्तन या स्थान का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया अधिकारी उस पत्तन या स्थान के अधिकारी को जहां से पोत ने अपनी समुद्र यात्रा आरम्भ की थी तथा भारत के भीतर ऐसे किसी अन्य पत्तन या स्थान के अधिकारी को भी जहां ¹[विशेष व्यापार यात्री] या तीर्थ यात्री या उसमें से कोई सवार हुआ था या उतरने वाला हो, ऐसी कोई विशिष्टियां भेजेगा जैसी वह उस ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] या तीर्थ यात्री पोत, तथा उसमें बहन किए जा रहे ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों की बाबत आवश्यक समझे।

(2) उपरोक्त अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पोत के फलक पर जा सकेगा और यह विनिश्चय करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकेगा कि विशेष व्यापार यात्रियों या तीर्थ यात्रियों की संख्या के बारे में और अन्य विषयों के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है या नहीं।

254. धारा 253 के अधीन रिपोर्टों आदि का साक्ष्य में ग्राह्य होना—इस भाग के अधीन उपगत किसी शास्ति के अधिनिर्णय के लिए किसी कार्यवाही में ऐसी विशिष्टियों की, जैसी धारा 253 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं, रिपोर्ट के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज या किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रति, और वैसी ही कोई अन्य दस्तावेज भी जिसका भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्रहण की जाएगी यदि वह उस स्थान के, जहां इस भाग के अधीन कार्यवाही की जा रही है या उसके निकट के किसी अधिकारी को सरकारी तौर पर सम्प्रेषित की गई प्रतीत हो।

2*

*

*

*

*

255. पोत का गन्तव्य स्थान, रवाना होने का समय, आदि विज्ञापित करना—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन, ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] के छूटने या अग्रसर होने के निमित्त नियत भारत में किसी पत्तन या स्थान से छूटने वाले या अग्रसर होने वाले विशेष यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसे पत्तन या स्थान पर, विहित रीति में एक विज्ञापन जारी करेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां रहेंगी जिनकी सूचना में अभिकथित किए जाने की अपेक्षा धारा 238 की उपधारा (1) के अधीन की जाए; और ऐसा विज्ञापन जैसे पोत के ऐसे पत्तन या स्थान से रवाना होने की तारीख के पूर्व उतने उचित और पर्याप्त अंतराल पर जारी किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, पोतों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

³(3) भारत में किसी पत्तन या स्थान से तीर्थ यात्री पोत के रूप में समुद्र यात्रा पर रवाना होने के लिए आशयित किसी पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता उस पोत को तीर्थ यात्रियों के प्रवहण के लिए विज्ञापित करने या किसी तीर्थ यात्री का ऐसे पोत से प्रवहण करने की प्रस्थापना करने या किसी तीर्थ यात्री की ऐसे पोत से प्रवहण के लिए यात्रा टिकट का विक्रय करने या किसी व्यक्ति को ऐसी यात्रा टिकट का विक्रय करने का वचन या अनुज्ञा देने के पूर्व उस पत्तन या स्थान पर, जहां से पोत को समुद्र यात्रा आरम्भ करनी है, इस निमित्त नियुक्त किए गए अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् तीर्थ यात्रा अधिकारी कहा गया है), तथा भारत में के ऐसे प्रत्येक पत्तन या स्थान के तीर्थ यात्रा अधिकारी को जिसे पोत तीर्थ यात्रियों को चढ़ाने के लिए स्पर्श करेगा, पोत का नाम, टन भार और आयु,

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) “बर्थ रहित यात्री पोतों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध” शीर्षक का लोप किया गया।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

प्रत्येक श्रेणी के लिए जारी की जाने वाली यात्रा टिकट की अधिकतम संख्या, यात्रा टिकटों के प्रत्येक वर्ग की अधिकतम कीमत, वह अधिसम्भाव्य तारीख जिसको पोत उस पत्तन या स्थान से रवाना होगा, वे पत्तन, यदि कोई हों, जिन्हें वह पोत स्पर्श करेगा, पोत के गन्तव्य स्थान और उस पर उसके पहुंचने की अधिसम्भाव्य तारीख, के बारे में पूरी विशिष्टियां भेजेगा।

(4) पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता तीर्थ यात्रा अधिकारी द्वारा मांग किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर, उपधारा (3) में उल्लिखित विषयों की बाबत, उसे ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगा जैसी वह अधिकारी उससे लिख कर मांगे।

(5) (क) पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसे पत्तन या स्थान पर जो और ऐसी रीति में जैसी, विहित किए जाएं या की जाए—

(i) पोत का गन्तव्य स्थान,

(ii) प्रत्येक वर्ग की यात्रा टिकट का मूल्य, तो तीर्थ यात्रा अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन संसूचित मूल्य से अधिक नहीं होगा, और

(iii) उस पत्तन या स्थान से रवाना होने की अनंतिम तारीख, विज्ञापित करेगा।

(ख) पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता पोत के रवाना होने की अन्तिम तारीख, ऐसी तारीख के पन्द्रह दिन से अन्यून पूर्व, विज्ञापित करेगा।

(6) कोई मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता—

(क) उचित कारण के बिना, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, ऐसी कोई विशिष्टियां या जानकारी देने में, जिसे देने की अपेक्षा इस धारा द्वारा या इसके अधीन उससे की गई है, चूक नहीं करेगा या उससे इन्कार नहीं करेगा या मिथ्या विशिष्टियां या जानकारी नहीं देगा ; अथवा

(ख) उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों को पहले ही, तथा उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार, दिए बिना किसी पोत को तीर्थ यात्रियों के प्रवहण के लिए विज्ञापित नहीं करेगा या किसी पोत से तीर्थ यात्रियों की प्रस्थापना नहीं करेगा या किसी पोत से प्रवहण के लिए तीर्थ यात्रियों को यात्रा टिकटों का विक्रय नहीं करेगा या किसी व्यक्ति को ऐसा विक्रय करने का वचन या अनुज्ञा नहीं देगा ; अथवा

(ग) उस पत्तन या स्थान पर टिकटों का उस मूल्य से अधिक मूल्य विज्ञप्त नहीं करेगा जो तीर्थ यात्रा अधिकारी को उपधारा (3) के अधीन संसूचित किया गया हो ; अथवा

(घ) उपधारा (5) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों को उस खण्ड की अपेक्षानुसार विज्ञापित किए बिना भारत के किसी पत्तन या स्थान से किसी पोत से तीर्थ यात्रियों के प्रवहण की प्रस्थापना नहीं करेगा या ऐसे किसी पत्तन या स्थान से पोत से प्रवहण के लिए तीर्थ यात्रियों को यात्रा टिकटों का विक्रय नहीं करेगा या किसी व्यक्ति को ऐसा विक्रय करने का वचन या अनुज्ञा नहीं देगा ; अथवा

(ङ) तीर्थ यात्रा अधिकारी को उपधारा (3) के अधीन संसूचित किए गए मूल्य से अधिक मूल्य पर कोई यात्रा टिकट किसी तीर्थ यात्री को न तो विक्रय करेगा और न किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय किए जाने की अनुज्ञा ही देगा।]

256. किसी अन्तर्वर्ती स्थान से पोत पर अतिरिक्त यात्री लेना—¹[(1)] भारत के किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच समुद्र यात्रा करने वाला कोई ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] यदि किसी अन्तर्वर्ती पत्तन या स्थान के अतिरिक्त ²[विशेष व्यापार यात्री] सवार करता है तो मास्टर उस पत्तन या स्थान के प्रमाणकर्ता अधिकारी से ³[या ऐसे अन्य अधिकारी से, जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे,] एक अनुपूरक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा जिसमें—

(क) सवार किए गए ²[विशेष व्यापार यात्रियों] की संख्या अधिकथित की जाएगी ; और

(ख) यह अधिकथित किया जाएगा कि कर्मीदल के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन, ईंधन और शुद्ध जल तथा अन्य वस्तुएं, यदि कोई हों, जो पोत के लिए विहित की जाएं विहित मात्रा में उचित रूप से पैक करके तथा उस यात्रा के दौरान, जो पोत को करनी है (जिसके अन्तर्गत करन्तीन् में निरुद्ध रहने की संभावित अवधि भी है), पोत पर सवार ²[विशेष व्यापार यात्रियों] को तत्समय विहित मापमान के अनुसार प्रदाय के लिए फलक पर रख ली गई है :

परन्तु यदि पोत के मास्टर द्वारा धारित ख प्रमाणपत्र में यह अधिकथित है कि कर्मीदल के लिए जितना आवश्यक है उसके अतिरिक्त भोजन, ईंधन और शुद्ध जल तथा उसके लिए विहित अन्य वस्तुएं, यदि कोई हों, विहित मात्रा में समुचित रूप से पैक करके और पोत जितने ²[विशेष व्यापार यात्रियों] का प्रवहण करने में समर्थ है उतनी संख्या के लिए प्रदाय के लिए पर्याप्त मात्रा में फलक पर रख ली गई है तो मास्टर ऐसा कोई अनुपूरक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु प्रमाणकर्ता अधिकारी से

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 10 द्वारा (1-12-1976 से) धारा 256, उसकी उपधारा (1) में रूप में पुनःसंख्याकित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 10 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

ख प्रमाणपत्र पर एक पृष्ठांकन अभिप्राप्त करेगा जिसमें पोत पर सवार किए गए यात्रियों की संख्या और उस पत्तन या स्थान पर उतारे गए यात्रियों की संख्या दर्शित की जाएगी।

1[(2) निम्नलिखित दोनों दशाओं में, अर्थात् :—

(क) यदि पोत के ऐसी समुद्र यात्रा पर रवाना या अग्रसर होने के पश्चात्, कोई अतिरिक्त तीर्थ यात्री, ऐसे यात्रियों को सवार करने के लिए इस भाग के अधीन भारत के भीतर नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान से पोत पर लेता है; अथवा

(ख) यदि कोई तीर्थ यात्री पोत अपनी समुद्र यात्रा में भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों को पोत पर पहले ही ग्रहण करने के पश्चात् किसी ऐसे पत्तन या स्थान का स्पर्श करता है या वहां पहुंचता है,

तो मास्टर प्रमाणकर्ता अधिकारी से, या ऐसे अन्य अधिकारी से, जैसा केन्द्रीय सरकार उस पत्तन या स्थान पर इस निमित्त नियुक्त करे, नया ख प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा, और अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की संख्या, और उनमें से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, विनिर्दिष्ट करते हुए अतिरिक्त विवरणी तैयार करेगा।]

257. यात्रियों की बाबत विवरणियां—(1) भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान को समुद्र यात्रा के लिए रवाना या अग्रसर होने वाले ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] का मास्टर ²[विशेष व्यापार यात्रियों] की संख्या, और उनमें से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां तथा कर्मीदल की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए, एक द्विप्रतिक विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा और दोनों प्रतियां प्रमाणकर्ता अधिकारी को ³[या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे] परिदत्त करेगा और पहले अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रविष्टियां सही हैं, उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और विवरणी की एक प्रति मास्टर को वापिस करेगा।

(2) निम्नलिखित दोनों दशाओं में, अर्थात् :—

(क) यदि पोत के ऐसे समुद्र यात्रा पर रवाना या अग्रसर होने के पश्चात् कोई अतिरिक्त ²[विशेष व्यापार यात्री] ऐसे यात्रियों को सवार करने के लिए इस भाग के अधीन भारत के भीतर नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान से पोत पर लेता है; अथवा

(ख) यदि पोत अपनी समुद्र यात्रा में भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से अतिरिक्त ²[विशेष व्यापार यात्रियों] को पोत पर पहले ही ग्रहण करने के पश्चात् किसी ऐसे पत्तन या स्थान का स्पर्श करता है या वहां पहुंचता है,

तो मास्टर प्रमाणकर्ता अधिकारी से ³[या ऐसे अन्य अधिकारी से जैसा केन्द्रीय सरकार उस पत्तन या स्थान पर इस निमित्त नियुक्त करे], ख प्रमाणपत्र के प्रभाव वाला एक नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा, और अतिरिक्त यात्रियों की संख्या, और उनमें से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, विनिर्दिष्ट करते हुए अतिरिक्त विवरणी तैयार करेगा।

³[(3) भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर के किसी पत्तन को समुद्र यात्रा के लिए रवाना या अग्रसर होने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का मास्टर सवार किए गए तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या और उनमें से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, तथा कर्मीदल की संख्या और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं विनिर्दिष्ट करते हुए, एक द्विप्रतिक विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा और दोनों प्रतियां प्रमाणकर्ता अधिकारी को, या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, परिदत्त करेगा और वह पहले अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रविष्टियां सही हैं, उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और विवरणी की एक प्रति मास्टर को वापिस कर देगा।

(4) भारत के किसी ऐसे पत्तन या स्थान पर, जिस पर पोत तीर्थ यात्रियों को उतारने का आशय रखता है, पहुंचने पर प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, इसके पूर्व कोई तीर्थ यात्री उतारे, पोत पर सवार सब तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या और उनमें से कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां तथा कर्मीदल की संख्या, तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए, स्वहस्ताक्षरित एक विवरणी प्रमाणकर्ता अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा उस पत्तन या स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, परिदत्त करेगा।]

258. समुद्र यात्रा में किसी व्यापार यात्री की मृत्यु—(1) भारत के पत्तनों या स्थानों के बीच समुद्र यात्रा करने वाले विशेष व्यापार यात्री पोत का मास्टर अपने गन्तव्य पत्तन पर पहुंचने पर प्रमाणकर्ता अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे समुद्र यात्रा में मरने वाले प्रत्येक ²[विशेष व्यापार यात्री] की मृत्यु की तारीख और उसका अनुमित कारण अधिसूचित करेगा।

(2) भारत के किसी पत्तन या स्थान और भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान के बीच समुद्र यात्रा करने वाले ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] का मास्टर धारा 257 में विनिर्दिष्ट विवरणी या अतिरिक्त विवरणी पर समुद्र यात्रा में मरने वाले ²[विशेष व्यापार यात्री] की मृत्यु की तारीख और उसका अनुमित कारण लिखित में दर्ज करेगा और जब वह अपने गन्तव्य पत्तन या स्थान पर पहुंचे या

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 10 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 11 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

किसी ऐसे पत्तन या स्थान पर पहुंचे जहां विशेष व्यापार यात्रियों को उतारने का आशय हो, तथा इसके पूर्व कि कोई यात्री पोत छोड़े विवरणी को ऐसे किन्हीं अतिरिक्त टिप्पणों सहित, जो उसमें किए गए हों,—

(क) जहां ऐसा पत्तन या स्थान भारत में है, वहां प्रमाणकर्ता अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, पेश करेगा ;

(ख) जहां ऐसा पत्तन या स्थान भारत के बाहर है, वहां भारतीय कौंसलीय आफिसर को पेश करेगा ।

¹[(3) प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का मास्टर धारा 256 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अतिरिक्त विवरणी या धारा 257 की उपधारा (3) और (4) में निर्दिष्ट विवरणी की प्रति पर समुद्र यात्रा में मरने वाले किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु की तारीख और उसका अनुमित कारण लिखित में दर्ज करेगा, और जब तीर्थ यात्री पोत अपने गन्तव्य पत्तन या स्थान पर या किसी ऐसे पत्तन या स्थान पर पहुंचे जहां उसका आशय तीर्थ यात्रियों को उतारने का है, तथा इसके पूर्व कि कोई तीर्थ यात्री उतरे, विवरणी को, ऐसे अतिरिक्त टिप्पणों सहित जो उसमें किए गए हों,—

(क) जहां ऐसा पत्तन या स्थान भारत में है, वहां प्रमाणकर्ता अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, पेश करेगा ;

(ख) जहां ऐसा पत्तन या स्थान भारत के बाहर है, वहां भारतीय कौंसलीय आफिसर को पेश करेगा ।]

259. कतिपय पोतों द्वारा चिकित्सा अधिकारी का और परिचारकों का वहन किया जाना—(1) एक हजार से अनधिक ²[विशेष व्यापार यात्रियों] और कर्मीदल का वहन करने वाले प्रत्येक पोत पर उसके कर्मीदल के भाग के रूप में कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी रहेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हों जैसी विहित की जाएं ।

(2) एक हजार से अधिक ²[विशेष व्यापार यात्रियों] और कर्मीदल का वहन करने वाले प्रत्येक पोत पर, चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त, उसके कर्मीदल के भाग के रूप में उतने चिकित्सा परिचारक रहेंगे जितने विहित किए जाएं ।

(3) ²[विशेष व्यापार यात्रियों] का वहन करने वाले प्रत्येक पोत पर ऐसे चिकित्सा भंडारों और उपस्करों से युक्त, जैसे विहित किए जाएं, एक अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी ।

³[(4) (क) एक हजार से अनधिक तीर्थ यात्रियों और कर्मीदल का वहन करने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत पर एक चिकित्सा अधिकारी रहेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं होंगी जैसी विहित की जाएं, और, यदि वह न किए जाने वाले तीर्थ यात्रियों और कर्मीदल की संख्या एक हजार से अधिक है तो वैसी ही अर्हताओं वाला एक द्वितीय चिकित्सा अधिकारी रहेगा तथा सभी दशाओं में ऐसे चिकित्सा परिचारक भी रहेंगे जैसे विहित किए जाएं ।

(ख) प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का चिकित्सा अधिकारी ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगा, ऐसी डायरियां रखेगा और ऐसी रिपोर्टें या अन्य विवरणियां पेश करेगा, जो विहित किए जाएं या की जाएं ।

(ग) तीर्थ यात्री पोत का कोई चिकित्सा अधिकारी या परिचारक ऐसे पोत पर अपनी सेवाओं के लिए किसी तीर्थ यात्री से कुछ नहीं लेगा ।]

260. प्राधिकृत संख्या से अधिक यात्रियों को विदेशी पत्तन से लाने का प्रतिषेध—²[विशेष व्यापार यात्री पोत] का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान से भारत के किसी पत्तन या स्थान के लिए—

(क) इस भाग द्वारा या इसके अधीन पोत के लिए अनुज्ञात संख्या से, या

(ख) पोत की रवानगी के पत्तन या स्थान पर उस पोत की बाबत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति या मंजूर किए गए प्रमाणपत्र, यदि कोई है, द्वारा अनुज्ञात संख्या से, दोनों से जो भी संख्या कम है,

अधिक संख्या में यात्रियों का वहन नहीं करेगा या नहीं कराएगा ।

*[**261. यात्री कल्याण उपकर—**(1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, विनिर्दिष्ट करे, भारत के किसी पत्तन या स्थान से रवाना या अग्रसर होने वाले ²[विशेष व्यापार यात्री पोत] द्वारा वहन किए जाने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा संदत्त यात्रा व्यय पर, ऐसी दर से, जैसी केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और जो यात्रा व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, एक उपकर उद्गृहीत किया जाएगा जो यात्री कल्याण उपकर कहलाएगा, तथा यात्रियों और यात्राओं के विभिन्न वर्गों की बाबत विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 12 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 13 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित ।

* 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 239 और अनुसूची 15 द्वारा निरसित ।

(2) यात्री कल्याण उपकर का संग्रहण ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] के स्वामी या चार्टरर या स्वामी या चार्टरर के अभिकर्ता द्वारा यात्रा व्यय के अतिरिक्त किया जाएगा और वह संग्रहण के ऐसे खर्चों की, यदि कोई है, जैसा केन्द्रीय सरकार अवधारित करे, कटौती करने के पश्चात् ऐसे प्राधिकारी को सन्दत्त किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(3) यात्री कल्याण उपकर के आगम, संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक्-विनियोजन के पश्चात् ¹[विशेष व्यापार यात्री पोतों] से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए उपयोजित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “यात्रा व्यय” से किसी भी प्रकृति के उन सब प्रभारों की कुल रकम अभिप्रेत है जो यात्री द्वारा ¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] पर वहन की बाबत देय है, और इसके अन्तर्गत पोत पर भोजन उपलब्ध कराने के प्रभार, यदि कोई है, सम्मिलित है किन्तु इस धारा के अधीन देय उपकर सम्मिलित नहीं है।]

²[261क. यात्रियों के लिए बंकों की व्यवस्था करना—एसे प्रत्येक विशेष व्यापार यात्री पोत पर, जो ऐसी समुद्र यात्रा कर रहा हो, जिसकी अवधि सामान्य परिस्थितियों में बहत्तर घंटे या उससे अधिक की है, सवार प्रत्येक यात्री के लिए विहित आकार और विशिष्टियों वाले बंक की व्यवस्था की जाएगी।

261ख. जब बंकों की व्यवस्था न की गई हो तब यात्रियों के लिए स्थान की व्यवस्था करना—एसे प्रत्येक विशेष व्यापार यात्री पोत पर, जो ऐसी समुद्र यात्रा कर रहा हो जिसकी अवधि सामान्य परिस्थितियों में बहत्तर घंटे से अधिक की न हो, प्रत्येक यात्री के लिए विहित मापमान के अनुसार स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

261ग. यात्रियों के लिए हवा लेने के स्थान की व्यवस्था करना—प्रत्येक विशेष व्यापार यात्री पोत पर सवार यात्रियों के दिन में और रात में निःशुल्क प्रयोग के लिए ऊपरी डैक पर उतना स्थान हवा लेने के स्थान के रूप में आरक्षित रखा जाएगा जो कर्मिदल के लिए हवा लेने के स्थान या स्थायी संरचना के लिए अपेक्षित न हों :

परन्तु यात्रियों के लिए ऊपरी डैक पर व्यवस्था किया गया ऐसा स्थान प्रत्येक यात्री के लिए 0.37 वर्ग मीटर से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।]

262. विशेष व्यापार यात्री पोतों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए ¹[विशेष व्यापार यात्री पोतों] या ऐसे पोतों के किसी वर्ग की दशा में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) रवानगी के पत्तन और गन्तव्य पत्तन के बीच की दूरी, समुद्र यात्रा की अवधि या किसी ऐसी अन्य बात के प्रति निर्देश से, जिसे केन्द्रीय सरकार उस प्रयोजन के लिए ध्यान में रखना ठीक समझे, समुद्र यात्राओं का वर्गीकरण ;

(ख) किसी यात्रा के प्रयोजनों के लिए अच्छे मौसम और खराब मौसम वाली ऋतुएं ;

(ग) समुद्र यात्राओं के विभिन्न वर्गों की बाबत ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] के लिए और अच्छे और खराब मौसम वाली ऋतुओं के लिए अनुज्ञात किया जाने वाला स्थान ;

(घ) किसी ऐसे स्थान का अनुज्ञात न किया जाना जिसे सर्वेक्षक ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] के वहन के लिए अनुपयुक्त समझे ;

(ङ) गलियारों, मार्गों और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अलग रखा जाने वाला स्थान ;

(च) ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] के लिए हवा लेने के स्थान की व्यवस्था ;

(छ) ऐसे मापमान, जिनके अनुसार भोजन कक्षों, शौचालयों, धोने के स्थानों, स्नानागारों, परिधान कक्षों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी ;

(ज) स्त्रियों और बालकों के लिए पृथक् वास स्थान की व्यवस्था ;

(झ) यात्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान में स्थोरा के वहन का प्रतिषेध और उसका विनियमन ;

(ञ) जहां वह डैक, जिस पर ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] को स्थान दिया जाए, लकड़ी से ढका हुआ नहीं है वहां यात्रियों के लिए आरक्षित स्थान में व्यवस्था किए जाने वाले आवरण की किस्म ;

(ट) पोत पर यात्रियों के माल-असबाब का निपटान और हल्के माल-असबाब के भंडाकरणों के लिए डैकों के बीच में पृथक् स्थान की व्यवस्था ;

(ठ) ऐसी शर्तें जिनके अधीन यात्रियों को खराब मौसम वाली ऋतुओं में ऊपरी डैक में वहन किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 14 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

(ड) ¹[विशेष व्यापार यात्रियों] के लिए या ऐसे यात्रियों के किसी भाग के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्गों की समुद्र यात्राओं में बैंकों की व्यवस्था, तथा इस प्रकार से व्यवस्था किए जाने वाले बैंकों का आकार और उनके संबंध में अन्य विशिष्टियां ;

(ढ) ऐसे मापमान जिनके अनुसार यात्रियों को या यात्रियों के किसी वर्ग को भोजन, ईंधन और जल का प्रदाय किया जाएगा तथा भोजन, ईंधन और जल की क्वालिटी ;

(ण) स्वास्थ्य, सफाई और शिष्टता बनाए रखने के लिए पोत पर उपलब्ध कराई जाने वाली अस्पताल स्थान-सुविधाओं और चिकित्सा भण्डारों और अन्य साधनों और फिटिंगों की प्रकृति और परिमाण ;

(त) जहां इस भाग द्वारा अपेक्षित है वहां वहन किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और परिचालकों का अनुज्ञप्त किया जाना और नियुक्ति ;

(थ) ऐसी नौकाएं, लंगर और कैबिल जिनकी पोत के फलक पर व्यवस्था की जाएगी ;

(द) नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उपकरणों का प्रदाय ;

(ध) समुद्र यात्रा के दौरान पोत के मास्टर, चिकित्सा अधिकारी, (यदि कोई है) और अन्य अधिकारियों के कृत्य ;

(न) बीच डैक वाले, यात्रियों की ऊपरी डैक तक पहुंच ;

(प) वे स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर और वह समय जब तथा वह ढंग जिससे, यात्रियों को इस भाग के अधीन इस निमित्त नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान पर चढ़ाया या उतारा जाएगा ;

(फ) वह समय जिसके भीतर किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का कोई पोत यात्रियों को पोत पर लेना आरम्भ करने के पश्चात् अपनी समुद्र यात्रा पर रवाना या अग्रसर होगा ;

(ब) ऐसी शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पशुओं का वहन करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

(भ) भारत के किसी पत्तन या स्थान से रवाना या अग्रसर होने वाले पोतों में ¹[विशेष व्यापार यात्री] स्थान-सुविधा अभिप्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता के लिए नियोजित व्यक्तियों का अनुज्ञापन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा अनुज्ञप्त व्यक्तियों का इस रूप में नियोजित किए जाने का प्रतिषेध ;

*[(म) यात्री कल्याण उपकर के संग्रहण की रीति और उसके आनुषंगिक विषय ;]

(य) ¹[विशेष व्यापार यात्री पोतों] के संबंध में इस भाग के उपबंधों का साधारणतया क्रियान्वयन ।

2* * * * *

263. [तीर्थ यात्रियों के लिए शायिकाओं की व्यवस्था]]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 15 द्वारा (1-12-1967 से) निरसित ।

³[**264. अस्पताल स्थान-सुविधा**— ऐसी समुद्र यात्रा पर, जिसकी अवधि सामान्य परिस्थितियों में अड़तालीस घंटे या उससे अधिक हो सकती है, सौ से अधिक यात्रियों का वहन करने के लिए प्रमाणित प्रत्येक विशेष व्यापार यात्री पोत पर एक अस्पताल का प्रबन्ध किया जाएगा जो सुरक्षा, जन-सुविधा और स्वच्छता संबंधी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और जो यात्रियों की उस अधिकतम संख्या के, जिनका वहन करने के लिए पोत को प्रमाणपत्र दिया गया है, ऐसे भाग के लिए जो विहित किया जाए, स्थान-सुविधा देने में समर्थ होगा ।]

265. [तीर्थ यात्रियों से संबंधित विवरणों का पोत के प्रस्थान से पूर्व परिदत्त किया जाना]]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित ।

266. [बीच के स्थानों पर अतिरिक्त तीर्थयात्री लेने वाला तीर्थयात्री पोत]]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित ।

267. [समुद्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्री की मृत्यु के संबंध में विवरण]]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित ।

268. [तीर्थयात्रियों के भारत में उतरने के पूर्व तीर्थयात्रियों से संबद्ध विवरण-पत्र का दिया जाना]]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित ।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 239 और अनुसूची 15 द्वारा निरसित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 15 द्वारा (1-12-1976 से) "तीर्थ यात्री पोत के संबंध में विशेष उपबंध" शीर्षक का लोप किया गया ।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 16 द्वारा (1-12-1976 से) पूर्ववर्ती धारा 264 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

269. [कतिपय तीर्थयात्री पोतों द्वारा चिकित्सा अधिकारी और परिचारकों को ले जाना]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित ।

270. बाहर की ओर समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने वाले तीर्थ यात्री पोत की दशा में बंधपत्र—(1) किसी तीर्थ यात्री पोत को भारत में किसी पत्तन से तब तक निकासी पत्र मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, तथा भारत के किसी निवासी दो प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के पक्ष में, दस हजार रुपए की राशि का एक संयुक्त और पृथक् बंधपत्र निष्पादित न कर दे या ऐसी अन्य गारंटी या प्रतिभूति न दे दें, जैसी उस सरकार को स्वीकार्य हो और जो पोत द्वारा चालू तीर्थ यात्रा सहित ऋतु में की जाने वाली सब समुद्र यात्रियों के लिए हो, तथा इस शर्त सहित हो कि—

(क) मास्टर और चिकित्सा अधिकारी इस भाग के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे, और

(ख) मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 277 की उपधारा (2) के अधीन दावा की गई किसी राशि का संदाय करेंगे ।

(2) इस धारा के अधीन बंधपत्र, गारंटी या प्रतिभूति एक ही स्वामी के स्वामित्वाधीन सब तीर्थ यात्री पोतों या उनमें से किसी की बाबत दिया जा सकेगा या दी जा सकेगी तथा ऐसी दशाओं में बंधपत्र, गारंटी या प्रतिभूति की रकम सम्मिलित किए गए प्रत्येक पोत के लिए दस हजार रुपए होगी ।

271. तीर्थ यात्रियों को सवार करने के पूर्व अपेक्षित चिकित्सीय निरीक्षण और अनुज्ञा—(1) भारत में किसी पत्तन या स्थान पर किसी तीर्थ यात्री पोत पर तब तक कोई तीर्थ यात्री ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसका चिकित्सीय निरीक्षण ऐसे समय और स्थान पर और ऐसी रीति में न किया गया हो जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, तथा जब तक प्रमाणकर्ता अधिकारी ने तीर्थ यात्रियों को चढ़ाना आरम्भ करने की अनुज्ञा न दे दी हो ।

(2) महिला तीर्थ यात्रियों का चिकित्सीय निरीक्षण इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और जहां तक साध्य हो, महिलाओं द्वारा किया जाएगा ।

(3) किसी तीर्थ यात्री को पोत पर तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक वह ऐसे व्यक्ति द्वारा जो, ऐसा प्रमाणपत्र देने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है, यह दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि ऐसे तीर्थ यात्री को—

(क) निरीक्षण से पूर्व ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, हैजे की सुई लग चुकी है, और

(ख) निरीक्षण से पूर्व ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए, चेचक का टीका लग चुका है :

परन्तु निरीक्षण करने वाला अधिकारी टीके के प्रमाणपत्र से छूट दे सकता है यदि उसकी राय में तीर्थ यात्री के शरीर पर ऐसे चिह्न हों जो यह दर्शाते हों कि उसे चेचक हो चुकी है ।

(4) यदि इस धारा के अधीन निरीक्षण करने वाले अधिकारी की राय में कोई तीर्थयात्री हैजा या हैजा रोग संबंधी अस्वस्थता से या किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है या उसमें उसके कोई लक्षण दिखाई देते हैं या कोई अन्य संदेहप्रद लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे तीर्थ यात्री को सवार होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(5) हैजा या हैजा रोग संबंधी अस्वस्थता या किसी खतरनाक संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों से संदूषित सब वस्तुएं या वे वस्तुएं जिनके इस प्रकार संदूषित होने का संदेह हो, तीर्थ यात्री पोत पर ले जाए जाने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारी के अधीक्षण में ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्क्रामित की जाएगी ।

272. सवार होने के पश्चात् कतिपय दशाओं में चिकित्सीय निरीक्षण—(1) यदि किसी मामले में कोई तीर्थ यात्री पोत सब तीर्थ यात्रियों को फलक पर ग्रहण करने के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर तीर्थ यात्रा पर अग्रसर नहीं हो जाता, और ऐसा संदेह करने का कारण है कि फलक पर के व्यक्तियों में से कोई हैजा या हैजा रोग संबंधी अस्वस्थता या किसी खतरनाक संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है, तो फलक पर के सब व्यक्तियों का चिकित्सीय निरीक्षण ऐसी रीति में किया जा सकेगा जैसी केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे ।

(2) यदि ऐसा निरीक्षण किए जाने पर कोई व्यक्ति हैजा या हैजा रोग संबंधी अस्वस्थता या किसी खतरनाक संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित पाया जाता है या उसमें उस रोग के कोई लक्षण या कोई अन्य संदेहप्रद लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसे तुरन्त उसकी सब वस्तुओं सहित पोत से हटा दिया जाएगा ।

273. तीर्थ यात्रियों द्वारा वापसी टिकटों की व्यवस्था करना—(1) किसी भी तीर्थ यात्री को भारत के किसी पत्तन या स्थान पर किसी तीर्थ यात्री पोत के फलक पर तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) उसके पास वापसी टिकट न हो ; या

(ख) उसने वापसी टिकट के खर्च का वहन करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के पास उतनी रकम, जितनी वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जमा न कर दी हो :

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी तीर्थ यात्री को उपरोक्त सब या उनमें से किन्हीं अपेक्षाओं से छूट दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उन्हें प्रवृत्त करना मामले की विशेष परिस्थितियों में असमीचीन नहीं है।

274. टिकटों का जारी किया जाना या पेश किया जाना—(1) तीर्थ यात्री पोत में यात्रा करने वाला प्रत्येक तीर्थ यात्री, यात्रा व्यय का संदाय करने पर, और अन्य विहित शर्तों को, यदि कोई है, पूरा करने पर, विहित प्ररूप में टिकट प्राप्त करने का हकदार होगा, और वह उसे ऐसे अधिकारियों के समक्ष और ऐसे अवसरों पर, जैसे विहित किए जाएं, पेश करने के लिए और उसके बारे में अन्यथा ऐसी रीति में कार्रवाई करने के लिए, जैसी विहित की जाए, बाध्य होगा :

परन्तु ऐसे तीर्थ यात्री को, जिसे धारा 273 के परन्तुक के अधीन छूट नहीं दी गई है, तब तक वापसी टिकट से भिन्न, कोई टिकट नहीं दी जाएगी जब तक वह उस धारा द्वारा अपेक्षित रकम जमा नहीं कर देता।

(2) तीर्थ यात्री पोत पर समुद्र यात्रा करने के लिए किसी तीर्थ यात्री को जारी की गई टिकट के आधार पर वह विहित मापमान के अनुसार और मात्रा में भोजन और जल तथा औषधियां, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान कोई अतिरिक्त प्रभार दिए बिना, प्राप्त करने का हकदार होगा।

275. यात्रा व्यय और निक्षेपों का प्रतिदाय—(1) ऐसा प्रत्येक तीर्थ यात्री जिसे धारा 271 के अधीन पोत पर सवार होने से रोक दिया गया है या जिसे धारा 272 के अधीन पोत से हटा लिया गया है या अग्रसर होने से अन्यथा रोक दिया गया है, उस यात्रा व्यय के, जिसका उसने संदाय किया हो, और ऐसे किसी निक्षेप के, जो उसने धारा 273 के अधीन किया हो, प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) कोई तीर्थ यात्री, जो भारत से अपने प्रस्थान के एक वर्ष के भीतर, जद्दाह स्थित भारतीय कौंसलीय आफिसर का यह समाधान कर देता है कि वह जिस मार्ग से भारत से आया था उससे भिन्न मार्ग से भारत वापस जाने का आशय रखता है, तो वह धारा 273 के अधीन उसके द्वारा किए गए किसी निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार होगा, या यदि उसके पास वापसी टिकट है तो, उसके द्वारा संदत्त यात्रा व्यय के आधे के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) यदि कोई तीर्थ यात्री हैदाज में या उसकी ओर से समुद्र यात्रा करते समय मर जाता है तो उसके द्वारा विहित रीति में, लिखित में, इस निमित्त नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अथवा, यदि कोई व्यक्ति नामनिर्देशित नहीं किया गया है तो, तीर्थ यात्री का विधिक प्रतिनिधि धारा 273 के अधीन तीर्थ यात्री द्वारा किए गए किसी निक्षेप के प्रतिदाय का, या यदि ऐसे तीर्थ यात्री के पास वापसी टिकट थी तो उसके द्वारा संदत्त व्यय के आधे के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(4) यदि कोई तीर्थ यात्री भारत से रवाना होने के एक वर्ष के भीतर हैदाज से भारत को वापस लौटने में असफल रहता है या जिस मार्ग से वह भारत से आया था उससे भिन्न किसी मार्ग से भारत वापस लौटता है तो वह या उसके द्वारा विहित रीति में, लिखित में, इस निमित्त नामनिर्देशित कोई व्यक्ति धारा 273 के अधीन ऐसे तीर्थ यात्री द्वारा किए गए किसी निक्षेप के प्रतिदाय का, या, यदि ऐसे तीर्थ यात्री के पास वापसी टिकट थी तो उसके द्वारा संदत्त यात्रा व्यय के आधे के प्रतिदाय का तब के सिवाय हकदार होगा जब ऐसे निक्षेप या यात्रा व्यय का इस धारा के अधीन पहले ही प्रतिदाय कर दिया गया हो।

(5) इस धारा के अधीन निक्षेपों का प्रतिदाय ऐसी शर्तों के अधीन, या यात्रा व्यय प्रतिदाय ऐसी कटौतियां और शर्तों के अधीन होगा जैसी विहित की जाएं।

276. अदावाकृत यात्रा व्यय और निक्षेपों का व्ययन—यदि कोई तीर्थ यात्री—

(क) जो धारा 275 की उपधारा (1) के अधीन यात्रा व्यय के प्रतिदाय का हकदार है, विहित अवधि के भीतर ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं करता है, या

(ख) जिसने वापसी टिकट खरीदी है, ऐसी टिकट के आधार पर, विहित अवधि के भीतर हैदाज से वापसी यात्रा व्यय अभिप्राप्त नहीं करता है और ऐसी टिकट के वापसी आधे भाग का मूल्य धारा 275 के अधीन प्रतिदत्त नहीं किया जाता है, या

(ग) जो धारा 273 के अधीन किए गए किसी निक्षेप के प्रतिदाय का धारा 275 के अधीन हकदार है किन्तु विहित अवधि के भीतर ऐसे प्रतिदाय का दावा नहीं करता है,

तो ऐसा यात्रा या मूल्य या निक्षेप, धारा 275 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए रखी गई किसी निधि का प्रशासन करने के लिए इस निमित्त पदाभिहित किया गया हो।

277. जिन पोतों से वापसी टिकट उपलब्ध है उनसे भिन्न पोतों से तीर्थ यात्रियों की वापसी यात्रा का खर्च—(1) प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता उन सब तीर्थ यात्रियों की, जिनके पास भारत में जारी किए गए वापसी टिकट हैं और जिसे ऐसे पोत से हैदाज के लिए ले जाया गया है, वर्ष में हज के दिन के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगा :

परन्तु उक्त नब्बे दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसी कोई अवधि हिसाब में नहीं ली जाएगी जिसके दौरान जद्दाह के पत्तन को समुचित प्राधिकारियों द्वारा संक्रामित घोषित कर दिए जाने के कारण या युद्ध, उपद्रव या किसी अन्य कारण

से, जो मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के किसी कार्य या व्यतिक्रम से उत्पन्न न हो, तीर्थ यात्रियों का पोत द्वारा वापसी टिकट पर वहन न किया जा सके।

(2) जहां कोई ऐसा तीर्थ यात्री जिसने वापसी समुद्री यात्रा के लिए सवार होने की अपनी बांझा विहित रीति में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित की है, किसी ऐसे पोत में, जिसके लिए वापसी टिकट उपलब्ध है, उपरोक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर स्थान-सुविधा अभिप्राप्त करने में अपनी असमर्थता के कारण उक्त अवधि से परे जद्दाह में रोक लिया जाता है वहां उस पोत का, जिससे ऐसे तीर्थ यात्री को जद्दाह के लिए ले जाया गया था, मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, ऐसे तीर्थ यात्री की बाबत उतनी राशि, जो वापसी टिकट की बाबत मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि के दुगुने से अधिक न हो, तथा जिसे केन्द्रीय सरकार तीर्थ यात्री यात्री की स्वदेश वापसी के खर्चों के रूप में दावा करे, तथा उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान तीर्थ यात्री को जद्दाह में रोका जाए, पांच रुपए की दर से रकम सहित, केन्द्रीय सरकार को संदत्त करेगा।

(3) इस प्रकार रोके जाने की बाबत प्रमाणपत्र जिसका जद्दाह स्थित भारतीय कौंसलीय आफिसर द्वारा तैयार किया जाना और हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, भारत में किसी न्यायालय में उस व्यक्ति के, जिसने उस पर हस्ताक्षर किया है, हस्ताक्षर के या उसके पद के सबूत के बिना ही, साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा।

278. [तीर्थ यात्री पोत की रवानगी की सूचना।]—वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 69) की धारा 17 द्वारा (1-12-1976 से) निरसित।

279. रवानगी में विलंब के लिए प्रतिकर—(1) यदि कोई तीर्थ यात्री पोत [धारा 255 की उपधारा (5) के खंड (ख)] के अधीन किसी पत्तन या स्थान से रवानगी की अंतिम तारीख के रूप में विज्ञापित तारीख पर उस पत्तन या स्थान से अग्रसर होने में असफल रहता है तो उसका मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसे प्रत्येक तीर्थ यात्री को, जिसने ऐसी तारीख को या उसके पूर्व अपना यात्रा व्यय संदत्त कर दिया है, ऐसे प्रत्येक पूर्ण दिन के लिए, जिसे दौरान की रवानगी की तारीख के पश्चात् विलम्ब हो, तीन रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में संदत्त करने के लिए दायी होगी :

परन्तु ऐसा प्रतिकर किसी ऐसी अवधि की बाबत देय नहीं होगा जिसके दौरान पोत की रवानगी ऐसे किसी कारण से असम्भव हो जो मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के किसी कार्य या व्यतिक्रम से उत्पन्न नहीं है तथा ऐसे कारण को साबित करने का भार ऐसे मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता पर होगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी पत्तन या स्थान से पोत की रवानगी में विलम्ब की बाबत कोई प्रतिकर किसी तीर्थ यात्री को संदत्त किया गया हो या संदत्त हो गया है तथा तत्पश्चात् किसी अन्य पत्तन या स्थान से पोत की रवानगी में उस निमित्त विज्ञापित तारीख के परे विलम्ब हो जाता है तो तीर्थ यात्री केवल ऐसी अवधि की बाबत प्रतिकर का हकदार होगा जो विलम्ब की उस अवधि से अधिक हो, जिसकी बाबत उसने प्रतिकर पहले ही प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है।

(2) ऐसी असफलता की दशा में मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता उस पत्तन या स्थान के, जहां विलम्ब होता है, तीर्थ यात्री अधिकारी को प्रत्येक श्रेणी के उन यात्रा टिकटों की संख्या, जो रवानगी की विज्ञापित अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जारी की गई हो, तुरन्त सूचित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप देय कोई राशि उनके हकदार तीर्थ यात्रियों की ओर से उस पत्तन या स्थान के, जहां विलम्ब होता है, तीर्थ यात्री अधिकारी को तब संदत्त कर दी जाएगी जब मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता को उस अधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त हो जिसमें देय राशि विनिर्दिष्ट की गई हो, और तब यह अधिकारी ऐसे प्रत्येक तीर्थ यात्री के रोके जाने की बाबत संदत्त प्रतिकर का संदाय उसे ऐसी रीति में करेगा जैसी विहित की जाए :

परन्तु यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसा कोई आक्षेप करता है कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट राशियां या उनका कोई भाग उसके द्वारा देय नहीं है तो उस प्रतिकर का, जिसके अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, असंदत्त राशियां उसके हकदार तीर्थ यात्रियों को संदाय करने के पश्चात् बची हुई प्रतिकर की राशि तब तक जमा रखी जाएगी जब तक आक्षेप का विनिश्चय नहीं हो जाता :

परन्तु यह और कि यदि किसी कारणवश किसी तीर्थ यात्री को देय प्रतिकर उसके सवार होने के समय या उसके गन्तव्य पत्तन पर उसके उतरने के समय या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया जा सकता है तो इस प्रकार असंदत्त बची हुई राशि तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए रखी गई किसी निधि का प्रशासन करने वाले ऐसे प्राधिकारी को सौंप दी जाएगी जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त पदाभिहित करे।

(4) यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता ऐसा आक्षेप करता है कि उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट राशि या उसका कोई भाग उसके द्वारा देय नहीं है, तो वह ऐसी राशि का संदाय करते समय, तीर्थ यात्रा अधिकारी को अपने आक्षेप की सूचना, उसके कारणों की विवरणी सहित दे सकता है, तथा तीर्थ यात्रा अधिकारी तब या तो उपरोक्त सूचना को आक्षेप के अनुसार या तो रद्द या उपान्तरित कर सकेगा और उपधारा (3) के अधीन जमा रखी गई राशि का प्रतिदाय करेगा अथवा आक्षेप को उस पत्तन या

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 18 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्थान पर, जहां पोत को विलम्ब हुआ है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ¹[महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट] को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा, जिसका ऐसे निदेश पर विनिश्चय अन्तिम होगा ; तथा ऐसे विनिश्चय में मंजूर की गई रकम मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता को वापस कर दी जाएगी ।

(5) किसी पत्तन या स्थान से रवानगी की अंतिम तारीख के रूप में ²[धारा 255 की उपधारा (5) के खण्ड (ख)] के अधीन विज्ञापित तारीख को वहां से किसी तीर्थ यात्री पोत के अग्रसर होने में असफलता की दशा में उस पत्तन या स्थान का तीर्थ यात्रा अधिकारी ऐसी असफलता की सूचना तुरन्त उस पत्तन पर पोतों को पत्तन निकासी पत्र मंजूर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को देगा, तथा ऐसा अधिकारी तीर्थ यात्री पोत को तब तक निकासी-पत्र नहीं देगा जब तक मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता उसके समक्ष तीर्थ यात्रा पत्तन अधिकारी को ऐसा प्रमाणपत्र पेश नहीं कर देता कि उस तारीख तक, जिस तारीख को पोत को अग्रसर होना है, इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में देय सब राशियां संदत्त की जा चुकी हैं ।

280. पोतों का प्रतिस्थापन—धारा ³[255] या धारा 279 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी पोत को, जो धारा ³[255] के अधीन तीर्थ यात्रियों के प्रवहण के लिए विज्ञापित किया गया है, रवानगी की विज्ञापित अंतिम तारीख के परे विलम्ब हो जाता है या विलम्ब हो जाने की संभाव्यता है तो, स्वामी या अभिकर्ता, तीर्थ यात्रा अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से उसके स्थान पर ऐसे किसी अन्य पोत को प्रयोग में ला सकता है जो प्रत्येक श्रेणी के उतने ही तीर्थ यात्रियों से अन्यून तीर्थ यात्रियों का वहन करने में समर्थ हो, तथा ऐसी अनुज्ञा दी जाने पर यह समझा जाएगा कि विज्ञापन इस प्रकार से प्रतिस्थापित पोत की बाबत किया गया था और उन धाराओं के सब उपबंध तदनुसार ऐसे पोत की बाबत लागू होंगे ।

281. तीर्थ यात्री पोत के मास्टर द्वारा देय स्वच्छता कर—प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत का मास्टर उन पत्तनों के, जिन पर वह पोत जाए, विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित स्वच्छता करों की सम्पूर्ण रकम का संदाय करने के लिए बाध्य होगा और ऐसी रकम तीर्थ यात्रियों को जारी टिकटों की कीमत में सम्मिलित की जाएगी ।

282. तीर्थ यात्री पोतों की बाबत नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) वे नौकाएं, लंगर और केबल जिनकी व्यवस्था तीर्थ यात्री पोतों पर की जाएगी ;

(ख) नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए उपकरणों का प्रदाय ;

(ग) वे फिटिंगों और अन्य साधित्र जिनकी व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए ऊपरी और बीच वाली डैकों में की जाएगी ;

(घ) ऐसे मापमान जिसके अनुसार और वह रीति जिसमें, पकाए हुए और बिना पकाए हुए भोजन का और जल का तीर्थ यात्रियों को प्रदाय किया जाएगा तथा ऐसे भोजन और जल की क्वालिटी ;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदाय किए जाने वाले भोजन के अतिरिक्त उस भोजन की किस्में जो तीर्थ यात्रियों को संदाय पर उपलब्ध कराया जाएगा, तथा वे प्रभार जो उस भोजन के लिए लगाए जा सकेंगे ;

(च) वहन किए जाने वाले स्थोरा की क्वालिटी, मात्रा और भाण्डागारण ;

(छ) तीर्थ यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच ऊपरी डेक के स्थान का आबंटन ;

(ज) पोत पर तीर्थ यात्रियों के माल असबाब का वितरण और निपटान ;

(झ) स्वास्थ्य, सफाई और शिष्टता बनाए रखने के लिए पोत पर तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली अस्पताल स्थान-सुविधाओं और चिकित्सा भण्डारों, विसंक्रामक पदार्थों और अन्य साधित्रों तथा फिटिंगों की प्रकृति और परिमाण ;

(ञ) मास्टर ⁴[धारा 257] के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का प्ररूप और उसमें दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां ;

(ट) तीर्थ यात्री पोतों की बाबत इस भाग के उपबंधों द्वारा जहां चिकित्सा अधिकारियों और परिचारकों का वहन किया जाना अपेक्षित है उस दशा में उनकी नियुक्ति, तथा ऐसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रखर जाने वाली या पेश की जाने वाली डायरियां, रिपोर्टें और अन्य विवरणियां ;

(ठ) वह रीति जिसमें संदूषित पदार्थों को तीर्थ यात्री पोत पर ले जाने के पूर्व विसंक्रामित किया जाएगा ;

(ड) वह रीति जिसमें, और वह व्यक्ति जिनके द्वारा, स्त्रियों का चिकित्सीय निरीक्षण किया जाएगा ;

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 18 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 19 द्वारा (1-12-1976 से) "278" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 20 द्वारा (1-12-1976 से) "धारा 265 और 268" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(द) वह रीति जिसको धारा 273 के प्रयोजनों के लिए निक्षेप किए जाएंगे, तथा ऐसा कोई विषय, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार की राय में, उस धारा में उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ;

(ण) वह रीति जिसमें अनन्तिम बुकिंगों की जा सकेंगी, ऐसी बुकिंगों के लिए निक्षेपों का स्वीकार किया जाना और किन्हीं ऐसी बुकिंगों के रद्द किए जाने की दशाओं में निक्षेप के किसी भाग का समपहरण ;

(त) आशयित तीर्थ यात्रियों को टिकटों का प्रदाय, ऐसी टिकटों का प्ररूप और उन पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें और अन्य विषय, तथा उनके खर्च में सम्मिलित किए जाने वाले स्वच्छता करों की रकम ;

(थ) यात्रा व्यय और निक्षेपों का धारा 275 के अधीन प्रतिदाय और वह रीति जिसमें प्रतिदाय का उन्हें हकदार बनाने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को उस धारा के अधीन नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(द) वह अवधि जिसके पश्चात् प्रतिदाय के दायित्वाधीन अदावाकृत यात्रा व्यय और निक्षेप धारा 276 में विनिर्दिष्ट रीति में व्ययनित किए जाएंगे;

(ध) वह रीति जिसमें रवानगी की तारीखें ¹[धारा 255] के अधीन विज्ञापित की जाएंगी, उस धारा और धारा 279 तथा धारा 280 के प्रयोजनों के लिए तीर्थ यात्रा अधिकारियों की नियुक्ति ; वह रीति जिसमें तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्रा अधिकारियों को धारा 279 के अधीन संदाय किया जाएगा ; और उस धारा के अधीन कार्यवाहियों में मास्टर्स, स्वामियों और अभिकर्ताओं तथा तीर्थ यात्रा अधिकारियों और ²[यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट] द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(न) समुद्र यात्रा के दौरान मास्टर, चिकित्सा अधिकारी और अन्य पोत अधिकारियों के कृत्य ;

(प) वे स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर और वह समय जब तथा वे ढंग जिससे तीर्थ यात्रियों को इस भाग में निमित्त नियत किए गए किसी पत्तन या स्थान पर चढाया या उतारा जाएगा ;

(फ) वह समय जिसके भीतर तीर्थ यात्री पोत तीर्थ यात्रियों को पोत पर लेना आरम्भ करने के पश्चात् अपनी समुद्र यात्रा पर रवाना या अग्रसर होगा ;

(ब) यह उपबन्ध करने के लिए कि किसी तीर्थ यात्री को पोत पर तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास पासपोर्ट या तीर्थ यात्री पत्र न हो, तीर्थ यात्री पत्रों को जारी करने का विनियमन, तथा ऐसे पत्रों के लिए प्ररूप और उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों का विहित किया जाना ; ^{3****}

⁴[(बब) वे फीसों, जो किन्हीं तीर्थयात्री पोतों की स्वच्छता संबंधी दशा, भंडार की व्यवस्था, ऐसे पोतों पर उपलभ्य चिकित्सा सुविधाओं के सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो तीर्थ-यात्री पोतों से संबंधित इस भाग के उपबंधों के अनुपालन के लिए सुसंगत हैं, उद्गृहीत की जा सकेंगी और वह रीति जिसमें ऐसी फीस का संग्रहण किया जा सकेगा ;]

(भ) तीर्थ यात्री पोतों के सम्बन्ध में इस भाग में उपबंधों का साधारणतया क्रियान्वयन ।

भाग 9

सुरक्षा

283. वे देश जिन्हें भार रेखा अभिसमय या सुरक्षा अभिसमय लागू है—^{5****} यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) किसी देश की सरकार ने भार रेखा अभिसमय या सुरक्षा अभिसमय को स्वीकार कर लिया है या उसका प्रत्याख्यान कर दिया है ; अथवा

(ख) भार रेखा अभिसमय या सुरक्षा अभिसमय का विस्तार किसी राज्यक्षेत्र पर है, या उस पर उसका विस्तार नहीं रह गया है,

तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस आशय की घोषणा कर सकेगी ।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 20 द्वारा (1-12-1976 से) "278" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 8 और अनुसूची द्वारा "और" लोप किया गया ।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा (21-7-1968 से) कोष्ठकों और अंक "(1)" का लोप किया गया ।

1* * * *

²[283क. परिभाषाएं—(1) इस भाग में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विद्यमान पोत” या “विद्यमान जलयान” से ऐसा पोत या जलयान अभिप्रेत है जो नया पोत या नया जलयान नहीं है,

(ख) “नया पोत” या “नया जलयान” से ऐसा पोत या जलयान अभिप्रेत है जिसका नोटल (कील) उपधारा (2) में यथापरिभाषित तात्त्विक तारीख को या उसके पश्चात् रखा गया है या जो उस समय निर्माण की वैसी ही स्थिति में है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “तात्त्विक तारीख” से,—

(i) किसी भारतीय पोत के संबंध में, 21 जुलाई 1968 अभिप्रेत है ;

(ii) किसी ऐसे देश के, जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है, विदेशी पोत के सम्बन्ध में, वह तारीख अभिप्रेत है जिससे धारा 283 के अधीन यह घोषणा की जाती है कि ऐसे देश की सरकार ने भार रेखा अभिसमय को स्वीकार कर लिया है या उक्त अभिसमय ऐसे देश को लागू हो चुका है।]

पोतों का निर्माण

284. निर्माण के नियम—(1) केन्द्रीय सरकार उन अपेक्षाओं को विहित करने वाले नियम बना सकेगी जिनके अनुसार भारतीय ³[यात्री या स्थोरा पोतों] के हल, उपस्कर और मशीनों का निर्माण किया जाएगा (जिन्हें इस अधिनियम में निर्माण नियम कहा गया है)।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में ऐसी अध्यक्षणाएं अन्तर्विष्ट होंगी जैसी केन्द्रीय सरकार को सुरक्षा अभिसमय के उन उपबंधों को, जिनमें उन अपेक्षाओं को विहित किया गया है जिनके अनुसार ³[यात्री या स्थोरा पोतों] के हल, उपस्कर और मशीनें होंगी, क्रियान्वित करने के लिए, वहां तक के सिवाय जहां तक उन उपबंधों का क्रियान्वयन प्राणरक्षक साधित्रों के नियमों, रेडियो नियमों, दिशासूचक नियमों या टक्कर विनियमों द्वारा किया जाता है, आवश्यक प्रतीत हों :

⁴[परन्तु विशेष व्यापार यात्री पोतों के लिए विभिन्न अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।]

(3) इस धारा द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियां ऐसे किसी अन्य उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त होंगी जो उसे उन अपेक्षाओं को विहित करने के लिए सशक्त बनाती है जिनका अनुपालन ³[यात्री या स्थोरा पोतों] को करना होगा।

टक्करों की रोकथाम

285. टक्कर नियम—(1) केन्द्रीय सरकार समुद्र तटों पर टक्करों की रोकथाम के लिए विनियम बना सकेगी, और भारत में रजिस्टर किए गए भारतीय पोतों और चलत जलयानों पर वहन किए जाने वाले और प्रदर्शित किए जाने वाले प्रकाशों और शेष वहन किए जाने वाले और प्रयोग में लाए जाने वाले कोहरा और कष्ट संकेतों, तथा अनुपालन किए जाने वाले अभिचलन और नौ-चलन नियमों का उक्त विनियमों द्वारा विनियमन कर सकेगी।

(2) सब विदेशी पोत और चलत जलयान भारतीय अधिकारिता के भीतर टक्कर विनियमों और उनसे संबंधित इस भाग के उपबंधों का या टक्करों से अन्यथा संबंधित उपबंधों का अनुपालन करेंगे तथा भारतीय अधिकारिता के भीतर उद्भूत होने वाले विषयों के संबंध में भारत में किसी न्यायालय में उद्भूत होने वाले किसी मामले में, वहां तक जहां टक्कर विनियमों का और इस अधिनियम के उक्त उपबंधों का संबंध है, ऐसे पोतों और चलत जलयानों की बाबत यह समझा जाएगा मानो वे भारतीय पोत हैं या भारत में रजिस्टर किए गए चलत जलयान हैं।

286. टक्कर विनियमों का अनुपालन—(1) प्रत्येक ऐसे पोत का स्वामी या मास्टर और प्रत्येक ऐसे चलत जलयान का स्वामी या टिंडल, जिसे धारा 285 लागू है, टक्कर विनियमों का अनुपालन करेगा, तथा उक्त विनियमों द्वारा जैसा अपेक्षित है उससे भिन्न किन्हीं प्रकाशों या शेषों का वहन या प्रदर्शन या कोहरा या कष्ट संकेतों का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) यदि किसी ऐसे पोत या चलत जलयान द्वारा टक्कर विनियमों में से किन्हीं का अनुपालन नहीं करने के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसी नुकसानी, यथास्थिति, ऐसे पोत या चलत जलयान के भारसाधक व्यक्ति के जानबूझ कर किए गए व्यतिक्रम से तब तक मानी जाएगी जब तक न्यायालय के समाधानप्रद रूप से यह नहीं दर्शाया जाता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ही विनियमों का त्याग करना पड़ा था।

287. प्रकाशों और शेषों तथा कोहरा और कष्ट संकेतों के निरीक्षक—(1) केन्द्रीय सरकार, यह देखने के प्रयोजन के लिए कि पोतों या चलत जलयानों में टक्कर विनियमों के अनुसरण में प्रकाशों और शेषों तथा कोहरा और कष्ट संकेत करने के साधनों की उचित

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा (21-7-1968 से) उपधारा (2) का लोप किया गया।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (21-7-1968 से) अंतःस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 7 द्वारा (28-5-1966 से) “यात्री पोतों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 21 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

व्यवस्था की गई है, किसी पत्तन में ऐसे पोतों या चलत जलयानों के, जिन्हें टक्कर विनियम लागू हैं, निरीक्षण के लिए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया निरीक्षक यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पोत या चलत जलयान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है तो वह ऐसी कमी की ओर संकेत करते हुए और यह संकेत करते हुए भी कि उसकी राय में उसके उपचार के लिए क्या अपेक्षित है, स्वामी, मास्टर या टिंडल को एक लिखित सूचना देगा।

(3) इस प्रकार दी गई प्रत्येक सूचना विहित रीति में ऐसे पत्तन के सीमाशुल्क कलक्टर को संसूचित की जाएगी जहां से ऐसा पोत या चलत जलयान निकासी पत्र प्राप्त करने की वांछा कर सकता है और ऐसा सीमाशुल्क कलक्टर जिसे संसूचना दी जाए ऐसे पोत को तब तक पत्तन निकासी पत्र मंजूर नहीं करेगा या समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं होने देगा जब तक उसके पास उपरोक्त रूप से नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति का स्वहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि उक्त पोत या चलत जलयान में उक्त विनियमों के अनुसरण में प्रकाश और शेषों तथा कोहरा और कष्ट संकेत भेजने के साधनों की उचित व्यवस्था कर दी गई है।

प्राण रक्षक साधित्र और अग्नि साधित्र

288. प्राण रक्षक साधित्रों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, भारत के किसी पत्तन या स्थान से समुद्र यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक भारतीय पोत द्वारा वहन किए जाने वाले प्राण रक्षक साधित्रों को विहित करने वाले नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) उस सेवा को, जिसके लिए पोतों को लगाया जाए, समुद्र यात्रा की प्रकृति और अवधि को और वहन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पोतों को ध्यान में रखते हुए, पोतों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना ;

(ख) पोतों की जिन श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाए उनके अनुसार उनके द्वारा वहन की जाने वाली नौकाओं, प्राण रक्षक रेफ्टों, लाइन डालने वाले साधित्रों, रक्षा-जैकटों और रक्षा-बोयों की संख्या, विवरण और निर्माण का ढंग ;

(ग) किन्हीं ऐसे नौकाओं और रेफ्टों द्वारा वहन किए जाने वाले उपस्कर और उन नौकाओं और प्राण रक्षक साधित्रों को, जिसके अन्तर्गत तूफानी मौसम में उपयोग के लिए तेल भी है, जल में उतारने की व्यवस्था की पद्धति ;

(घ) पोतों में ऐसे प्रकाश का उचित प्रदाय जो जल में बुझने वाला न हो और जो रक्षा-बोयों में लगाए जाने के लिए फिट किया गया हो ;

(ङ) पोतों के फलक पर नौकाओं, रक्षा-रेफ्टों, रक्षा-जैकटों और रक्षा-बोयों के अतिरिक्त या उनके प्रतिस्थानी के रूप में वहन किए जाने वाले तरणबेड़ा की मात्रा, क्वालिटी और विवरण ;

(च) नौकाओं, रक्षा-रेफ्टों, रक्षा-जैकटों, रक्षा-बोयों और तरणबेड़ा की स्थिति और उन्हें अच्छी प्रकार से लगाने के साधन ;

(छ) नौकाओं, रक्षा-रेफ्टों और तरणबेड़ाओं का चिह्नांकन जिससे उनकी विमाओं और उन पर वहन किए जाने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया जा सके ;

(ज) रक्षा-नौकाओं पर कर्मियों की संख्या तथा रक्षा-नौका कर्मियों की अर्हताएं और प्रमाणपत्र ;

¹[(जज) रक्षा-रेफ्टों को चलाने और उनका प्रयोग करने के लिए कर्मीदल को प्रशिक्षण ;]

(झ) फलक पर व्यक्तियों को इकट्ठा करने और उन्हें नौकाओं या रेफ्टों में उतारने के लिए, की जाने वाली व्यवस्था (जिसके अन्तर्गत पोत के विभिन्न भागों को प्रकाशित करने तथा उन भागों में प्रवेश करने या उनसे निर्गम के साधनों की व्यवस्था भी है) ;

(ञ) इंजन रूम के बाहर स्थित ऐसे उपयुक्त साधनों की व्यवस्था जिसके द्वारा ²[नौकाओं या रेफ्टों] में पानी के प्रवेश को रोका जा सके ;

(ट) आपात की दशा में कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य को विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का समनुदेशन ;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 287 या धारा 290 के अधीन दी जाने वाली सूचना सीमाशुल्क कलक्टर को संसूचित की जाएगी ;

(ड) पोतों में नौका-अभ्यासों और अग्नि-अभ्यासों का किया जाना ;

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 8 द्वारा (28-5-1966 से) “नौकाओं” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(द) दिन में और रात में प्रभावी रूप से कष्ट संकेत देने के साधनों की पोतों में व्यवस्था ;

(ण) ऐसी समुद्र यात्राओं में, जिनमें पाइलटों को उतारने की संभावना है, लगे हुए पोतों में उपयुक्त पाइलट सीडियों की और ऐसी सीडियों का सुरक्षित प्रयोग करने के लिए रस्सियों, प्रकाशों और अन्य साधनों की व्यवस्था ;

(त) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अपेक्षित किन्हीं ऐसे साधनों या उपकरणों का, जिनका पोत द्वारा वहन किया जाएगा, कालिक परीक्षण ; और

(थ) धारा 290 की उपधारा (3) के अधीन किसी प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ।

289. अग्नि साधनों की बाबत नियम—केन्द्रीय सरकार भारत के किसी पत्तन या स्थान से समुद्र यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक भारतीय पोत द्वारा पोत पर आग की रोकथाम, आग का पता लगाने और बुझाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और वहन किए जाने वाले साधनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अग्नि साधन कहा गया है) को विहित करते हुए नियम बना सकेगी ।

290. प्राण रक्षक साधनों और अग्नि साधनों का निरीक्षण—(1) सर्वेक्षक, किसी भी उचित समय पर, किसी पोत का निरीक्षण यह देखने के प्रयोजन के लिए कर सकता है कि उसमें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप प्राण रक्षक और अग्नि साधनों की उचित व्यवस्था की गई है ।

(2) यदि उक्त सर्वेक्षण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पोत में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वह मास्टर या स्वामी को ऐसी कमी की ओर संकेत करते हुए तथा यह संकेत करते हुए भी कि उसकी राय में उसके उपचार के लिए क्या अपेक्षित है, एक लिखित सूचना देगा ।

(3) इस प्रकार दी गई प्रत्येक सूचना विहित रीति में ऐसे पत्तन के सीमाशुल्क कलक्टर को संसूचित की जाएगी जहां से पोत पत्तन निकासी पत्र अभिप्राप्त करने की बांछा कर सकता है और पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक ऐसे सर्वेक्षक का स्वहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है कि पोत पर उक्त नियमों के अनुरूप प्राण रक्षक और अग्नि साधनों की उचित व्यवस्था कर दी गई है ।

रेडियो तार, रेडियो टेलीफोन और दिशा सूचकों का संस्थापन

291. रेडियो अपेक्षाएं—¹[(1) प्रत्येक भारतीय पोत और तीन सौ सकल टन भार या उससे अधिक के प्रत्येक भारतीय स्थोरा पोत में धारा 296 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एक रेडियो संस्थान की व्यवस्था की जाएगी और वह विहित प्रकृति की रेडियो तार सेवा या रेडियो टेलीफोन सेवा बनाए रखेगा तथा पोत पर ऐसे प्रमाणपत्रित प्रचालकों को, जैसे विहित किए जाएं, व्यवस्था की जाएगी ।]

(2) यात्री पोत के लिए या ²[सोलह सौ सकल टन भार या उससे अधिक के किसी स्थोरा पोत के लिए उक्त नियमों के अधीन अपेक्षित रेडियो संस्थापन एक रेडियो तार संस्थापन होगा ; और वह रेडियो संस्थापन जो सोलह सौ सकल टन भार से कम स्थोरा पोत के लिए अपेक्षित है,] स्वामी के विकल्प पर या तो रेडियो तार संस्थापन होगा या रेडियो टेलीफोन संस्थापन होगा ।

³[(3) केन्द्रीय सरकार, उस समुद्र यात्रा या उन समुद्री यात्राओं की, जिनमें कोई पोत या पोतों का वर्ग लगा है, दूरी और ऐसी यात्रा या यात्राओं के दौरान ऐसा पोत या पोतों का वर्ग तट से जितनी अधिकतम दूरी पर होगा उसे, ध्यान में रखते हुए, लिखित आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी पोत या पोतों के वर्ग को इस धारा द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सब बाध्यताओं या उनमें से किसी के अनुपालन से छूट दे सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अनुपालन अनुचित या अनावश्यक होगा :

परन्तु किसी यात्री पोत या सोलह सौ सकल टन भार या उससे अधिक के किसी स्थोरा पोत की बाबत रेडियो तार संस्थापन की व्यवस्था करने की बाध्यता से छूट इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसे पोत पर एक रेडियो टेलीफोन संस्थापन रखा जाए :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई छूट नहीं दी जाएगी यदि उससे पोतों की सुरक्षा के लिए कष्ट निवारण सेवा की साधारण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

292. रेडियो दिशा सूचक साधन—⁴[(1)] सौलह सौ सकल टन भार या उससे अधिक के प्रत्येक भारतीय पोत में विहित विवरण के एक रेडियो दिशा सूचक की व्यवस्था की जाएगी ।

⁵[(2) केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जैसे विहित किए जाएं, पांच हजार सकल टन भार से कम के किसी पोत को उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित बाध्यता से छूट दे सकेगी यदि उस सरकार का उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों का, जिनमें पोत यात्रा या यात्राओं में लगा है, तथा नौचालन संबंधी उपकरण के रूप में और पोतों, वायुयानों या बचाव क्राफ्टों

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 9 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित ।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित ।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 10 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित ।

का पता लगाने में सहायक के रूप में रेडियो दिक्सूचक के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अनुपालन अनुचित या अनावश्यक होगा।]

293. रेडियो लागू—(1) धारा 291 के उपबंधों के अधीन रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन अनिवार्यतः सुसज्जित प्रत्येक पोत अपने रेडियो तार कक्ष या रेडियो टेलीफोन कक्ष में एक रेडियो लागू रखेगा जिसमें रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन प्रचालन के बारे में ओर रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन सेवा को बनाए रखने के बारे में ऐसी विशिष्टियां दर्ज की जाएंगी जैसी विहित की जाएं।

(2) धारा 215 के उपबंध इस धारा के अधीन रखी गई रेडियो लागू को वैसे ही लागू होंगे मानो वह आफिशियल लागू है।

294. रेडियो निरीक्षकों की शक्तियां—(1) रेडियो निरीक्षक यह देखने के प्रयोजन के लिए कि किसी पोत पर इस भाग के अनुरूप रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन और प्रमाणपत्र प्राप्त प्रचालकों की उचित व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर सकता है, तथा इस प्रयोजन के लिए सभी उचित समय पर किसी पोत पर जा सकता है और रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन के संबंध में इस भाग के उपबंधों के प्रयोजन के लिए पोत के उचित निरीक्षण के लिए आवश्यक सब बातें कर सकता है तथा पोत के मास्टर से यह अपेक्षा भी कर सकता है कि वह उसे ऐसी कोई जानकारी दे जिसे उस प्रयोजन के लिए देना मास्टर की शक्ति में है, जिसके अन्तर्गत संस्थापन के संबंध में इस भाग के अधीन मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र और पोत के प्रचालकों ¹*** के प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना भी है :

परन्तु यदि भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत की बाबत कोई विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र पेश किया जाता है तो निरीक्षण यह देखने मात्र तक सीमित होगा कि पोत में रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन की व्यवस्था की गई है और प्रमाणपत्रित प्रचालकों की संख्या प्रमाणपत्र में अधिकथित विशिष्टियों से तात्त्विक रूप से मेल खाती है।

(2) यदि रेडियो निरीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पोत पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वह मास्टर या स्वामी को ऐसी कमी की ओर संकेत करते हुए, तथा यह संकेत करते हुए भी कि उसकी राय में उसके उपचार के लिए क्या अपेक्षित है, एक लिखित सूचना देगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना विहित प्ररूप में ऐसे किसी पत्तन के सीमाशुल्क कलक्टर को संसूचित की जाएगी जहां से पोत पत्तन निकासी पत्र अभिप्राप्त करने की बांछा कर सकता है और सीमाशुल्क कलक्टर यह आदेश देगा कि पोत को तब तक निरुद्ध रखा जाए जब तक रेडियो निरीक्षक का स्वहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र पेश नहीं कर दिया जाता है कि पोत में इस भाग के अनुरूप रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन और प्रमाणपत्रित प्रचालकों ¹*** की उचित व्यवस्था कर दी गई है।

295. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को इस भाग का लागू होना— रेडियो तार, रेडियो टेलीफोन और दिक्सूचकों के संबंध में इस भाग के उपबंध भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को, तब जब वे भारत में किसी पत्तन के भीतर हों, उसी रीति में लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू होते हैं।

296. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन ²[या रेडियो दिक्सूचकों] के संबंध में इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया या पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) ऐसे रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापन और रेडियो दिक्सूचक साधित्र की, जिनकी व्यवस्था की जाएगी, और बनाए रखी जाने वाली सेवा की प्रकृति, रेडियो लागू का प्ररूप और उसमें दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां तथा वहन किए जाने वाले प्रमाणपत्रित प्रचालकों की संख्या, श्रेणियां और अर्हताएं ;

²[(कक) उस रेडियो तार संस्थापन की प्रकृति जिसकी व्यवस्था मोटर रक्षा नौकाओं और बचाव यानों पर की जाएगी ;]

(ख) ऐसी रीति जिसमें धारा 294 के अधीन दी गई सूचना सीमाशुल्क कलक्टर को संसूचित की जाएगी ;

(ग) धारा 294 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए फीसों का प्रभारित किया जाना, ऐसी फीसों की रकम और ऐसी रीति जिसमें वे वसूल की जा सकेंगी।

297. संकेत लैंप—एक सौ पचास सकल टन से अधिक के प्रत्येक भारतीय पोत में, तब जब वह भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र यात्रा पर अग्रसर हो, एक ³[संकेत लैंप की व्यवस्था की जाएगी जो पोत की विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत मात्र पर आश्रित नहीं होगा और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा]।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 11 द्वारा (28-5-1966 से) “और प्रहरी” शब्दों का लोप किया गया।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 13 द्वारा (28-5-1966 से) “अनुमोदित प्रकार के संकेत लैंप” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्थिरत्व संबंधी जानकारी

298. पोत के स्थिरत्व की बाबत जानकारी—(1) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत पर, जिसका नोटल (कील) पन्द्रह जून, 1953 के पश्चात् रखा गया है, ऐसी लिखित जानकारी का वहन किया जाएगा ¹[जैसी मास्टर को सत्वर और सादा प्रक्रिया से, सेवा की विभिन्न दशाओं में पोत के स्थिरत्व के बारे में सही मार्गदर्शन अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।]

²(2) जानकारी ऐसे प्ररूप में होगी जैसी केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे (केन्द्रीय सरकार जानकारी के केवल आरेखण या रेखाचित्र के रूप में उपलब्ध रहने का अनुमोदन कर सकती है) और जब पोत में कोई ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे ऐसी जानकारी पर तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़े तब जानकारी में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

(2क) जानकारी पोत की आनति परीक्षा करके अवधारित किए गए पोत के स्थिरत्व पर आधारित होगी और उसमें कोई संशोधन, यदि आवश्यक हो तो, पोत की पुनः आनति के पश्चात् ही किया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा,—

(क) किसी पोत की दशा में, जानकारी या उसके किसी संशोधन की किसी समान पोत के स्थिरत्व के वैसे ही अवधारण पर आधारित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है ;

(ख) किसी द्रव या अयस्क का थोक वहन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पोत या पोतों के किसी वर्ग की दशा में ऐसी परीक्षा से छूट दे सकती है यदि वैसे ही पोतों की बाबत उपलब्ध जानकारी से उसका यह समाधान हो जाता है कि पोत के माप और इंतजाम ऐसे हैं जिनसे संभाव्य लदान की सभी दशाओं में पर्याप्त स्थिरत्व से अधिक स्थिरत्व रहना सुनिश्चित है।]

(3) जब किसी पोत के लिए इस धारा के अधीन कोई जानकारी ³[(जिसके अन्तर्गत उसका कोई संशोधन भी है)] उपलब्ध कराई जाए तब स्वामी उसकी एक प्रति महानिदेशक को भेजेगा।

(4) एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि धारा 208 के प्रयोजन के लिए (जो यह अपेक्षा करती है कि नौपरिवहन से संबंधित दस्तावेज पोत के मास्टर द्वारा अपने उत्तराधिकारी को परिदत्त की जाएं) इस धारा के अधीन जानकारी की बाबत, ⁴[(जिसके अन्तर्गत उसका कोई संशोधन भी है)] यह समझा जाएगा कि वह पोत के नौपरिवहन से संबंधित दस्तावेज है।

⁴[सुरक्षा प्रमाणपत्र, सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र, छूट प्रमाणपत्र, आदि]

299. यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और अर्हित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र—(1) किसी यात्री पोत की बाबत भाग 8 के अधीन मंजूर की गई सर्वेक्षण घोषणा प्राप्त होने पर जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि पोत उन निर्माण नियमों का तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उन उपबंधों का जो प्राणरक्षक और अग्नि साधित्रों ⁵[रेडियो संस्थापन] से संबंधित हैं और जो ऐसे पोत को लागू हैं, अनुपालन करता है और उसमें टक्कर विनियमों द्वारा अपेक्षित प्रकाश और शेषों की, तथा कोहरा और कष्ट संकेत देने के साधनों की, व्यवस्था है तो केन्द्रीय सरकार उस पोत की बाबत, एक प्रमाणपत्र, विहित प्ररूप में, जारी कर सकेगी जो ⁶[यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] कहलाएगा।

(2) किसी यात्री पोत की बाबत भाग 8 के अधीन मंजूर की गई सर्वेक्षण घोषणा प्राप्त होने पर जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे पोत के संबंध में धारा 392 के अधीन मंजूर किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त है और पोत ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का, उनसे भिन्न, जिनसे पोत को उस प्रमाणपत्र के अधीन छूट प्राप्त है, अनुपालन किया है तो केन्द्रीय सरकार उस पोत की बाबत, एक प्रमाणपत्र विहित रूप में जारी कर सकेगी जो ⁷[अर्हित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] कहलाएगा।

⁸(3) किसी विशेष व्यापार यात्री पोत या ⁹**** की बाबत भाग 8 के अधीन मंजूरी की गई सर्वेक्षण घोषणा प्राप्त होने पर जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि पोत इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उन उपबंधों का, जो निर्माण, प्राण रक्षक साधित्रों और स्थान की अपेक्षाओं से संबंधित हैं, अनुपालन करता है तो केन्द्रीय सरकार उस पोत की बाबत, उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र के अतिरिक्त एक विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और एक विशेष व्यापार यात्री पोत स्थान प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी।]

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 15 द्वारा (28-5-1966 से) "सुरक्षा प्रमाणपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 15 द्वारा (28-5-1966 से) "अर्हित सुरक्षा प्रमाणपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 22 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

⁹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया।

¹[(4) उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 300 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 301 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में उपस्कर अभिलेख द्वारा अनुपूरित किए जाएंगे।]

²[299क. स्थोरा पोतों के लिए सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र—(1) जहां ³**** किसी भारतीय स्थोरा पोत की बाबत ⁴[केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति] का यह समाधान हो जाता है कि पोत का सर्वेक्षण धारा 299ख के अधीन विहित रीति में किया गया है और पोत धारा 284 के अधीन बनाए गए निर्माण नियमों का अनुपालन करता है तो ⁴[वह सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति] उस पोत की बाबत,—

(क) ⁵[यदि पोत पांच सौ सकल टन या उससे अधिक का है और अन्तरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा करता है] तो एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी कर सकेगी जो स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र कहलाएगा ;

(ख) अन्य मामलों में, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी कर सकेगी जो स्थोरा पोत निर्माण कहलाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी पोत के संबंध में ⁴[धारा 302 के अधीन मंजूर किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त है और केन्द्रीय सरकार का या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का] यह समाधान हो जाता है कि पोत उस उपधारा में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का, उनसे भिन्न जिनसे पोत को उस प्रमाणपत्र के अधीन छूट प्राप्त है अनुपालन करता है तो ⁴[वह सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति] उस पोत की बाबत विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, जो अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र या अर्हित स्थोरा पोत निर्माणपत्र कहलाएगा।

⁶[(3) ऐसे प्रत्येक पोत का स्वामी, जिसकी बाबत उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 300 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 301 के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जब तक प्रमाणपत्र प्रवृत्त बना रहता है, पोत का सर्वेक्षण, यथास्थिति, सुरक्षा अभिसमय में यथाविनिर्दिष्ट रीति में या ऐसे मामले में जहां ऐसी विनिर्दिष्ट रीति लागू न हो वहां ऐसी रीति में, जो इस निमित्त विनियमों द्वारा विहित की जाए, कराएगा।]

299ख. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन स्थोरा पोतों के सर्वेक्षणों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसे समय और स्थान, जब और जहां, तथा ऐसी रीति जिसमें, सर्वेक्षण किए जाएंगे ;

(ख) निर्माण, मशीनों, उपस्कर और उपखण्ड भार-रेखाओं के चिहनांकन के बारे में वे अपेक्षाएं, जिन्हें स्थोरा पोतों को साधारणतया या स्थोरा पोतों के किसी वर्ग को विशिष्टतया पूरी करनी होंगी ;

(ग) सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षक के कर्तव्य ;

(घ) ऐसी दरें जिनके अनुसार सर्वेक्षणों की बाबत देय फीसों की संगणना सर्वेक्षण के सब स्थानों या पत्तनों की दशा में या उनमें से किसी की दशा में की जाएगी ;

(ङ) पोतों के हलों और किन्हीं जलरोधी दीवारों के द्वारों का बंद किया जाना और उन्हें बन्द रखना ;

(च) किन्हीं ऐसे द्वारों को, जैसे ऊपर कहे गए हैं, बंद करने के लिए युक्तियों का सुरक्षित रखा जाना और सम्यक् स्थान पर रखा जाना तथा निरीक्षण ;

(छ) किन्हीं ऐसे द्वारों को, जैसे ऊपर कहे गए हैं, बंद करने के लिए युक्तियों के तंत्र का प्रचालन और उनके प्रचालन से संबंधित अभ्यास ; तथा

(ज) उपरोक्त विषयों में से किसी के बारे में आफिशियल लागू बुक में रखे जाने वाले अन्य अभिलेखों में की जाने वाली प्रविष्टियां।]

⁷[300. यात्री पोतों से भिन्न पोतों के लिए स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर और स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र—(1) जहां भारतीय स्थोरा पोत की बाबत यदि केन्द्रीय सरकार का या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि पोत इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उन उपबंधों का जो प्राण रक्षक और अग्नि साधित्रों से संबंधित हैं

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 16 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 18 द्वारा (15-7-1985 से) लोप किया गया।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 18 द्वारा (15-7-1985 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

तथा जो ऐसे पोतों को लागू हैं, अनुपालन करता है और उसमें टक्कर विनियमों द्वारा अपेक्षित प्रकाश और छायाभास की तरह कोहरा और कष्ट संकेत देने के साधनों की व्यवस्था है तो वह सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति, उस पोत की बाबत,—

(क) यदि पोत पांच सौ सकल टन भार या उससे अधिक का है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राएं करता है तो, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी कर सकेगा जो स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र कहलाएगा ;

(ख) अन्य मामलों में, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी कर सकेगा जो स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र कहलाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे पोत की बाबत, धारा 302 के अधीन मंजूर किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि पोत उस उपधारा में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का, उनसे भिन्न जिनसे पोत को उस प्रमाणपत्र के अधीन छूट प्राप्त है, अनुपालन करता है तो केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी कर सकेगा जो, यथास्थिति, अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अर्हित स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र कहलाएगा ।]

¹[301. स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र और अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र, आदि—किसी ऐसे भारतीय स्थोरा पोत का स्वामी या मास्टर, जिस पोत की बाबत धारा 291 के उपबंधों द्वारा यह अपेक्षित है कि उसमें रेडियो संस्थापन की व्यवस्था की जाए, यदि केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि वह पोत उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उन सभी उपबंधों का, जो रेडियो संस्थापन से संबंधित हैं और ऐसे पोत को लागू हैं अनुपालन करता है—

(क) तीन सौ सकल टन भार और उससे अधिक के पोत की दशा में, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में प्राप्त करेगा जो स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र कहलाएगा ;

(ख) तीन सौ सकल टन भार या उससे अधिक किन्तु तीन हजार सकल टन भार से कम के पोत की दशा में, जो केवल भारत के पत्तनों या स्थानों के बीच समुद्र यात्रा करता है, एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में प्राप्त करेगा, जो अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र कहलाएगा ; और

(ग) अन्य दशाओं में एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में प्राप्त करेगा, जो स्थोरा पोत रेडियो प्रमाणपत्र कहलाएगा ।]

302. छूट प्रमाणपत्र—उस भारतीय पोत का स्वामी या मास्टर जिसे निर्माण नियमों या इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उन उपबंधों से, जो प्राणरक्षक और अग्नि साधित्रों तथा रेडियो तार या रेडियो टेलीफोन संस्थापनों से संबंधित हैं, छूट दी गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए अधिकारी को आवेदन करने पर, ऐसे अधिकारी से एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में प्राप्त करेगा जो छूट प्रमाणपत्र कहलाएगा ।

²[303. प्रमाणपत्रों की अवधि—(1) इस भाग के अधीन जारी किया गया यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, अर्हित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र, विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और विशेष व्यापार यात्री पोत स्थान प्रमाणपत्र, उसके द्वारा जारी किए जाने की तारीख से बारह मास के लिए या ऐसी लघुतर अवधि के लिए, जैसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

(2) इस भाग के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र, अर्हित स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र, स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र, अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र, स्थोरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र, अर्हित स्थोरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र, स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र, अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र और स्थोरा पोत रेडियो प्रमाणपत्र, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी लघुतर अवधि के लिए, जो प्रमाणपत्र में विहित की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

(3) धारा 302 के अधीन जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र, उस अवधि के लिए, जिसके लिए यह प्रमाणपत्र, जिससे वह संबंधित है, प्रवृत्त बना रहता है या ऐसी लघुतर अवधि के लिए लिए जो छूट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं के होते हुए भी, जब विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पहले तीन मास के भीतर सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है तब नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से या सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख से,—

(क) यात्री पोत के लिए, बारह मास से अनधिक की किसी तारीख तक ; और

(ख) स्थोरा पोत के लिए, पांच वर्ष से अनधिक की किसी तारीख तक,

विधिमान्य हो सकेगा ।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भारतीय पोत की बाबत, इस भाग के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र का विस्तार—

(क) जहां पोत उस तारीख को जिसको प्रमाणपत्र, उसका विस्तार न किए जाने की दशा में, पर्यवसित हो जाता, उस पत्तन में नहीं है जहां उसका सर्वेक्षण होना है, तो उक्त तारीख से तीन मास से अनधिक उतनी अवधि के लिए कर सकता है जितनी पोत को उस पत्तन तक जिस पर उसका सर्वेक्षण होना है, अपनी समुद्री यात्रा पूरी करने में, समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हो ;

(ख) जहां पोत लघु समुद्र यात्रा में लगा हुआ है और उसके प्रमाणपत्र का खंड (क) के अधीन विस्तार नहीं किया गया है, उस तारीख से जिसको उसका प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है एक मास तक की अवधि के लिए कर सकता है :

परन्तु खंड (क) के अधीन मंजूर किया गया कोई विस्तार, पोत के उस पत्तन पर जो उस खंड में निर्दिष्ट है, आगमन पर प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि खंड (ख) के अधीन कोई विस्तार खंड (क) के अधीन विस्तारित प्रमाणपत्र की बाबत मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी पोत के विद्यमान प्रमाणपत्र का उपधारा (5) के अधीन विस्तार किया गया है और जब सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है तब नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से,—

(क) यात्री पोत के लिए, बारह मास से अनधिक की तारीख तक ; या

(ख) किसी स्थोरा पोत के लिए, पांच वर्ष से अनधिक की तारीख तक,

विद्यमान रहेगा ।

(7) विशेष परिस्थितियों में, जब केन्द्रीय सरकार ऐसा अवधारण करे, कोई नया प्रमाणपत्र जिस पर विद्यमान प्रमाणपत्र के पर्यवसान की तारीख से, तारीख डालना आवश्यक नहीं होगा, सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से,—

(क) यात्री पोत के लिए, बारह मास से अनधिक की तारीख तक ;

(ख) स्थोरा पोत के लिए पांच वर्ष से अनधिक की तारीख तक,

विधिमान्य होगा ।

(8) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र पांच वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, अवसान की तारीख से परे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि का विस्तार उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक कर सकेगा, यदि समुचित सर्वेक्षण, जो तब लागू हो जब कोई प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है, कर लिए जाते हैं ।

(9) यदि सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है और नया प्रमाणपत्र, विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पहले जारी नहीं किया जा सकता है या पोत के फलक पर नहीं रखा जा सकता है तब केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, विद्यमान प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कर सकेगा और ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पांच मास से अधिक की नहीं होगी, प्रवृत्त रहेगा ।

(10) यदि, यथास्थिति, सुरक्षा अभिसमय में यथाविनिर्दिष्ट रीति में वार्षिक, अंतःकालीन या सावधिक सर्वेक्षण या ऐसे मामले में जहां ऐसी विनिर्दिष्ट रीति लागू न हो, ऐसी रीति में जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, उसके लिए नियत अवधि से पहले पूरा कर लिया जाता है तब,—

(क) सुसंगत प्रमाणपत्र पर वर्णित वार्षिकी तारीख ऐसी तारीख के पृष्ठांकन द्वारा संशोधित की जाएगी जो उस तारीख से तीन मास के पश्चात् की नहीं होगी, जिसको सर्वेक्षण पूरा किया गया था ;

(ख) पश्चात्पूर्वी सर्वेक्षण, इस प्रकार पृष्ठांकित वार्षिकी तारीख का उपयोग करते हुए नियत अंतःकालीन तारीख पर पूरे किए जाएंगे ;

(ग) पर्यवसान की तारीख अपरिवर्तित रहेगी परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, एक या अधिक वार्षिक, अंतःकालीन या सावधिक सर्वेक्षण कर लिए जाते हैं जिससे कि सर्वेक्षणों के बीच अधिकतम नियत अंतराल अधिक न हो जाएं ।

(11) धारा 299क, धारा 300 या धारा 301 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र,—

(क) यदि, यथास्थिति, सुरक्षा अभिसमय में विनिर्दिष्ट सुसंगत सर्वेक्षण या ऐसे मामलों में जहां ऐसी विनिर्दिष्ट रीति लागू न हो, उस रीति में जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, नियत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि प्रमाणपत्र पृष्ठांकित नहीं किया जाता है ; या

(ग) यदि पोत भारतीय पोत नहीं रह जाता है,

विधिमान्य नहीं रह जाएगा।]

304. सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्रों में प्राण रक्षक साधित्रों की बाबत उपान्तरण—(1) यदि किसी ऐसे भारतीय पोत पर, जिसकी बाबत धारा 299 के अधीन जारी किया गया ¹[यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] ²[या विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] प्रवृत्त है, किसी विशिष्ट समुद्र यात्रा के दौरान व्यक्तियों की कुल संख्या उस संख्या से कम है जो प्रमाणपत्र में उस संख्या के रूप में अधिकथित की गई है जिसके लिए पोत पर प्राण रक्षक साधित्रों की व्यवस्था है, पोत का स्वामी या मास्टर प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से या उस प्राधिकारी द्वारा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति से एक ज्ञापन अभिप्राप्त करेगा, जो प्रमाणपत्र में लगाया जाएगा, जिसमें उस समुद्र यात्रा में पोत पर वहन किए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, और ऐसे उपान्तरण अधिकथित होंगे जो प्रमाणपत्र में प्राण रक्षक साधित्रों की बाबत अधिकथित विशिष्टियों में उस समुद्र यात्रा के प्रयोजन के लिए किए जा सकेंगे।

(2) जहां किसी भारतीय पोत से भिन्न यात्री पोत की बाबत कोई वैध ³[यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] पेश किया जाता है और उस प्रमाणपत्र के साथ ऐसा ज्ञापन संलग्न है जो—

(क) उस देश की सरकार के, जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत है, प्राधिकार से या उसके अधीन जारी किया गया है; और

(ख) किसी विशिष्ट समुद्र यात्रा के प्रयोजन के लिए, उस समुद्र यात्रा पर वस्तुतः वहन किए जा रहे व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रमाणपत्र में प्राणरक्षक साधित्रों की बाबत अधिकथित विशिष्टियों को उपांतरित करता है,

तो ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी समुद्र यात्रा के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानो वह ज्ञापन के अनुसार उपांतरित किया गया था।

305. भारत के बाहर जारी किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता—भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत की बाबत उस देश की सरकार द्वारा, जिस देश का वह पोत है, जारी किए गए विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र का, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, भारत में वही प्रभाव होगा जो किसी भारतीय पोत की बाबत इस भाग के अधीन जारी किए गए तत्स्थानी प्रमाणपत्र का है।

306. भारत में विदेशी पोतों को और विदेशों में भारतीय पोतों को प्रमाणपत्र जारी करना—(1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे देश की सरकार की प्रार्थना पर जिसे सुरक्षा अभिसमय लागू है, उस देश में ⁴[रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले] किसी पोत की बाबत एक उपयुक्त सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र जारी कराएगी यदि उसका, उसी रीति में जैसी कि भारतीय पोत की दशा में अपनाई जाती है, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी किया जा सकता है, तथा, जहां ऐसी प्रार्थना पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है वहां उसमें यह कथन रहेगा कि वह इस प्रकार से जारी किया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे देश की सरकार से, जिसे सुरक्षा अभिसमय लागू है, ⁵[भारत में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले] किसी पोत ⁶[की बाबत] एक उपयुक्त सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रार्थना कर सकती है और ऐसी प्रार्थना के अनुसरण में जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्र का, जिसमें यह विवरण है कि वह इस प्रकार जारी किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वही प्रभाव होगा मानो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है।

307. प्रमाणपत्र के बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने का प्रतिषेध—⁶[(1) कोई भारतीय यात्री पोत भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए, समुद्र यात्रा पर तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक,—

(क) यदि वह पोत विशेष व्यापार यात्री पोत से भिन्न पोत है तो, उस पोत की बाबत,—

(i) धारा 299 के अधीन जारी किया गया यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है, अथवा

(ii) धारा 299 के अधीन जारी किया गया अर्हित यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और धारा 302 के अधीन जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है;

(ख) यदि वह पोत विशेष व्यापार यात्री पोत है तो, उस पोत की बाबत खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या उस खण्ड के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र तथा एक विशेष व्यापार यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और एक विशेष व्यापार यात्री पोत-स्थान प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है,

तथा, प्रत्येक दशा में, वह प्रमाणपत्र उसके निर्वन्धनों के अनुसार समुद्र यात्रा को, जिस पर वह पोत अग्रसर होने वाला है, तथा उस व्यापार को, जिसमें वह उस समय लगा हुआ है, लागू नहीं है।]

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 20 द्वारा (28-5-1966 से) “किसी सुरक्षा प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 23 द्वारा (1-12-1976 से) अंतःस्थापित।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 23 द्वारा (1-12-1976 से) “सुरक्षा परिसमय प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा (28-5-1966 से) “रजिस्ट्रीकृत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा (28-5-1966 से) “किसी भारतीय पोत की बाबत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 24 द्वारा (1-12-1976 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) ¹[पांच सौ सकल टन या उससे अधिक का] कोई समुद्रगामी ¹[भारतीय स्थोरा पोत] भारत के किसी स्थान से भारत के बाहर के किसी स्थान के लिए तब तक समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं होगा जब तक उस पोत की बाबत—

(क) ऐसा प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं हैं जिसकी या जिनकी अपेक्षा उपधारा (1) के उपबंधों द्वारा उस दशा में होती यदि वे यात्री पोत होते, अथवा

²(ख) धारा 299क के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण उपस्कर प्रमाणपत्र, धारा 300 के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र और धारा 301 के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत सुरक्षा ³[रेडियो प्रमाणपत्र], प्रवृत्त नहीं है, अथवा]

(ग) धारा 300 के अधीन जारी किया गया ⁴[अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र] और धारा 302 के अधीन जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र, प्रवृत्त नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र, उनके निबंधनों के अनुसार, उस समुद्र यात्रा को, जिस पर वह पोत अग्रसर होने वाला है और उस व्यापार को, जिसमें वह पोत उस समय लगा हुआ है, लागू नहीं है।

³[(2क) पांच सौ सकल टन भार से कम का कोई समुद्रगामी भारतीय स्थोरा पोत भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान को या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्रयात्रा पर तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक उस पोत की बाबत धारा 299क के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र और धारा 300 के अधीन जारी किया गया स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र और धारा 301 के अधीन जारी किया गया,—

(i) यदि पोत तीन सौ सकल टन या उससे अधिक भार का है, तो स्थोरा पोत रक्षा रेडियो प्रमाणपत्र ;

(ii) यदि पोत का प्रचालन भारत में पत्तनों या स्थानों के बीच है और तीन सौ से पांच सौ सकल टन भार का है तो अर्हित स्थोरा पोत रक्षा रेडियो प्रमाणपत्र ; या

(iii) यदि पोत तीन सौ सकल टन भार से कम है तो स्थोरा पोत रेडियो प्रमाणपत्र,

प्रवर्तन में न हो।]

(3) ¹[पांच सौ सकल टन या उससे अधिक का] कोई समुद्रगामी ¹[भारतीय स्थोरा पोत] भारत के किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच समुद्र यात्रा पर तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक उस पोत की बाबत—

(क) ³[धारा 299क के अधीन जारी किया गया ⁵[स्थोरा पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र या स्थोरा पोत निर्माण प्रमाणपत्र]] प्रवृत्त नहीं है ;

(ख) धारा 300 के अधीन जारी किया गया ³[स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र या] ⁶[अर्हित स्थोरा पोत उपस्कर प्रमाणपत्र] और धारा 302 के अधीन जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है ;

(ग) धारा 301 के अधीन जारी किया गया ⁷[स्थोरा पोत] ³[यदि पोत का प्रचालन भारत के पत्तनों और स्थानों के बीच है तथा उसका भार पांच सौ से तीन हजार सकल टन के बीच है, सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र या अर्हित स्थोरा पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र] या धारा 302 के अधीन जारी किया गया छूट प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं है,

तथा वह प्रमाणपत्र उसके निबंधनों के अनुसार, उस समुद्र यात्रा को जिस पर वह पोत अग्रसर होने वाला है तथा उस व्यापार को, जिसमें वह उस समय लगा हुआ है, लागू नहीं है।

(4) ऐसे प्रत्येक पोत का, जिसे वह धारा लागू है, ऐसे सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, जिससे पोत के लिए पत्तन निकासी पत्र की मांग की जाए, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों द्वारा अपेक्षित ऐसे प्रमाणपत्र, जो उस समय प्रवृत्तशील हों जब पोत समुद्र यात्रा पर अग्रसर हो, प्रस्तुत किए जाएंगे, तथा पत्तन और निकासी पत्र, तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा और पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उक्त प्रमाणपत्र इस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते।

308. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना—(1) ऐसे देश के, जिसे सुरक्षा अभिसमय लागू है, ⁸[प्रत्येक यात्री पोत या तीन सौ सकल टन या उससे अधिक के स्थोरा पोत] का मास्टर उस सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, जिससे भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र यात्रा की बाबत पोत निकासी-पत्र की मांग की जाती है, एक विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा तथा पोत को तब तक निकासी-पत्र मंजूर नहीं किया जाएगा और उसे तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) “अर्हित सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) “कोई उपस्कर प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) “अर्हित उपस्कर प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

⁸ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 23 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) जहां किसी 1*** पोत की बाबत विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है वहां पोत के हल, उपस्कर या मशीन की त्रुटिपूर्ण दशा के कारण, धारा 342 के प्रयोजन के लिए, तब तक यह समझा जाएगा कि वह असुरक्षित नहीं है जब तक कि, इस तथ्य के आधार पर कि पोत की वास्तविक दशा प्रमाणपत्र में अधिकथित विशिष्टियों से तात्त्विक रूप से मेल नहीं खाती है, यह प्रतीत न हो कि पोत यात्रियों या कर्मियों के बिना किसी खतरे के समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं हो सकता।

²(3) इस धारा की कोई बात किसी भारतीय पोत या न्यूक्लीय पोत को लागू नहीं होगी।]

309. कतिपय धाराओं का प्रमाणपत्रों को लागू होना—धारा 228 से धारा 231 तक (जिनमें वे दोनों धाराएं भी हैं) उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 299, ³[299क,] 300, 301 और 302 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र को और उसकी बाबत उसी रीति में लागू होंगे जैसी वे सर्वेक्षण प्रमाणपत्र और उसकी बाबत लागू हैं।

⁴**309क. सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र जारी न होने तक के दौरान परिवर्तन**—जहां इस भाग के अधीन सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए किसी पोत का कोई सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पोत का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, सर्वेक्षण में सम्मिलित पोत की संरचना संबंधी व्यवस्थाओं, मशीनों, उपस्कर और किन्हीं अन्य विषयों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगा या कराएगा जब तक ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता है।]

भार रेखाएं

310. भार रेखाओं से संबंधित उपबंधों से छूट प्राप्त पोत—(1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस धारा के भार रेखाओं से संबंधित उपबंध सब चलत जलयानों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पोतों को लागू हैं, और तदनुसार इस भाग के उक्त उपबंधों में “पोत” पद का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें चलत जलयान सम्मिलित है।

(2) इस भाग के भार रेखाओं से संबंधित उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

⁵(क) कोई चलत जलयान जो एक सौ पचास सकल टन से कम का विद्यमान जलयान है या लम्बाई में चौबीस मीटर से कम का नया जलयान है, और, दोनों दशाओं में, जब उक्त जलयान भारत, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन के भीतर स्थित पत्तनों के बीच तटवार चलने में लगा है ;]

(ख) कोई पोत जो केवल मछली पकड़ने में लगा है ;

(ग) कोई क्रीडा नौका।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों पर जैसी वह उचित समझे, इस भाग के भार रेखा से संबंधित उपबंधों से निम्नलिखित पोतों को छूट दे सकेगी, अर्थात् :—

(क) दो या अधिक देशों के निकटवर्ती पड़ोसी पत्तनों के बीच चलने वाला कोई पोत, यदि केन्द्रीय सरकार और उन देशों की सरकारों का यह समाधान हो जाता है कि उन पत्तनों के बीच समुद्र यात्राओं की परिरक्षित प्रकृति और दशाओं को देखते हुए इस प्रभार से चलने वाले पोतों को इस भाग के भार रेखा से संबंधित उपबंधों का लागू करना अनुचित या असाध्य होगा ;

(ख) एक ही देश के निकटवर्ती पड़ोसी पत्तनों की बीच चलने वाला कोई पोत, यदि केन्द्रीय सरकार का उपरोक्त के अनुसार समाधान हो जाता है ;

(ग) आद्यबनावट के लकड़ी के पोत, यदि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उक्त उपबंधों का उन पर लागू करना अनुचित या असाध्य होगा ;

⁶(घ) कोई तटीय पोत जो एक सौ पचास सकल टन से कम का विद्यमान पोत है या लम्बाई में चौबीस मीटर से कम का नया पोत है ;

परन्तु यह तब जब ऐसा कोई पोत स्थोरा का वहन नहीं करता है ;

(ङ) किन्हीं विशेषताओं से युक्त कोई पोत, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस भाग के भार रेखा से संबंधित उपबंधों को ऐसे पोत को लागू करने से ऐसी विशेषताओं के विकास के लिए किए गए अनुसंधान और पोतों में उन विशेषताओं के प्रयोग पर गहरा आघात पहुंच सकता है तथा केन्द्रीय सरकार और उन देशों की सरकारों का, जिन देशों को

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 23 द्वारा (28-5-1966 से) “भारतीय पोत से भिन्न कोई” शब्दों का लोप किया गया।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 23 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 24 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 25 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

⁵ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (21-7-1968 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (21-7-1968 से) खंड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वह पोत जाता हो, यह समाधान हो जाता है कि पोत ऐसी सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करता है जो उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए पोत आशयित है, यथेष्ट है और जो पोत की समग्र सुरक्षा को सुनिश्चित करती है ;

(च) कोई पोत जो प्रसामान्यतः भारत के बाहर के पत्तनों की समुद्र यात्रा पर नहीं लगाया जाता है किन्तु जिससे असाधारण परिस्थितियों में ऐसी समुद्र यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि पोत ऐसी सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करता है जो ऐसी समुद्र यात्रा के लिए यथेष्ट हैं ।]

311. भार रेखाओं के बारे में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, भार रेखाओं के समनुदेशन और चिह्नांकन तथा ऐसी शर्तों को विहित करने के लिए जिन पर भार रेखाएं, समनुदेशित की जा सकेंगी (जिन्हें इस अधिनियम में इसके पश्चात् समनुदेशन शर्तें कहा गया है) पोतों के सर्वेक्षण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी (जिन्हें इस अधिनियम में इसके पश्चात् भार रेखा नियम कहा गया है) ।

312. डैक रेखाओं और भार रेखाओं का चिह्नांकन—(1) कोई भारतीय पोत जो ऐसा पोत नहीं है जिसका नौतल (कील) ¹[21 जुलाई, 1968 को या उसके पश्चात्] रखा गया है, तथा जो इस भाग के भार रेखाओं से संबंधित उपबंधों से छूट प्राप्त नहीं है तब तक समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं होगा जब तक—

(क) पोत का सर्वेक्षण भार रेखा नियमों के अनुसार नहीं कर लिया जाता है ;

(ख) पोत समुदेशन की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है ;

(ग) पोत के दोनों ओर, भार रेखा नियमों में यथा परिभाषित, सबसे ऊपरी पूरे डैक, की स्थिति को दर्शाने वाला चिह्न (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् “डैक रेखा” कहा गया है) और ऐसी विभिन्न अधिकतम गहराइयों को दर्शाने वाले चिह्न (जिन्हें इस अधिनियम में इसके पश्चात् “भार रेखाएं” कहा गया है), जिन तक पोत को भार रेखा नियमों में विहित विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से लादा जा सकता है, अंकित नहीं कर दिए जाते हैं ;

(घ) डैक रेखा और भार रेखाएं ऐसे विवरण की नहीं हैं, जैसे भार रेखा नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, डैक रेखा ऐसी स्थिति में नहीं है जैसी उन नियमों द्वारा अपेक्षित है और भार रेखाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी उन नियमों में से ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित है जो उस पोत को लागू है ; तथा

(ङ) भार रेखाएं ऐसी स्थिति में नहीं हैं जैसी भार रेखा नियमों के ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित है जैसे उस पोत को लागू है ।

(2) कोई भारतीय पोत, जो ऐसा पोत है जिसका नौतल (कील) ²[21 जून, 1968 के पूर्व] रखा गया है, और जिसे इस भाग के भार रेखा से संबंधित उपबंधों से छूट प्राप्त नहीं है, तब तक समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं होगा जब तक—

(क) पोत का सर्वेक्षण नहीं कर लिया जाता है और उसे उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) और (घ) के अनुसार चिह्नांकित नहीं कर दिया जाता है ;

(ख) पोत सिद्धांततः और व्यौरों में भी समुदेशन की उन शर्तों का वहां तक अनुपालन नहीं करता है जहां तक केन्द्रीय सरकार की राय में द्वारों, रक्षा रेलों, फ्रीडिंग पोर्टों और कर्मिदल के निवास-स्थानों तक पहुंचने के साधनों की उस समय जब पोत का इस धारा के अधीन प्रथम सर्वेक्षण किया जाता है, विद्यमान व्यवस्थाओं, फिटिंगों और साधित्रों द्वारा उपबन्धित बचाव सम्बन्धी दक्षता को ध्यान में रखते हुए, उचित और साध्य है ; तथा

³[(ग) भार रेखाएं ऐसी स्थिति में नहीं हैं जैसी उपधारा (1) के खण्ड (ङ) द्वारा अपेक्षित हैं ।]

(3) इस भाग द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण और चिह्नांकन कराए बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने का प्रयास करने वाले पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उसका सर्वेक्षण और चिह्नांकन नहीं हो जाता है, तथा जो पोत, इस धारा द्वारा उसके मामले में अपेक्षित विस्तार तक समनुदेशन की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह धारा 336 के प्रयोजन के लिए असुरक्षित है ।

4[312क. सर्वेक्षण के पश्चात् परिवर्तन]—जब भार रेखाओं के समनुदेशन और चिह्नांकन के प्रयोजन के लिए किसी पोत का इस भाग के अधीन कोई सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाता है तब, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पोत का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, सर्वेक्षण किए गए पोत की संरचना, उपस्कर, व्यवस्थाओं, या आकार सामग्री में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगा जब तक ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाए ।]

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (21-7-1968 से) “30 जून, 1932 के पश्चात्” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (21-7-1968 से) “31 जुलाई, 1932 के पूर्व” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (21-7-1968 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (21-7-1968 से) अंतःस्थापित ।

313. भार रेखाओं का डूब जाना—(1) किसी भारतीय पोत को (जो इस भाग के भार रेखा से संबंधित उपबंधों से छूट प्राप्त नहीं है) इस प्रकार से नहीं लादा जाएगा कि जब पोत में कोई सूची न हो तब उसके प्रत्येक ओर की उपयुक्त भार रेखाएं, अर्थात् वे भार रेखाएं जो इस अधिकतम गहराई को दर्शाती हैं या दर्शाने के लिए तात्पर्यित हैं जहां तक पोत उस समय भार रेखा नियमों के अधीन लदान करने का हकदार है, लवण जल में डूब जाएं।

(2) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई पोत जिसका लदान इस धारा के उल्लंघन में किया जाता है तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक ऐसा लदान बन्द नहीं कर दिया जाता है।

314. भार रेखा चिह्नों का बनाए रखना—(1) ऐसे किसी भारतीय पोत का, जिसे इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार चिह्नांकित किया गया है, स्वामी या मास्टर बिना किसी उचित कारण के पोत को इस प्रकार चिह्नांकित रखने में चूक नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी पोत पर लगाए गए किसी चिह्न को, उस व्यक्ति के प्राधिकार के सिवाय जो भार रेखा नियमों के अधीन उनमें परिवर्तन प्राधिकृत करने का हकदार है, अथवा शत्रु द्वारा पकड़े जाने या किसी युद्धमान-अधिकारी के प्रयोग में किसी विदेशी युद्धपोत द्वारा पकड़े जाने से बचने के प्रयोजन के सिवाय न तो छिपाएगा और न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा या न मिटाएगा अथवा अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को न तो उसे छिपाने देगा और न हटाने, परिवर्तित करने, विरूपित करने या मिटाने देगा।

315. पोत का भार रेखाओं की बाबत निरीक्षण—कोई सर्वेक्षक यह देखने के प्रयोजन के लिए कि इस भाग के भार रेखा संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, किसी भारतीय पोत का निरीक्षण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सभी उचित समयों पर पोत पर जा सकता है तथा पोत के उचित निरीक्षण के लिए आवश्यक सब बातें कर सकता है और पोत के मास्टर से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे ऐसी कोई जानकारी दे जिसे उस प्रयोजन के लिए देना मास्टर की शक्ति में है, जिसके अंतर्गत इस भाग के अधीन उस पोत की बाबत मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र का प्रस्तुत करना भी है।

भार रेखा प्रमाणपत्र

316. भार रेखा प्रमाणपत्र जारी करना और उसका प्रभाव—(1) जहां किसी भारतीय पोत का सर्वेक्षण और चिह्नांकन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किया गया है और वह उन उपबंधों के अनुसार, उसकी दशा में अपेक्षित विस्तार तक, समनुदेशन की शर्तों का अनुपालन करता है तो पोत के स्वामी के आवेदन पर और विहित फीस का संदाय करने पर उसको,—

1[(क) एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक के विद्यमान पोत या लम्बाई में चौबीस मीटर या उससे अधिक के नए पोत की दशा में, और, दोनों दशाओं में, जब उक्त पोत स्थोरा या यात्रियों का वहन करता हो, एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो “अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र” कहलाएगा ;

(कक) धारा 310 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) या खण्ड (च) के अधीन छूट प्राप्त पोत की दशा में, एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो “अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र” कहलाएगा ; और]

(ख) किसी अन्य पोत की दशा में, एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जो “भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र” कहलाएगा।

(2) ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जो भार रेखा नियमों में विहित किया जाए या की जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे देश की सरकार से, जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है, किसी भारतीय पोत की बाबत एक भार रेखा प्रमाणपत्र, उस अभिसमय के अधीन अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र के रूप में जारी करने के लिए प्रार्थना कर सकेगी और ऐसी प्रार्थना के अनुसरण में जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्र का, जिसमें यह विवरण हो कि वह इस प्रकार जारी किया गया है, इस भाग के प्रयोजनों के लिए वही प्रभाव होगा मानो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया था।

(4) जहां इस धारा के अनुसरण में जारी किया गया और तत्समय प्रवृत्त कोई भार रेखा प्रमाणपत्र किसी पोत की बाबत प्रस्तुत किया जाता है वहां इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के प्रयोजनों के लिए उस पोत की बाबत यह समझा जाएगा कि उसका सर्वेक्षण उन उपबंधों की अपेक्षानुसार किया जा चुका है, तथा यदि पोत की डैक रेखा और भार रेखाएं, भार रेखा नियमों द्वारा अपेक्षित संख्या में और विवरण की है तथा डैक और भार रेखाओं की स्थिति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थिति से मेल खाती है तो पोत की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उन उपबंधों की अपेक्षानुसार चिह्नांकित किया गया है।

²**317. प्रमाणपत्रों की अवधि और उसका रद्द किया जाना—**(1) किसी पोत की बाबत धारा 316 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र और धारा 310 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट किसी पोत को उस उपधारा के खण्ड (कक) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र, जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 8 द्वारा (21-7-1968 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 9 द्वारा (21-7-1968 से) धारा 317 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

ऐसी लघुतर अवधि के लिए जैसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा किन्तु ऐसे भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पोत की बाबत एक नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है :

परन्तु जहां किसी पोत को विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान के पूर्व, ऐसा नया प्रमाणपत्र जारी करना सम्भव नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करे, यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (5) के अधीन पोत के अंतिम सर्वेक्षण के पश्चात् उसकी संरचना, उपस्कर, व्यवस्था, सामग्री या आकार में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे पोत के शीर्षान्तर पर कोई प्रभाव पड़ता है, विद्यमान प्रमाणपत्र की विधिमान्यता को पांच मास से अनधिक उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकती है या बढ़ा सकता है जैसी केन्द्रीय सरकार या वह व्यक्ति ठीक समझे :

¹[परन्तु यह और कि जब धारा 316 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर पूरा हो जाता है तब नया प्रमाणपत्र ऐसे सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से ऐसी तारीख तक के लिए, जो विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पांच वर्ष से आगे की नहीं होगी, विधिमान्य होगा।]

(2) धारा 310 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पोत को धारा 316 की उपधारा (1) के खण्ड (कक) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र, वह समुद्र यात्रा पूरी होने पर, जिसकी बाबत ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया था, विधिमान्य नहीं रहेगा।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी पोत की बाबत, धारा 316 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र ²[उस समय से विधिमान्य नहीं रहेगा जब से,—

(क) वह पोत भारतीय पोत नहीं रहता है ;

(ख) पोत के हुल या बाह्य संरचना में ऐसे तात्त्विक परिवर्तन किए गए हैं जिनके कारण और अधिक फ्रीबोर्ड का समनुदेशन आवश्यक हो गया है ;

(ग) द्वारों, रक्षा रेलों या कर्मीदल के निवास-स्थानों तक पहुंचने के साधनों के संरक्षण के लिए फिटिंगों और साधित्रों को प्रभावशाली दशा में नहीं रखा जा रहा है ;

(घ) पोत की संरचनात्मक प्रबलता उतनी कम हो गई है कि पोत असुरक्षित हो गया है ;

(ङ) प्रमाणपत्र का यह साबित करने के लिए पृष्ठांकन नहीं किया गया है कि पोत का उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित सर्वेक्षण कर लिया गया है ; या

(च) पोत की डैक रेखा या भार रेखाओं के चिह्नांकन उचित रूप से नहीं रखे जा रहे हैं ;]

3* * * *

(5) ऐसे प्रत्येक पोत का स्वामी जिसकी बाबत धारा 316 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जब तक प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, तब तक ²[यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि,—

(क) हुल या बाह्य संरचना में ऐसे परिवर्तन नहीं किए गए हैं जो भार रेखाओं की स्थिति का अवधारण करने की संगणना को प्रभावित करेंगे ;

(ख) द्वारों, रक्षा रेलों, मुक्त करने वाले पत्तनों या कर्मीदल के निवास-स्थानों तक पहुंचने के साधनों के संरक्षण के लिए फिटिंगों और साधित्रों को प्रभावशाली दशा में नहीं रखा जा रहा है;

(ग) फ्रीबोर्ड चिह्न सही और स्थायी रूप से बनाए गए हैं ; और

(घ) धारा 298 के अधीन अपेक्षित स्थिरत्व की बाबत जानकारी फलक पर आसानी से उपलब्ध है,

प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख की वार्षिकी से तीन मास पूर्व आरंभ होने वाली और तीन मास पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कम-से-कम एक बार पोत का सर्वेक्षण कराएगा और प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन कराएगा।]

²[(6) यदि वार्षिक सर्वेक्षण उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि से पहले पूरा कर लिया जाता है तब,—

(क) प्रमाणपत्र में अंकित वार्षिकी तारीख उसी तारीख के लिए पृष्ठांकन द्वारा संशोधित की जाएगी जो वह उस तारीख से तीन मास से पश्चात् की नहीं होगी जिसको सर्वेक्षण पूरा किया गया था ;

(ख) उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित पश्चात्वर्ती वार्षिक सर्वेक्षण नई वार्षिकी तारीख का उपयोग करते हुए पूरा किया जाएगा ;

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया।

(ग) प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख अपरिवर्तित रहेगी परन्तु यह तब जब एक या अधिक वार्षिक सर्वेक्षण किया गया हो जिससे उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षणों के बीच अधिकतम अंतराल अधिक न हो पाए।

(7) यदि धारा 316 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र पांच वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, समाप्ति की तारीख से परे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का विस्तार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि के लिए कर सकेगा :

परन्तु उपधारा (5) में निर्दिष्ट वार्षिक सर्वेक्षण समुचित रूप से किए गए हों।

(7क) ऐसा कोई पोत उस समय जब उसका प्रमाणपत्र समाप्त हो रहा हो उस पत्तन में नहीं है जहां उसका सर्वेक्षण किया जाना है तो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि का विस्तार कर सकेगा, किंतु यह विस्तार पोत को उस पत्तन जिसमें उसका सर्वेक्षण किया जाना है और केवल ऐसे मामलों में ही जहां ऐसा करना उचित और उपयुक्त प्रतीत हो, तक समुद्र यात्रा को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाएगा :

परन्तु किसी प्रमाणपत्र का विस्तार तीन मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा और वह पोत जिसको विस्तार मंजूर किया गया है, उस पत्तन में आगमन पर, जिस पर उसका सर्वेक्षण किया जाना है, नए प्रमाणपत्र के बिना उस पत्तन को नहीं छोड़ेगा :

परन्तु यह और कि जब सर्वेक्षण पूरा हो जाता है तो नया प्रमाणपत्र उस तारीख तक विधिमान्य होगा जो विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पांच वर्ष से आगे की नहीं होगी।

(7ख) लघु समुद्र यात्रा में लगे किसी पोत को जारी किए गए ऐसे प्रमाणपत्र का, जिसका विस्तार उपधारा (7क) के अधीन नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, समाप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा और जब सर्वेक्षण पूरा हो जाए तब नया प्रमाणपत्र उस तारीख तक के लिए विधिमान्य होगा, जो विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(7ग) विशेष परिस्थितियों में, जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा अवधारित करे, नए प्रमाणपत्र पर विद्यमान प्रमाणपत्र के अवसान की तारीख डालना आवश्यक नहीं होगा और वह उस तारीख तक विधिमान्य होगा, जो सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से आगे की नहीं होगी।]

(8) जहां कोई प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन विधिमान्य नहीं रह गया है या रद्द कर दिया गया है वहां केन्द्रीय सरकार उस पोत के स्वामी या मास्टर से, जिस पोत से प्रमाणपत्र संबंधित है, अपने निदेशों के अनुसार प्रमाणपत्र को परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगी और पोत तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का अनुपालन नहीं कर दिया जाता है।

(9) इस धारा के अनुसरण में किसी पोत का सर्वेक्षण होने पर पोत का स्वामी ऐसी फीस संदत्त करेगा, जो विहित की जाए।

318. पोतों का प्रमाणपत्र के बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर न होना—(1) कोई भारतीय पोत तब तक समुद्र यात्रा पर अग्रसर नहीं होगा जब तक उसके पास उस पोत की बाबत धारा 316 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया भार रेखा प्रमाणपत्र न हो।

(2) प्रत्येक भारतीय पोत का मास्टर उस सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, जिससे पोत के लिए पत्तन निकासी पत्र की मांग की गई है, यात्रा के लिए पोत के अग्रसर होते समय इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, और पत्तन निकासी पत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, तथा पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

319. भार रेखा प्रमाणपत्र और लदान की गहराई संबंधी विशिष्टियों का प्रकाशन—(1) दो सौ सकल टन से कम के देशी व्यापार पोत से भिन्न किसी भारतीय पोत की बाबत इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसरण में जब भार रेखा प्रमाणपत्र जारी किया गया है तब—

(क) पोत का स्वामी प्रमाणपत्र प्राप्त होते ही उसे पोत पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा और तब तक इस प्रकार लगा रहने देगा और सुपाठ्य रहने देगा जब तक प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है और पोत का प्रयोग किया जाता है ; तथा

(ख) पोत का मास्टर किसी आफिशियल लाग बुक में कोई अन्य प्रविष्टि करने के पूर्व उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट डैक रेखा और भार रेखाओं की स्थिति के बारे में विशिष्टियां दर्ज करेगा या कराएगा।

(2) इससे पूर्व कि कोई ऐसा पोत समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए किसी डाक, घाट, बंदरगाह या अन्य स्थान को छोड़े, उसका मास्टर—

(क) पोत की उस गहराई की बाबत, जिस तक पोत उस समय लदा है, ऐसी विशिष्टियां, जैसी केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे, आफिशियल लाग बुक में दर्ज करेगा या कराएगा ; और

(ख) ऐसे प्ररूप में और उक्त विशिष्टियों में से ऐसी विशिष्टियों से युक्त, जैसी उक्त नियमों में विहित की जाएं, एक सूचना पोत पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा और तब तक लगा रहने देगा और सुपाठ्य रहने देगा जब तक पोत किसी अन्य डाक, घाट, बन्दरगाह या स्थान पर नहीं पहुंच जाता है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, देशी व्यापार पोतों को या देशी व्यापार पोतों के किसी वर्ग को इस उपधारा के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं में से किन्हीं से उक्त नियमों द्वारा छूट दे सकेगी ।

320. कर्मीदल के साथ करारों में भार रेखाओं के बारे में विशिष्टियों का अन्तःस्थापित किया जाना—(1) उस पोत के, जिसकी बाबत भार रेखा प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, कर्मीदल के साथ किसी करार पर कर्मीदल के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व पोत का मास्टर प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट डैक रेखा और भार रेखाओं की स्थितियों के बारे में विशिष्टियां करार में अन्तःस्थापित करेगा ।

(2) ऐसे पोत की दशा में जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षित है कि वह अपना कर्मीदल किसी पोत मास्टर के समक्ष नियुक्त करे, पोत परिवहन मास्टर कर्मीदल की नियुक्ति तब तक नहीं करेगा जब तक—

(क) उसके समक्ष उस पोत की बाबत तत्समय प्रवृत्त भार रेखा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है ; और

(ख) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस धारा द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां कर्मीदल के साथ किए गए करार में अन्तःस्थापित कर दी गई हैं ।

भारतीय पोतों से भिन्न पोतों के बारे में उपबन्ध

321. भारत में विदेशी पोतों को और विदेशों में भारतीय पोतों को भार रेखा प्रमाणपत्र जारी किया जाना—¹[(1)] केन्द्रीय सरकार, ऐसे देश की सरकार की प्रार्थना पर जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है, उससे देश में ²[रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले] किसी पोत की बाबत एक अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, उसका, उसी रीति में जैसी भारतीय पोत की दशा में अपनाई जाती है, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी किया जा सकता है, तथा जहां ऐसी प्रार्थना पर ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, वहां उसमें यह कथन रहेगा कि वह इस प्रकार से जारी किया गया है ।

³[(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी पोत की बाबत प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उस सरकार को, जिसकी प्रार्थना पर ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, प्रमाणपत्र, पोत के निर्बाध फलक की संगणना करने में प्रयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्टें और संगणनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति भेजेगी ।]

322. भारत के बाहर जारी किए गए भार रेखा प्रमाणपत्रों की मान्यता—भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत की बाबत उस देश की सरकार द्वारा, जिस देश का वह पोत है, जारी किया गया, अंतरराष्ट्रीय ⁴[भार रेखा प्रमाणपत्र या अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र] का, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, भारत में वही प्रभाव होगा जो इस भाग के अधीन किसी भारतीय पोत की बाबत जारी किए गए ⁴[अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र] का है ।

323. भारतीय पोतों से भिन्न भार रेखा अभिसमय पोतों का निरीक्षण और नियंत्रण—⁵[(1) सर्वेक्षण किसी भी उचित समय पर (भारतीय पोत से भिन्न) किसी ऐसे पोत के फलक पर, जो स्थोरा या यात्रियों का वहन कर रहा है और ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है जिस देश को भार रेखा अभिसमय लागू है, तब जब ऐसा पोत भारत में किसी पत्तन के भीतर हो, उस पोत की बाबत तत्समय प्रवृत्त अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र या अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र को पेश करने की मांग करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जब ऐसा पोत एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक का विद्यमान पोत है या लम्बाई में चौबीस मीटर या उससे अधिक का नया पोत है ।]

(2) यदि ऐसी मांग करने पर सर्वेक्षक के समक्ष विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो भार रेखा की बाबत पोत का निरीक्षण करने की सर्वेक्षक की शक्तियां यह देखने मात्र तक सीमित होंगी कि,—

(क) पोत ऐसे प्रमाणपत्र द्वारा अनुज्ञात सीमा से अधिक नहीं लादा गया है ;

(ख) पोत पर भार रेखाओं की स्थिति प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थिति से मेल खाती है ;

⁶[(ग) पोत के हल या बाह्य संरचना में कोई ऐसे तात्त्विक परिवर्तन नहीं किए गए हैं जिनके कारण वर्धित निर्बाध फलक का समनुदेशन आवश्यक हो जाए ;]

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा (21-7-1968 से) धारा 321 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा (21-7-1968 से) “रजिस्ट्रीकृत” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा (21-7-1968 से) अंतःस्थापित ।

⁴ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा (21-7-1968 से) “भार रेखा प्रमाणपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (21-7-1968 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (21-7-1968 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) द्वारों, रक्षा रेलों, फ्रीडंग पोर्टों और कर्मिदल के निवास-स्थानों के पहुंच मार्गों के साधनों की सुरक्षा के लिए फिटिंग और साधित्र पोत पर ¹[सुचारु दशा में] बनाए रखे गए हैं।

²(2क) यदि उपधारा (1) के अधीन मांग करने पर सर्वेक्षक के समक्ष विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वेक्षक की भार रेखा की बाबत पोत का निरीक्षण करने की शक्तियां यह देखने मात्र तक सीमित होंगी कि प्रमाणपत्र में बताई गई शर्तों का अनुपालन किया गया है।]

(3) यदि ³[उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन निरीक्षण करने पर] यह पाया जाता है कि पोत को प्रमाणपत्र में अनुज्ञात सीमा से अधिक लादा गया है तो पोत को निरुद्ध रखा जा सकता है और धारा 342 के उपबंध लागू होंगे।

(4) यदि ³[उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन निरीक्षण करने पर] यह पाया जाता है कि पोत की भार रेखाएं उस स्थिति में नहीं हैं जैसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हैं तो पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकता है जब तक उस विषय में सर्वेक्षक के समाधानप्रद रूप से सुधार नहीं कर दिया जाता है।

(5) यदि ³[उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन निरीक्षण करने पर] यह पाया जाता है कि पोत में उपधारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट विषयों की बाबत कोई ऐसे तात्त्विक परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि पोत मानव जीवन को किसी जोखिम के बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रत्यक्ष रूप से अयोग्य है तो पोत को (भारतीय पोत की दशा में) धारा 336 के प्रयोजन के लिए या (किसी अन्य पोत की दशा में) धारा 342 के प्रयोजन के लिए असुरक्षित समझा जाएगा :

परन्तु जहां पोत को अंतिम उल्लिखित उपधाराओं में से किसी के अधीन निरुद्ध रखा जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, जैसे ही उसका यह समाधान हो जाता है कि पोत मानव जीवन को बिना किसी जोखिम के समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के योग्य है तो पोत को छोड़ने का आदेश देगी।

(6) यदि उपर्युक्त मांग किए जाने पर सर्वेक्षक के समक्ष कोई विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र ²[या, यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र] प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सर्वेक्षक को, यह देखने के प्रयोजन के लिए कि इस भाग के भार रेखाओं से संबंधित उपबंधों का पालन किया जा रहा है या नहीं, पोत का निरीक्षण करने की वही शक्तियां होंगी मानो वह पोत कोई भारतीय पोत है।

(7) इस धारा के प्रयोजन के लिए पोत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रमाणपत्र में अनुज्ञात सीमाओं से अधिक लादा गया है यदि वह इस प्रकार से लादा गया है कि जब पोत में कोई नीति न हो तब उसके प्रत्येक ओर की उपयुक्त भार रेखाएं, अर्थात् वे भार रेखाएं जो प्रमाणपत्र में उस अधिकतम गहराई को दर्शाने के लिए हैं जहां तक पोत उस समय भार रेखा अभिसमय के अधीन लदान करने का हकदार है, लवण जल में डूब जाती है।

324. भारतीय पोतों से भिन्न भार रेखा अभिसमय पोतों के प्रमाणपत्र का सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाना—भारतीय पोत से भिन्न ऐसे प्रत्येक पोत का मास्टर जो पोत एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक का है और स्थोरा या यात्रियों का वहन कर रहा है, तथा ऐसे देश का है जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है उस सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, जिससे भारत में किसी पत्तन से पोत के लिए पत्तन निकासी की मांग की जाती है,—

(क) वहां जहां पत्तन निकासी की मांग भारत के बाहर किसी पत्तन को समुद्र यात्रा की बाबत की जाती है, एक विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र ; और

(ख) वहां जहां पत्तन निकासी की मांग किसी अन्य समुद्र यात्रा की बाबत की जाती है, या तो एक विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र या विधिमान्य भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र,

पेश करेगा और पत्तन निकासी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी, और पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

325. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों की डैक रेखा और भार रेखाओं का चिह्नांकन—धारा 312 के उपबंध भारतीय पोतों से भिन्न ऐसे अन्य पोतों को, जो भारत में के पत्तनों से समुद्र यात्रा पर अग्रसर हो रहे हों या अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हों निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) उक्त धारा भारतीय पोत से भिन्न पोत को लागू नहीं होगी यदि उस पोत की बाबत विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र पेश कर दिया जाता है ; और

(ख) खण्ड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत, जो समनुदेशन की शर्तों का, धारा 323 द्वारा उस पोत की दशा में अपेक्षित विस्तार तक, अनुपालन नहीं करता है तो, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 342 के प्रयोजनों के लिए असुरक्षित है।

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (21-7-1968 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (21-7-1968 से) अंतःस्थापित।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (21-7-1968 से) “ऐसे किसी निरीक्षण पर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

326. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों की भार रेखा का डूब जाना—धारा 313 के उपबंध भारतीय पातों से भिन्न पोतों को, जब वे भारत में किसी पत्तन के भीतर हों, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू होते हैं, अर्थात् :—

¹[(क) किसी ऐसे देश का जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है, कोई पोत, जो एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक का विद्यमान पोत है या लम्बाई में चौबीस मीटर या उससे अधिक का कोई नया पोत है, निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और उसके स्वामी या मास्टर के विरुद्ध उस धारा के आधार पर कोई कार्यवाहियां तब तक नहीं की जाएंगी जब तक सर्वेक्षक धारा 323 में उपबंधित निरीक्षण नहीं कर लेता है ; और]

(ख) भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के संबंध में “उपयुक्त भार रेखा” पद से—

(i) उस पोत की दशा में जिसकी बाबत उपर्युक्त निरीक्षण के समय विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र ²[या अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र] पेश किया जाता है, वह भार रेखा अभिप्रेत होगी जो उस अधिकतम गहराई को दर्शाने के लिए प्रमाणपत्र में है जहां तक पोत उस समय भार रेखा अभिसमय के अधीन लदान करने का हकदार है ;

(ii) किसी अन्य दशा में, वह भार रेखा अभिप्रेत होगी जो उस भार रेखा से मेल खाती है जो उस अधिकतम गहराई को दर्शाती है जहां तक पोत उस समय भार रेखा नियमों के अधीन लदान करने का हकदार है, अथवा, यदि पोत की कोई भार रेखा उपयुक्त रूप से मेल नहीं खाती तो पोत की निम्नतर भार रेखा अभिप्रेत होगी ।

327. अभिसमय में सम्मिलित न होने वाले देशों के भारतीय पोतों से भिन्न पोतों का निरीक्षण—उन देशों में, जिन्हें भार रेखा अभिसमय लागू नहीं है, रजिस्ट्रीकृत सब पोतों को, तब जब वे भारतीय अधिकारिता के भीतर हों, धारा 315 के उपबंध उसी रीति में लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू हैं ।

328. भारतीय पोतों से भिन्न पोतों के भार रेखा प्रमाणपत्र—(1) ³[भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र या अंतरराष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र] के जारी किए जाने, प्रभावशील होने, उसकी अवधि ³[और रद्दकरण] की बाबत इस भाग के उपबंध भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसा प्रमाणपत्र किसी ऐसे पोत की बाबत वैसे ही जारी किया जा सकता है जैसे किसी भारतीय पोत की बाबत जारी किया जाता है परन्तु ⁴[एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक के विद्यमान पोत या लम्बाई में चौबीस मीटर या उससे अधिक] के नए पोत की बाबत, ⁴[जो पोत स्थोरा या यात्रियों का वहन कर रहा हो] और ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत हो जिसे भार अभिसमय लागू है, ⁴[जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाणपत्र] केवल तब विधिमान्य होगा जब पोत भारत के किसी पत्तन से भारत के बाहर के किसी स्थान को या भारत के बाहर के किसी स्थान से भारत के किसी पत्तन को समुद्र यात्रा नहीं कर रहा है, और उस पर उस आशय का कथन पृष्ठांकित किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पोत ऐसी समुद्र यात्रा कर रहा है, रद्द कर दिया जाएगा ।

(ख) यह देखने के प्रयोजन के लिए कि प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहना चाहिए या नहीं, अपेक्षित सर्वेक्षण तब किया जाएगा जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) भारत के बाहर के किसी देश में प्रवृत्त विधि द्वारा उस देश के पोतों (किसी वर्ग या विवरण के पोतों) की बाबत भार रेखाओं को नियत करने, चिह्नांकित करने और प्रमाणित करने के लिए तथा भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र को इस रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए भी उपबन्ध किया गया है कि उनका उस देश के पत्तनों में वही प्रभाव होगा जो उक्त उपबंध के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र का है, और

(ख) भार रेखाओं को नियत करने, चिह्नांकित करने और प्रमाणित करने के लिए उक्त उपबंध उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर भार रेखाओं से संबंधित इस भाग के तत्संबंधी उपबंध आधारित हैं तथा वे समान रूप से प्रभावी हैं,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश कर सकती है कि उक्त उपबंधों के अनुसरण में या उस देश के पोतों (या उस वर्ग या विवरण के पोतों) की बाबत जारी किए गए भार रेखा प्रमाणपत्र का इस भाग के प्रयोजन के लिए वही प्रभाव होगा जो भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र का है :

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 13 द्वारा (21-7-1968 से) खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 13 द्वारा (21-7-1968 से) अंतःस्थापित ।

³ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 14 द्वारा (21-7-1968 से) “भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र के नवीकरण और रद्दकरण” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 14 द्वारा (21-7-1968 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[परन्तु एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक के विद्यमान पोत को या लम्बाई में चौबीस मीटर या उससे अधिक के पोत को यदि ऐसा पोत ऐसे देश में रजिस्टर किया गया है जिसे भार रेखा अभिसमय लागू है, जो पोत स्थोरा या यात्रियों का वहन करता है और भारत के किसी पोत से या उसको या भारत से बाहर के किसी पोत को अथवा उससे यात्राएं करने में रत हैं तो ऐसा निदेश उसे लागू नहीं होगा।]

329. भारतीय पोतों से भिन्न ऐसे पोतों द्वारा जो गैर अभिसमय दशाओं में रजिस्टर किए गए हैं, सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत किया जाना—ऐसे प्रत्येक पोत का मास्टर, जो ऐसे देश में रजिस्टर हुआ है जिसे भार रेखा अभिसमय लागू नहीं है, उस सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष जिससे भारत के किसी पत्तन से पोत के लिए पत्तन निकासी पत्र की मांग की जाती है, या तो भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र या ऐसा प्रमाणपत्र जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र के रूप में प्रभावी है और जो उस पोत के संबंध में तत्समय प्रवृत्त प्रमाणपत्र है, प्रस्तुत करेगा, और जब तक इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक पत्तन निकासी पत्र मंजूर नहीं किया जाएगा और पोत को निरुद्ध किया जा सकेगा।

काष्ठ की लदाई

330. काष्ठ स्थोरा के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, उन शर्तों के बारे में जिन पर किसी भारतीय पोत के डैक पर खुले स्थान में काष्ठ का स्थोरा के रूप में वहन किया जा सकता है, नियम (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् काष्ठ स्थोरा नियम कहा गया है) बना सकेगी।

(2) काष्ठ स्थोरा नियमों में एक विशेष भार रेखा, जिसका उपयोग केवल तब किया जाएगा जब पोत डैक पर काष्ठ का स्थोरा के रूप में वहन कर रहा हो, वे शर्तें जिन पर ऐसी विशेष भार रेखा समनुदिष्ट की जा सकेगी तथा, या तो साधारणतया अथवा किन्हीं विशिष्ट यात्राओं और मौसमों के संदर्भ में, वह रीति और स्थिति जिसमें ऐसे काष्ठ की भराई की जाएगी, तथा नाविक दल की सुरक्षा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएं भी, विहित की जा सकेंगी।

(3) कोई भी सर्वेक्षक किसी भी उचित समय पर ऐसे भारतीय पोत का जिसमें उसके डैक पर खुले स्थान में काष्ठ का स्थोरा के रूप में वहन किया जा रहा है, यह देखने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण कर सकेगा कि काष्ठ स्थोरा नियमों का अनुपालन किया गया है या नहीं।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंध और काष्ठ स्थोरा नियम भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को, तब जब वे भारतीय अधिकारिता के भीतर हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारतीय पोतों को लागू हैं।

खतरनाक माल और अन्य स्थोरा

331. खतरनाक मालों का वहन—(1) केन्द्रीय सरकार सुरक्षा के हित में, पोतों में खतरनाक मालों के वहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

²(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम ऐसे मालों या ऐसे मालों के किसी वर्ग के वर्गीकरण, पैकिंग, लेबिल लगाने और चिह्नांकन करने, ऐसे मालों के (अन्य स्थोरा के साथ या उनके बिना) भराई करने, जिसके अन्तर्गत भराई की योजनाएं भी हैं, मालों के किसी ऐसे वर्ग की ऐसी अधिकतम मात्रा नियत करने जिसका वहन विभिन्न पोतों या पोतों के वर्गों में किया जा सकेगा, तथा खतरनाक मालों से संबंधित ऐसे अन्य विषयों के लिए जिनके लिए सुरक्षा अभिसमय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए उपबंध करने की अपेक्षा है, उपबंध किया जा सकेगा।]

(3) किन्हीं खतरनाक मालों को स्थोरा के रूप में वहन करने वाले या ऐसा आशय रखने वाले और भारत के पत्तन से यात्रा पर जाने के लिए तैयार किसी पोत का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता पोत और स्थोरा की विहित विशिष्टियां पहले से ही ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए।

(4) सर्वेक्षक पोत का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा कि इस धारा के अधीन किन्हीं नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

(5) यदि इस धारा के अनुसरण में बनाए गए नियमों में से किसी का किसी पोत के संबंध में अनुपालन नहीं किया जाता है तो उस पोत को इस भाग के प्रयोजनों के लिए असुरक्षित पोत समझा जाएगा।

(6) यह धारा भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को, तब जब वे किसी भारतीय पत्तन के भीतर हों या भारतीय अधिकारिता के भीतर यात्रियों को चढ़ा या उतार रहे हों अथवा स्थोरा या ईंधन की लदाई या उतराई कर रहे हों, उसी रीति से लागू होगी जिस रीति से भारतीय पोतों को लागू है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “खतरनाक माल” पद से वह माल अभिप्रेत है जो भराई की प्रकृति, मात्रा या पद्धति के कारण या तो एकल रूप में या सामूहिक रूप में पोत के या उसके निकट के व्यक्तियों के जीवन या स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकते हैं, या पोत को खतरे में डाल सकते हैं, तथा उसके अंतर्गत वे सब पदार्थ भी हैं जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) में

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 14 द्वारा (21-7-1968 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 26 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यथापरिभाषित “विस्फोटक” पद के अंतर्गत हैं, और कोई अन्य ऐसा माल भी है जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, खतरनाक माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती हैं, ¹[किन्तु इसके अंतर्गत,—

(क) ऐसे कोई कोहरा या कष्ट संकेत या अन्य भण्डार या उपस्कर नहीं हैं जो इस अधिनियम या उसके अधीन नियमों या विनियमों के अधीन पोत पर वहन के लिए अपेक्षित हैं ;

(ख) ऐसे विशिष्ट स्थोरा नहीं हैं जो उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विनिर्मित या पूर्णतया परिवर्तित पोतों, जैसे टैंकरों, में वहन किए जाते हैं।]

²[331क. अन्न लदाई प्लान—(1) किसी भारतीय पोत पर कहीं भी तब तक कोई अन्न नहीं लादा जाएगा जब तक ऐसे पोत की बाबत, उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित, प्रवृत्तशील अन्न लदाई प्लान न हो।

(2) अन्न लदाई प्लान ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें पोत की मजबूती, पहुंच और झूट के समय, लदाई की स्थिति, स्थोरा के हिलने-डुलने की रोकथाम के लिए प्रयुक्त फिटिंगों की मुख्य विशेषताओं और अन्य विषयों के बारे में ऐसी विशिष्टियां रहेंगी जैसी धारा 332 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएं।

(3) उपधारा (4) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अन्न लदाई प्लान केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और वह सरकार, धारा 332 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए नियमों, पोत की मजबूती, पहुंच और झूट के समय, लदाई की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्लान का अनुमोदन ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, जैसे वहीं ठीक समझे, कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार ऐसे देश की सरकार से, जिसे सुरक्षा अभिसमय लागू है, किसी भारतीय पोत के अन्न लदाई प्लान का अनुमोदन करने की प्रार्थना कर सकती है और ऐसी प्रार्थना के अनुसरण में किए गए अनुमोदन का, जिसमें इस आशय का विवरण रहेगा कि वह इस प्रकार से किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है।

(5) केन्द्रीय सरकार, ऐसे देश की सरकार को प्रार्थना पर जिसे सुरक्षा अभिसमय लागू है, उस देश में रजिस्ट्रीकृत पोत के अन्न लदाई प्लान का अनुमोदन कर सकती है यदि केन्द्रीय सरकार का, उस रीति में जैसी भारतीय पोतों की दशा में लागू है, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अनुमोदन उचित रूप से किया जा सकता है, और जहां ऐसी प्रार्थना पर अनुमोदन किया जाता है वहां उसमें इस आशय का एक विवरण रहेगा कि वह इस प्रकार से किया गया है।

(6) इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि धारा 208 के प्रयोजन के लिए (जो यह अपेक्षा करती है कि नौपरिवहन से संबंधित दस्तावेज पोत के मास्टर द्वारा अपने उत्तराधिकारी को सौंपे जाएं) प्लान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पोत के नौपरिवहन से संबंधित दस्तावेज है।]

332. अन्न का वहन—(1) जहां किसी भारतीय पोत पर कहीं भी अन्न लादा जाता है या किसी अन्य पोत पर भारत में किसी पत्तन के भीतर अन्न लादा जाता है वहां अन्न को हिलने-डुलने की रोकथाम के लिए सभी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी और यदि ऐसी पूर्वावधानियां नहीं बरती जातीं तो पोत का स्वामी या मास्टर या स्वामी का कोई अभिकर्ता जो पोत की लदाई का या पोत को अन्न की लदाई करके समुद्र यात्रा पर भेजने का प्रभारी है, इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा और इस भाग के प्रयोजनों के लिए पोत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनुचित लदाई के कारण असुरक्षित है।

(2) जहां कोई पोत जिस पर अन्न के हिलने-डुलने की रोकथाम के लिए सब आवश्यक और युक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरते बिना भारत के बाहर अन्न की लदाई की गई है, भारत में किसी पत्तन में इस प्रकार लदे हुए प्रवेश करता है वहां पोत का स्वामी या मास्टर इस उपधारा के अधीन अपराधों का दोषी होगा और पोत के बारे में इस भाग के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह अनुचित लदाई के कारण असुरक्षित है।

³[2क) जहां किसी भारतीय पोत पर अन्न की लदाई धारा 331क के अधीन अनुमोदित अन्न लदाई प्लान के अनुसार की जाती है या जहां किसी अन्य पोत पर अन्न की लदाई उस देश की सरकार द्वारा या उसकी ओर से, जिस देश में पोत रजिस्ट्रीकृत है, अनुमोदित अन्न लदाई प्लान के अनुसार की गई है वहां उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए पोत के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी लदाई सब आवश्यक और युक्तियुक्त पूर्वावधानियों के साथ की गई है।]

(3) अन्न स्थोरा का वहन करने वाले किसी पोत के भारत के बाहर के किसी पत्तन से भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने पर उसका मास्टर ऐसे सीमाशुल्क अधिकारियों को, जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित कथन करते हुए एक सूचना देगा, अर्थात् :—

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 26 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 27 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

(क) लदाई के अंतिम पत्तन पर स्थोरा की लदाई करने के पश्चात् उक्त पोत का जल-डुबाव और अबाध-फलक ; 1***

²[(ख) वहन किए जा रहे अन्न की किस्म और मात्रा जो घन फीट, क्वार्टर, बुशैल या टनभार के रूप में अधिकथित की जाएगी ; और]

(ग) वह पद्धति जिसमें अन्न का नौ-भरण किया गया है तथा अन्न का हिलने-डुलने से रोकथाम के लिए बरती गई पूर्वावधानियां और जहां अन्न का, पोत के अन्न-लदाई प्लान, यदि कोई है, के अनुसार, नौ-भरण किया गया है वहां यह उल्लेख कि उसका नौ-भरण इस प्रकार से किया गया है।]

³[(4) केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अन्न स्थोरा का वहन करने वाले पोत के फलक पर जा सकता है और पोत के अन्न लदाई प्लान को पेश करने की अपेक्षा कर सकता है और उस पद्धति का निरीक्षण कर सकता है जिसमें स्थोरा का पोत में नौ-भरण किया गया है।]

(5) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ⁴[अन्न लदाई प्लान और साधारणतया पोतों में अन्न की लदाई] या किसी वर्ग के पोतों में अन्न की लदाई के संबंध में पूर्वावधानियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, ⁴[नियम बना सकेगी] और जब ऐसी पूर्वावधानियां विनिर्दिष्ट की जाएं तब वे इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आवश्यक और युक्तियुक्त पूर्वावधानियां” पद में सम्मिलित समझी जाएंगी।

(6) ⁵[धारा 331क और इस धारा में] “अन्न” पद के अंतर्गत गेहूं, मक्का, जई, राई, जौ, चावल, दालें और बीज सम्मिलित हैं तथा “अन्न स्थोरा का वहन करने वाला पोत” पद से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो पोत के रजिस्ट्रीकृत टन भार के एक तिहाई से अधिक अन्न की मात्रा का वहन कर रहा है। ऐसी संगणना में एक सौ घन फीस अन्न या दो टन अन्न का भार रजिस्ट्रीकृत टन भार के एक टन के समतुल्य माना जाएगा।

उप-विभाजन भार रेखाएं

333. यात्रा पोतों की दशा में उप-विभाजन भार रेखाओं का डूब जाना—(1) जहां—

(क) किसी भारतीय यात्री पोत को उप-विभाजन भार रेखाओं से चिह्नानंकित किया गया है अर्थात् वह भार रेखाएं जो उस गहराई को दर्शित करती हैं जहां तक पोत को, उस विस्तार को, जिस तक उसे उप-विभाजित किया गया है, और उस स्थान को, जो तत्समय यात्रियों के लिए आबंटित किया गया है, ध्यान में रखते हुए लादा जा सकता है, और

(ख) उपयुक्त उप-विभाजन भार रेखा, अर्थात् पोत पर यात्रियों के लिए तत्समय आबंटित स्थान के लिए उपयुक्त उप-विभाजन भार रेखा, उस भार रेखा से निम्नतर है जो उस अधिकतम गहराई को दर्शित करती है जिस तक पोत उस समय, इस भाग के उपबंधों के अधीन लदान करने का हकदार है,

वहां पोत को इस प्रकार से नहीं लादा जाएगा कि, जब पोत में कोई सूची न हो तब, उसके प्रत्येक ओर की उपयुक्त उप-विभाजन भार रेखा लवण जल में डूब जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसा पोत जो इस धारा के उल्लंघन में लादा जाता है, तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उसका इस प्रकार से लादा जाना समाप्त नहीं हो जाता है।

तरण अयोग्य पोत

334. तरण अयोग्य पोतों का समुद्र यात्रा पर न भेजा जाना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में किसी पत्तन से किसी भारतीय पोत को ऐसी तरण अयोग्य स्थिति में समुद्र यात्रा पर भेजता है या भेजने का प्रयास करता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को जोखिम की संभाव्यता है वह, तब के सिवाय जब वह यह साबित कर देता है कि उसने पोत को तरण योग्य स्थिति में समुद्र यात्रा पर भेजना सुनिश्चित करने के लिए सब युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग किया था अथवा पोत का ऐसी तरण अयोग्य स्थिति में समुद्र यात्रा पर जाना उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त और विधिपूर्ण था, इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) भारतीय पोत का प्रत्येक मास्टर जो जानबूझकर ऐसे पोत को ऐसी तरण अयोग्य स्थिति में, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को जोखिम की संभाव्यता है, समुद्र यात्रा पर ले जाता है वह, तब के सिवाय जब वह यह साबित कर देता है कि ऐसी तरण अयोग्य स्थिति में समुद्र यात्रा पर जाना उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त और विधिपूर्ण था, इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) “और” शब्द का लोप किया गया।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) “पोतों की लदाई के संबंध में नियम बना सकेगी” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 28 द्वारा (28-5-1966 से) “इस धारा में” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) ऐसा सबूत देने के प्रयोजन के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर इस धारा के अधीन आरोप है, उसी रीति में साक्ष्य दे सकता है जैसे कोई अन्य साक्षी देता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार के सिवाय, या उसकी सम्मति के सिवाय, संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) इस अधिनियम के अर्थ में पोत "तरण अयोग्य" है यदि वह सामग्री जिससे उसका निर्माण किया गया है, उसका निर्माण, मास्टर की अर्हताएं, कर्मीदल की, जिसके अंतर्गत अधिकारी भी हैं, संख्या, वर्णन और अर्हताएं, स्थोरा और स्थिरक भार का भार वर्णन और नौ-भरण, पोत के हल और उपस्कर, बायलर तथा मशीनों की दशा ऐसी नहीं है जिससे पोत को प्रस्थापित समुद्र यात्रा या सेवा के लिए हर प्रकार से ठीक माना जाए।

335. तरण योग्यता की बाबत स्वामी की कर्मीदल के प्रति बाध्यता—(1) भारतीय पोत के स्वामी तथा पोत के मास्टर या किसी नाविक के बीच प्रत्येक अभिव्यक्त या विवक्षित सेवा संविदा में, और शिक्षुता की प्रत्येक संविदा में जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी ऐसे पोत पर शिक्षु के रूप में सेवा करने के लिए बाध्य है स्वामी पर किसी प्रतिकूल करार के होते हुए भी, यह बाध्यता रहेगी कि ऐसा स्वामी और मास्टर, तथा ऐसे पोत की लदाई या उसे समुद्र यात्रा के लिए तैयार करने या भेजने का भारसाधक प्रत्येक अभिकर्ता ऐसे पोत की समुद्र यात्रा के लिए तरण योग्यता को, उस समय जब ऐसी यात्रा आरम्भ हो, सुनिश्चित करने के लिए सब युक्तियुक्त साधन अपनाएगा, और समुद्र यात्रा के दौरान पोत को तरण योग्य दशा में रखेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या देखने के प्रयोजन के लिए कि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन किया गया है स्वामी की प्रार्थना पर या अन्यथा समुद्रगामी पोत के हल, उपस्कर या मशीन का किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण करने की व्यवस्था कर सकती है।

असुरक्षित पोतों का केन्द्रीय सरकार द्वारा निरोध

336. असुरक्षित पोतों को निरुद्ध रखने की शक्ति और निरोध की प्रक्रिया—(1) किसी ऐसे पत्तन में, जिसका केन्द्रीय सरकार इस धारा को शेष रूप से विस्तारित करे, यदि कोई भारतीय पोत असुरक्षित पोत है, अर्थात् उस सेवा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह पोत आशयित है, उसके हल, उपस्कर या मशीनों के त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर या अधिक लदान या अनुचित लदान किए जाने के आधार पर, वह पोत मानव जीवन को गंभीर जोखिम के बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के अयोग्य है तो ऐसे पोत को उसके सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए अनन्तिम रूप से निरुद्ध किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रकार से या तो अन्तिम रूप से निरुद्ध रखा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, अर्थात् :—

(क) यदि किसी परिवाद पर अथवा अन्यथा केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ऐसा पोत असुरक्षित है तो वह पोत को उसके सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए असुरक्षित पोत के रूप में अनन्तिम रूप से निरुद्ध रख सकती है ;

(ख) ऐसे निरोध के आधार का कथन ऐसे पोत के मास्टर पर तुरन्त तामील किया जाएगा ;

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार पोत को निरुद्ध रखने का अनन्तिम आदेश करती है तो वह मामले को उस पत्तन के, जहां पोत को निरुद्ध रखा गया है, सर्वेक्षण न्यायालय को निर्दिष्ट करेगी अथवा किसी सक्षम व्यक्ति को ऐसे पोत का सर्वेक्षण करने के लिए और उसकी बाबत रिपोर्ट देने के लिए तुरन्त नियुक्त करेगी और, रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या तो पोत को छोड़ने का आदेश दे सकती है या, यदि उसकी राय में पोत असुरक्षित है तो, उसे या तो पूर्णतया, अथवा मरम्मतों या परिवर्तनों के निष्पादन या स्थोरा उतारने या पुनः लादने की बाबत ऐसी शर्तों का, जैसी केन्द्रीय सरकार मानव जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक समझे, अनुपालन करने पर्यन्त, अन्तिम रूप से निरुद्ध रखने का आदेश कर सकती है ;

(घ) अन्तिम रूप से निरुद्ध रखने का आदेश देने के पूर्व रिपोर्ट की एक प्रति पोत के मास्टर पर तामील की जाएगी और ऐसी तामील के सात दिन के भीतर स्वामी या मास्टर ऐसी रिपोर्ट के विरुद्ध, उस पत्तन के, जहां पोत को निरुद्ध रखा गया है, सर्वेक्षण न्यायालय को, विहित रीति में, अपील कर सकता है ;

(ङ) जहां पोत को अनन्तिम रूप से निरुद्ध रखा गया है और किसी व्यक्ति को ऐसे पोत का सर्वेक्षण करने के लिए इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया है। वहां पोत का स्वामी या मास्टर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा सर्वेक्षण करने के पूर्व किसी भी समय, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने साथ असेसर के रूप में ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह चुने और जो सर्वेक्षण न्यायालय के असेसरों की सूची में नामित व्यक्ति हो अथवा ; यदि ऐसी कोई सूची नहीं है, तो या यदि ऐसी सूची में नामित किसी व्यक्ति को हाजिर करा पाना अव्यवहार्य है तो किसी नौचालन इंजीनियर को या अन्य विशेष कौशल और अनुभव वाले किसी व्यक्ति को, अपने साथ ले। यदि सर्वेक्षक और असेसर सहमत हो जाते हैं कि पोत को निरुद्ध रखा जाना चाहिए या छोड़ दिया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार तदनुसार, पोत को निरुद्ध कराएगी, या छोड़ देगी, और स्वामी या मास्टर को अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि सर्वेक्षक और असेसर की रिपोर्टों में मतभेद है तो केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से अग्रसर होगी मानो कोई अध्यपेक्षा नहीं की गई थी और स्वामी या मास्टर को सर्वेक्षक की रिपोर्ट की बाबत इस धारा में इससे पूर्व उपबंधित रूप में अपील करने का अधिकार होगा ;

(च) जहां पोत को अनन्तिम रूप से निरुद्ध रखा गया है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह समीचीन समझती है तो उस मामले को किसी भी समय उस पत्तन के, जहां पोत को निरुद्ध रखा गया है, सर्वेक्षण न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकती है ;

(छ) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस धारा के अधीन निरुद्ध रखा गया पोत असुरक्षित नहीं है तो वह किसी भी समय उसे या तो सशर्त या बिना शर्त के छोड़ने का आदेश कर सकती है।

(2) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को (जिसे इस अधिनियम में निरुद्ध रखने वाला अधिकारी कहा गया है) वही शक्ति होगी जो केन्द्रीय सरकार को सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए पोत को अनंतिम रूप से निरुद्ध रखने का आदेश देने के लिए और उसका सर्वेक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए है ; तथा यदि वह व्यक्ति समझता है कि उसके द्वारा निरुद्ध रखा गया पोत असुरक्षित नहीं है तो वह उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है।

(3) निरुद्ध रखने वाला अधिकारी पोत को निरुद्ध रखने या छोड़ने के लिए उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश को तुरन्त केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(4) इस धारा के अधीन निरुद्ध रखे गए पोत को इस आधार पर नहीं छोड़ दिया जाएगा कि उसका भारतीय रजिस्टर तदन्तर बन्द हो गया है।

निरोध के खर्चे और आनुषंगिक नुकसानी

337. पोत को सदोष निरुद्ध रखने की दशा में खर्चे और नुकसानी के लिए केन्द्रीय सरकार का दायित्व—यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पोत की दशा या स्वामी या मास्टर के किसी कार्य या त्रुटि के आधार पर पोत को अनंतिम रूप से निरुद्ध रखने का कोई उचित और अभिसंभाव्य कारण नहीं था तो केन्द्रीय सरकार पोत के स्वामी को पोत के निरोध और सर्वेक्षण का, तथा उनके आनुषंगिक खर्चों का, और निरोध या सर्वेक्षण के कारण उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर का भी, संदाय करने के लिए दायी होगी।

338. पोत को सही कारण से निरुद्ध रखने की दशा में खर्चे के लिए पोत के स्वामी का दायित्व—यदि पोत को इस भाग के अधीन अनन्तिम रूप से निरुद्ध रखा जाता है या यदि यह प्रतीत होता है कि वह पोत जिसे अनन्तिम रूप से निरुद्ध रखा गया था ऐसे निरोध के समय असुरक्षित था, अथवा यदि पोत को इस भाग के किसी उपबंध के अनुसरण में, जिसमें पोत को किसी विशेष बात के होने तक निरुद्ध रखने का उपबंध है, निरुद्ध रखा जाता है, तो पोत का स्वामी पोत के निरोध और सर्वेक्षण की और उनके आनुषंगिक खर्चों का, केन्द्रीय सरकार को संदाय करने के लिए दायी होगा ; तथा पोत तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक ऐसे खर्चों का संदाय नहीं कर दिया जाता है।

339. निरोध और सर्वेक्षण के खर्चों की गणना करने की पद्धति—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सर्वेक्षण न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के और उसके आनुषंगिक खर्चों, तथा सर्वेक्षण या केन्द्रीय सरकार का न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के पारिश्रमिक की बाबत उचित रकम, पोत के निरोध और सर्वेक्षण के खर्चों का भाग समझी जाएगी।

340. परिवादी से खर्चे, आदि के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति—जब केन्द्रीय सरकार को या निरुद्ध रखने वाले अधिकारी को यह शिकायत की जाए कि कोई भारतीय पोत असुरक्षित है तब केन्द्रीय सरकार को या निरुद्ध रखने वाले अधिकारी को यह विवेकाधिकार होगा कि वह परिवादी से यह अपेक्षा करे कि वह उसके समाधानप्रद रूप से ऐसे खर्चों और प्रतिकर के लिए, जिसका संदाय करने के लिए परिवादी इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित रूप में दायी हो जाए, प्रतिभूति दे :

परन्तु जहां शिकायत पोत के एक चौथाई नाविकों द्वारा, जिनकी संख्या तीन से कम नहीं है, की जाती है, और वह शिकायत केन्द्रीय सरकार या निरुद्ध रखने वाले अधिकारी की राय में तुच्छ या परेशान करने वाली है, तो वहां ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं की जाएगी और यदि शिकायत पोत के रवाना होने के पर्याप्त पूर्व की जाती है तो केन्द्रीय सरकार या निरुद्ध रखने वाला अधिकारी यह अभिनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि पोत को इस भाग के अधीन निरुद्ध रखा जाए या नहीं।

341. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय खर्चे आदि का परिवादी से वसूली होना—जहां पोत को किसी परिवाद के परिणामस्वरूप निरुद्ध रखा जाता है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि केन्द्रीय सरकार के पोत के स्वामी को किन्हीं खर्चों या प्रतिकर का इस भाग के अधीन संदाय करने के लिए दायी है तो परिवादी ऐसे सब खर्चों और प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा जो केन्द्रीय सरकार को पोत के निरोध और सर्वेक्षण की बाबत उठाने पड़ें या जिनके संदाय के लिए वह दायी हो।

342. निरोध के बारे में उपबंधों का भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को लागू होना—जब भारतीय पोत से भिन्न पोत भारत में किसी पत्तन में है और पत्तन में रहने के दौरान वह उसके हल, उपस्कर या मशीन की त्रुटिपूर्ण दशा के कारण या उसकी अधिक लदाई या अनुचित लदाई के कारण असुरक्षित है तो पोतों के निरोध की बाबत इस भाग के उपबंध उस पोत को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए वैसे ही लागू होंगे मानो वह पोत कोई भारतीय पोत है, अर्थात् :—

(क) पोत के अनन्तिम रूप से निरुद्ध रखने के आदेश की एक प्रति उस देश के, जिस देश का वह पोत है, उस पत्तन पर के जहां पोत को निरुद्ध रखा गया है, या उसके निकटतम पत्तन पर के कौंसलीय आफिसर पर तुरन्त तामील की जाएगी ;

(ख) कौंसलीय आफिसर, पोत के स्वामी या मास्टर की प्रार्थना पर यह अपेक्षा कर सकता है कि पोत का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के साथ ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसे कौंसलीय आफिसर चुने, और उस दशा में, यदि सर्वेक्षक और वह व्यक्ति सहमत हैं, तो केन्द्रीय सरकार पोत को तदनुसार निरुद्ध कराएगी या छोड़ देगी ; किन्तु यदि वे असहमत हैं तो केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी मानो कोई अध्यक्ष नहीं की गई थी, तथा स्वामी और मास्टर को

सर्वेक्षक की रिपोर्ट के संबंध में सर्वेक्षण न्यायालय की अपील करने का वैसा ही अधिकार होगा जैसा भारतीय पोत की दशा में इसमें इसके पूर्व उपबन्धित है ; और

(ग) जहां पोत का स्वामी या मास्टर सर्वेक्षण न्यायालय को अपील करता है वहां कौंसलीय आफिसर, पोत के स्वामी या मास्टर की प्रार्थना पर, किसी सक्षम व्यक्ति को उस असेसर के स्थान पर जो, यदि पोत भारतीय पोत होता तो, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता अपितु अन्यथा नियुक्त किया जाता, उस मामले में असेसर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

343. पोतों को इस भाग के कतिपय उपबंधों से छूट—(1) इस भाग की कोई बात,—

(क) जो पोत को समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने से तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक उस पोत के संबंध में इस भाग के अधीन जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्र या उपयुक्त सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र प्रवृत्तशील नहीं है या प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं ;

(ख) जो यह अपेक्षा करती है कि पोत की मजबूती के बारे में जानकारी उसके फलक पर रहनी चाहिए,

किसी फौजी पोत, क्रीडा नौका या मछली पकड़ने के जलयान या [तीन सौ सकल टन से कम के किसी स्थोरा पोत] या किसी ऐसे पोत को, जो नोदन के यांत्रिक साधन से युक्त नहीं है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक केन्द्रीय सरकार पोत की मजबूती के बारे में जानकारी की दशा में अन्यथा आदेश न करे।

(2) पूर्ववर्ती उपधारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध द्वारा प्रदत्त छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) इस धारा की कोई बात भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत को, जब वह भारत में किसी पत्तन के भीतर हो लागू नहीं होगी यदि वह पोत मौसम की कठिनाई या किसी अन्य ऐसी परिस्थिति के कारण ही, जिसे न तो पोत का मास्टर, न स्वामी और न चार्टर ही, यदि कोई हो, रोक सकता था या उसका पूर्वानुमान कर सकता था, ऐसे पत्तन के भीतर है, अन्यथा वहां न होता।

344. इस भाग के अधीन प्रमाणपत्रों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन मंजूर किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के संबंध में इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातें विहित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

²[(क) इस भाग के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र और उपस्कर के अभिलेख का प्ररूप ;

(कक) ऐसे पोतों की बाबत किए जाने के लिए अपेक्षित सर्वेक्षण की रीति जिनको सुरक्षा अभिसमय में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण की रीति लागू नहीं होती है ;]

(ख) वे परिस्थितियां जिनमें सुरक्षा अभिसमय या भार रेखा अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत के बाहर जारी किए गए तात्पर्यित प्रमाणपत्र को भारत में मान्यता दी जाएगी ;

(ग) वे फीसों जो इस भाग के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में प्रभारित नहीं की जाएंगी और रीति जिसमें ऐसी फीसों वसूल की जा सकेंगी ;

³[(घ) वे फीसों जो हल, मशीनरी, बायलरों, विद्युत साधित्रों और अन्य फिटिंगों और उनके सन्निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों, अग्नि साधित्रों, जीवनरक्षा साधित्रों, रेडियो संचार उपकरण, राडार, प्रतिध्वनिक मापन युक्ति और जाइरोदिक्सूचक के सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए या उपरोक्त उपकरणों में से किसी के या उनके विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के परीक्षण या अनुमोदन के लिए या पोत के उपरोक्त हल, मशीनरी, विद्युत साधित्रों या अन्य उपकरणों के किसी भाग के सन्निर्माण के नक्शों की परीक्षा के लिए प्रभारित की जाएगी और वह रीति जिसमें ऐसी फीसों वसूल की जा सकेंगी।]

⁴[भाग 9क

न्यूक्लीय पोत

344क. अधिनियम का न्यूक्लीय पोतों को लागू होना—(1) यह भाग केवल न्यूक्लीय पोतों को लागू है।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 29 द्वारा (28-5-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 30 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यूक्लीय पोत से धारा 3 के खण्ड (38) के उपखण्ड (i) से (ix) तक में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र या वैसा ही कोई विधिमान्य सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के कोई उपबंध (इस भाग के उपबंधों और धारा 456 के उपबंधों से भिन्न) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं—

(क) न्यूक्लीय पोतों को लागू नहीं होंगे, अथवा

(ख) न्यूक्लीय पोतों को ऐसे अपवादों, उपान्तरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए स्थापित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हों, तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, प्रारूप स्थिति में रखी जाएगी और वह तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक संसद् का प्रत्येक सदन उसे उपांतरण सहित या किसी उपांतरण के बिना, अनुमोदित नहीं कर देता है।

344ख. न्यूक्लीय यात्रा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र और न्यूक्लीय स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र—(1) यदि किसी भारतीय न्यूक्लीय यात्री या स्थोरा पोत की बाबत केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उस पोत का सर्वेक्षण इस अधिनियम के अनुसार किया गया है और उसका निरीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया है और उस पोत ने ऐसी विशेष अपेक्षाओं का, यदि कोई हों, जैसी उस व्यक्ति ने ऐसे निरीक्षण के पश्चात् विनिर्दिष्ट की हों, अनुपालन किया है, तो केन्द्रीय सरकार—

(क) यात्री पोत की दशा में, एक न्यूक्लीय यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र ;

(ख) स्थोरा पोत की दशा में, एक स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र,

जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र, जारी किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए, या ऐसी लघुतर अवधि के लिए जैसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा।

344ग. प्रमाणपत्र के बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने का प्रतिषेध—(1) कोई भारतीय न्यूक्लीय पोत भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र यात्रा पर तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक उसके पास उस पोत की बाबत—

(क) यदि वह यात्री पोत है तो न्यूक्लीय यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है ;

(ख) यदि वह स्थोरा पोत है तो न्यूक्लीय स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं है।

(2) जिस पोत को यह धारा लागू है उसका मास्टर समुद्र यात्रा पर अग्रसर होते समय, उस सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, जिससे पोत के लिए पत्तन निकासी की मांग की जाती है, उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और पत्तन निकासी तब तक मंजूर नहीं की जाएगी तथा पोत को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है।

344घ. सुरक्षा निर्धारण और संचालन मैन्युअल—(1) प्रत्येक भारतीय न्यूक्लीय पोत के फलक पर एक सुरक्षा निर्धारण और एक संचालन मैन्युअल ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों सहित और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित रूप में रहेगा जो विहित किए जाएं।

(2) सुरक्षा निर्धारण और संचालन मैन्युअल ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तैयार किया जाएगा, बनाए रखा जाएगा और अद्यतन रखा जाएगा।

344ङ. विदेशी न्यूक्लीय पोतों द्वारा पहुंचने की अग्रिम सूचना देना—(1) भारतीय पोतों से भिन्न कोई न्यूक्लीय पोत भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसके मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता द्वारा पोत के भारत में पहुंचने के आशय की ऐसी अग्रिम सूचना, जैसी विहित की जाए, ऐसे प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नहीं दी जाती है और ऐसी सूचना के साथ पोत की सुरक्षा निर्धारण की एक सत्य प्रति उस प्राधिकारी को अग्नेषित नहीं कर दी जाती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पोत के सुरक्षा निर्धारण की परीक्षा और मूल्यांकन किए जाने पर यदि उस प्राधिकारी की यह राय है कि पोत के प्रवेश से कर्मिंदल, यात्रियों, जनसाधारण, जलमार्गों, भोजन या जल के साधनों को अनुचित विक्रियण या अन्य परिसंकट हो जाएगा तो वह उस न्यूक्लीय पोत को भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश न करने का निदेश दे सकता है और पोत ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

344च. न्यूक्लीय पोतों के आगमन पर नियंत्रण—(1) प्रत्येक न्यूक्लीय पोत का मास्टर भारत में किसी पत्तन पर आगमन पर ऐसे आगमन की सूचना विहित प्ररूप में ऐसे प्राधिकारी को देगा जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए कि पोत के फलक पर विधिमान्य न्यूक्लीय यात्री पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या न्यूक्लीय स्थोरा पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र है, और सुरक्षा निर्धारण तथा संचालन मैनुअल और ऐसी अन्य वस्तुओं की, जैसी वह ठीक समझे, परीक्षा करके अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि कर्मिदल, यात्रियों, जनसाधारण, जलमार्गों, भोजन या जल के साधनों को कोई अनुचित विकिरण या अन्य परिसंकट तो नहीं है, ऐसे पोत के फलक पर जा सकता है।

(3) यदि प्राधिकृत व्यक्ति का, ऐसी परीक्षा के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि कर्मिदल, यात्रियों, जनसाधारण को या जलमार्गों, भोजन या जल के साधनों को कोई अनुचित विकिरण या अन्य परिसंकट नहीं है तो वह उस आशय का प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

344ख. न्यूक्लीय पोतों की दुर्घटनाओं की सूचना—(1) किसी भारतीय न्यूक्लीय पोत के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और ऐसी दुर्घटना के कारण पर्यावरणीय परिसंकट होने की संभावना होने की दशा में पोत का मास्टर दुर्घटना की सूचना तुरन्त—

(क) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, और

(ख) यदि पोत किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में है या उसमें प्रवेश करने का आशय रखता है तो उस राज्य के समुचित सरकारी प्राधिकारी को भी देगा।

(2) जहां भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीय पोत, जब वह भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में या पत्तन में है, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है तो पोत का मास्टर दुर्घटना की सूचना तुरन्त उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को देगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक या समीचीन समझता है तथा दुर्घटना के कारणों का ऐसी रीति में अन्वेषण करेगा जैसी विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए निदेशों की एक प्रति और अन्वेषण के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर, जैसा विहित किया जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(5) जहां भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीय पोत भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना में ग्रस्त हो जाता है और क्षतिग्रस्त दशा में भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करने का आशय रखता है वहां ऐसे पोत का मास्टर दुर्घटना की प्रवृत्ति और पोत की दशा की सूचना, ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को देगा और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए जाएं।

(6) इस धारा के उपबंध इस अधिनियम के भाग 12 के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और उनका अल्पीकरण करने वाले नहीं हैं।

344ज. कतिपय धाराओं का धारा 344ख के अधीन कतिपय प्रमाणपत्रों को या उनके संबंध में लागू होना—(1) धारा 228 से धारा 231 तक (जिसमें ये दोनों धाराएं भी हैं) के उपबंध, यावत्शक्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 344ख के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को और उसके संबंध में उसी रीति में लागू होंगे जैसे वे सर्वेक्षण प्रमाणपत्र को और उसके सम्बन्ध में लागू हैं।

(2) धारा 309क के उपबंध धारा 344ख के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किए गए न्यूक्लीय पोत को और उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भाग 9 के अधीन सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण किए गए पोत को और उसके संबंध में लागू हैं।

344झ. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) न्यूक्लीय पोत की डिजाइन, निर्माण और निरीक्षण के मानक तथा रिएक्टर संस्थापनों की असेम्बली ;

(ख) न्यूक्लीय पोतों की सुरक्षा के मानक ;

(ग) न्यूक्लीय पोतों के सर्वेक्षणों की रीति ;

(घ) वे प्ररूप जिनमें इस भाग के अधीन प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे ;

(ङ) वह प्ररूप और रीति जिसमें न्यूक्लीय पोत का सुरक्षा निर्धारण और संचालन मैनुअल तैयार किया जाएगा, बनाए रखा जाएगा और अद्यतन रखा जाएगा तथा वे विशिष्टियां जो उनमें अंतर्विष्ट की जाएंगी ;

(च) इस भाग के अधीन सूचनाओं का प्ररूप और वह समय जब ऐसी सूचनाएं दी जानी चाहिए ;

(छ) वह रीति जिसमें न्यूक्लीय पोतों की दुर्घटनाओं के कारणों का अन्वेषण किया जा सकेगा ;

(ज) कर्मिदल, यात्रियों और अन्य व्यक्तियों को जो जलमार्गों तथा भोजन और जल के साधनों को अनुचित विकिरण या अन्य न्यूक्लीय परिसंकटों से बचाने के लिए बरती जाने वाली विशेष पूर्वावधानियां ;

(झ) वह रीति जिसमें न्यूक्लीय पोतों के रेडियोधर्मी अपशिष्ट का नौभरण और व्ययन किया जाएगा ;

(ञ) वह रीति जिसमें न्यूक्लीय पोतों के रिएक्टर में ईंधन की भराई, ईंधन के निकाले जाने और पुनः भरे जाने का कार्य किया जाएगा ;

(ट) न्यूक्लीय पोतों के मास्टरो और नाविकों का विशेष प्रशिक्षण और उनको अर्हताएं ;

(ठ) न्यूक्लीय पोतों के भारतीय पत्तन में पहुंच, प्रवेश, ठहरने और वहां से रवाना होने के संबंध में विशेष अपेक्षाएं ;

(ड) न्यूक्लीय पोत की संचालन संबंधी दशाओं का अवधारण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) टक्कर, पेंदा लग जाने, आग लग जाने, रेडियोधर्मी सामग्री के रिसने या अन्य दुर्घटना की दशा में न्यूक्लीय पोतों के रिएक्टर संस्थापन का बचाव और बंद किया जाना ;

(ण) इस भाग के अधीन किसी निरीक्षण, सर्वेक्षण या प्रमाणपत्र के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।]

¹[भाग 9ख

पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा

344अ. लागू होना—(1) यह भाग, उपधारा (2) के अधीन रहते हुए,—

(क) अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं में लगे हुए निम्नलिखित प्रकार के पोतों को लागू होगा, अर्थात् :—

(i) यात्री पोत, जिसके अंतर्गत तीव्र गति यात्रीयान भी है ;

(ii) स्थोरा पोत, जिसके अंतर्गत पांच सौ और अधिक सकल टनभार वाला तीव्रगति यान भी है ;

(iii) चलत अपतट ड्रिल यूनिट :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस भाग के लागू होने का, उन पोतों तक विस्तार कर सकेगी, जो अनन्य रूप से तटीय समुद्री यात्राओं पर लगाए गए हैं ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट पोतों की व्यवस्था करने वाली पत्तन सुविधाओं को लागू होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, विनिश्चय करने के पश्चात् इस भाग के अधीन कराए गए पत्तन सुविधा सुरक्षा निर्धारण के आधार पर, इस भाग के लागू होने को, उन पत्तन सुविधाओं पर विस्तारित कर सकेगी, जो यद्यपि, मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर नहीं लगाए गए पोतों द्वारा उपयोग की जाती हैं, यदाकदा अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर आने वाले या प्रस्थान करने वाले पोतों की व्यवस्था के लिए अपेक्षित होती हैं ।

(2) यह भाग, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित और उस सरकार द्वारा केवल गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए प्रयुक्त युद्धपोतों, नौसेना, सहायक सेनाओं या अन्य पोतों को लागू नहीं होगा ।

344ट. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “कंपनी” से पोत का स्वामी या ऐसा कोई संगठन अभिप्रेत है, जिसने ऐसे पोत के स्वामी से पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जिसने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध कोड द्वारा अधिरोपित सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने की सहमति दी है ;

(ख) “सुरक्षा की घोषणा” से पोतों या किसी पोत और पत्तन सुविधा के बीच अनुपालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करने वाला करार अभिप्रेत है ;

(ग) “अभिहित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) “अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड” से सुरक्षा अभिसमय में उपबंधित पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा का कोड अभिप्रेत है ;

¹ 2007 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ङ) “पत्तन सुविधा” से ऐसा कोई अवस्थान या क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत लंगर स्थान या प्रतीक्षा घाट या समुद्र की ओर से ऐसे पहुंच स्थान भी हैं और जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किए गए हैं, जहां किन्हीं पोतों या किसी पोत और पत्तन के बीच अंतरापृष्ठ होता है ;

(च) “मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन” से कोई ऐसा संगठन, कंपनी, फर्म या व्यक्ति-निकाय अभिप्रेत है, जिसे सुरक्षा से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है और पोत तथा पत्तन संक्रियाओं का ज्ञान है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग या अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा कोड द्वारा अपेक्षित निर्धारण या सत्यापन या अनुमोदन या प्रमाणन के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(छ) “सुरक्षा स्तर” से किसी पोत या पत्तन सुविधा या उससे संबद्ध किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में आशंका या किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप से सहबद्ध जोखिम की मात्रा की सीमा अभिप्रेत है ;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इस भाग में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु इस भाग में परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो सुरक्षा अभिसमय में हैं ।

344ठ. पोत पहचान संख्यांक—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, प्रत्येक एक सौ और अधिक सकल टनभार के भारतीय पोत और प्रत्येक तीन सौ और अधिक सकल टनभार के भारतीय स्थोरा पोत को एक पोत पहचान संख्यांक प्रदान करेगा, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विरचित सुसंगत स्कीम के अनुरूप होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों और उनकी सभी प्रमाणित प्रतियों पर पोत पहचान संख्यांक होगा ।

344ड. सुरक्षा उपाय—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, तट विदाई जैसे मानवीय तत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे सुरक्षा स्तर नियत करेगा, और उसकी सूचना सभी भारतीय पोतों को जो विहित किए जाएं, उपलब्ध कराएगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी, ऐसे सुरक्षा स्तर नियत करेगा, और भारत के भीतर पत्तन सुविधाओं और ऐसे प्रत्येक पोत को जो विहित किए जाएं भारत में प्रवेश करने से पूर्व या जब वह भारत के भीतर किसी पत्तन पर हो, उसकी सूचना उपलब्ध कराएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, किसी मान्यताप्राप्त सुरक्षा संगठन को उसकी ओर से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस धारा के अधीन कोई सुरक्षा उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

344ढ. पत्तन सुविधाओं का निर्धारण—केन्द्रीय सरकार, पत्तन सुविधा का निर्धारण, ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए ।

344ण. कंपनियों, आदि की बाध्यताएं—प्रत्येक कंपनी, पोत या पत्तन सुविधा, सुरक्षा अभिसमय और अंतरराष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा कोड के अधीन सुसंगत अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।

344त. पत्तन सुविधा की बाध्यताएं—भारत में प्रत्येक पत्तन सुविधा इस भाग या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा का अनुपालन करेगी ।

344थ. अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र—यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक ऐसे भारतीय पोत को, जिसे यह भाग लागू होता है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, यथास्थिति, एक अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र या अंतरिम अंतरराष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

344द. पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली—प्रत्येक भारतीय पोत में ऐसी पोत सुरक्षा चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जो विहित की जाए ।

344ध. नियंत्रण उपाय—ऐसा प्रत्येक पोत, जिसे यह भाग लागू होता है, ऐसे नियंत्रण उपायों के अधीन होगा, जो विहित किए जाएं ।

344न. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखकर इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा :—

(क) वैकल्पिक या समतुल्य सुरक्षा स्तर ;

(ख) प्रदान की गई किसी सेवा के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो इस भाग द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।]

भाग 10

समुद्र में टक्कर, दुर्घटनाएं और 1*** दायित्व

345. टक्कर की दशा में हानि का विभाजन—(1) जब भी दो या अधिक पोतों की त्रुटि से उनमें से एक या अधिक को या उनमें से एक या अधिक के स्थोरा को या उनमें से एक या अधिक के फलक पर किसी सम्पत्ति को, नुकसान हो जाता है या हानि हो जाती है तो नुकसान या हानि को पूरा करने का दायित्व प्रत्येक पोत की त्रुटि की मात्रा के अनुपात में होगा :

परन्तु—

(क) यदि, मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, त्रुटि की विभिन्न मात्राओं को निश्चित करना संभव नहीं है तो दायित्व समान रूप से प्रभाजित किया जाएगा ;

(ख) इस धारा की कोई बात किसी पोत को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए दायी नहीं बनाएगी जो उसकी त्रुटि के परिणामस्वरूप नहीं हुई है ;

(ग) इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति के किसी संविदा के अधीन दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी या उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा दायित्व अधिरोपित करती है जिससे उसे किसी संविदा द्वारा या विधि के किसी उपबंध द्वारा छूट प्राप्त है, या किसी व्यक्ति के दायित्व को विधि द्वारा उपबंधित रीति में परिसीमित करने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(2) इस भाग के प्रयोजनों के लिए, पोत की त्रुटि से हुए नुकसान या हानि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनमें उस त्रुटि के परिणामस्वरूप कोई उद्धरण करने के या अन्य खर्चे, जो नुकसानों के रूप में विधि में वसूल किए जा सकते हैं, सम्मिलित हैं ।

346. वैयक्तिक क्षति के लिए नुकसानी—(1) जब भी किसी एक पोत या किसी अन्य पोत या पोतों की त्रुटि के कारण पोत के फलक पर किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो जाती है या वैयक्तिक क्षति उठानी पड़ती है, तो संबंधित पोत के स्वामियों का दायित्व संयुक्त और पृथक् होगा ।

(2) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रतिरक्षा के किसी ऐसे अधिकार से निवारित करती है जिसका आशय कोई व्यक्ति किसी क्षत व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जीवन की ऐसी हानि की बाबत वाद लाने का हकदार है, उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई में, इस धारा से स्वतंत्र रूप में, ले सकता था, अथवा यह किसी व्यक्ति के दायित्व को परिसीमित करने वाले उसके अधिकार पर, उन मामलों में जिनसे यह धारा विधि द्वारा उपबंधित रीति में संबंधित है, प्रभाव नहीं डालेगी ।

347. अंशदाय का अधिकार—(1) जब भी किसी एक पोत और किसी अन्य पोत या पोतों का त्रुटि के कारण पोत के फलक पर के किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो जाती है या उसे कोई वैयक्तिक क्षति उठानी पड़ती है और उन पोतों में से किसी एक के स्वामी से नुकसानी का अपना भाग जितना उस अनुपात से अधिक हो जिस अनुपात तक उस पोत की त्रुटि थी, वसूल कर ली जाती है, तो उक्त स्वामी अन्य पोत या पोतों के स्वामियों से आधिक्य की रकम उस विस्तार जिस तक उन पोतों की त्रुटि है, अंशदाय के रूप में वसूल कर सकती है :

परन्तु वह रकम जो दायित्व की किसी कानूनी या संविदाजन्य परिसीमा के कारण, या परिसीमा से छूट के कारण, वसूल नहीं की जा सकती है, या जो किसी अन्य आधार पर उस रकम के लिए वाद लाने के हकदार व्यक्तियों द्वारा नुकसानी के रूप में प्रथमतः वसूल नहीं की जा सकी है, इस प्रकार वसूल नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अंशदाय के हकदार व्यक्ति को, अंशदाय की वसूली के प्रयोजन के लिए, विधि द्वारा उपबंधित किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए वही अधिकार और शक्तियां होंगी जो नुकसानी के लिए प्रथमतः वाद लाने के लिए हकदार व्यक्तियों को हैं ।

348. टक्कर की दशा में सहायता देने का पोत के मास्टर का कर्तव्य—दो पोतों के बीच टक्कर के प्रत्येक मामले में प्रत्येक पोत के मास्टर या भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह, यदि और वहां तक जहां तक उसके अपने पोत, कर्मीदल और यात्रियों को, यदि कोई हों, बिना किसी खतरे के करना सम्भव हो,—

(क) अन्य पोत, उसके मास्टर, कर्मीदल और यात्रियों को, यदि कोई हों, टक्कर के कारण हुए किसी खतरे से उन्हें बचाने के लिए ऐसी सहायता प्रदान करे जैसी व्यवहार्य और आवश्यक है तथा अन्य पोत के साथ तब तक ठहरा रहे जब तक वह यह अभिनिश्चित न कर ले कि उसे और सहायता की आवश्यकता नहीं है, तथा

(ख) अन्य पोतों के मास्टरों या भारसाधक व्यक्तियों को अपने पोत का नाम और उस पत्तन का नाम, जिसका वह है, तथा उन पत्तनों के नाम जिनसे वह आ रहा है और जिनको वह जा रहा है, बताएं ।

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 15 द्वारा (15-9-1972 से) “परिसीमा का” शब्दों का लोप किया गया ।

349. टक्कर का आफिशियल लाग बुक में दर्ज किया जाना—टक्कर के प्रत्येक मामले में जिसमें ऐसा करना व्यवहार्य है, प्रत्येक सम्बन्धित पोत का मास्टर, घटना के तुरन्त पश्चात् उसका विवरण और उन परिस्थितियों का विवरण जिनमें घटना हुई है, आफिशियल लाग बुक में, यदि कोई है, दर्ज करेगा, और प्रविष्टि पर मास्टर द्वारा तथा मेट या कर्मीदल में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

350. पोतों की दुर्घटनाओं की केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट—जब पोत के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या वह कोई दुर्घटना कर दे जिसमें जीवन की हानि हो जाए या किसी व्यक्ति को कोई गम्भीर क्षति पहुंचे या पोत की तरण योग्यता या क्षमता पर, या उसके हल पर प्रभाव डालने वाला कोई तात्त्विक नुकसान हो जाए या उसकी मशीनों के किसी भाग में ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे वह उस पोत की बाबत इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों में से किसी में अंतर्विष्ट विशिष्टियों से मेल न खाए, तो पोत का स्वामी या मास्टर दुर्घटना या नुकसान होने के पश्चात् चौबीस घण्टे के भीतर, या यथासाध्य शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना या नुकसानी को औ उसके संभावित कारण की एक रिपोर्ट पोत का नाम, शासकीय संख्यांक, यदि कोई है, रजिस्ट्री पत्तन का और जहां वह है, उस स्थान का नाम अधिकथित करते हुए भेजेगा।

351. केन्द्रीय सरकार को भारतीय पोत की हानि की सूचना देना—यदि पोत के न आने के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण किसी भारतीय पोत के स्वामी या अभिकर्ता के पास इस आशंका का कारण है कि पोत पूर्णतया खो चुका है तो वह, यथाशीघ्र सुविधानुसार, केन्द्रीय सरकार को ऐसी हानि की और उस संभावित कारण की लिखित सूचना, पोत का नाम, शासकीय संख्यांक, यदि कोई है, और रजिस्ट्री पत्तन का नाम अधिकथित करते हुए, भेजेगा।

¹[भाग 10क

दायित्व की परिसीमा

352. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “दावा” से शारीरिक दावा या साम्पत्तिक दावा अभिप्रेत है ;

²[(ख) “अभिसमय” से, समय-समय पर यथा संशोधित सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा संबंधी अभिसमय, 1976 अभिप्रेत है ;]

(ग) जलयान के संबंध में, “निधि” से धारा 352ग के अधीन गठित परिसीमा निधि अभिप्रेत है ;

(घ) जलयान के स्वामी के संबंध में, “दायित्व” के अन्तर्गत स्वयं जलयान का दायित्व भी है ;

(ङ) “घटना” से धारा 352क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घटना अभिप्रेत है ;

(च) “शारीरिक दावा” से जीवन की हानि या शारीरिक क्षति से परिणामित दावा अभिप्रेत है ;

(छ) “साम्पत्तिक दावा” से, किसी घटना से उद्भूत, शारीरिक दावे से भिन्न कोई दावा अभिप्रेत है ;

³[(ज) “उद्धारक” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उद्धारण संक्रियाओं से संबंधित सीधी सेवाएं दे रहा है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “उद्धारक संक्रियाओं” के अंतर्गत निम्नलिखित संक्रियाएं आती हैं,—

(i) किसी ऐसे पोत को उठाना, हटाना, नष्ट करना या हानिरहित बनाना जो डूब गया है, ध्वस्त हो गया है, अटक गया है या परित्यक्त हो गया है जिसके अंतर्गत ऐसे पोत के फलक पर ऐसी कोई बात जो है या हुई है, आती है ;

(ii) पोत के स्थोरा को हटाना, नष्ट करना या हानिरहित बनाना ; और

(iii) किसी पोत या उसके स्थोरा या दोनों की क्षति टालने या कम करने के लिए किए गए उपाय ;

(झ) “पोत स्वामी” से किसी समुद्रगामी पोत का स्वामी, चार्टर पर लेने वाला, प्रबंधक और प्रचालक अभिप्रेत है ;

(ञ) “विशेष आहरण अधिकार” से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यथा अवधारित विशेष आहरण अधिकार अभिप्रेत है।]

⁴[352क. कतिपय दावों के बारे में नुकसानियों के लिए दायित्व की परिसीमा—(1) पोत स्वामी, उद्धारक, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके कार्य, उपेक्षा या चूक के लिए, यथास्थिति, पोत स्वामी या उद्धारक उत्तरदायी है, और दावों के लिए दायित्व का बीमाकर्ता उसी सीमा तक उत्तरदायी है जितना स्वयं बीमाकृत है, निम्नलिखित की बाबत धारा 352ख के अधीन यथा उपबंधित अपने दायित्व को परिसीमित कर सकेगा :—

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 16 द्वारा (15-9-1972 से) धारा 352 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 16 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) पोत के फलक पर होने वाली या उसके प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से संसक्त या उद्धारण संक्रियाओं से जीवन की हानि या शारीरिक क्षति या सम्पत्ति की हानि या उसकी नुकसानी (इसके अन्तर्गत बंदरगाह संकर्म, द्रोणी, और जलमार्ग तथा नौपरिवहन सहायक सामग्री को नुकसानी भी है) और उसके परिणामस्वरूप पारिणामिक हानि से उद्भूत दावे ;

(ख) स्थोरा या यात्रियों या उनके सामान के नौपरिवहन में विलंब के परिणामस्वरूप हुई हानि से उद्भूत दावे ;

(ग) पोत या उद्धारण संक्रियाओं के प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से संसक्त होने वाले संविदात्मक अधिकारों से भिन्न अधिकारों के अतिलंघन के परिणामस्वरूप अन्य हानि से उद्भूत दावे ;

(घ) हानि को टालने या कम करने के क्रम में किए गए उपायों की बाबत दायी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के दावे, जिसके लिए ऐसा दायी व्यक्ति, यथास्थिति, अभिसमय या इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को और ऐसे उपायों से कारित ऐसी अतिरिक्त हानि को परिसीमित कर सकता है ;

(ङ) ऐसे किसी पोत के यात्रियों के जीवन की हानि या शारीरिक क्षति के लिए दावे, जो किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से,—

(i) यात्री वहन की संविदा के अधीन लाए गए हैं ; या

(ii) जो, वाहक की सहमति से, जीवित पशुओं के लिए ऐसे यान के साथ जा रहे हैं, जो उस पोत में माल के वहन के लिए संविदा के अधीन आता है :

परन्तु इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट यात्रियों के दावे के लिए परिसीमा भारत के तट और उसके आस-पास वहन किए जा रहे यात्रियों को लागू नहीं होगी, जिनकी बाबत पृथक् परिसीमाएं विहित की जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) में दिए गए दावे, तब भी दायित्व की परिसीमा के अधीन होंगे, जब आश्रय द्वारा या किसी संविदा के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए या अन्यथा लाए गए हों :

परन्तु उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित दावे, उस सीमा तक दायित्व की परिसीमा के अधीन नहीं होंगे जहां तक वे दायी व्यक्ति के साथ संविदा के अधीन पारिश्रमिक से संबंधित हैं ।

(3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) उद्धारण या साधारण अनुपात में अभिदाय के लिए दावे ;

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992 के अर्थ में तेल प्रदूषण नुकसान के लिए दावे ;

(ग) पोत स्वामी या उद्धारक के ऐसे सेवकों द्वारा दावे, जिनके कर्तव्य पोत या उद्धारण संक्रियाओं से संबंधित हैं, जिनके अंतर्गत उनके वारिसों, आश्रितों के या ऐसे दावे करने के हकदार अन्य व्यक्तियों के दावे भी हैं, यदि पोत स्वामी या उद्धारक के बीच सेवा की संविदा का प्रशासन करने वाली विधि के अधीन पोत स्वामी या उद्धारक के ऐसे सेवक ऐसे दावों की बाबत उसका दायित्व परिसीमित करने के लिए हकदार नहीं हैं या यदि वह ऐसी विधि द्वारा केवल उसका दायित्व उससे अधिक किसी रकम तक परिसीमित करने के लिए अनुज्ञात है जिसके लिए अभिसमय में या इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में उपबंधित किया गया है ;

(घ) किसी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय या नाभिकीय नुकसान के लिए दायित्व की परिसीमा का प्रशासन या प्रतिषेध करने वाली भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावे ;

(ङ) नाभिकीय नुकसान के लिए नाभिकीय पोत के स्वामी के विरुद्ध दावे ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजन के लिए, दायित्व की परिसीमा को अंतर्वलित करने वाला कार्य दायित्व की किसी स्वीकृति का गठन नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस भाग के प्रयोजन के लिए किसी पोत स्वामी के दायित्व के अंतर्गत पोत के ही विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई में दायित्व भी हैं ।]

¹[352ख. दायित्व की परिसीमा—उस रकम की, जिस तक धारा 352क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिसमय के उपबंधों के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित कर सकेगा और उन मामलों में जहां अभिसमय के उपबंध लागू न हों, परिसीमा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित के अनुसार होगी ।]

352ग. परिसीमा निधि तथा ¹* दावों का समेकन—²[(1) जहां धारा 352क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संबंध में यह कथन किया गया है कि उसने किसी घटना से उद्भूत होने वाले दावों के संबंध में कोई दायित्व उपगत किया है और परिसीमा के अधीन रहते हुए दावों की बाबत विधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं तब ऐसा व्यक्ति, अभिसमय या ऐसे दावों को लागू इस भाग के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों में दी गई रकम के बराबर सकल राशि के लिए, जिसके लिए वह व्यक्ति दायी हो, दायित्व को उद्भूत करने वाली घटना की तारीख से निधि के गठन की तारीख तक उस पर ब्याज के साथ एक परिसीमा निधि स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।]**

(2) वह न्यायालय जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाता है स्वामी के दायित्व की रकम अवधारित कर सकती है और रकम ऐसे उच्च न्यायालय में जमा करने की ²[या उस रकम के संबंध में स्वीकार्य प्रत्याभूति पेश करने या ऐसी बैंक प्रत्याभूति पेश करने की अपेक्षा कर सकेगी जो उच्च न्यायालय की राय में समाधानप्रद हो तथा इस प्रकार जमा की गई या प्रत्याभूत रकम से] उपधारा (1) में निर्दिष्ट दावों के प्रयोजनों के लिए एक परिसीमा निधि गठित होगी और केवल ऐसे दावों के संदाय के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(3) निधि गठित हो जाने के पश्चात् उस निधि पर दावा करने का अधिकार कोई व्यक्ति, निधि के विरुद्ध अपने दावे के संबंध में स्वामी की किन्हीं अन्य आस्तियों के विरुद्ध किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा यदि उक्त निधि दावेदार के फायदे के लिए उपलब्ध है।

(4) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय निधि की रकम को विभिन्न दावेदारों में वितरित कर सकता है और उसी मामले के संबंध में किसी अन्य न्यायालय में लम्बित किन्हीं कार्यवाहियों को रोक सकता है तथा ऐसी रीति से, और हितबद्ध व्यक्तियों को कार्यवाहियों में पक्षकर बनाए जाने के बारे में और एक निश्चित समय के भीतर न किए जाने वाले दावों के अपवर्जन के बारे में तथा स्वामी से प्रतिभूति की अपेक्षा करने के बारे में, और किन्हीं खर्चों के संदाय के बारे में, उच्च न्यायालय के ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जैसे वह न्यायालय ठीक समझे, अग्रसर हो सकता है।

²[(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या उसका वीमाकर्ता यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे किसी दावे के संबंध में, जिसमें वह अपना दायित्व इस भाग के अधीन परिसीमित कर सकता है, पूरा या आंशिक संदाय कर दिया है तो उच्च न्यायालय, उसे निधि के संबंध में वही स्थान देगी और उसी विस्तार तक देगी, जो उस दावेदार को प्राप्त है, जिसके दावे का संदाय कर दिया गया है तथा ऐसे अधिकारों के प्रत्यासन द्वारा अर्जित करने के लिए, जिसे इस प्रकार प्रतिकर प्राप्त व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उपभोग करता है, अनुज्ञात करेगा :

परन्तु इस उपधारा में उपबंधित प्रत्यासन के अधिकार का प्रयोग, प्रतिकर की किसी ऐसी रकम की बाबत, जिसका उन्होंने संदाय उस सीमा तक किया होता, यदि इस भाग के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा विहित होता, इस उपधारा में वर्णित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

(6) जहां दायी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति ने यह साबित कर दिया है कि उससे इस भाग के अधीन दावों में से किसी ऐसे दावे का, जिसका निधि में से निपटारा किया जा सकता है, पूरा या आंशिक संदाय करने की अपेक्षा आगे किसी तारीख पर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यह आदेश दे सकेगा कि उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को निधि के विरुद्ध अपना दावा, किसी पश्चात्वर्ती तारीख को प्रवर्तित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से पृथक् रखी जाए।]

(7) यदि स्वामी उसी घटना के आधार पर खड़े होने वाले दावेदार के विरुद्ध दावा करने का हकदार है तो उनके संबंधित दावे एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा कर दिए जाएंगे और इस भाग के उपबंध केवल अतिशेष को, यदि कोई हों, लागू होंगे।

352घ. पोत का उन्मोचन, आदि—(1) जहां जलयान या अन्य सम्पत्ति ऐसे दावे के संबंध में निरुद्ध रखी जाती है जो उच्च न्यायालय को ऐसे दायित्व पर अधिरोपित प्रतीत होता है जिसे धारा 352ख में अधिकथित परिसीमा लागू होती है, अथवा ऐसे निरोध से उन्मोचन को निवारित करने के लिए या ऐसा उन्मोचन अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिभूति दी गई है तो उच्च न्यायालय ऐसे जलयान, ऐसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के उन्मोचन का आदेश दे सकती है यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है तथा इस धारा की उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसा आदेश अवश्य देगी ; और जहां उन्मोचन का आदेश दिया जाए वहां, वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके आवेदन पर आदेश दिया गया है, यह समझा जाएगा कि उसने दावे के अधिनिर्णय के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता मान ली है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं—

(क) यह कि वह प्रतिभूति, जो उच्च न्यायालय की राय में समाधानप्रद है (जिसे इस धारा में “गारण्टी” कहा गया है) या तो भारत में या अन्यत्र उक्त दायित्व या उसी अवसर पर उपगत किसी अन्य दायित्व के संबंध में पहले ही दे दी गई है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यदि दावा साबित हो गया तो वह रकम, जिसके लिए गारण्टी दी गई है, या उसका इतना भाग जितना दावे के बराबर है, दावेदार को वास्तव में उपलब्ध होगा ; और

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यह कि वह गारण्टी या तो उक्त परिसीमा से अन्यून रकम के लिए है अथवा उतनी और प्रतिभूति दे दी गई है जितनी, गारण्टी को मिलाकर, उस रकम के लिए हो जो परिसीमा से कम नहीं है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां यह हैं कि दावे के संबंध में गारण्टी जिस पत्तन पर दी गई है वह सुसंगत पत्तन है (अथवा, यथास्थिति, कोई सुसंगत पत्तन है) तथा वह पत्तन अभिसमय के अधीन देश में है।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) एक देश से अधिक देशों में प्रतिभूति देकर दी गई गारण्टी उस देश में दी गई गारण्टी समझी जाएगी जिसमें प्रतिभूति सबसे अंत में दी गई है ;

(ख) किसी प्रतिभूति की रकम (या तो स्वयं में या किसी अन्य रकम को मिलाकर) धारा 352ख द्वारा नियत की गई किसी परिसीमा से अन्यून है या नहीं यह प्रश्न उस समय विनिश्चित किया जाएगा जब प्रतिभूति दी जाए ;

(ग) जहां उस रकम का जिसके लिए गारण्टी दी गई हो, केवल कोई भाग दावेदार को उपलब्ध होगा वहां वह भाग उसके दावे का तत्स्थानी नहीं माना जाएगा यदि दावेदार को किसी ऐसे दायित्व के संबंध में, जिसके लिए उपधारा (1) में उल्लिखित रूप में कोई परिसीमा नियत नहीं की गई है, कोई अन्य भाग उपलब्ध हो सकता है।

(5) इस धारा में—

¹[(क) “अभिसमय देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें, समय-समय पर यथासंशोधित सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा से संबंधित अभिसमय, 1976 तत्समय प्रवृत्त है ;]

(ख) किसी दावे के संबंध में “सुसंगत पत्तन” से वह पत्तन अभिप्रेत है जहां वह घटना घटी है जिससे दावा उद्भूत हुआ है, या यदि वह घटना उस पत्तन में नहीं घटी है, तो घटना घटने के पश्चात् स्पर्श किया गया प्रथम पत्तन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत, जीवन की हानि या शारीरिक क्षति के लिए अथवा स्थोरा को नुकसानी के लिए दावे के संबंध में उतराई या निर्मुक्ति पत्तन भी है।

²[(6) उपधारा (1) से उपधारा (4) तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयान या अन्य संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश किया जाएगा यदि,—

(क) उस पत्तन में जहां घटना घटित हुई है, या यदि वह घटना पत्तन के बाहर घटित हुई है तो उसके पश्चात् उपस्थिति के पहले पत्तन में ;

(ख) जीवन की हानि या शारीरिक क्षति के दावों की बाबत उतरने के पत्तन में ; या

(ग) स्थोरा के नुकसान की बाबत उतराई के पत्तन में,

परिसीमा निधि का गठन कर दिया गया है।

(7) उपधारा (6) के उपबंध, केवल तभी लागू होंगे जब दावा करने वाला निधि का प्रशासन करने वाले उच्च न्यायालय के समक्ष परिसीमा निधि के विरुद्ध दावा करता है और निधि वास्तव में उपलब्ध है तथा उक्त दावे की बाबत मुक्त रूप से अंतरणीय है।]

³[352ड. लागू होने का विस्तार—(1) इस भाग के उपबंध तब लागू होंगे जब धारा 352क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, न्यायालय के समक्ष अपने दायित्व को परिसीमित करना चाहता है या किसी पोत या अन्य संपत्ति को निर्मुक्त कराना चाहता है या भारतीय अधिकारिता के भीतर दी गई किसी प्रत्याभूति का उन्मोचन चाहता है किन्तु धारा 352क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस समय, जब इस भाग के अधीन उपबंधों का भारत में किसी न्यायालय के समक्ष अवलंब लेता है, भारत में उसका आभ्यासिक निवास नहीं है या भारत में उसका कारबार का मुख्य स्थान नहीं है या ऐसा पोत जिसके संबंध में परिसीमा के अधिकार का अवलंब लिया गया है या जिसकी निर्मुक्ति चाही गई है और ऊपर विनिर्दिष्ट समय में उस राज्य का ध्वज नहीं लगाता है जो अभिसमय का एक पक्ष है, इस भाग के उपबंधों से पूर्णतया अपवर्जित है।

(2) इस भाग के उपबंध निम्नलिखित जलयानों को तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्यथा विनिर्दिष्ट न करे,—

(क) भारत के तट पर या उसके आसपास नौ परिवहन के लिए आशयित और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तटीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत पोत ;

(ख) तीन सौ टन भार से कम के पोत ;

(ग) एअर-कुशन यान ;

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) समुद्री तल या उसकी अवमृदा के प्राकृतिक संसाधनों की खोज या विदोहन के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित प्लवमान प्लेटफार्म [।]

352च. जलयानों, चार्टररों, प्रबन्धकों, आदि को इस भाग का लागू होना—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी घटना से उद्भूत होने वाले दायित्वों के संबंध में जलयान के स्वामी के दायित्व की परिसीमा से संबंधित इस भाग के उपबन्ध जलयान के चार्टरर, प्रबन्धक और प्रचालक को तथा मास्टर, कर्मीदल के सदस्य और स्वामी, चार्टररों, प्रबन्धक या प्रचालक के अन्य सेवकों को, जो अपने नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहे हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे स्वामी के संबंध में लागू हैं :

परन्तु किसी पृथक् अवसर पर, उद्भूत होने वाले शारीरिक दावों और साम्पत्तिक दावों के संबंध में इस उपधारा में निर्दिष्ट स्वामी तथा सब अन्य व्यक्तियों के दावों को कुल परिसीमा धारा 352ख के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकमों से अधिक नहीं होगी ।

(2) जलयान का मास्टर या कर्मीदल का सदस्य उपधारा (1) के अधीन अपने दायित्व को इस बात के होते हुए भी परिसीमित कर सकता है कि वह घटना जिसके कारण उसके विरुद्ध दावा पैदा हुआ है, मास्टर या कर्मीदल के किसी सदस्य या उनमें से किसी एक या अधिक व्यक्ति की वास्तविक त्रुटि या जानकारी से परिणामित है :

परन्तु जहां मास्टर या कर्मीदल का सदस्य जलयान का स्वामी, सह स्वामी, चार्टरर, प्रबन्धक या प्रचालक भी है, वहां इस उपधारा के उपबन्ध केवल उस दशा में लागू होंगे जहां ऐसी घटना स्वामी के या कर्मीदल के किसी सदस्य के, स्वामी या कर्मीदल के सदस्य की हैसियत से किए गए किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम से परिणामित है ।]

¹[352चक. नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु इस भाग के अधीन नियम अभिसमय के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे ।]

²[भाग 10ख

तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

352छ. लागू होना—यह भाग—

(क) प्रत्येक भारतीय पोत को, चाहे वह जहां है ; और

(ख) प्रत्येक विदेशी पोत को, जब वह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के भीतर या उससे संलग्न किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र में है, जिस पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में अनन्य अधिकारिता है, या इसके पश्चात् हो,

लागू होता है ।

³[352ज. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “घटना” से ऐसी कोई घटना या घटनाओं की आवलि अभिप्रेत है जिसकी उत्पत्ति का कारण एक ही है और जिससे प्रदूषण का नुकसान होता है या जिससे ऐसा नुकसान कारित होने के लिए गंभीर और आसन्न आशंका उत्पन्न होती है ;

(ख) “दायित्व अभिसमय” से, समय-समय पर यथासंशोधित, तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992 अभिप्रेत है ;

(ग) “तेल” से कोई दीर्घस्थायी हाइड्रोकार्बन खनिज तेल अभिप्रेत है जैसे कि कच्चा तेल, ईंधन तेल, भारी डीजल तेल, स्नेहक तेल, चाहे स्थोरा के रूप में पोत के फलक पर या ऐसे पोत के बंकर में ले जाया जाता हो ;

(घ) “स्वामी” से अभिप्रेत है—

(i) वह व्यक्ति जो पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के न होने पर वह व्यक्ति, जो पोत का स्वामी है ; या

(iii) विदेशी राज्य के स्वामित्वाधीन किसी पोत की दशा में वह व्यक्ति, जो उस राज्य में उस पोत के प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 22 द्वारा अंतःस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) “व्यक्ति” से कोई व्यक्ति या भागीदार या कोई लोक या प्राइवेट निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई राज्य या उसका कोई घटक उपखंड है ;

(च) “प्रदूषण नुकसान” से अभिप्रेत है—

(i) किसी पोत से तेल के निकलने या निस्सारण के परिणामस्वरूप हुए संदूषण से पोत के बाहर कारित हानि या नुकसान चाहे ऐसा निकलना या निस्सारण कहीं भी हुआ हो परंतु यह तब जबकि पर्यावरण के ह्रासन के लिए, ऐसे ह्रासन से हानियों और लाभों से भिन्न, प्रतिकर वास्तविक रूप से किए गए या किए जाने वाले पुनःस्थापन के युक्तियुक्त उपायों पर लागत तक परिसीमित हो ;

(ii) निवारक उपायों पर लागत और ऐसे उपायों से कारित अतिरिक्त हानियां और नुकसान हैं ;

(छ) “निवारक उपाय” से ऐसा युक्तियुक्त उपाय अभिप्रेत है जो घटना होने के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा प्रदूषण नुकसान के निवारण के लिए या उसे कम करने के लिए किया जाता है ;

(ज) “पोत” से कोई समुद्रगामी जलयान और किसी भी किस्म का समुद्रजात यान अभिप्रेत है जो स्थोरा के रूप में थोक में तेल ले जाने के लिए सन्निर्मित या अंगीकृत है, परंतु तेल और अन्य स्थोरा को ले जाने के लिए सक्षम कोई पोत केवल तब पोत के रूप में समझा जाएगा जब वह स्थोरा के रूप में थोक में तेल वास्तविक रूप से ले जा रहा हो और ऐसे ले जाने के पश्चात् किसी समुद्रयात्रा के दौरान हो, जब तक यह साबित नहीं किया जाता है कि पोत पर थोक में तेल के ऐसे विदेश वहन का कोई अवशिष्ट नहीं है ;

(झ) किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत पोत के संबंध में, “पोत की रजिस्ट्री के राज्य” से, यथास्थिति, पोत के रजिस्ट्रीकरण का राज्य या वह राज्य अभिप्रेत है जिसका ध्वज पोत पर लगा हुआ है ।]

352अ. स्वामी का दायित्व—(1) उपधारा (2), (3) और (4) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय स्वामी किसी घटना के समय या, जहां घटना में घटनाओं की आवलि है वहां, ऐसी प्रथम घटना के समय ऐसे तेल द्वारा, जो ऐसी घटना के परिणामस्वरूप पोत से निकला या निस्सारित हुआ है, कारित किसी प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान के लिए कोई दायित्व उपधारा (1) के अधीन स्वामी पर नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान—

(क) यदि युद्ध-कार्य, संघर्ष, गृह-युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक, अनिवार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुआ है ;

(ख) पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप के कारण हुआ था ; या

(ग) पूर्णतः किसी सरकार या अन्य प्राधिकारी के, जो प्रकाश या अन्य नौपरिवहन सुविधाएं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, उस निमित्त उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्य के कारण हुआ था ।

(3) जहां किसी घटना के बारे में स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या तो पूर्णतः या भागतः उस व्यक्ति द्वारा, जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा से हुआ है वहां, स्वामी उस व्यक्ति के लिए दायित्व से, यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः विमुक्त कर दिया जाएगा ।

¹[(4) जहां कोई घटना दो या अधिक पोतों के कारण घटित होती है और उसके परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान होता है वहां संबंधित सभी पोतों के स्वामी, जब तक उपधारा (3) के अधीन वियुक्त न कर दिए जाएं, ऐसे नुकसान के लिए जो युक्तियुक्त रूप से पृथक् नहीं किया जा सकता है, संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होंगे ।]

(5) प्रदूषण नुकसान के लिए कोई दावा किसी स्वामी के विरुद्ध इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाए, अन्यथा नहीं ।

¹[(6) तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध स्वामी के किसी आश्रय के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रदूषण नुकसान के प्रतिकर के लिए कोई दावा—

(क) स्वामी के सेवक या अभिकर्ता या कर्मिंदल के सदस्य ;

(ख) पायलट या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जो, कर्मिंदल का सदस्य न होते हुए भी पोत के लिए सेवाएं प्रदान करता है ;

(ग) पोत का चार्टरर (उसे किसी भी रूप में वर्णित किया गया हो, इसके अंतर्गत अनावृत्त नौका चार्टरर भी है), प्रबंधक या प्रचालक ;

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्वामी की सहमति से या सक्षम लोक प्राधिकारी के अनुदेशों पर उद्धारण संक्रियाएं कर रहा हो ;

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो निवारक उपाय कर रहा हो ;

(च) खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी सेवकों या अभिकर्ताओं के,

विरुद्ध तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक ऐसे नुकसान को कारित करने वाली घटना उनके व्यक्तिगत ऐसे कार्य या लोप के परिणामस्वरूप घटित न हुई हो, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से किया गया हो या बिना सोचे विचारे और इस जानकारी के साथ किया गया हो कि इसके परिणाम से ऐसा नुकसान अधिसंभाव्य है।]

¹[352अ. दायित्व की परिसीमा—(1) स्वामी इस भाग के अधीन किसी एक या अधिक घटनाओं की बाबत, जो विहित की जाएं, अपना दायित्व परिसीमित करने के लिए, हकदार होगा।

(2) स्वामी अपने दायित्व को परिसीमित करने के लिए हकदार नहीं होगा यदि यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसे प्रदूषण नुकसान को कारित करने वाली घटना उसके व्यक्तिगत ऐसे कार्य या लोप के परिणामस्वरूप घटित हुई है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से किया गया है या बिना सोचे विचारे और इस जानकारी के साथ किया गया है कि इसके परिणाम से ऐसा नुकसान अधिसंभाव्य है।]

352ट. परिसीमा निधि की स्थापना—(1) (क) कोई स्वामी, जो धारा 352अ की उपधारा (1) के अधीन अपने दायित्वों की परिसीमा का फायदा उठाना चाहता है, परिसीमा निधि (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् निधि कहा गया है) की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करेगा।

(ख) ऐसी निधि या तो उच्च न्यायालय में राशि निक्षिप्त करके या बैंक प्रत्याभूति या ऐसी कोई प्रतिभूति देकर जो उच्च न्यायालय की राय में संतोषप्रद है ; स्थापित की जा सकेगी।

(2) (क) बीमाकर्ता, या स्वामी के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबन्ध करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निधि स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार स्थापित किसी निधि का वही प्रभाव होगा मानो, वह स्वामी द्वारा स्थापित की गई हो।

(ख) ऐसी निधि ऐसे मामलों में भी स्थापित की जा सकेगी जिसे धारा 352अ की उपधारा (2) लागू होती है किन्तु ऐसी किसी दशा में निधि की स्थापना से ऐसे पूर्ण प्रतिकर के लिए, जो निधि में निक्षिप्त या प्रतिभूत रकम से अधिक हैं, स्वामी के विरुद्ध किसी दावेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

²(3) उपधारा (1) के अधीन निधि में निक्षिप्त या प्रतिभूत की जाने वाली विशेष आहरण अधिकार की रकम को, निधि की स्थापना की तारीख को, विशेष आहरण अधिकारों के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित रुपयों में सरकारी मूल्य के आधार पर, रुपयों में संपरिवर्तित किया जाएगा।]

352ठ. प्रत्यासन द्वारा प्रतिकर के अधिकार का अर्जन—(1) जहां किसी स्वामी ने या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं में से किसी ने या उसके लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का उपबन्ध करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत घटना के परिणामस्वरूप किसी दावेदार को कोई प्रतिकर संदत्त किया है वहां ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा इस प्रकार संदत्त रकम तक उस अधिकार को, जिसके लिए वह दावेदार, जिसे इस प्रकार प्रतिकर दिया गया है, हकदार होता, प्रत्यासन द्वारा अर्जित करने का हकदार होगा।

(2) जहां कोई स्वामी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो उसके लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का उपबन्ध करता है, यह स्थापित कर देता है कि उसे किसी पश्चात्वर्ती तारीख को किसी व्यक्ति के लिए पूर्णतः या भागतः कोई रकम ऐसी किसी घटना से हुए प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में संदत्त करने के लिए विवश किया जा सकता है जिसके बारे में वह दावेदार का अधिकार प्रत्यासन द्वारा अर्जित करने का हकदार होता यदि प्रतिकर निधि के वितरण के पूर्व संदत्त किया गया होता, वहां उच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि निधि में से पर्याप्त रकम अनन्तिम रूप से पृथक् रखी जा सकेगी जिससे किसी स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी पश्चात्वर्ती तारीख को निधि में से अपने दावे को प्रवृत्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

352ड. दावे का समेकन और निधि का वितरण—(1) उच्च न्यायालय निधि के विरुद्ध सभी दावे, जिनके अन्तर्गत धारा 352ठ के अधीन उद्भूत होने वाले दावे भी हैं, समेकित करेगा।

(2) प्रदूषण नुकसान के निवारण के लिए या उसे कम करने के लिए स्वेच्छा से स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से उपगत व्यय या युक्तियुक्त रूप से किए गए त्याग निधि के विरुद्ध अन्य दावों के साथ समान पंक्ति के होंगे।

(3) धारा 352ठ की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय निधि में की रकम सभी दावेदारों के बीच उनके स्थापित दावों के अनुपात में वितरित करेगा।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 1988 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (1-7-1989 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

352ड. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रत्याभूति—(1) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत का स्वामी, जो स्थोरा के रूप में थोक में 2000 टन या उससे अधिक तेल वहन करता है, ऐसे पोत की बाबत—

¹[(क) पोत के टनभार के प्रत्येक टन के लिए एक सौ तैंतीस विशेष हारण अधिकार ; या

(ख) एक करोड़ चालीस लाख विशेष आहरण अधिकार,]

इसमें से जो भी कम हो, के बराबर रकम के लिए, बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत के बारे में, जो उपधारा (1) के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखता है, महानिदेशक द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(3) किसी विदेशी पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर महानिदेशक 29 नवम्बर, 1969 को ब्रूसेल्स में हस्ताक्षरित ²[समय-समय पर यथासंशोधित,] तेल प्रदूषण नुकसान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सिविल दायित्व अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखने के सम्बन्ध में समाधानप्रद साक्ष्य पेश किए जाने पर ऐसे विदेशी पोत की बाबत उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र के लिए ऐसी फीस, जो विहित की जाए, प्रभारित की जाएगी।

352ण. भारत के बाहर जारी किए गए प्रमाणपत्र का स्वीकार किया जाना—भारत के बाहर के किसी देश में रजिस्टर किए गए किसी पोत के लिए उस देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या ऐसे किसी देश के, जो 29 नवम्बर, 1969 को ब्रूसेल्स में हस्ताक्षरित ²[समय-समय पर यथासंशोधित,] तेल प्रदूषण नुकसान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सिविल दायित्व अभिसमय का एक संविदाकारी पक्षकार है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोत को, चाहे वह जहां कहीं भी रजिस्टर किया गया हो, जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र भारत में किसी पत्तन या स्थान पर वैसे ही स्वीकार किया जाएगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया है।

352त. प्रमाणपत्र के बिना भारतीय पत्तन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक—(1) कोई भारतीय पोत, जिस पर स्थोरा के रूप में थोक में 2000 टन या उससे अधिक तेल है, भारत में किसी पत्तन या स्थान में प्रवेश तब तक नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न या उसे छोड़ने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास फलक पर धारा 352ड की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र या धारा 352ण के अधीन स्वीकार किया गया प्रमाणपत्र न हो।

(2) भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत, जिस पर स्थोरा के रूप में थोक में 2000 टन या उससे अधिक तेल है, चाहे वह जहां कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, भारत में किसी पत्तन या स्थान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न या उसे छोड़ने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास फलक पर धारा 352ड की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र या धारा 352ण के अधीन स्वीकार किया गया प्रमाणपत्र न हो।

(3) कोई सीमाशुल्क अधिकारी किसी ऐसे पोत को जिसे, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है भीतर प्रवेश या बाहर निकासी तब तक नहीं करने देगा जब तक कि उसका मास्टर सम्बन्धित उपधारा के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

352थ. सरकारी पोत—इस भाग की कोई बात किसी युद्धपोत को या किसी ऐसे पोत को लागू नहीं होगी जिसका किसी देश की सरकार द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रयोग किया जा रहा है।

352द. नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी—

(क) धारा 352ड की उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप और वे विशिष्टियां जो उसमें होंगी ;

(ख) वह फीस जो धारा 352ड के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रभारित की जा सकेगी ;]

³[(ग) प्रदूषण के नुकसान की एक या अधिक घटनाओं के संबंध में स्वामी के दायित्व की परिसीमा या दायित्व अभिसमय के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अन्य अपेक्षाएं।]

⁴[भाग 10ग

अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि

¹ 1988 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (1-7-1989 से) खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1988 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा (1-7-1989 से) अंतःस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 63 की धारा 27 द्वारा अंतःस्थापित।

352ध. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभिदात्री तेल” से अपरिष्कृत तेल और ईंधन तेल अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “अपरिष्कृत तेल” से, भूमि में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला द्रव हाइड्रोकार्बन मिश्रण अभिप्रेत है चाहे वह परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने की दृष्टि से, परिशोधित किया गया हो या नहीं और इसमें ऐसे अपरिष्कृत तेल शामिल हैं जिनमें से कतिपय आसुत प्रभाज हटा लिए गए हैं या जिनमें कतिपय आसुत प्रभाज मिला दिए गए हैं ;

(ii) “ईंधन तेल” से भारी आसुत या अपरिष्कृत तेल से अवशिष्ट या ऐसी सामग्रियों का सम्मिश्रण अभिप्रेत है जो ताप उत्पादन या विद्युत के उत्पादन के लिए आशयित है जिसकी गुणवत्ता चार नम्बर के ईंधन तेल (जिसका अभिनाम डी 39669 है) या उससे भारी तेल के लिए अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मेटेरियल्स की गुणवत्ता के समतुल्य है ;

(ख) प्रदूषण नुकसान के संबंध में, “निस्सारण या रिसाव” से पोत द्वारा ले जाए जा रहे तेल का निस्सारण या रिसाव अभिप्रेत है ;

(ग) “निधि” से निधि अभिसमय द्वारा स्थापित अन्तरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि अभिप्रेत है ;

(घ) “निधि अभिसमय” से, समय-समय पर यथासंशोधित तेल, प्रदूषण नुकसान के प्रतिकर के लिए अन्तरराष्ट्रीय निधि की स्थापना के संबंध में अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992 से अभिप्रेत है ;

(ङ) “निधि अभिसमय देश” से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें निधि अभिसमय तत्समय प्रवृत्त है ;

(च) “प्रतिभूतिदाता” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी के दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की व्यवस्था करता है ;

(छ) “सीमान्त प्रतिष्ठापन” से थोक मात्रा में तेल के भण्डारण के लिए कोई स्थान अभिप्रेत है जो जल आधारित परिवहन से, जिसमें अपतट पर स्थापित और ऐसे स्थान से जुड़ी हुई कोई सुविधा शामिल है, तेल लेने में सक्षम है ;

(ज) तेल के संबंध में, “टन” से मीट्रिक टन अभिप्रेत है।

352न. निधि में अभिदाय—(1) भारत में पत्तनों में या सीमान्त प्रतिष्ठानों में समुद्र के रास्ते लाए गए अभिदात्री तेल की बाबत निधि में अभिदाय, निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अनुसार संदेय होगा।

(2) उपधारा (1) वहां भी, जहां चाहे अभिदात्री तेल आयात किया जाता है या नहीं, और इस बात के होते हुए भी, कि अभिदाय पिछली यात्रा पर वैसे ही अभिदात्री तेल के वहन की बाबत निधि के लिए संदेय है, लागू होगी।

(3) अभिदाय, अभिदात्री तेल की बाबत, ऐसी निधि में तब भी संदेय होंगे जब वह समुद्र-मार्ग द्वारा ले जाए जाने के पश्चात् भारत में संस्थापित किसी प्रतिष्ठापन में पहले प्राप्त किया जाता है और किसी ऐसे देश में, जो निधि अभिसमय देश नहीं है, किसी पत्तन या प्रतिष्ठापन में निर्मुक्त किया जाता है।

(4) निधि में अभिदायों का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति,—

(क) ऐसे अभिदात्री तेल की दशा में, जो भारत में आयातित किया जा रहा है, आयातकर्ता होगा ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने भारत में तेल प्राप्त किया है।

(5) कोई व्यक्ति, किसी वर्ष में उसके द्वारा आयातित या प्राप्त अभिदात्री तेल की बाबत निधि में अभिदाय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा यदि उक्त वर्ष में इस प्रकार आयातित या प्राप्त अभिदात्री तेल की मात्रा एक लाख पचास हजार टन से अधिक न हो या जो निधि अभिसमय में, समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

352प. निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय अभिदाय—(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी वर्ष के लिए निधि में संदेय अभिदाय,—

(क) ऐसी रकम के होंगे जो निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अधीन निधि-सभा द्वारा अवधारित की जाए ;

(ख) ऐसी किस्तों में होंगे जो ऐसी तारीखों पर शोध्य हों,

जो अधिसूचित की जाएं और यदि ऐसे व्यक्ति से शोध्य कोई भी रकम उस तारीख के पश्चात् जिसको वह शोध्य हो गई हो, असंदत्त रहती है तो इस पर उस देय तारीख से उक्त सभा द्वारा अवधारित दर पर तब तक ब्याज लगेगा जब तक वह संदत्त नहीं कर दी जाती है।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों से, जो धारा 352न के अधीन निधि में अभिदाय का संदाय करने के लिए दायी हैं या हो सकेंगे, उस सरकार या निधि को अभिदायों के संदाय के लिए वित्तीय प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी।

352फ. जानकारी मांगने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्तियों के, जो धारा 352न के अधीन प्रत्येक वर्ष निधि में अभिदाय करने के लिए दायी है, नाम और पते और ऐसे अभिदात्री तेल की मात्रा, जिसकी बाबत वे इस प्रकार दायी हैं, निधि को भेजने के प्रयोजनार्थ सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मांगने की अपेक्षा कर सकेगी जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) इस धारा के अधीन किसी सूचना में किसी व्यक्ति से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा की जा सकेगी जो इस बारे में अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो कि क्या वह निधि में अभिदाय करने के लिए दायी है।

(3) इस धारा के अधीन सूचना में वह रीति जिसमें, और वह समय, जिसके भीतर ऐसी सूचना का पालन किया जाना है, विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) धारा 352न के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध निधि द्वारा कार्यवाहियों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि को भेजी गई किसी सूची में अंतर्विष्ट विशिष्टियां, जहां तक वे विशिष्टियां इस धारा के अधीन अभिप्राप्त जानकारी पर आधारित हों, सूची में उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगी; और जहां तक ऐसी विशिष्टियां, जो इस प्रकार ग्राह्य हैं; ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हों जिसके विरुद्ध कार्यवाहियों की गई हों; वहां उन विशिष्टियों को तब तक सही माना जाएगा जब तक उसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है।

(5) कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी, जो इस धारा के अधीन उसे दी गई है या उसे अभिप्राप्त हुई है, तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक ऐसा प्रकटन,—

(क) उस व्यक्ति की सहमति से नहीं किया जाता है जिससे जानकारी अभिप्राप्त हुई थी;

(ख) इस धारा के अनुपालन के संबंध में नहीं किया जाता है;

(ग) इस धारा से उद्भूत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या ऐसी कार्यवाहियों की किसी रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है।

(6) ऐसा व्यक्ति जो,—

(क) इस धारा के अधीन सूचना का पालन करने से इंकार कर देता है या जानबूझकर उसकी अपेक्षा करता है; या

(ख) इस धारा के अधीन सूचना के पालन में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करते समय कोई ऐसा कथन करता है जिसके बारे में उसको पता है कि वह तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है या असावधानीपूर्वक कोई कथन करता है जो तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है,

तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी होगा।

352ब. निधि का दायित्व—जहां प्रदूषण नुकसान से पीड़ित कोई व्यक्ति, निधि अभिसमय के अनुच्छेद 4 में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार में से किसी आधार पर, दायित्व अभिसमय के निबंधनों के अधीन नुकसान के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रतिकर अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहा है तो वहां उक्त निधि, निधि अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रदूषण नुकसान के लिए उत्तरदायी होगी।

352भ. न्यायालयों की अधिकारिता—(1) धारा 352ब के अधीन प्रतिकर के लिए निधि के विरुद्ध दावा हेतु कोई भी कार्रवाई उच्च न्यायालय के समक्ष की जाएगी।

(2) निधि को, उच्च न्यायालय में किसी स्वामी या उसके प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध संस्थित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में एक पक्षकार के रूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

(3) जहां स्वामी या उसके प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रदूषण नुकसान के प्रतिकर के लिए कोई कार्रवाई की गई हो वहां कार्यवाहियों का प्रत्येक पक्षकार निधि को कार्यवाहियों के बारे में अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां निधि को कार्यवाहियों की ऐसी सूचना दी गई हो, वहां उन कार्यवाहियों में दिया गया कोई भी निर्णय, उसके अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाने के पश्चात्, इस अर्थ में निधि पर आबद्धकर होगा कि उस निर्णय में तथ्यों और साक्ष्य पर निधि द्वारा उस आधार पर विवाद नहीं किया जा सकेगा कि उसने कार्यवाहियों में मध्यक्षेप नहीं किया है।

352म. दावों का निर्वापन—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग के अधीन निधि के विरुद्ध किसी दावे को प्रवृत्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि,—

(क) प्रवृत्त करने की कार्रवाई आरंभ नहीं हो जाती है; या

(ख) उसी प्रदूषण नुकसान की बाबत स्वामी या उसके प्रत्याभूतिदाता के विरुद्ध किसी दावे को प्रवृत्त करने के लिए कार्रवाई की सूचना उस तारीख से, जब नुकसान हुआ था, तीन वर्ष के भीतर निधि को नहीं दे दी जाती है:

परन्तु किसी भी दशा में, दावे को प्रवृत्त करने के लिए कार्रवाई उस घटना की, जिससे ऐसा नुकसान हुआ है, तारीख से छह मास के पश्चात् नहीं की जाएगी।

352य. प्रत्यासन और अवलंब का अधिकार—यथास्थिति, भारत में लोक प्राधिकारी या निधि द्वारा, प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में, संदत्त किसी धनराशि की बाबत, वह प्राधिकारी किन्हीं ऐसे अधिकारों को प्रत्यासन द्वारा अर्जित करेगा जिनका वह व्यक्ति, जिसे इस प्रकार प्रतिकर दिया गया है, निधि अभिसमय के अधीन उपभोग करता है।

352यक. नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, ऐसे नियम बना सकेगी जो निधि अभिसमय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों।]

भाग 11

नौपरिवहन

353. खेने का आदेश देने की पद्धति—किसी भारतीय पोत पर कोई भी व्यक्ति, तब तक पोत अग्रसर हो रहा, उसे खेने या चलाने या आदेश जिसमें “दाहिने घुमाओ” या “दाहिने” या “दाहिने घुमाओ” या “दाहिने” शब्दों के समतुल्य किसी शब्द का आदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका आशय यह न हो कि पोत का शीर्ष “दाहिने” घुमाया जाए। खेने या चलाने का ऐसा आदेश जिसमें “बाएं घुमाओ” या “बाएं” या “बाएं घुमाओ” या “बाएं” शब्दों के समतुल्य किसी शब्द का आदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका आशय यह न हो कि पोत का शीर्ष बाईं ओर घुमाया जाए।

354. नौपरिवहन को खतरे की रिपोर्ट देने का कर्तव्य—जब किसी भारतीय पोत के मास्टर या सामना खतरनाक बर्फ, खतरनाक त्यक्तपोत, ऊष्ण कटिबन्धीय तूफान या नौवहन के लिए किसी अन्य प्रत्यक्ष खतरे से हो जाए। [या जब उसे झंझावत के साथ-साथ जमाव बिन्दु से निम्नतर वायु ताप का मुकाबला करना पड़े जिसके कारण ऊपरी भागों में बर्फ जमा हो गई हो या ऐसी प्रखर झंझा का मुकाबला करना पड़े जिसके लिए उसे कोई तूफान की चेतावनी प्राप्त न हुई हो,] तब वह, उसके पास संचार के जो भी साधन हैं, उनके द्वारा तथा ऐसे नियमों के अनुसार जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आसपास के पोतों और तटवर्ती ऐसे प्राधिकारियों को जैसे उन नियमों में विहित किए जाएं, इत्तिला भेजेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “ऊष्ण कटिबन्धीय तूफान” से प्रभजन, तूफान, चक्रवात, या वैसे ही प्रकृति का अन्य तूफान अभिप्रेत है और पोत के मास्टर के बारे में तब यह समझा जाएगा कि उसका सामना ऊष्ण कटिबन्धीय तूफान से हो गया जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि आसपास में ऐसा तूफान है।

354क. नौपरिवहन को खतरे की बाबत आसूचना का संसूचित किया जाना—(1) जहां धारा 354 के अधीन विहित प्राधिकारी को किसी स्रोत से उस धारा में उल्लिखित नौपरिवहन को किसी खतरे की बाबत आसूचना प्राप्त होती है वहां प्राधिकारी, यथासमय शीघ्र, ऐसी आसूचना को ऐसे पोतों और प्राधिकारियों को जिन्हें वह उचित समझे, संसूचित करेगा।

(2) आसूचना ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए संसूचित की जाएगी जो विहित की जाए :

परन्तु किसी पोत को इस धारा के अधीन कोई आसूचना संसूचित करने के लिए कोई फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी।]

355. संकट संकेत प्राप्त होने की सहायता प्रदान करने की बाध्यता—(1) भारतीय पोत का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान किसी स्रोत से कोई संकट संकेत या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, तब के सिवाय जब वह असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसा करना अनुचित या अनावश्यक है या तब के सिवाय जब उसे उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन ऐसी बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होगा (और यदि संभव हो तो संकटग्रस्त व्यक्तियों को यह जानकारी भी देगा कि वह ऐसा कर रहा है)।

(2) जहां किसी संकटग्रस्त पोत के मास्टर ने किसी भारतीय पोत से अध्यपेक्षा की और उसने उसके संकेत का उत्तर दिया है तो अध्यपेक्षित पोत के मास्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह तब के सिवाय जब उसे उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, से संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होते हुए अध्यपेक्षा का अनुपालन करे।

(3) जैसे ही किसी मास्टर को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके पोत से भिन्न एक या अधिक पोतों की अध्यपेक्षा की गई है और अध्यपेक्षित पोत या पोतों द्वारा अध्यपेक्षा का अनुपालन किया जा रहा है, वैसे ही मास्टर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा।

(4) मास्टर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा और यदि उसके पोत की अध्यपेक्षा की गई है तो, उपधारा (2) द्वारा अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा यदि संकटग्रस्त व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे पोत के मास्टर द्वारा जो संकटग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंच चुका है यह जानकारी दी जाती है कि आगे और सहायता अपेक्षित नहीं है।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 31 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 32 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

(5) यदि किसी भारतीय पोत का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान कोई संकट संकेत या किसी स्रोत से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए जाने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसी सहायता के लिए जाना अनुचित या अनावश्यक है तो यह तुरन्त आफिशियल लाग बुक में उन व्यक्तियों की सहायता के लिए न जाने के कारणों का कथन दर्ज कराएगा या यदि कोई आफिशियल लाग बुक नहीं है तो उसका कोई अन्य अभिलेख रखेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत का मास्टर जिस पोत के लिए आफिशियल लाग अपेक्षित है, प्रत्येक संकट संकेत को या ऐसे संदेश को कि कोई जलयान, वायुयान या व्यक्ति समुद्र में संकट में है, आफिशियल लाग बुक में दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा।

¹[355क. खतरे में पड़े व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की बाध्यता—(1) प्रत्येक भारतीय पोत का मास्टर तब के सिवाय जब वह सहायता देने में असमर्थ है, या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि उसके अपने पोत को या उस पर के व्यक्तियों को गम्भीर खतरे में डाले बिना ऐसी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्रदान करेगा या समुद्र में मिले और जिसके खो जाने का खतरा हो।

(2) यदि किसी भारतीय पोत का मास्टर ऐसे व्यक्ति को जो समुद्र में मिलता है और जिसके खो जाने का खतरा है, सहायता देने के लिए अग्रसर होने में असमर्थ है या ऐसा करना अनुचित समझता है तो वह उस व्यक्ति को सहायता देने के लिए अग्रसर न होने के कारणों का कथन आफिशियल लाग बुक में दर्ज कराएगा या, यदि कोई आफिशियल लाग बुक नहीं है तो, उन कारणों का अन्य अभिलेख रखेगा।

356. संकेतों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित विषयों को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) नौपरिवहन को खतरे की बाबत जानकारी संसूचित करने की रीति, और तटवर्ती ऐसे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी जानकारी संसूचित की जाएगी ;

²[(कक) नौपरिवहन को खतरे की बाबत आसूचना संसूचित करने की रीति, वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसी आसूचना संसूचित की जा सकेगी और वे फीसे जो आसूचना संसूचित करने के लिए उद्गृहीत की जा सकेगी ;]

(ख) वे संकेत जो क्रमशः ³[संकट, अत्यावश्यकता और सुरक्षा के संकेत] होंगे ;

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें, और वे प्रयोजन जिनके लिए, किसी ऐसे संकेत का प्रयोग किया जाएगा ; और परिस्थितियां जिनमें उसे प्रतिसंहत किया जाएगा ; और

(घ) वह गति जिससे ऐसे संकेत के संबंध में ⁴[रेडियो बेतार या टेलीफोन] से भेजा गया कोई संदेश पारेषित किया जाएगा।

⁵[भाग 11क

तेल से समुद्र के प्रदूषण का निवारण और रोकथाम

⁶[356क. लागू होना—(1) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह भाग,—

(क) एक सौ पचास सकल टन या उससे अधिक के तेल टैंकरों, चार सौ सकल टन या उससे अधिक के अन्य पोतों और अपतट संस्थापनों को ; और

(ख) समुद्री अपघटन की घटनाओं या भारतीय तट रेखा या उससे संबंधित हितों को तेल, स्थिरक भार जल, अपायकर द्रव और अन्य अपहानिकर पदार्थों के समुद्र में जानबूझकर, उपेक्षापूर्ण या दुर्घटनावश निस्सारण द्वारा समुद्र में प्रदूषण के खतरे से गंभीर और आसन्न संकट के साथ घटित होने वाले ऐसे अपघटन से संबंधित कार्यों को, जिनके अंतर्गत खुले समुद्र में घटित होने वाली घटनाएं भी हैं,

लागू होगा।

(2) यह भाग ऐसे युद्धपोतों या अन्य पोतों को लागू नहीं होगा, जो सरकार के स्वामित्वाधीन हैं या उसके द्वारा प्रचालित हैं और तत्समय सरकार द्वारा गैर वाणिज्यिक सेवा में प्रयुक्त हैं।

356ख. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 33 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 34 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 34 द्वारा (28-5-1966 से) “संकट और अत्यावश्यकता के संदेश” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 34 द्वारा (28-5-1966 से) “रेडियो बेतार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 11 द्वारा भाग 11क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा धारा 356क से 356ज तक प्रतिस्थापित की गई।

(क) “स्थिरक भार” से कोई ऐसा ठोस या द्रव अभिप्रेत है जो ट्रिम के परिवर्तन के लिए भार में वृद्धि करने के लिए स्थायित्व को विनियमित करने के लिए या ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, भार दबाव को बनाए रखने के लिए किसी पोत में रखा गया हो ;

(ख) “स्थोरा” के अंतर्गत स्थिरक भार और पोत सामग्री तथा ईंधन हैं ;

(ग) “तट” का वही अर्थ है जो धारा 357 में है ;

(घ) “तटीय सागर खंड” से भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड का कोई भाग या उससे संलग्न ऐसा कोई समुद्री क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्रीय प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकती है ;

(ङ) “अभिसमय” से उसमें विनिर्दिष्ट रीति में समय-समय पर यथा संशोधित पोतों से प्रदूषण निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत 1978 का उसका प्रोटोकाल भी है ;

(च) “अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र” से ऐसा कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो प्रदूषण निवारण अभिसमयों और उनके प्रोटोकालों के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है और जो भारत द्वारा मान लिया गया है ;

(छ) “मील” से 1,852 मीटरों का समुद्री मील अभिप्रेत है ;

(ज) “अपायकर द्रव पदार्थ” से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस रूप में अभिहित किया गया है ;

(झ) “अपतट संस्थापन” से ऐसा कोई संस्थापन, जो चाहे चल हो या अचल हो, अभिप्रेत है जिसका पट्टे, अनुज्ञप्ति या किसी अन्य प्रकार के संविदात्मक ठहराव के अधीन कच्चे तेल, पेट्रोलियम या अन्य उसी प्रकार के खनिज तेलों के जल के नीचे खोज या विदोहन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) ऐसा कोई संस्थापन जिसको उसके स्वयं की चलन शक्ति के अधीन या अन्यथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सकता है ; और

(ख) कोई पाइपलाइन ;

(ज) “तेल” से किसी भी प्रकार का पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कच्चा तेल, ईंधन तेल, मैल, तेल अपशिष्ट और परिष्कृत उत्पाद भी हैं ;

(ट) “तैलीय मिश्रण” से ऐसा कोई मिश्रण अभिप्रेत है जिसमें कोई तेल अंश हो ;

(ठ) “तेल टैंकर” से ऐसा पोत अभिप्रेत है जिसमें उसके स्थोरा स्थानों का अधिकतर भाग थोक में तेल ले जाने के लिए बनाया गया है या अनुकूलित किया गया है और इसके अंतर्गत कोई समुच्चय वाहन या कोई रसायन टैंकर भी है जब यह थोक में तेल के किसी स्थोरा या स्थोरा भाग को वहन कर रहा है ;

(ड) पत्तन के संबंध में “ग्रहण सुविधाओं” से अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पत्तन का प्रयोग करने वाले टैंकरों या पोतों को किसी पदार्थ के अपशिष्टों का निस्सारण करने के लिए या जमा करने या सम्मिश्रण करने में उसे समर्थ बनाने वाली सुविधाएं अभिप्रेत हैं ;

(ढ) “पोत” से समुद्री वातावरण में प्रचालित किसी भी प्रकार का जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफाइल नौका, एयरकुशन यान, अवगाहन-क्षम, तरणयान और स्थिर या तरण प्लेटफार्म भी है ।

356ग. पर्यावरण निवारण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना—(1) कोई भी भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत तब तक समुद्र में नहीं जाएगा जब तक उस पोत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के नाम से ज्ञात केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं ; जारी प्रमाणपत्र प्रवर्तन में न हो ।

(2) थोक में अपायकर द्रव पदार्थ लेने जाने वाला कोई भी भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत तब के सिवाय समुद्र में नहीं जाएगा जबकि उसके पास अपायकर द्रव पदार्थ के वहन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के नाम से ज्ञात केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं ; जारी प्रमाणपत्र हो ।

(3) ऐसा कोई भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत जिसे अभिसमय का उपाबंध 4 लागू होता है तब के सिवाय समुद्र में नहीं जाएगा जब कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के नाम से ज्ञात केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं ; जारी प्रमाणपत्र हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “मल” से अभिप्रेत है—

- (i) प्रसाधन, मूत्रालय और जलशौच बरनालों से किसी भी रूप के जलनिकास और अन्य अपशिष्ट ;
- (ii) वाशबेसिनो, वाशटबों और बरनालों के द्वारा ऐसे चिकित्सीय परिसरों (औषधालय, रुग्ण कक्ष और वैसे ही अन्य स्थान) से, जो ऐसे परिसरों में अवस्थित है, जल निकास ;
- (iii) जीवित पशुओं वाले स्थानों से जल निकास ; या
- (iv) अन्य अपशिष्ट जल जब वह ऊपर विनिर्दिष्ट जल निकासों के साथ मिश्रित हो ।

(4) ऐसे देश की सरकार द्वारा, जिसका वह पोत है, भारतीय पोत से भिन्न किसी तेल टैंकर या पोत की बाबत जारी विधिमान्य अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र, ऐसे नियमों के अध्यक्षीन जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, का भारत में वही प्रभाव होगा जो इस भाग के अधीन भारतीय पोत की बाबत जारी तत्स्थानी प्रमाणपत्र का है ।

356घ. भारत में विदेशी पोतों और विदेशों में भारतीय पोत के लिए प्रमाणपत्र जारी करना—(1) केन्द्रीय सरकार उस देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसे अभिसमय लागू होता है, उस देश में किसी तेल टैंकर या अन्य पोत की बाबत अभिसमय के अनुसार कोई अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करा सकेगी यदि उस देश की सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है वहां उसमें यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि वह अनुरोध पर जारी किया गया है ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसको अभिसमय लागू होता है, किसी पोत की बाबत अभिसमय के अनुसार कोई अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी और ऐसे अनुरोध के अनुसरण में जारी किए गए प्रमाणपत्र में यह कथन होगा कि वह इस प्रकार जारी किया गया है और उसका वही प्रभाव होगा मानो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया हो ।

356ङ. प्रदूषण निवारण के लिए पोतों में संरचना और उपस्कर की अपेक्षा—तेल टैंकरों या अन्य पोतों से अपहानिकर पदार्थों या ऐसे पदार्थों के सम्मिश्रण के निस्सारण को निवारित करने या कम करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व भारतीय तेल टैंकरों और अन्य भारतीय पोतों से यह अपेक्षा करते हुए कि वे ऐसे उपस्कर से युक्त हों और ऐसे तेल टैंकरों या अन्य पोतों के सन्निर्माण, उपस्करों के सर्वेक्षण और संरचना के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करे और सभी तेल टैंकरों या अन्य पोतों का सर्वेक्षण करने के लिए ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए जो विहित की जाएं नियम बना सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अपहानिकर पदार्थ” से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है जो, यदि समुद्र में समाविष्ट किया जाता है तो, मानव स्वास्थ्य के लिए परिसंकट, जीवित संसाधनों और समुद्रीय प्राणियों को हानि, समुद्र के अन्य विधिमान्य उपयोग की सुविधाओं को क्षति कारित करेगा या उनमें हस्तक्षेप करेगा और इसके अंतर्गत अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अध्यक्षीन कोई पदार्थ भी है ।

356च. अभिलेख बहियां—(1) प्रत्येक भारतीय तेल टैंकर या अन्य भारतीय पोत, जो अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अध्यक्षीन ऐसे पदार्थ ले जाता है, उक्त तेल टैंकर या अन्य पोत के फलक पर विहित प्ररूप में यथा अपेक्षित अभिलेख बहियां रखेगा ।

(2) वह रीति, जिसमें अभिलेख बहियां रखी जाएंगी, उसमें की जाने वाल प्रविष्टियों की प्रकृति, उनकी अभिरक्षा और व्ययन और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ऐसे होंगे, जो अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विहित किए जाएं ।

356छ. तेल टैंकरों और अन्य पोतों का निरीक्षण और नियंत्रण जिनको यह भाग लागू होता है—(1) सर्वेक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त समय पर, ऐसे तेल टैंकर या अन्य पोत के फलक पर, जिसे इस भाग के उपबंधों में से कोई भी लागू होता हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जा सकेगा,—

(क) यह सुनिश्चित करना कि इस भाग द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित प्रतिषेधों, निर्बन्धनों और बाध्यताओं का पालन किया जाता है ;

(ख) प्रदूषण निवारण के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता के बारे में स्वयं का समाधान करना ;

(ग) तेल टैंकर या अन्य पोत से इस भाग के उपबंधों के उल्लंघन में किसी पदार्थ के अभिकथित निस्सारण के संबंध में, जो अभिसमय द्वारा नियंत्रण के अध्यक्षीन है, परिस्थितियों को अभिनिश्चित करना ;

(घ) फलक पर रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अभिलेख का निरीक्षण करना ;

(ङ) अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की जांच करना ।

(2) सर्वेक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति, यदि आवश्यक हो, तेल टैंकर या अन्य पोत को असम्यक् रूप से विलंबित किए बिना, तेल टैंकर या अन्य पोत के किसी अभिलेख की एक सत्य प्रति तैयार कर सकेगा और ऐसे टैंकर या पोत के मास्टर से उस प्रति का सत्य प्रति होना प्रमाणित करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी प्रति उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

356ज. अभिसमय के उपबंधों के उल्लंघन की जानकारी—(1) यदि सर्वेक्षक या ऐसे अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से, जो धारा 356छ के अधीन प्राधिकृत है, किसी तेल टैंकर या अन्य पोत का निरीक्षण करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक का यह समाधान हो

जाता है कि ऐसे तेल टैंकर या अन्य पोत द्वारा तटीय सागर खंड के भीतर अभिसमय के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है तो महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) उक्त तेल टैंकर या अन्य पोत को उस समय तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक ऐसे उल्लंघन के कारणों को महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में हटा नहीं दिया जाता ; और

(ख) ऐसे तेल टैंकर या अन्य पोत के विरुद्ध प्रदूषण नुकसान, यदि कोई हो, की लागत और प्रदूषण के निवारण और ऐसे प्रदूषण को साफ करने की लागत की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु जहां महानिदेशक आवश्यक समझे, वहां वह उक्त तेल टैंकर या अन्य पोत को समुद्र में जाने से निवारित करने के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक दल को अनुरोध कर सकेगा और, यथास्थिति, भारतीय नौसेना और तटरक्षक दल महानिदेशक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

(2) किसी ऐसे देश की सरकार से, जिसे अभिसमय लागू होता है, ऐसी जानकारी मिलने पर कि किसी भारतीय तेल टैंकर या अन्य पोत ने अभिसमय के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, ऐसी सरकार से अभिकथित उल्लंघन के बारे में और ब्यौरे देने का अनुरोध कर सकेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस भाग या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तो वह संबंधित तेल टैंकर या अन्य पोत के स्वामी या मास्टर के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर सकेगी और इस प्रकार की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट करने वाली सरकार को सूचना दे सकेगी ।]

356अ. भारत में पत्तनों पर ग्रहण सुविधाएं—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत में प्रत्येक पत्तन के संबंध में पत्तन प्राधिकारी की शक्तियों के अन्तर्गत ¹[ग्रहण सुविधाओं] की व्यवस्था करने की शक्ति भी होगी ।

(2) ¹[ग्रहण सुविधाओं] की व्यवस्था करने वाला पत्तन प्राधिकारी या पत्तन प्राधिकारी के साथ की गई व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति ऐसी सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारण ऐसी दरों पर कर सकेगा और उनके उपयोग के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसी केन्द्रीय सरकार उस पत्तन के सम्बन्ध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुमोदित करे ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भारत के किसी पत्तन पर ¹[ग्रहण सुविधाएं] नहीं हैं या जो सुविधाएं ऐसे पत्तन पर उपलब्ध हैं वे ऐसे पत्तन पर पहुंचने वाले पोतों को अभिसमय की अपेक्षा का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो केन्द्रीय सरकार को ऐसे पत्तन के भारसाधक पत्तन प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे प्राधिकारी को यह निदेश दे सकेगी कि वे ऐसी ¹[ग्रहण सुविधा] के लिए, उसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपबंध या व्यवस्था करे ।

(4) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत के उन पत्तनों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जहां अभिसमय की अध्यपेक्षाओं के अनुसार ¹[ग्रहण सुविधाएं] विद्यमान हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “पत्तन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है,—

(क) किसी महापत्तन के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस पत्तन की बाबत गठित न्यासी बोर्ड ;

(ख) किसी अन्य पत्तन के सम्बन्ध में भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अर्थ में पत्तन संरक्षक ।

दुर्घटना संबंधी प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपबन्ध

356अ. प्रदूषण करने वाले पोत के स्वामी आदि को सूचना देने की शक्ति—(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) किसी टैंकर से या टैंकर से भिन्न किसी पोत या किसी अपतट संस्थापन से ²[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] निकल रहा है या निकलने की संभावना है ; और

(ख) वह ²[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] जो इस प्रकार निकला है या जिसके निकलने की संभावना है भारत के तट के या उसके तटीय समुद्र के किसी भाग में प्रदूषण कर रहा है या प्रदूषण करने की आशंका पैदा कर रहा है,

वहां वह पहले से ही कारित प्रदूषण को कम करने के प्रयोजन के लिए या उस प्रदूषण को रोकने के लिए जिसके होने की आशंका है,—

(i) टैंकर के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या चार्टरकर्ता से,

(ii) टैंकर से भिन्न पोत के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या चार्टरकर्ता से,

¹ 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iii) चल अपतट संस्थापन के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर, चार्टरकर्ता या प्रचालक से,

(iv) किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन के स्वामी, प्रचालक, पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी से,

या इनमें से सभी या किसी से, यथास्थिति, उस पर या उन पर सूचना की तामील करके टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या, यथास्थिति, किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन के, या उसके स्थोरा के संबंध में या दोनों के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगी जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस उपधारा के अधीन जारी की गई सूचना में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन पर ऐसी सूचना की तामील की गई है, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने की अपेक्षा की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन से ¹[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] के निकलने का निवारण करने के लिए कार्रवाई ;

(ख) टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन से ¹[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] को ऐसी रीति से, यदि कोई हों, और ऐसे स्थान पर, यदि कोई हो, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हटाने के लिए कार्रवाई ;

(ग) टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन को ऐसे स्थान पर, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हटाने के लिए कार्रवाई ;

(घ) समुद्र के तल पर ¹[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] की चिकनाई को ऐसी रीति से, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, हटाने के लिए कार्रवाई ;

(ङ) समुद्र के तल पर से, ¹[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] की चिकनाई का ऐसी रीति से, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, परिक्षेपण करने के लिए कार्रवाई।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा,—

(क) सूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थान से किसी टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन को,

(ख) टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन से किसी स्थोरा या भंडार को, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए,

अपनी पूर्व अनुज्ञा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, के सिवाय जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, हटाने के प्रतिषेध कर सकेगी।

(4) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि कारित या कारित होने के लिए सम्भाव्य प्रदूषण से गम्भीर आपात उत्पन्न हो गया है या हो सकता है, ऐसे उपाय करने के लिए अग्रसर होगी जो आवश्यक समझे जाएं और इस प्रकार किए गए कोई उपाय धारा 356ट के अधीन किए गए समझे जाएंगे।

356ट. तेल प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लिए उपाय करने की शक्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 356अ के अधीन उस पर तामील की गई किसी सूचना का अनुपालन या उसका भागतः अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां केन्द्रीय सरकार, चाहे ऐसे व्यक्ति को अनुपालन में उसके इस प्रकार असफल हो जाने के कारण इस भाग के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या नहीं, ऐसी कार्रवाई करवाएगी जो वह निम्नलिखित के लिए आवश्यक समझे,—

(i) धारा 356अ के अधीन जारी की गई सूचना में दिए गए निदेशों का पालन करना ; और

(ii) ऐसे ²[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] द्वारा, जो टैंकर, टैंकर से भिन्न किसी पोत, किसी चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन से निकला हो या जिसके निकलने की आशंका हो, यथास्थिति, भारत के तटीय समुद्र या तट के किसी भाग को पहले ही किसी प्रदूषण की रोकथाम या ऐसे प्रदूषण का निवारण, जिसके होने की आशंका हो।

(2) भाग 10ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के अपतट संस्थापन, जिसके सम्बन्ध में धारा 356अ के अधीन सूचना जारी की गई थी या उसके ऐसे ²[तेल या अपायकर द्रव पदार्थ] स्थोरा, जिसको समुद्र में निकाला गया है या निस्सारित किया गया है, के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, या उसके कारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपगत कोई व्यय या दायित्व ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन पर सूचना की तामील की गई थी, केन्द्रीय सरकार को देय ऋण होगा और, यथास्थिति, उस व्यक्ति से या उन व्यक्तियों में से सभी से या, किन्हीं से वसूल किया जा सकेगा और ऐसे सभी या किसी टैंकर, टैंकर से भिन्न पोत, चल अपतट संस्थापन या किसी अन्य प्रकार के संस्थापन पर, जो उस व्यक्ति

¹ 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

² 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

या व्यक्तियों के स्वामित्व में हों, प्रभार होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु इस अधिनियम के भाग 10ख के उपबन्ध ऐसे किसी अपतट संस्थापन के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो इस अधिनियम के अर्थ में पोत नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे किसी अपतट संस्थापन द्वारा कारित प्रदूषण से नुकसान होने पर नुकसान के लिए दायी व्यक्ति किसी दायित्व से विमुक्ति का दावा कर सकेगा यदि वह यह साबित कर देता है कि नुकसान—

(क) किसी युद्ध कार्य, संघर्ष, गृहयुद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक अनिवार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुआ था ; या

(ख) पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्यलोप द्वारा हुआ था ; या

(ग) पूर्णतः किसी सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की जो प्रकाश या अन्य नौपरिवहन सुविधाएं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, उस निमित्त उसके कृत्यों के निर्वहन में किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्य से हुआ था ।

356ठ. केन्द्रीय सरकार की कुछ पोतों को कतिपय सेवाओं के लिए निदेश देने की शक्ति—(1) जहां धारा 356ट की उपधारा (1) के अधीन किन्हीं उपायों को करने के प्रयोजनों के लिए किसी भारतीय पोत की सेवा—

(i) जल प्रदूषण करने वाले पोत से या उस पर किसी स्थोरा या उपस्कर का भार कम करने या उनका परिवहन न करने के लिए ; या

(ii) खण्ड (झ) के अधीन सेवाओं में लगे किसी अन्य पोत या उपस्कर को कोई सहायता देने के लिए,

आवश्यक हो जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो लिखित आदेश द्वारा किसी भारतीय पोत के स्वामी, टग, बजरे या अन्य उपस्कर को ऐसी सेवाएं या सहायता देने के लिए निर्देश दे सकेगी जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) ऐसे किसी पोत, टग, बजरे या अन्य उपस्कर का स्वामी जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया है, माल-भाड़े की टैरिफ दरों और बाजार की विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त दरों पर चार्टर-भाड़े का हकदार होगा :

परन्तु जहां माल-भाड़े की टैरिफ दरें नियत नहीं की गई हैं या चार्टर-भाड़े की युक्तियुक्त दरों के बारे में विवाद है, वहां यथास्थिति, माल-भाड़ा या चार्टर-भाड़ा ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा लिखित आदेश द्वारा नियत की जाए ।

(3) जहां, उपधारा (2) के परन्तुक के अनुसरण में महानिदेशक माल-भाड़े या चार्टर-भाड़े की दर को नियत करते हुए आदेश करता है, वहां वह ऐसे माल-भाड़े की दर को या चार्टर-भाड़े की युक्तियुक्तता ऐसे साक्षियों, दस्तावेजों और लेखाबहियों की परीक्षा करते हुए, अवधारित करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

***[356ड. तेल प्रदूषण उपकर—**(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भारत के किसी पत्तन पर आने वाले ऐसे प्रत्येक पोत पर जो स्थोरा के रूप में तेल वहन करता है, तेल प्रदूषण उपकर (जिससे इसके पश्चात् उपकर कहा गया है) के नाम से ज्ञात उपकर पचास पैसे से अनधिक दर से, निम्नलिखित की बाबत उद्गृहीत किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) थोक स्थोरा के रूप में भारत में किसी पोत द्वारा आयात किए गए तेल के प्रति टन पर ;

(ख) किसी पोत के थोक स्थोरा के रूप में भारत के किसी स्थान से पोत परिवहित किए गए तेल के प्रति टन पर,

जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु किसी पत्तन में किसी पोत पर कोई उपकर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा पोत, उसी पत्तन पर या भारत के किसी अन्य पत्तन पर अपने उस पत्तन पर उस समय आने की तारीख से ठीक पूर्व तीन मास के भीतर उपकर का संदाय किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है ।

(2) उपकर, ऐसे अधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विहित करे, संगृहीत किया जाएगा और संग्रहण में हुए ऐसे खर्च को, यदि कोई हो, कम करते हुए, जो केन्द्रीय सरकार, अवधारित करे, ऐसे प्राधिकारी को संदत्त किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपकर के आगमों को, संसद् द्वारा, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् भारत के विभिन्न पत्तनों पर तेल ग्रहण सुविधाओं तथा उपस्करों और तेल प्रदूषण से सामना करने के लिए वस्तुओं का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए तथा उसी प्रकार के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपयोग में लाया जाएगा ।

356ड. पत्तन निकासी से इन्कार—ऐसा अधिकारी, जिसका कर्तव्य किसी पोत के लिए पत्तन-निकासी मंजूर करना है, पत्तन-निकासी तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि धारा 356ड के अधीन संदेय उपकर की रकम का संदाय न कर दिया गया हो या उसके समाधानप्रद रूप में उसके संदाय के लिए प्रतिभूति न दे दी गई हो।]

356ण. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार अभिसमय के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में—

¹[(क) धारा 356ख के क्रमशः खंड (क) और खंड (ज) के अधीन स्थिरक भार की सीमाएं विहित की जा सकेंगी और अपायकर द्रव पदार्थ अभिहित किए जा सकेंगे ;

(ख) उन प्ररूपों को, जिनमें वह अवधि जिसके लिए और वे शर्तें जिनके अध्याधीन धारा 356ग के अधीन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, विहित किया जा सकेगा ;

(खख) वह अवधि जिसके भीतर, वह रीति जिसमें और अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व तेल टैंकरों या अन्य पोतों का सर्वेक्षण करने के लिए शर्तें तथा उस उपस्कर के बारे में जिससे धारा 356ड के अधीन तेल टैंकर या अन्य पोत को प्रदूषण निवारण के लिए युक्त होना है, अपेक्षाएं विहित की जा सकेंगी ;]

(ग) धारा 356च के प्रयोजनों के लिए टैंकरों और अन्य पोतों के लिए ¹[अभिलेख बहियों] के प्ररूप, वह रीति जिससे ऐसी बहियां रखी जाएंगी, उसमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, वह समय और परिस्थितियां जिनमें ऐसी प्रविष्टियां की जानी हैं, उनकी अभिरक्षा और व्ययन तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी विषय विहित किए जा सकेंगे ;

(घ) ¹[अभिसमय के अधीन अपेक्षित विभिन्न उपस्करों] के निरीक्षण के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीसें तथा वह रीति जिससे ऐसी फीसें संगृहीत की जाएंगी, विहित की जा सकेंगी ;

*[(ड) ऐसे अधिकारी जो उपस्कर संगृहीत करेंगे और वह रीति जिससे उपस्कर संगृहीत किया जाएगा, विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;]

²[(डड) ऐसा कोई अन्य विषय जो अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए विहित किया जाना है या विहित किया जाए।]

³[भाग 11ख

पोतों पर हानिप्रद क्लुषित प्रणाली का नियंत्रण

356त. लागू होना—(1) इस भाग में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह भाग निम्नलिखित को लागू होगा—

(क) प्रत्येक भारतीय पोत को, वह जहां कहीं भी हो ;

(ख) ऐसे पोतों को, जो भारत का ध्वज लगाने के हकदार नहीं हैं किन्तु जो भारत के प्राधिकार के अधीन प्रचालन करते हैं ; और

(ग) ऐसे पोतों को, जो भारत के पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल या स्थान या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के भीतर या उससे लगे हुए किसी ऐसे सामुद्रिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिन पर राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में भारत को अनन्य अधिकारिता है या इसके पश्चात् अनन्य अधिकारिता हो सकेगी।

(2) यह भाग किसी युद्धपोत, नौसेना सहायक या भारत के स्वामित्वाधीन या केवल उसके प्राधिकार से या उसके अधीन प्रचालित अन्य ऐसा पोत जिसका तत्समय केवल सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयोग किया जा रहा है, को लागू नहीं होगा :

परन्तु यह कि सरकार, ऐसे पोतों की दशा में ऐसे समुचित उपाय अपनाकर जो ऐसे पोतों के प्रचालन या प्रचालन क्षमता का ह्रास न करें, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पोतों का प्रचालन ऐसी विहित रीति में किया जाए जो इस भाग के सुसंगत है।

356थ. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “क्लुषित प्रणाली” से विलेपन, पेंट, सतही उपचार, ऐसी सतह या युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग पोत पर अवांछित अवयवों को नियंत्रित या निवारित करने के लिए किया जाता है ;

¹ 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

* 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 239 और अनुसूची 15 द्वारा निरसित।

² 2003 के अधिनियम सं० 59 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

³ 2014 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) “प्राधिकारी” से—

(i) भारत सरकार जिसके प्राधिकार के अधीन पोत प्रचालन कर रहा है ; या

(ii) किसी अन्य देश का ध्वज लगाने के हकदार पोत के संबंध में, उस देश की सरकार ; और

(iii) भारतीय समुद्र तट से लगा हुआ समुद्र तल और उसकी अवमृदा की खोज और समुपयोजन में लगे हुए ऐसे प्लवमान प्लेटफार्मों के संबंध में, जिन पर अपने प्राकृतिक संसाधनों की खोज और समुपयोजन के प्रयोजनों के लिए (जिसमें प्लवमान भंडारण इकाइयां और प्लवमान उत्पादन भंडारण और सामान उतारने की इकाइयां भी हैं) भारत सरकार संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करती है, भारत सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ग) “समिति” से संगठन की सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण समिति अभिप्रेत है ;

(घ) “अभिसमय” से पोतों पर हानिप्रद क्लुषित प्रणाली के नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है ;

(ङ) “सकल टनभार” से पोतों का टनभार माप अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के उपाबंध 1 में अंतर्विष्ट टनभार माप विनियमों या किसी उत्तरवर्ती अभिसमय, जो भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या माना गया है अथवा अंगीकर किया गया है, के अनुसार संगणित वर्णित सकल टनभार अभिप्रेत है ;

(च) “अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा” से किसी राज्य का ध्वज लगाने के हकदार पोत द्वारा किसी अन्य राज्य की अधिकारिता के अधीन किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल को या विपर्यतः समुद्रयात्रा अभिप्रेत है ;

(छ) “लंबाई” से ऐसी लंबाई अभिप्रेत है जो इससे संबंधित 1988 के प्रोटोकाल द्वारा यथा उपांतरित अंतरराष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 या किसी ऐसे उत्तरवर्ती अभिसमय, में जो कि भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या मानी गई या अंगीकृत है, में परिभाषित है ;

(ज) “संगठन” से अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन अभिप्रेत है ;

(झ) “पत्तन” का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15), महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसका है और इसके अंतर्गत कोई टर्मिनल, चाहे वह पत्तन सीमाओं के भीतर हो या उससे अन्यथा, भी होगा ;

(ञ) “पोत” से समुद्री वातावरण में प्रचालित किसी प्रकार का जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफाइल नौकाएं, एयरकुशन यान, अवगाहन-क्षम तरणयान यान, स्थिर या तरण प्लेटफार्म, प्लवमान भंडारण इकाइयां तथा प्लवमान उत्पादन भंडारण तथा सामान उतारने की इकाइयां भी हैं ।

356द. क्लुषित प्रणालियों का नियंत्रण—(1) प्रत्येक भारतीय पोत और अन्य पोत, जो भारतीय ध्वज लगाने के हकदार नहीं हैं किन्तु भारत के प्राधिकार के अधीन प्रचालन कर रहे हैं, इस भाग में उपवर्णित अपेक्षाओं का पालन करेंगे जिसके अन्तर्गत समय-समय पर यथा विहित लागू मानकों और अपेक्षाओं के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पोत ऐसी अपेक्षाओं का पालन करें, ऐसे प्रभावी उपाय भी हैं जो समय-समय पर विहित किए जाएं ।

(2) अन्य सभी जलयान जिन्हें यह भाग लागू होता है, समय-समय पर यथाविहित क्लुषित प्रणालियों की अपेक्षाओं का पालन करेंगे ।

356ध. अंतरराष्ट्रीय क्लुषित प्रणाली प्रमाणपत्र का जारी करना—(1) कोई भी भारतीय पोत या भारतीय ध्वज लगाने या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालन करने के हकदार अन्य पोत जिनका सकल टनभार 400 टन या उससे अधिक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उस पोत के संबंध में उसके फलक पर, अंतरराष्ट्रीय क्लुषित प्रणाली के नाम से ज्ञात प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के लिए ऐसी प्रक्रियाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो समय-समय पर विहित की जाएं, जारी प्रमाणपत्र न हो ।

(2) कोई भी भारतीय पोत या भारत का ध्वज लगाने या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालन करने के हकदार अन्य पोत ऐसे स्थिर या प्लवमान प्लेटफार्म या प्लवमान भंडारण इकाइयों और प्लवमान उत्पादन भंडारण और सामान उतारने की इकाइयों को छोड़कर जिनकी लंबाई 24 मीटर या उससे अधिक है किन्तु सकल टनभार 400 टन से कम है, अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उनके फलक पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी प्रक्रियाओं और निबंधनों के, जो समय-समय पर विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए एक घोषणा न हो ।

(3) ऐसी समुचित शर्तों के साथ जो प्रत्येक प्रकार के पोतों को लागू होती हैं, भारतीय ध्वज लगाने के हकदार ऐसे भारतीय पोत जिनका सकल टनभार 400 टन और उससे अधिक है और जो अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में नहीं लगे हुए हैं और जिनका इस

अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है, को ऐसा भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जो समय-समय पर विहित किया जाए।

356न. भारत में विदेशी पोतों और विदेशों में भारतीय पोत के लिए कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करना—(1) केन्द्रीय सरकार, उस देश की सरकार के अनुरोध पर जिसको अभिसमय लागू होता है उस देश के किसी पोत की बाबत अभिसमय के अनुसार एक अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रमाणपत्र उचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है वहां उसमें यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि यह इस निमित्त समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध पर इस प्रकार जारी किया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार उस देश की सरकार से, जिसको अभिसमय लागू होता है, उस पोत की बाबत जिसको यह भाग लागू होता है, अभिसमय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध कर सकेगी और ऐसे अनुरोध के अनुसरण में इस प्रकार प्रमाणपत्र में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि यह इस प्रकार जारी किया गया है और उसका वही प्रभाव होगा मानो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया हो।

356प. अपशिष्ट पदार्थों का नियंत्रण—केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्ट्रीय नियमों, मानकों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्यक्षेत्र में यह अपेक्षा करते हुए कि भारत में किसी व्यक्ति द्वारा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किसी कलुषित प्रणाली के उपयोजन या हटाने जाने से उत्पन्न अपशिष्टों का संग्रहण, प्रबन्ध, उपचार और व्ययन सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति में किया जाए, नियम विहित करेगी और समुचित उपाय करेगी।

356फ. कलुषित प्रणालियों का अभिलेख—(1) प्रत्येक पोत जिसको यह भाग लागू होता है, विहित प्ररूप में कलुषित प्रणाली का अभिलेख रखेगा।

(2) ऐसी रीति, जिसमें कलुषित प्रणालियों का अभिलेख रखा जाएगा, अभिसमय और इस भाग के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएगी।

356ब. सकल टन भार 400 टन से अधिक सभी पोतों का निरीक्षण और नियंत्रण—(1) महानिदेशक द्वारा, इस निमित्त सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त समय पर किसी पोत का जिसको इस भाग के उपबंधों में से कोई उपबन्ध लागू होता है, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निरीक्षण कर सकेगा—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस भाग द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिषेधों, निर्बंधनों और बाध्यताओं का अनुपालन किया जा रहा है ;

(ख) यह सत्यापन करने के लिए कि जहां अपेक्षित है वहां फलक पर कोई विधिमन्य अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र या कलुषित प्रणाली संबंधी घोषणा है ; या

(ग) ऐसी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जो समय-समय पर विहित की जाएं, पोत की कलुषित प्रणाली का संक्षिप्त नमूना लेना जिससे कलुषित प्रणाली की समग्रता, अवसंरचना या प्रचालन प्रभावित न हो ; और

(घ) फलक पर अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी अभिलेख का सत्यापन करने के लिए।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए ऐसे नमूनों के परिणाम को व्यवहार में लाने के लिए अपेक्षित समय का उपयोग पोत के संचलन तथा प्रस्थापन को रोकने के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(3) महानिदेशक द्वारा इस निमित्त सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे पोत के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय को उस पोत के अभिलेखों की प्रति को सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित कर सकेगा और ऐसी प्रति उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

356भ. अभिसमय के उपबंधों के उल्लंघन की जानकारी होना—(1) किसी पोत का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत सर्वेक्षक या अन्य व्यक्ति से रिपोर्ट की प्राप्ति होने पर, यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि तटीय सागर-खंड के भीतर ऐसे पोत द्वारा इस भाग के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तो महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) ऐसे पोत को तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक ऐसे उल्लंघन के कारणों को महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में दूर नहीं कर दिया जाता है ; और

(ख) ऐसे पोत से धारा 436 में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत कर सकेगा :

परन्तु जहां महानिदेशक यह आवश्यक समझे, वहां वह ऐसे पोत को समुद्र में जाने से निवारित करने के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक दल से अनुरोध कर सकेगा और, यथास्थिति, भारतीय नौसेना या तटरक्षक दल महानिदेशक द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार कार्यवाई करेगा।

(2) किसी देश की सरकार से जिसे अभिसमय लागू होता है से ऐसी जानकारी मिलने पर कि किसी पोत ने अभिसमय के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो ऐसी सरकार से अभिकथित उल्लंघनों के बारे में

और व्यौरे देने का अनुरोध कर सकेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तो वह अभिकथित उल्लंघनों का अन्वेषण करेगी और इस संबंध में समुचित उपाय करेगी।

356म. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) धारा 356त की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन पोतों के प्रचालन के लिए समुचित उपाय ;
- (ख) धारा 356द के अधीन अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मानक, अपेक्षाएं और उपाय ;
- (ग) धारा 356ध के अधीन निरीक्षण और अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और शर्तें तथा फीस जो उद्गृहीत की जा सकेगी ;
- (घ) धारा 356न के अधीन भारत में विदेशी पोतों और विदेशों में भारतीय पोतों के लिए कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और फीस, जो उद्गृहीत की जा सकेगी ;
- (ङ) धारा 356प के अधीन अपशिष्टों के संग्रहण, हथालन और निपटान की प्रक्रिया ;
- (च) कलुषित प्रणालियों के अभिलेख का रूप विधान, वह रीति जिसमें धारा 356फ के अधीन ऐसे अभिलेख रखे जाएंगे ;
- (छ) कोई अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।]

भाग 12

अन्वेषण और जांचें

357. “तट” की परिभाषा—इस भाग में, “तट” शब्द के अन्तर्गत संकरी खाड़ी और ज्वारीय नदियों के तट भी हैं।

358. पोत दुर्घटनाएं और उनकी रिपोर्ट—(1) इस भाग के अधीन अन्वेषण और जांचों के प्रयोजन के लिए यह तब समझा जाएगा कि कोई पोत दुर्घटना हुई है जब—

- (क) भारत के तट पर या उसके निकट कोई पोत खो जाता है, परित्यक्त कर दिया जाता है, उत्कूलित हो जाता है या तात्त्विक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है ;
- (ख) भारत के तट पर या उसके निकट कोई पोत किसी अन्य पोत को हानि या तात्त्विक रूप से नुकसान पहुंचाता है ;
- (ग) भारत के तट पर या उसके निकट किसी पोत को या उसके फलक पर किसी दुर्घटना के कारण जीवन की हानि हो जाती है ;
- (घ) किसी स्थान में, किसी भारतीय पोत को या उसके फलक पर कोई ऐसी हानि, परित्यजन, उत्कूलन, तात्त्विक रूप से नुकसान या ऊपर उल्लिखित जैसी दुर्घटना हो जाती है, और भारत में उसका कोई सक्षम साक्षी उपलब्ध है ;
- (ङ) कोई भारतीय पोत खो जाता है या उसके बारे में यह माना जाता है कि वह खो गया है और उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें पोत समुद्र यात्रा पर अग्रसर हुआ था और उसके बारे में अंतिम बार सुना गया था, भारत में कोई साक्ष्य उपलब्ध है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित मामलों में पोत का मास्टर, पायलट, बन्दरगाह मास्टर या अन्य भारसाधक व्यक्ति, अथवा (जहां दो पोतों का सम्बन्ध हो वहां) पोत दुर्घटना के समय उनमें से प्रत्येक पोत का भारसाधक, और

उपधारा (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित मामलों में जहां संबंधित पोत का मास्टर या (हानि की दशा में के सिवाय) जहां संबंधित पोत उस स्थान से, जहां पोत दुर्घटना हुई है, भारत में किसी स्थान की ओर अग्रसर होता है, पोत का मास्टर,

भारत में पहुंचने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए अधिकारी को, पोत दुर्घटना की सूचना तुरन्त देगा।

359. केन्द्रीय सरकार को पोत दुर्घटनाओं की रिपोर्ट—(1) धारा 358 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को जब भी ऐसी विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो कि कोई पोत दुर्घटना हुई है वह उस इत्तिला की रिपोर्ट तुरन्त केन्द्रीय सरकार को देगा और दुर्घटना के बारे में प्रारम्भिक जांच करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक जांच करने वाला अधिकारी उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अधिकारी को भेजेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।

360. यथारीति अन्वेषण के लिए न्यायालय को आवेदन—धारा 358 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, चाहे उसने प्रारम्भिक जांच की हो या नहीं, और, जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश करे वहां, धारा 361 के अधीन सशक्त न्यायालय को आवेदन करेगा या प्रार्थना करेगा कि वह पोत दुर्घटना के बारे में एक यथारीति अन्वेषण करे तथा न्यायालय उस पर ऐसा अन्वेषण करेगा।

361. यथारीति अन्वेषण करने के लिए सशक्त न्यायालय—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए ¹[प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट] को और ²[महानगर मजिस्ट्रेट] को इस भाग के अधीन पोत दुर्घटनाओं के बारे में यथारीति अन्वेषण करने की अधिकारिता होगी।

362. अन्वेषण करने वाले न्यायालय की मास्टर्स, मेटों और इंजीनियरों के विरुद्ध आरोपों के बारे में जांच करने की शक्ति—(1) पोत दुर्घटना के बारे में यथारीति अन्वेषण करने वाला कोई न्यायालय, अन्वेषण के दौरान किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर के विरुद्ध उठने वाले अक्षमता या कदाचार के किसी आरोप के बारे में, और उसकी ओर किसी ऐसे सदोष कार्य या व्यतिक्रम के किसी आरोप के बारे में भी जिसके कारण पोत दुर्घटना हुई हो, जांच कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें, अन्वेषण के दौरान, किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर के विरुद्ध कोई ऐसा आरोप, चाहे वह अक्षमता या कदाचार के बारे में हो या सदोष कार्य या व्यतिक्रम के बारे में, उत्पन्न होता है, न्यायालय, जांच आरम्भ करने के पूर्व, उस मामले का, जिसकी बाबत जांच का निदेश दिया गया है, एक कथन ऐसे मास्टर, मेट या इंजीनियर को देगा।

363. अक्षमता या कदाचार के आरोपों के बारे में जांच करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर पर अक्षमता या कदाचार का कोई आरोप लगाने का आधार पोत दुर्घटना के बारे में यथारीति अन्वेषण के अनुक्रम में न होकर अन्यथा किसी स्थिति में है, तो केन्द्रीय सरकार,—

(क) यदि मास्टर, मेट या इंजीनियर के पास इस अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र है तो, किसी भी मामले में,

(ख) यदि मास्टर, मेट या इंजीनियर के पास भारत के बाहर के किसी देश की विधि के अधीन प्रमाणपत्र है, तो किसी ऐसे मामले में जहां अक्षमता या कदाचार भारतीय पोत पर हुआ है,

मामले का कथन किसी ऐसे न्यायालय को पारेषित कर सकता है जिसकी धारा 367 के अधीन अधिकारिता है जो और उस स्थान पर या उसके निकटतम है जहां पर पक्षकारों और साक्षियों का हाजिर होना सुविधापूर्ण होगा तथा केन्द्रीय सरकार उस न्यायालय को निदेश दे सकेगी कि वह उस आरोप के बारे में जांच करे।

(2) न्यायालय, जांच प्रारम्भ करने से पूर्व, ऐसे मास्टर, मेट या इंजीनियर को जिस पर इस प्रकार आरोप लगाया गया है केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए कथन की एक प्रति दिलवाएगा।

364. व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का अवसर दिया जाना—किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर के विरुद्ध किसी आरोप के बारे में इस भाग के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, न्यायालय उसको हाजिर होने के लिए समन कर सकेगा, और उसे व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा प्रतिरक्षा के लिए अवसर देगा।

365. साक्ष्य और कार्यवाहियों के विनियमन के बारे में न्यायालय की शक्ति—³[(1)] इस भाग के अधीन किसी अन्वेषण या जांच के प्रयोजन के लिए, अन्वेषण या जांच करने वाले न्यायालय को साक्षियों को हाजिर करने के लिए विवश करने और उनकी परीक्षा करने तथा दस्तावेजों के पेश किए जाने और कार्यवाहियों को विनियमित करने की बाबत वही शक्तियां होगी जो उस न्यायालय द्वारा उसकी दाण्डिक अधिकारिता के प्रयोग में प्रयोक्तव्य हैं।

⁴[(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन अन्वेषण या जांच करने वाला न्यायालय, यदि वह उचित समझता है तो उस सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय के समक्ष ऐसे अन्वेषण या जांच के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी को युक्तियुक्त खर्च के संदाय के लिए आदेश कर सकेगा।]

366. असेसर—(1) यथारीति अन्वेषण करने वाला न्यायालय अपने असेसरों के रूप में कम से कम दो या अधिक से अधिक चार व्यक्तियों को गठित करेगा जिनमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो समुद्री विषयों से सुपरिचित हो तथा अन्य व्यक्ति ऐसे होंगे जो या तो समुद्रीय विषयों से या वाणिज्यिक विषयों से सुपरिचित हों :

परन्तु जहां अन्वेषण में मास्टर, मेट या इंजीनियर के प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलंबित किए जाने के बारे में कोई प्रश्न अर्न्विलित है या अन्तर्विलित होने की संभावना है वहां असेसरों में से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें वाणिज्यिक सेवा का अनुभव भी हो।

(2) असेसर अन्वेषण के दौरान हाजिर रहेंगे और अपनी राय, कार्यवाहियों में लेखबद्ध किए जाने के लिए, लिखित में देंगे किन्तु इस भाग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग न्यायालय में निहित होगा।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 19 द्वारा (15-7-1985 से) उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित।

⁴ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 19 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

(3) असेसरों का चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई एक सूची में से किया जाएगा।

367. साक्षियों को गिरफ्तार करने और पोतों में प्रवेश करने की शक्ति—यदि इस भाग के अधीन किसी अन्वेषण या जांच करने वाला कोई न्यायालय साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वह उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा, तथा किसी अधिकारी को, ऐसी गिरफ्तारी के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशेष अनुदेश के अधीन रहते हुए, किसी जलयान में, प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसा प्रवेश करने के प्रयोजन के लिए अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस या सीमाशुल्क अधिकारी की या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकेगा।

368. विचार के लिए सुपुर्द करने और साक्षियों को बंधपत्रित करने की शक्ति—जब भी, किसी ऐसे अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में, यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने भारत में कोई ऐसा अपराध किया है जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दण्डनीय है तो अन्वेषण या जांच करने वाला न्यायालय (इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसे उच्च न्यायालय समय-समय पर बनाए) उसे गिरफ्तार करा सकेगा या सुपुर्द करा सकेगा या बंधपत्रित कर सकेगा जिससे कि समुचित न्यायालय के समक्ष उसका विचारण किया जा सके, तथा किसी व्यक्ति को विचारण में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्रित करा सकेगा और, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दाण्डिक न्यायालय के रूप में अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

369. न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट—(1) इस भाग के अधीन सब अन्वेषणों और जांचों के मामलों में न्यायालय जिन निष्कर्षों पर पहुंचता है उनकी पूरी रिपोर्ट साक्ष्य के साथ केन्द्रीय सरकार को पारेषित करेगा।

(2) जहां अन्वेषण या जांच का प्रभाव भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत के ऐसे मास्टर या अधिकारी पर हो जिसके पास भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन प्रमाणपत्र है वहां केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट की एक प्रति साक्ष्य के साथ, उस देश के समुचित प्राधिकारी को पारेषित करेगी।

¹[(3) केन्द्रीय सरकार, न्यायालय से अन्वेषण की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, उसे राजपत्र में प्रकाशित कराएगी।]

370. केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रमाणपत्रों के बारे में न्यायालय की शक्तियां—(1) किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया प्रमाणपत्र—

(क) पोत दुर्घटना का इस भाग के अधीन यथारिती अन्वेषण करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द या निलंबित किया जा सकता है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी पोत की हानि, उत्कूलन या परित्यजन या उनका नुकसान या जीवन हानि ऐसे मास्टर, मेट या इंजीनियर के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुई है ;

(ख) मास्टर, मेट या इंजीनियर के आचरण के बारे में इस भाग के अधीन जांच करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द या निलंबित किया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अक्षमता या मत्ता, अत्याचार या अन्य कदाचार के किसी घोर कार्य का दोषी है, या दुर्घटना के मामले में, वह ऐसी सहायता या इत्तिला देने में असफल रहा है जैसी धारा 338 द्वारा अपेक्षित है।

(2) न्यायालय अन्वेषण या जांच के पूरा होने पर या उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र, खुले अधिवेशन में उस विनिश्चय को अधिकथित करेगा जो उसने किसी प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित करने के बारे में किया है और यदि निलंबन का आदेश किया जाता है तो वह अवधि भी अधिकथित करेगा जिसके लिए प्रमाणपत्र निलंबित किया गया है।

(3) यदि न्यायालय प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित करता है तो ऐसा प्रमाणपत्र, उस रिपोर्ट के साथ जिसे इस भाग के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है, न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

371. मास्टर, मेट या इंजीनियर की परिनिन्दा करने की न्यायालय की शक्ति—जहां अन्वेषण या जांच करने वाले न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धारा 370 के अधीन रद्दकरण या निलम्बन आदेश न्यायोचित नहीं है वहां न्यायालय मास्टर, मेट या इंजीनियर की, उसके आचरण की बाबत परिनिन्दा करते हुए, आदेश पारित कर सकेगा।

372. मास्टर को हटाने और नया मास्टर नियुक्त करने की न्यायालय की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त ²[प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट] या कोई ³[महानगर मजिस्ट्रेट] अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पोत के मास्टर को हटा सकता है यदि उसके समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जाता है कि हटाया जाना आवश्यक है।

(2) हटाए जाने की कार्रवाई किसी पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता या पोत के परेषिती या किसी प्रमाणित आफिसर या पोत के कर्मीदल में से एक तिहाई या अधिक के आवेदन पर की जा सकती है।

¹ 1998 के अधिनियम सं० 9 की धारा 5 द्वारा (26-9-1997 से) अंतःस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] हटाए गए मास्टर के स्थान पर नया मास्टर नियुक्त कर सकता है किन्तु जहां पोत का स्वामी, अभिकर्ता या परेषिती उसकी अधिकारिता के भीतर है वहां ऐसी नियुक्ति स्वामी, अभिकर्ता या परेषिती की सहमति के बिना नहीं की जाएगी।

(4) ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] उस मामले के खर्च की बाबत ऐसा आदेश भी दे सकता है या ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा भी कर सकता है जो वह ठीक समझता है।

समुद्री बोर्ड

373. समुद्री बोर्ड का भारत के बाहर संयोजन—जब भी—

(क) किसी भारतीय पोत के मास्टर या कर्मीदल में से किसी सदस्य द्वारा भारतीय कौंसलीय आफिसर को या आसपास में भारतीय नौसेना के किसी पोत के वरिष्ठ आफिसर को (जिसे इसमें इसके पश्चात् नौसेना आफिसर कहा गया है) शिकायत की जाती है और भारतीय कौंसलीय आफिसर या नौसेना आफिसर को यह प्रतीत होता है कि ऐसी शिकायत के बारे में तुरन्त अन्वेषण अपेक्षित है; अथवा

(ख) भारतीय पोत के स्वामी या उसके स्थोरा के हित में ऐसा करना भारतीय कौंसलीय आफिसर या नौसेना आफिसर को अपेक्षित प्रतीत होता है; अथवा

(ग) भारतीय पोत के मास्टर या अधिकारियों में से किसी के विरुद्ध अक्षमता या कदाचार का कोई अभिकथन भारतीय कौंसलीय आफिसर या नौसेना आफिसर को किया जाता है; अथवा

(घ) कोई भारतीय पोत खो जाता है, परित्यक्त कर दिया जाता है या किसी ऐसे स्थान पर या उसके निकट उत्कूलित हो जाता है जहां कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर या नौसेना आफिसर है या जब कभी किसी ऐसे भारतीय पोत का, जो खो गया है, परित्यक्त कर दिया गया है या उत्कूलित हो गया है, कर्मीदल या उसका कोई भाग, उस स्थान पर पहुंचता है; अथवा

(ङ) उस स्थान पर या उसके निकट किसी भारतीय पोत पर जीवन की कोई हानि या किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति हो जाती है,

तो भारतीय कौंसलीय आफिसर या नौसेना आफिसर, उक्त शिकायत या अभिकथन या उक्त हित पर प्रभाव डालने वाले विषय या पोत के खो जाने, परित्यक्त किए जाने या उत्कूलित हो जाने के कारण या जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को क्षति के बारे में अन्वेषण करने के लिए स्वविवेकानुसार, समुद्री जांच बोर्ड संयोजित कर सकता है।

374. समुद्री बोर्ड का गठन और प्रक्रिया—(1) समुद्री बोर्ड में बोर्ड का संयोजन करने वाला सदस्य और दो अन्य सदस्य होंगे।

(2) समुद्री बोर्ड के दो अन्य सदस्य समुद्री बोर्ड का संयोजन करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो समुद्रीय या वाणिज्यिक विषयों से सुपरिचित हों।

(3) समुद्री बोर्ड का संयोजन करने वाला अधिकारी उसका पीठासीन अधिकारी होगा।

(4) समुद्री बोर्ड को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

375. समुद्री बोर्ड के विनिश्चय बहुमत से किए जाएंगे—जब भी समुद्री बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तो सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय बोर्ड का विनिश्चय होगा।

376. समुद्री बोर्ड की शक्तियां—(1) समुद्री बोर्ड, मामले का अन्वेषण और सुनवाई करने के पश्चात्—

(क) यदि उसकी यह राय है कि भारतीय पोत उसके स्थोरा या कर्मीदल की सुरक्षा के लिए अथवा भारतीय पोत के स्वामी या उस पोत के स्थोरा के स्वामी हित में यह अपेक्षित है तो वह मास्टर को हटा सकता है और उसके स्थान पर कार्य करने के लिए अन्य अर्हित व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि भारतीय पोत का कोई मास्टर या अधिकारी अक्षम है या किसी कदाचार का दोषी है अथवा टक्कर की दशा में वह ऐसी सहायता प्रदान करने या ऐसी इत्तिला देने में असफल रहा है जैसी धारा 348 द्वारा अपेक्षित है अथवा यह कि किसी पोत को हानि, उसका परित्यजन या उत्कूलन या गंभीर नुकसान अथवा जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति भारतीय पोत के किसी मास्टर या अधिकारी के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुई है तो वह पोत के मास्टर या अधिकारी का प्रमाणपत्र किसी कथित अवधि के लिए निलंबित कर सकता है;

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक मास्टर या अधिकारी को उस मामले का कथन, जिसकी बाबत अन्वेषण का आदेश दिया गया है, नहीं दे दिया जाता है और उसे व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा प्रतिरक्षा करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ;

(ग) भारतीय पोत से किसी नाविक को सेवोन्मुक्त कर सकता है और इस प्रकार सेवोन्मुक्त किए गए किसी नाविक की मजदूरी या मजदूरी का कोई भाग समपहत करने का आदेश कर सकता है ;

(घ) कार्यवाहियों के किन्हीं पक्षकारों के बीच मजदूरी, जुर्माना या समपहरण के सम्बन्ध में उठने वाले किन्हीं प्रश्नों का विनिश्चय कर सकता है ;

(ङ) यह निर्दिष्ट कर सकता है कि किसी नाविक या शिक्षु के भरणपोषण पर, तब जब वह भारत से बाहर कारागार में हो, भारतीय पोत के मास्टर या स्वामी द्वारा उपगत सब या कोई खर्चे नाविक या शिक्षु की उस मजदूरी में से, जो अर्जित की जा चुकी है या तदन्तर अर्जित की जाए, संदत्त किए जाएंगे ;

(च) यदि समझता है कि ऐसी कार्रवाई समीचीन है तो किसी ऐसे भारतीय पोत के सर्वेक्षण का आदेश कर सकता है जिसके बारे में कोई अन्वेषण चल रहा है ;

(छ) आदेश कर सकता है कि उसके समक्ष कार्यवाहियों के खर्चे या उन खर्चों का कोई भाग कार्यवाहियों के पक्षकारों में से किसी को संदत्त किया जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने कोई तुच्छ या अनुचित शिकायत की है, आदेश कर सकता है कि वह उस शिकायत के कारण होने वाली किसी हानि या विलंब के लिए प्रतिकर का संदाय करे तथा इस प्रकार आदिष्ट कोई खर्चे या प्रतिकर, जो किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाने हों, तदनुसार संदत्त किए जाएंगे और उसी रीति में वसूल किए जा सकेंगे, जिस पर नाविकों की मजदूरी वसूल की जा सकती है, या उस व्यक्ति को देय मजदूरी में से कटौती किए जा सकेंगे ।

(2) नाविक बोर्ड द्वारा किए गए सब आदेश, जब भी व्यवहार्य हों, उस पोत की जिसका अन्वेषण किया जाए, या जिसके फलक पर वह दुर्घटना या घटना या आचरण हुआ है जिसके बारे में अन्वेषण किया गया है आफिशियल लाग बुक में दर्ज किए जाएंगे तथा उस पर बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

प्रमाणपत्र के रद्दकरण और निलंबन से संबंधित प्रकीर्ण उपबंध

377. मास्टर, मेट या इंजीनियर के प्रमाणपत्र को रद्द, निलंबित आदि करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी मास्टर, मेट या इंजीनियर को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया कोई प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित दशाओं में रद्द किया जा सकता है या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) भारत के बाहर के किसी देश में विधायिका द्वारा तत्समय प्राधिकृत कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी कोई अन्वेषण या जांच करके यदि यह रिपोर्ट करता है कि मास्टर, मेट या इंजीनियर अक्षम है या किसी घोर कदाचार, मत्तता या अत्याचार का दोषी है, अथवा, किसी टक्कर के मामले में, वह ऐसी सहायता प्रदान करने या ऐसी इत्तिला देने में असफल रहा है जैसी धारा 348 में निर्दिष्ट है, अथवा किसी पोत की हानि, उत्कूलन या परित्यजन या नुकसान या जीवन की हानि उसके किसी सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुई या हुआ है ;

(ख) यदि यह साबित कर दिया जाता है कि मास्टर, मेट या इंजीनियर—

(i) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अजमानतीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है ; अथवा

(ii) भारत के बाहर किए गए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जो यदि भारत में किया जाता तो अजमानतीय अपराध होता ;

(ग) यदि (भारतीय पोत के मास्टर के मामले में) उसे भारत में या भारत के बाहर सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा निवर्तित किया गया है ।

¹[(1क) धारा 87क के खंड (ख) के अर्थ में कोई प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रद्द या निलम्बित किया जा सकेगा यदि उस व्यक्ति ने जिसे प्रमाणपत्र दिया गया है धारा 87ख की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाए ।]

(2) यदि केन्द्रीय सरकार समझती है कि मामले में न्याय के लिए अपेक्षित है तो वह किसी भी समय,—

¹ 1979 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) ¹[उपधारा (1) या उपधारा (1क)] के अधीन किए गए किसी रद्दकरण या निलम्बन आदेश को प्रतिसंहत कर सकती है ¹[या] धारा 370 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी रद्दकरण या निलम्बन आदेश को या धारा 376 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन समुद्री बोर्ड द्वारा किए गए किसी निलम्बन आदेश को या धारा 371 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी परिनिन्दा के आदेश को, अपास्त कर सकती है ; अथवा

(ख) उसके द्वारा ¹[उपधारा (1) या उपधारा (1क)] के अधीन आदिष्ट या धारा 370 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा आदिष्ट ¹[या] धारा 376 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन समुद्री बोर्ड द्वारा आदिष्ट निलम्बन की अवधि को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है या समुद्री बोर्ड द्वारा उस खंड के अधीन निलम्बित प्रमाणपत्र को रद्द कर सकती है ; अथवा

(ग) उसके द्वारा ¹[उपधारा (1) या उपधारा (1क)] के अधीन ¹[या] किसी न्यायालय द्वारा धारा 370 के अधीन रद्द या निलम्बित किए गए किसी प्रमाणपत्र या समुद्री बोर्ड द्वारा धारा 376 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निलम्बित किए गए किसी प्रमाणपत्र की दशा में बिना परीक्षा किए उसी या किसी निम्नतर श्रेणी का अन्य प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है :

परन्तु निलम्बन की अवधि को बढ़ाने का या प्रमाणपत्र रद्द करने का खंड (ख) के अधीन कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन मंजूर किए गए प्रमाणपत्र का वही प्रभाव होगा मानो वह परीक्षा के पश्चात् मंजूर किया गया है ।

378. रद्द या निलंबित किए गए भारतीय प्रमाणपत्र का परिदान—मास्टर या पोत का अधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र का धारक है, केन्द्रीय सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द या निलम्बित कर देने या समुद्री बोर्ड द्वारा निलम्बित कर देने की दशा में उस प्रमाणपत्र को, उसकी मांग किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार, न्यायालय या समुद्री बोर्ड को देगा या, यदि केन्द्रीय सरकार या न्यायालय या बोर्ड द्वारा उसकी मांग नहीं की जाती तो महानिदेशक को देगा ।

379. प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलंबन का प्रभाव—केन्द्रीय सरकार या न्यायालय प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन या समुद्री बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र का निलंबन,—

(क) यदि वह प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया था तो सभी स्थानों पर और सब पोतों के संबंध में प्रभावी होगा ; और

(ख) यदि वह प्रमाणपत्र भारत के बाहर जारी किया गया था तो—

(i) भारत के भीतर और भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर, सब पोतों के संबंध में ; तथा

(ii) भारत के बाहर, केवल भारतीय पोत के संबंध में,

प्रभावी होगा ।

380. निलंबित प्रमाणपत्र का पृष्ठांकित न किया जाना—यदि मास्टर या पोत आफिसर का प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार या न्यायालय या समुद्री बोर्ड द्वारा इस भाग के अधीन निलंबित कर दिया जाता है तो उस प्रमाणपत्र पर इस आशय का कोई पृष्ठांकन नहीं किया जाएगा ।

381. अन्य प्रमाणपत्रों को रद्द या निलंबित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र को, जो मास्टर, मेट या इंजीनियर को मंजूर किया गया प्रमाणपत्र नहीं है, किसी भी समय बिना किसी औपचारिक अन्वेषण या जांच के रद्द या निलंबित कर सकती है यदि उसकी राय में उसके धारक, उस श्रेणी में जिसके लिए यह प्रमाणपत्र मंजूर किया गया था, कार्य करने के अयोग्य है या अयोग्य हो गया है :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

मामलों की पुनः सुनवाई

382. पुनः सुनवाई—(1) जब भी न्यायालय या समुद्री बोर्ड इस भाग के अधीन कोई अन्वेषण या जांच करता है तब केन्द्रीय सरकार मामले की, या तो साधारणतया या उसके किसी भाग के बारे में, पुनः सुनवाई का आदेश कर सकती है, तथा—

(क) यदि ऐसे नाए या महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगता है जिसे अन्वेषण के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, अथवा

(ख) यदि उसकी राय में किसी अन्य कारण से घोर अन्याय हुआ है, तो ऐसा आदेश अवश्य करेगी ।

¹ 1979 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा "उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह आदेश कर सकती है कि मामले की पुनः सुनवाई उन्हीं सदस्यों से, या अन्य सदस्यों से, गठित न्यायालय या समुद्री बोर्ड द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, की जाए।

सर्वेक्षण न्यायालय

383. सर्वेक्षण न्यायालय का गठन—(1) सर्वेक्षण न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जो दो आफिसरों के साथ पीठासीन होगा।

(2) न्यायाधीश या तो जिला न्यायाधीश होगा या लघुवाद न्यायालय का न्यायाधीश, [महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट] या केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारणतया किसी विनिर्दिष्ट मामले के लिए नियुक्त किया गया कोई अन्य योग्य व्यक्ति होगा।

(3) असेसर नौ-विमानिकी, इंजीनियरी या अन्य विशेष कौशल या अनुभव वाले व्यक्ति होंगे।

(4) जहां तक भारतीय पोतों से भिन्न पोतों का संबंध है, भाग 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, असेसरों में से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा या तो साधारणतया या प्रत्येक मामले में नियुक्त किया जाएगा और दूसरा न्यायाधीश, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर तैयार की गई सूची में से, विहित रीति से समन किया जाएगा या यदि ऐसी कोई सूची नहीं है या ऐसी सूची में नामित किसी व्यक्ति को हाजिर कराना असाध्य है तो वह न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

384. सर्वेक्षक के विरुद्ध सर्वेक्षण न्यायालय को अपील—(1) पोत का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत सर्वेक्षक यदि—

(क) अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कथन करता है जिससे पोत का स्वामी या अभिकर्ता या मास्टर असंतुष्ट है, अथवा

(ख) किसी पोत में किसी त्रुटि की इस अधिनियम के अधीन सूचना देता है, अथवा

(ग) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र देने से इंकार करता है,

तो स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता, धारा 387 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सर्वेक्षण न्यायालय को अपील कर सकता है।

(2) जब भी सर्वेक्षक किसी पोत का निरीक्षण करता है तब, यदि स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसी अपेक्षा करता है, निरीक्षण के समय उसके साथ पोत के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति जाएगा और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति यदि सर्वेक्षक द्वारा किए गए कथन या दी गई सूचना के बारे में या उसके द्वारा प्रमाणपत्र देने से इंकार करने के बारे में, उससे सहमत है तो ऐसे कथन या ऐसी सूचना या इंकारी के विरुद्ध कोई अपील सर्वेक्षण न्यायालय को नहीं होगी।

385. सर्वेक्षण न्यायालय की शक्तियां और प्रक्रिया—(1) अपील की सूचना या केन्द्रीय सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर न्यायालय तुरन्त असेसरों को अविलंब अधिवेशन करने के लिए विहित रीति में समन करेगा।

(2) सर्वेक्षण न्यायालय प्रत्येक मामले की सुनवाई खुले न्यायालय में करेगी।

(3) न्यायाधीश किसी सक्षम व्यक्ति को पोत का सर्वेक्षण करने के लिए और न्यायालय को उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(4) न्यायाधीश को पोत को निर्मोचित करने या अंतिम रूप से निरुद्ध रखने का आदेश देने की वही शक्तियां होंगी जो केन्द्रीय सरकार की हैं, किन्तु यदि असेसरों में से एक पोत को निरुद्ध रखने के आदेश से सहमत नहीं है तो पोत को छोड़ दिया जाएगा।

(5) पोत का स्वामी और मास्टर तथा स्वामी या मास्टर द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति भी, इस धारा के अनुसरण में किए जाने वाले निरीक्षण या सर्वेक्षण में हाजिर रह सकता है।

(6) न्यायाधीश प्रत्येक मामले में न्यायालय की कार्यवाहियों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को विहित रीति से देगा और प्रत्येक असेसर ऐसी रिपोर्ट पर या तो हस्ताक्षर करेगा या अपनी असहमति के कारणों की केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा।

386. नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार सर्वेक्षण न्यायालय के संबंध में इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) न्यायालय की प्रक्रिया ;

(ख) अपील करने की दशा में, खर्च और नुकसानी के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करना ;

(ग) फीस की रकम और उसका उपयोजन ; तथा

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) विवाद की दशा में, खर्च की उचित रकम का अभिनिश्चय।

वैज्ञानिक निर्देशिती

387. कठिन मामलों में वैज्ञानिक व्यक्तियों को निर्देश—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सर्वेक्षण न्यायालय को की गई किसी अपील में निर्माण या डिजाइन का कोई प्रश्न या कोई वैज्ञानिक कठिनाई या महत्वपूर्ण सिद्धांत अंतर्वलित है तो वह मामले को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई वैज्ञानिक निर्देशितियों की सूची में से किसी ऐसे निर्देशिती या निर्देशितियों को निर्दिष्ट कर सकेगी जो उस विशिष्ट मामले के लिए आवश्यक विशेष अर्हताओं से युक्त प्रतीत हों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति और अपीलकर्ता के बीच करार द्वारा चयनित किए जाएं, या ऐसे करार में व्यतिक्रम की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित किए जाएं, और तब अपील का अवधारण सर्वेक्षण न्यायालय नहीं करेगा अपितु निर्देशिती या निर्देशितियों द्वारा किया जाएगा।

(2) यदि अपीलकर्ता किसी अपील में यह अपेक्षा करता है और निर्देश के खर्चों का और उसके आनुषंगिक खर्चों का संदाय करने के लिए केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति देता है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अपील को उपर्युक्त प्रकार से चयनित निर्देशिती या निर्देशितियों को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) निर्देशिती या निर्देशितियों को वे ही शक्तियां होंगी जो सर्वेक्षण न्यायालय के न्यायाधीश की हैं।

पोत पर विस्फोट होने या आग लगने के बारे में अन्वेषण

388. पोत पर विस्फोट होने या आग लगने के कारणों का अन्वेषण करने की शक्ति—भारत के तटों पर या उसके निकट किसी पोत पर कोई विस्फोट होने या आग लगने पर केन्द्रीय सरकार यह निर्देश कर सकेगी कि ऐसे विस्फोट होने या आग लगने के कारणों का अन्वेषण ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसे वह ठीक समझे, किया जाए।

389. विस्फोट या आग के कारणों की बाबत रिपोर्ट देना—धारा 388 में निर्दिष्ट व्यक्ति, सब आवश्यक कर्मचारों और श्रमिकों के साथ उस पोत पर जा सकेंगे जिस पर विस्फोट हुआ है या आग लगी है तथा पोत के किसी भाग को, या उसकी मशीनों को, अन्वेषण के प्रयोजन के लिए हटा सकेंगे और केन्द्रीय सरकार को या उसके द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति को यह रिपोर्ट करेगा या करेंगे कि उसकी या उनकी राय में विस्फोट या आग का क्या कारण था।

भाग 13

ध्वंसावशेष और उद्धारण

ध्वंसावशेष

390. तटों की परिभाषा—इस भाग में “तटों” शब्द के अन्तर्गत संकरी खाड़ियां और ज्वारीय नदियां भी हैं।

391. ध्वंसावशेष का प्रापक—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति की ध्वंसावशेष को प्राप्त करने और कब्जे में लेने के लिए तथा उनसे संबंधित ऐसे कर्तव्य करने के लिए, जैसे इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित हैं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ध्वंसावशेष का प्रापक (जिसे इस भाग में ध्वंसावशेष का प्रापक कहा गया है) नियुक्त कर सकती है।

(2) ध्वंसावशेष का प्रापक, लिखित आदेश द्वारा, निदेश कर सकता है कि इस भाग के अधीन उसके कृत्यों में से सभी या किन्हीं कृत्यों का, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, तथा किन्हीं ऐसे कृत्यों का निर्वहन करते समय ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ध्वंसावशेष का प्रापक है।

392. जलयान के संकट में होने की दशा में प्रापक का कर्तव्य—जब कोई जलयान भारत के तटों पर या उसके निकट किसी स्थान पर ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है तो ध्वंसावशेष का वह प्रापक, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह स्थान अवस्थित है, परिस्थितियों से परिचित कराए जाने पर, वहां के लिए तुरन्त अग्रसर होगा, तथा वहां पहुंचने पर वहां उपस्थित सब व्यक्तियों को समाविष्ट करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कर्तव्य समनुदिष्ट करेगा तथा ऐसे निदेश देगा जैसे वह जलयान और उसके व्यक्तियों के जीवन तथा स्थोरा और उपस्कर के परिरक्षण के लिए ठीक समझता है :

परन्तु प्रापक जलयान के मास्टर और कर्मीदल के बीच जलयान के प्रबन्ध के संदर्भ में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक मास्टर उससे ऐसा करने की प्रार्थना न करे।

393. पार्श्वस्थ भूमियों पर से जाने की शक्ति—(1) जब भी कोई जलयान उपर्युक्त रूप में ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है तब जलयान को सहायता प्रदान करने या ध्वस्त पोत व्यक्तियों के जीवन को या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को, बचाने के प्रयोजन के लिए, सभी व्यक्ति, वाहनों या जानवरों के साथ या उसके बिना, किन्हीं पार्श्वस्थ भूमि पर किन्तु यह तब जब कोई

उतनी ही सुविधापूर्ण सार्वजनिक सड़क न हो उसके स्वामी या अधिभोगी की ओर से बिना किसी व्यवधान के, इस प्रकार से आ जा सकेंगे। जिससे उसे कम से कम नुकसान हो सके तथा पोत से निकाले गए स्थोरा या अन्य वस्तुओं को वैसी ही दशा में, उन भूमियों पर जमा कर सकेंगे।

(2) इस धारा द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप स्वामी या अधिभोगी को होने वाला नुकसान उस जलयान, स्थोरा या वस्तुओं पर, जिनके सम्बन्ध में या जिनके द्वारा नुकसान हुआ है, प्रभार होगा तथा नुकसान के सम्बन्ध में देय रकम, विवाद की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा, तब अवधारित की जाएगी जब उसे इस निमित्त आवेदन किया जाए।

394. लूट-पाट और उपद्रव को शक्ति से दबाने की ध्वंसावशेष प्रापक की शक्ति—जब भी कोई जलयान उपर्युक्त रूप में ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है और कोई व्यक्ति लूट-पाट करता है, उपद्रव करता है या जलयान अथवा ध्वस्त पोत व्यक्तियों अथवा जलयान के स्थोरा या उपस्कर के परिरक्षण में व्यवधान पहुंचाता है तब ध्वंसावशेष का प्रापक ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जैसी वह ऐसी लूट-पाट, ऐसे उपद्रव या व्यवधान को दबाने के लिए आवश्यक समझता है तथा किसी भी व्यक्ति को उस प्रयोजन के लिए उसकी सहायता करने का समादेश कर सकता है।

395. ध्वंसावशेष को पाने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाले प्रक्रिया—किन्हीं ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनके लिए कोई ध्वंसावशेष का प्रापक है, किसी ध्वंसावशेष को पाने वाला और कब्जे में लेने वाला या ऐसी सीमाओं के भीतर कोई ध्वंसावशेष लाने वाला व्यक्ति, जिसने ध्वंसावशेष को अन्यत्र पाया है और अपने कब्जे में लिया है, यथासाध्य शीघ्रता से,—

(क) यदि वह उसका स्वामी है तो, ध्वंसावशेष पाने की और उन चिह्नों की, जिनके द्वारा ऐसे ध्वंसावशेष को पहचाना जा सकता है, सूचना लिखित रूप में ध्वंसावशेष के प्रापक को देगा ;

(ख) यदि वह ऐसे ध्वंसावशेष का स्वामी नहीं है तो ध्वंसावशेष को ध्वंसावशेष के प्रापक को परिदत्त करेगा।

396. ध्वस्त आदि जलयानों से संबंधित कतिपय विषयों का अन्वेषण—जब भी कोई जलयान उपर्युक्त रूप में ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है तब वह ध्वंसावशेष का प्रापक, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर पोत ध्वस्त या उत्कूलित हुआ या संकट में है, निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में अन्वेषण कर सकता है, अर्थात्:—

(क) जलयान का नाम और विवरण ;

(ख) मास्टर या स्वामियों के नाम ;

(ग) स्थोरा के स्वामियों के नाम ;

(घ) वे पत्तन जहां से जलयान आ रहा था या जहां के लिए जलयान जा रहा था ;

(ङ) जलयान के ध्वस्त या उत्कूलित या संकटग्रस्त होने का समय ;

(च) प्रदान की गई सेवाएं ; और

(छ) जलयान, स्थोरा या उपस्कर से संबंधित ऐसे अन्य विषय या परिस्थितियां जिन्हें प्रापक आवश्यक समझता है।

397. सूचना देने का प्रापक का कर्तव्य—ध्वंसावशेष का प्रापक किसी ध्वंसावशेष के कब्जे में लेने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र ऐसी रीति में और ऐसे स्थान पर जो केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे, ध्वंसावशेष के विवरण का और उस समय का तथा स्थान का जब और जहां वह पाया गया था उल्लेख करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा।

398. कतिपय दशाओं में प्रापक द्वारा ध्वंसावशेष का तुरन्त विक्रय—ध्वंसावशेष प्रापक अपनी अभिरक्षा में के किसी भी समय विक्रय कर सकता है यदि उसकी राय में—

(क) उसका मूल्य पांच सौ रुपए से कम है ; अथवा

(ख) वह उतना क्षतिग्रस्त है या ऐसी विनश्वर प्रकृति का है कि उसे रखना लाभप्रद नहीं होगा ; अथवा

(ग) वह ऐसे पर्याप्त मूल्य का नहीं है कि उसका भाण्डागारण किया जाए,

और विक्रय के आगम, उसके व्यय को पूरा करने के पश्चात् उन्हीं प्रयोजनों के लिए और वैसे ही दावों, अधिकारों और दायित्वों के अधीन रहते हुए मानो ध्वंसावशेष का विक्रय नहीं हुआ था, प्रापक के पास रहेंगे।

399. ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे—(1) प्रापक के कब्जाधीन ध्वंसावशेष का स्वामी उस तारीख से जिसको ध्वंसावशेष प्रापक के कब्जे में आया है, एक वर्ष के भीतर प्रापक के समाधानप्रद रूप से अपना दावा स्थापित करने पर, और उद्धारण का और अन्य प्रभारों का संदाय करने पर, ध्वंसावशेष को प्राप्त करने का या उसके आगमों का उसे परिदान किए जाने का हकदार होगा।

(2) जहां किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी ध्वस्त जलयान को या उसकी भागरूप कोई वस्तुएं या स्थोरा भारत के तटों पर या उनके निकट पाई जाती हैं या भारत में किसी पत्तन में लाई जाती हैं तो उस देश का कौंसलीय आफिसर, जिसमें जलयान रजिस्ट्रीकृत है या स्थोरा की दशा में, उस देश का कौंसलीय आफिसर, स्थोरा के स्वामी जिस देश के हैं, स्वामी और मास्टर अथवा स्वामी के अन्य अभिकर्ता की अनुपस्थिति में, वस्तुओं की अभिरक्षा और व्ययन के सम्बन्ध में, स्वामी का अभिकर्ता समझे जाएंगे।

(3) यदि ध्वंसावशेष का स्वामी विक्रय की तारीख से एक वर्ष के भीतर हाजिर नहीं होता और विक्रय के आगमों के बकाया का दावा नहीं करता तो उक्त बकाया केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति हो जाएगा।

400. ध्वंसावशेष के संबंध में, कतिपय कार्यों का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति,—

(क) मास्टर की इजाजत के बिना किसी ऐसे पोट पर जो ध्वस्त या उत्कूलित है या संकट में है तब तक नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति ध्वंसावशेष का प्रापक नहीं है, या उसके समनुदेश द्वारा कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) भारत के तटों पर या उनके निकट उत्कूलित या उत्कूलित होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में पड़े हुए किसी जलयान या जलयान के स्थोरा या उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष के बचाव में अडचन नहीं डालेगा या उसके बचाव को प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसके बचाव में अडचन या बाधा डालने का प्रयास नहीं करेगा ; अथवा

(ग) किसी ध्वंसावशेष को नहीं छिपाएगा या उसके किन्हीं चिह्नों को विरूपित नहीं करेगा या नहीं मिटाएगा ; अथवा

(घ) भारत के तटों पर या उनके निकट उत्कूलित या उत्कूलित होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में पड़े हुए जलयान के किसी भाग का या उसके स्थोरा या उपस्कर के किसी भाग को या किसी ध्वंसावशेष को सदोष नहीं ले जाएगा या नहीं हटाएगा।

401. ध्वंसावशेष को छिपाने की दशा में तलाशी वारण्ट—जहां ध्वंसावशेष के प्रापक को यह संदेह है या यह इत्तिला प्राप्त होती है कि कोई ध्वंसावशेष छिपाया गया है या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो उसका स्वामी नहीं है या किसी ध्वंसावशेष का अन्यथा अनुचित रूप से व्ययन किया जा रहा है तो वह ¹[,यथास्थिति, निकटतम प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] को तलाशी वारण्ट के लिए आवेदन करेगा और उस मजिस्ट्रेट को ऐसा वारंट मन्जूर करने की शक्ति होगी तथा ध्वंसावशेष का प्रापक उसके आधार पर किसी घर में या अन्य स्थान में, वह कहीं भी स्थित हो, और किसी जलयान में भी, प्रवेश कर सकेगा तथा ध्वंसावशेष को तलाश कर सकेगा और वहां पाए गए ध्वंसावशेष का अभिग्रहण कर सकेगा और उसे निरुद्ध रख सकेगा।

उद्धारण

402. जलयान, स्थोरा या ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि—(1) जहां—

(क) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः या भागतः या कहीं अन्यत्र भारत में रजिस्ट्रीकृत जलयान से जीवन को बचाने के लिए ; अथवा

(ख) भारत के तटों पर या उनके निकट किसी स्थान पर ध्वस्त या उत्कूलित या संकट में पड़े हुए जलयान को सहायता देने के लिए या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को बचाने के लिए ; अथवा

(ग) किसी ध्वंसावशेष को बचाने के लिए ध्वंसावशेष के प्रापक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा,

सेवाएं प्रदान की जाती हैं वहां जलयान, स्थोरा, उपस्कर या ध्वंसावशेष के स्वामी द्वारा उद्धारकर्ता को, मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उद्धारण के लिए एक उचित राशि देय होगी।

(2) जब जलयान के स्वामी द्वारा जीवन के परिरक्षण के सम्बन्ध में, कोई उद्धारण राशि देय है तो उसे उद्धारण के अन्य सब दावों की अपेक्षा पूर्विकता दी जाएगी।

(3) जहां उद्धारण सेवाएं सरकार द्वारा या उसकी ओर से या भारतीय नौ सेना ²[या तटरक्षक] के किसी जलयान द्वारा या किसी ऐसे जलयान के कमांडर या कर्मीदल द्वारा प्रदत्त की जानी है वहां, यथास्थिति, सरकार, कमांडर या कर्मीदल, उद्धारण राशि का हकदार होगा और उन सेवाओं के संबंध में उसे वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो किसी अन्य उद्धारकर्ता को प्राप्त हैं।

²[स्पष्टीकरण—“तटरक्षक” से तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 3 के अधीन गठित तटरक्षक अभिप्रेत है।]

(4) इस धारा के अधीन शोध्य रकम की बाबत उठने वाला कोई विवाद,—

(क) जहां दावा की गई रकम दस हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां ³[,यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] को, अथवा

(ख) जहां दावा की गई रकम दस हजार रुपए से अधिक है, वहां उच्च न्यायालय को,

विवाद से सम्बन्धित पक्षकारों में से किसी के द्वारा, आवेदन किए जाने पर अवधारित किया जाएगा।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “निकटतम मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 20 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(5) जहाँ यह विवाद उठता है कि इस धारा के अधीन उद्धारण की रकम का हकदार व्यक्ति कौन है वहाँ, ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय] विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसी रकम के हकदार व्यक्ति एक से अधिक हैं ²[तो ऐसा मजिस्ट्रेट] या उच्च न्यायालय रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा।

(6) ³[यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या उच्च न्यायालय के समक्ष इस धारा के अधीन सब कार्यवाहियों के खर्चे और उनकी आनुषंगिक ⁴[रकमें, यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या उच्च न्यायालय के विवेक के अनुसार होंगी ⁵[और से, यथास्थिति, ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या उच्च न्यायालय को यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से और किस विस्तार तक संदत्त किए जाने हैं तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उसे सब आवश्यक निदेश देने की शक्ति भी होगी।

403. व्यावृत्तियाँ—इस भाग की कोई बात—

(क) किसी अन्य देश के साथ भारत या किसी अन्य देश के तटों पर ध्वंसावशेषों के आगमों के व्ययन के प्रतिनिर्देश से की गई किसी सन्धि या करार पर जिसमें भारत एक पक्षकार है, प्रभाव नहीं डालेगी, अथवा

(ख) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 29 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, या उस धारा के उल्लंघन में कांटा घसीटकर या महाजाल डालकर निकाली गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उद्धारण की राशि का हकदार नहीं बनाएगी।

404. ध्वंसावशेष और उद्धारण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) ध्वंसावशेष के प्रापक द्वारा ध्वंसावशेषों को कब्जे में लेने और उनका व्ययन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) प्रापकों द्वारा किए गए कार्य के सम्बन्ध में उन्हें देय फीसें ;

(ग) ध्वंसावशेषों के स्वामित्व सम्बन्धी दावों का निपटारा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) उद्धारण के मामलों में मूल्यांककों की नियुक्ति ;

(ङ) उद्धारण राशि का अधिनिर्णय करने और प्रभाजन करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत ;

(च) उद्धारण के लिए दावों का निपटारा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) उद्धारण राशि के संदाय को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए ध्वंसावशेष के प्रापक की अभिरक्षा के अधीन सम्पत्ति का निरुद्ध रखा जाना।

भाग 14

भारतीय पोतों और तटीय व्यापार में लगे हुए पोतों का नियन्त्रण

405. भाग का लागू होना—यह भाग केवल नोदन के यांत्रिक साधनों से युक्त एक सौ पचास सकल टन से अन्यून के समुद्रगामी पोतों को लागू है, किन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के प्रयोजन के लिए कोई निम्नतर टन भार नियत कर सकती है।

406. भारतीय पोतों और चार्टरित पोतों का अनुज्ञप्त होना—(1) कोई भारतीय पोत और भारत के किसी नागरिक या कम्पनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा चार्टरित कोई अन्य पोत भारत के भीतर या बाहर किसी पत्तन या स्थान से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक उसके पास महानिदेशक द्वारा इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति न हो :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारत के किसी नागरिक या कंपनी ⁶[या सहकारी सोसाइटी] द्वारा चार्टरित पोतों के किसी वर्ग को इस उपधारा के उपबंधों से छूट दे सकती है।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “तो मजिस्ट्रेट” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “रकमें, मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “और मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति—

(क) साधारण अनुज्ञप्ति हो सकती है ;

(ख) भारत के सम्पूर्ण तटीय व्यापार के लिए या उसके किसी भाग के लिए अनुज्ञप्ति हो सकती है ; अथवा

(ग) किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समुद्र यात्रा के लिए अनुज्ञप्ति हो सकती है ।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति विहित प्ररूप में होगी और विहित अवधि के लिए विधिमान्य होगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन होगी जैसी महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

407. तटीय व्यापार के लिए पोतों का अनुज्ञप्त किया जाना—(1) भारतीय पोत से या भारत के नागरिक या ऐसी कंपनी ¹[या सहकारी सोसाइटी द्वारा, जो धारा 21 के, यथास्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता या करती हैं,] चार्टरित पोत से भिन्न कोई पोत तब तक भारत के तटीय व्यापार में नहीं लगेगा जब तक उसके पास महानिदेशक द्वारा इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति न हो ।

(2) इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति विनिर्दिष्ट अवधि या समुद्र यात्रा के लिए हो सकती है और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जैसी महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध भारत के तटीय व्यापार के किसी भाग के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं या किए जाएं ।

408. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या उपांतरण—(1) यदि मामले की परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है तो महानिदेशक किसी भी समय धारा 406 या धारा 407 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकता है ।

(2) कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन तब तक प्रतिसंहृत या उपांतरित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, यथास्थिति, ऐसे प्रतिसंहरण या उपांतरण के विरुद्ध व्यपदेशन करने का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

409. विधिमान्यता समाप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्षण—जब कोई अनुज्ञप्ति धारा 406 या धारा 407 के अधीन विधिमान्य नहीं रह जाती है तब वह व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, बिना किसी अनुचित विलम्ब के उसे महानिदेशक को वापस कर देगा या वापस करा देगा ।

410. जब तक अनुज्ञप्ति पेश न की जाए तब तक पत्तन निकासी न देगा—कोई सीमाशुल्क कलक्टर किसी पोत को, जिसके सम्बन्ध में इस भाग के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, तब तक पत्तन निकासी नहीं देगा जब तक स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसी अनुज्ञप्ति पेश नहीं कर देता ।

411. निदेश देने की शक्ति—यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या भारतीय पोत परिवहन के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे पोत की दशा में जिसे धारा 406 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के सम्बन्ध में, ऐसे निदेश दे सकता है जैसे वह ठीक समझे, अर्थात् :—

(i) भारत के भीतर या बाहर ऐसे पत्तन या स्थान, जहां के लिए, और ऐसे मार्ग जिनसे होकर, पोत किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अग्रसर होगा ;

(ii) पोत का किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर हटाया जाना ;

(iii) यात्रियों या स्थोरा के ऐसे वर्ग जिनका वहन पोत पर किया जा सकता है ;

(iv) वह पूर्विकता क्रम जिनके अनुसार यात्रियों या स्थोरा को भारत के भीतर या बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए ले जाया जा सकता है या जहां उन्हें पोत से उतारा जा सकता है ;

(ख) ऐसे पोत की दशा में, जिसे धारा 407 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उस पूर्विकता क्रम के सम्बन्ध में, ऐसे निदेश दे सकता है जैसे वह ठीक समझे जिस क्रम में उस पोत में, भारत के किसी पत्तन या स्थान से, जहां से वह भारत देश के किसी ऐसे पत्तन या स्थान के लिए, जिसे वह अपनी समुद्र यात्रा के अनुक्रम में स्पर्श करेगा, अग्रसर होने वाला है, यात्रियों या स्थोरा को ले जाया जा सकता है ।

²[411क. अनुचित विदेशी हस्तक्षेपों के भारतीय पोतों के हितों की संरक्षा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—(1) यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि—

¹ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 8 द्वारा (28-9-1981 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) किसी विदेशी राज्य द्वारा या उसकी किसी विधि के अधीन ऐसे निबन्धनों या शर्तों को विनियमित करने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए जिन पर माल या यात्रियों का वहन समुद्र द्वारा किए जाने के लिए या उनके इस प्रकार वहन किए जाने के संबंध में संविदाओं या ठहरावों के निबन्धनों या शर्तों के लिए उपाय किए गए हैं ; और

(ख) ऐसे उपाय जहां तक वे भारत में विधिपूर्ण व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर की गई या की जाने वाली बातों को लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता का अतिलंघन करते हैं, जो भारत की है,

तो वह लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि यह धारा, उन उपायों को या तो पूर्ण रूप से या उस विस्तार तक, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू होगी ।

(2) जहां किसी उपाय के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश प्रवृत्त है, वहां भारत के ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो समुद्र द्वारा माल या यात्रियों के वहन से संबद्ध या संबंधित कारबार करता है, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा या प्रतिषेध की सूचना जो, जहां तक यह धारा उसे लागू होती है, ऐसे उपायों के अनुसार उस पर अधिरोपित किया गया है या जिसके अधिरोपित किए जाने के लिए धमकी दी गई है, जिसमें उसके अधीन किसी संविदा या अन्य दस्तावेज अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करने की कोई अपेक्षा सम्मिलित है, केन्द्रीय सरकार को दे ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है या जहां यह विश्वास करने का आधार है कि कोई सूचना प्राप्त होने की संभावना है, वहां केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी किसी अपेक्षा या प्रतिषेध के अनुपालन को प्रतिषिद्ध करते हुए ऐसा निदेश दे सकेगी, जो भारत की अधिकारिता को बनाए रखने के लिए वह उचित समझती है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्देश या तो साधारण निर्देश हो सकेगा या विशेष और वह किसी अपेक्षा या प्रतिषेध के अनुपालन को या तो पूर्ण रूप से या उन मामलों में अथवा सहमति या अन्यथा के बारे में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(5) यदि, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भारत में किसी व्यक्ति से विदेशी राज्य के किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण को, ऐसा वाणिज्यिक दस्तावेज जो उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नहीं है, पेश या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है या ऐसी वाणिज्यिक जानकारी को ऐसे दस्तावेजों से संकलित किया जाना है जो उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नहीं है तथा ऐसी अपेक्षा ऐसी अधिकारिता का अतिलंघन करती है या करेगी जो भारत की है, तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने से प्रतिषिद्ध करते हुए निदेश दे सकेगी, सिवाय उस विस्तार तक या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।]

* * * * *

413. जानकारी मांगने की महानिदेशक की शक्ति—महानिदेशक, सूचना द्वारा,—

(क) किसी ऐसे पोत के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से, जिस पोत के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति प्रवृत्त है ; अथवा

(ख) किसी ऐसे पोत के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से जिसे पोत के सम्बन्ध में धारा 411 के खण्ड (ख) के अधीन कोई निदेश दिया गया है या दिया जा सकता है,

सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निम्नलिखित की बाबत जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है ; अर्थात्:—

- (i) यात्रियों और स्थोरा के वे वर्ग जिनका पोत वहन करने वाला है या वह न करने में समर्थ है या जिनका वहन उसने किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किया है ;
- (ii) पोत को लागू यात्री भाड़े और माल भाड़े की दरें ;
- (iii) कोई ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

414. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध किए जा सकते हैं, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप जिसमें, वह अवधि या समुद्र-यात्रा जिसके लिए, और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियां मंजूर की जा सकती हैं, ऐसी अनुज्ञप्तियों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां और उनके लिए देय फीसें ;

¹ 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 6 द्वारा (27-10-1993 से) धारा 412 का लोप किया गया ।

1* * * * *
(घ) वे विषय जिनकी बाबत धारा 413 के अधीन जानकारी देने की अपेक्षा की जा सकती है।

भाग 15

चलत जलयान

415. भाग का लागू होना—जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, यह भाग भारत के किसी नागरिक के ²[या ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी के, जो धारा 21 के, यथास्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है,] स्वामित्वाधीन प्रत्येक समुद्रगामी चलत जलयान की लागू है।

416. जलयान चलत जलयान है या नहीं इस प्रश्न का विनिश्चय—यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई जलयान इस भाग के प्रयोजनों के लिए चलत जलयान है या नहीं तो उसका विनिश्चय महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

417. रजिस्ट्री प्रमाणपत्र—(1) प्रत्येक चलत जलयान ³[(लाभ के लिए पूर्ण रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए चलत जलयान से भिन्न)] को इस धारा के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर किया जाएगा।

(2) प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी जलयान के सम्बन्ध में रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की उसे मंजूरी के लिए रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी जिसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया गया है; जलयान के टन भार का अभिनिश्चय विहित रीति में कराएगा।

(4) रजिस्ट्रार आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियों के सम्बन्ध में ऐसी जांच कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे और वह इस प्रयोजन के लिए रखे गए एक रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् चलत जलयान रजिस्टर कहा गया है) जलयान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशिष्टियां दर्ज करेगा, अर्थात् :—

- (क) चलत जलयान का नाम, वह स्थान जहां पर उसका निर्माण हुआ है और वह पत्तन जिसका वह जलयान है;
- (ख) जलयान का रूप, प्रकार और टनभार;
- (ग) जलयान के स्वामी का नाम, उपजीविका और निवास-स्थान;
- (घ) जलयान को समनुदिष्ट संख्यांक;
- (ङ) स्वामी द्वारा जलयान के सम्बन्ध में की गई बंधकें, यदि कोई हैं;
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं।

(5) उपधारा (4) के अधीन चलत जलयान रजिस्टर में जलयान के सम्बन्ध में विशिष्टियों को दर्ज करने के पश्चात् रजिस्ट्रार आवेदक को एक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में मंजूर करेगा।

(6) प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी प्रत्येक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के लिए फीस ऐसे मापमान के अनुसार देगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा जलयान के टन भार को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाए किन्तु ऐसी फीस जलयान के सकल टनभार के प्रत्येक टन के लिए एक रुपए से अधिक नहीं होगी।

(7) ऐसे चलत जलयान को, जिससे यह अपेक्षा है कि वह इस भाग के अधीन रजिस्टर किया जाए किन्तु जो रजिस्टर नहीं किया गया है, समुचित अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध रखा जा सकता है जब तक जलयान का स्वामी या टिंडल उसके सम्बन्ध में रजिस्ट्री प्रमाणपत्र पेश नहीं कर देता है।

418. चलत जलयान से सम्बन्धित विशिष्टियों का रंग से लिखा जाना—इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी, जलयान में कोई स्थोरा या यात्री लेने के पूर्व, चलत जलयान के किसी सहजदृश्य भाग पर, विहित रीति में, स्थायी रूप से वह नाम, जिससे जलयान को रजिस्टर किया गया है, रजिस्ट्रार द्वारा जलयान को समनुदेशित संख्यांक और उस पत्तन का नाम जिसका वह जलयान है, पेन्ट से लिखेगा या लिखवाएगा तथा वह सुनिश्चित करने के लिए सब कदम उठाएगा कि जलयान पर इस धारा द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां पेन्ट रहती हैं।

419. चलत जलयान के नाम में परिवर्तन—इस भाग के अधीन रजिस्टर किए गए चलत जलयान के नाम में कोई परिवर्तन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसरण में ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

¹ 1993 के अधिनियम सं० 68 की धारा 7 द्वारा (27-10-1993 से) खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया गया।

² 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 9 द्वारा (28-9-1981 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

420. अधिभारित करने या अधिक यात्री लेने का प्रतिषेध—(1) केन्द्रीय सरकार चलत जलयान में स्थोरा या यात्रियों के वहन को विनियमित करने के लिए और ऐसे जलयान पर जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) चलत जलयानों पर निर्बाध फलक का समनुदेशन ;
- (ख) ऐसे जलयानों पर ऐसे निर्बाध फलक का चिह्नांकन और ऐसे चिह्नों का बनाए रखा जाना ;
- (ग) ऐसे जलयानों पर यात्रियों के लिए आबंटित स्थान का सर्वेक्षण ;
- (घ) प्रत्येक यात्री के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान सुविधा का मापमान और प्रकार।

(3) ऐसे किसी भी चलत जलयान को, जो निर्बाध फलक के चिह्नांकन के बिना समुद्र यात्रा करता है या उस पर अग्रसर होता है ; या किसी ऐसे जलयान को, जो इस प्रकार से लादा जाता है कि उसके अंकित चिह्न डूब जाएं, समुचित अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक जलयान पर इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसरण में निर्बाध फलक चिह्नांकित नहीं कर दिए जाते हैं या जलयान को इस प्रकार से नहीं लादा जाता है कि उसके अंकित चिह्न न डूबें।

(4) इस धारा में निर्बाध फलक से सम्बन्धित कोई बात ऐसे किसी चलत जलयान को लागू नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में भाग 9 के अधीन भार रेखा समनुदिष्ट है।

421. निरीक्षण प्रमाणपत्र—(1) कोई चलत जलयान तब तक समुद्र यात्रा नहीं करेगा या उस पर अग्रसर नहीं होगा जब तक उस जलयान के सम्बन्ध में इस भाग के अधीन मंजूर किया गया कोई प्रवृत्त निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ; ऐसा प्रमाणपत्र उस समुद्र यात्रा को लागू होना चाहिए जिस पर जलयान जाने वाला या अग्रसर होने वाला है।

(2) चलत जलयान के सम्बन्ध में निरीक्षण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी, अर्थात् :—

- (क) जलयान का नाम और टनभार ;
- (ख) जलयान के स्वामी और टिंडल के नाम ;
- (ग) कर्मीदल की अधिकतम संख्या और उन यात्रियों की अधिकतम संख्या जिनका वहन करने के लिए जलयान योग्य है ;
- (घ) वे सीमाएं जिनके भीतर जलयान का उपयोग व्यापार के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है तथा वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए जलयान का उपयोग व्यापार के लिए किया जा सकता है ;
- (ङ) जलयान को समनुदिष्ट निर्बाध फलक की विशिष्टियां,

और निरीक्षण प्रमाणपत्र में इस आशय का कथन अंतर्विष्ट होगा कि उसका हल, साजसज्जा और उपस्कर (जिसमें सहायक मशीनें, यदि कोई हैं, भी हैं) ठीक दशा में हैं।

(3) प्रत्येक निरीक्षण प्रमाणपत्र उनके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, या ऐसी लघुतर अवधि के लिए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, लागू रहेगा :

परन्तु जहां कोई चलत जलयान उसके प्रमाणपत्र के अवसान के समय भारत के बाहर समुद्र यात्रा पर है, वहां प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक जलयान ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् प्रथम बार भारत में किसी पत्तन पर नहीं पहुंच जाता है।

(4) इस भाग के अधीन रजिस्टर किए गए चलत जलयान को सीमाशुल्क कलक्टर तब तक पत्तन निकासी मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका स्वामी या टिंडल उस जलयान के संबंध में इस भाग के अधीन मंजूर किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र पेश नहीं करता है।

422. निरीक्षण प्रमाणपत्र का रद्दकरण, पुनः जारी किया जाना, आदि—(1) किसी चलत जलयान के संबंध में निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् किसी समय यदि महानिदेशक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जलयान समुद्र यात्रा करने या उस पर अग्रसर होने के योग्य नहीं है तो वह, स्वामी को व्यपदेशन करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है।

(2) निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् किसी समय यदि चलत जलयान में तात्त्विक परिवर्तन किया जाता है या वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या जहां किसी चलत जलयान का निरीक्षण प्रमाणपत्र उपधारा (1) के अधीन रद्द कर दिया जाता है और ऐसे प्रमाणपत्र को पुनः जारी करने या नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है तो रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र पुनः जारी करने या नया प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व ऐसे जलयान का निरीक्षण कराएगा ; और यदि जलयान का निरीक्षण करने वाला प्राधिकारी यह रिपोर्ट करता है कि जलयान समुद्र यात्रा पर जाने या अग्रसर होने के योग्य नहीं है या उसका हल, साजसज्जा और उपस्कर (जिसके अन्तर्गत सहायक मशीनें, यदि कोई हैं, भी हैं) वृष्टिपूर्ण हैं तो ऐसा प्रमाणपत्र तब तक पुनः जारी या जारी नहीं किया जाएगा जब तक

जलयान ऐसे प्राधिकारी की राय में समुद्र यात्रा पर जाने या अग्रसर होने के योग्य नहीं हो जाता है या ऐसी त्रुटि ऐसे प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से ठीक नहीं कर दी जाती है।

423. परिवर्तनों का रजिस्टर किया जाना—जब चलत जलयान में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जो रजिस्ट्री प्रमाणपत्र में उसके संबंध में दर्ज की गई विशिष्टियों से मेल नहीं खाते हैं तब ऐसे जलयान का स्वामी ऐसे परिवर्तनों की रिपोर्टें उस पत्तन के रजिस्ट्रार को करेगा जहां जलयान रजिस्टर किया गया है और रजिस्ट्रार, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं, या तो परिवर्तनों को रजिस्टर करेगा या यह निदेश देगा कि जलयान को नवीन रूप से रजिस्टर कराया जाए।

424. रजिस्ट्री का अन्तरण—चलत जलयान की रजिस्ट्री भारत के एक पत्तन से दूसरे पत्तन को जलयान के स्वामी या टिंडल के आवेदन पर, ऐसे नियमों के अनुसार जैसे इस निमित्त बनाए जाएं, अंतरित की जा सकती है।

425. रजिस्ट्री का बन्द किया जाना—यदि चलत जलयान खो जाता है, नष्ट हो जाता है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है तो ऐसे जलयान का स्वामी बिना किसी विलम्ब के ऐसी स्थिति की सूचना उस पत्तन के रजिस्ट्रार को देगा जहां जलयान रजिस्टर किया गया है और रिपोर्ट के साथ जलयान से संबंधित रजिस्ट्री प्रमाणपत्र भी रजिस्ट्रार को भेजेगा ; और तब रजिस्ट्रार जलयान की रजिस्ट्री बन्द कर देगा।

426. चलत जलयानों के अन्तरण पर निर्बन्धन—कोई व्यक्ति इस भाग के अधीन रजिस्टर किए गए किसी चलत जलयान या उसमें कोई हित केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्तरित या अर्जित नहीं करेगा और इस धारा के उल्लंघन में किया गया कोई संव्यवहार शून्य और अप्रवर्तनीय होगा।

427. चलत जलयानों का बन्धक—(1) उस तारीख के पश्चात् जिसको यह भाग प्रवृत्त होता है, किसी चलत जलयान या उसके किसी भाग का प्रत्येक बन्धक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया जाएगा।

(2) उस तारीख के पूर्व, जिस तारीख को यह भाग प्रवृत्त होता है, चलत जलयान या उसमें के किसी हित का प्रत्येक बन्धक, यदि वह उस तारीख को विद्यमान है तो, उस तारीख के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार चलत जलयान के ऐसे प्रत्येक बन्धक को उस क्रम में रजिस्टर करेगा जिस क्रम में जलयान उसके पास रजिस्टर किया गया है।

(4) यदि एक चलत जलयान या उसमें के हित के सम्बन्ध में एक से अधिक बन्धक अभिलिखित हैं तो, किसी विवक्षित या अविवक्षित या आन्वयिक सूचना होते हुए भी, बन्धकों को उस तारीख के अनुसार, जिस तारीख को प्रत्येक बन्धक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर की गई है, पूर्विकता दी जाएगी न कि प्रत्येक बन्धक की अपनी तारीख के अनुसार :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन सापेक्ष पूर्विकताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उस तारीख के पूर्व, जिस तारीख को यह भाग प्रवृत्त होता है, उसी जलयान या उसमें के हितों के ऐसे बन्धकों के बीच विद्यमान थीं जैसे उस तारीख के पूर्व किए गए और उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर किए गए हैं।

428. रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र, आदि के कपटपूर्ण प्रयोग का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति किसी चलत जलयान के संबंध में मंजूर किए गए रजिस्ट्री प्रमाणपत्र का उस जलयान के विधिपूर्ण नौपरिवहन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी चलत जलयान के नौपरिवहन के लिए किसी ऐसे रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो उस जलयान के सम्बन्ध में मंजूर नहीं किया गया है।

(3) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में किसी चलत जलयान का रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र है ऐसे प्रमाणपत्र की मांग किए जाने पर, जलयान के स्वामी को, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उसे परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा या उसे परिदत्त करने में लोप नहीं करेगा।

429. चलत जलयान के कर्मीदल से संबंधित विवरण को रखना—(1) चलत जलयान का प्रत्येक स्वामी या टिंडल जलयान के कर्मीदल का एक विवरण, विहित प्ररूप में, रखेगा या रखवाएगा, जिसमें कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां रहेंगी :—

- (क) नाम ;
- (ख) देय मजदूरी ;
- (ग) निकट संबंधियों के नाम और पते ;
- (घ) नियोजन प्रारम्भ होने की तारीख ; और
- (ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जाएं।

(2) जलयान के कर्मीदल में प्रत्येक परिवर्तन उपधारा (1) के अधीन विवरण में दर्ज किया जाएगा।

(3) ऐसे विवरण की और उसमें दर्ज किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि संबंधित जलयान के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को यथासंभव शीघ्र संसूचित की जाएगी।

430. स्थोरा के अवभारण के बारे में जांच—(1) किसी स्वामी या टिंडल ने यदि समुद्र यात्रा के दौरान, मौसम की असामान्य दशा के कारण या किसी अन्य कारण से, किसी चलत जलयान के सम्पूर्ण स्थोरा या उसके किसी भाग को अवभारित किया है या अवभारित करने का दावा करता है तो वह जलयान के भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् स्थोरा को अवभारित करने की सूचना ऐसे पत्तन के समुचित अधिकारी को देगा और अवभारित स्थोरा की पूरी विशिष्टियां तथा वे परिस्थितियां जिनमें उसे अवभारित किया गया था, ऐसी सूचना में अन्तर्विष्ट होंगी।

(2) जब ऐसे अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके पत्तन में किसी चलत जलयान से स्थोरा अवभारित किया गया है तो वह इस प्रकार प्राप्त जानकारी केन्द्रीय सरकार को तुरन्त लिखित में रिपोर्ट करेगा और उस विषय में जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

431. गैर-भारतीय चलत जलयानों का अनुज्ञा के बिना तटीय व्यापार में न लगना—(1) जो चलत जलयान, भारत के नागरिक ¹[या ऐसी कम्पनी या सहकारी सोसाइटी के, धारा 21 के, यथास्थिति, खंड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को, पूरा करती है,] स्वामित्वाधीन नहीं है वह महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा के बिना भारत के तटीय व्यापार में नहीं लगेगा।

(2) महानिदेशक ऐसी अनुज्ञा देते समय ऐसे निबंधन और ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिन्हें वह ठीक समझे और जलयान के स्वामी या भारसाधक अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके पास उतनी रकम जमा करे जितनी महानिदेशक ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों को सम्यक् रूप में पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है।

(3) सीमाशुल्क कलक्टर ऐसे जलयान को, जो इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है और भारत के तटीय व्यापार में लगा है या लगाने का प्रयास करता है, तब तक पत्तन निकासी पत्र मंजूर नहीं करेगा जब तक उसके स्वामी या भारसाधक व्यक्ति द्वारा महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा पेश नहीं कर दी जाती है।

432. अतिभारित गैर-भारतीय चलत जलयानों का निरुद्ध किया जाना—(1) यदि भारत के बाहर किसी देश में रजिस्ट्रीकृत कोई चलत जलयान भारत में किसी पत्तन या स्थान पर अतिभारित दशा में पहुंचता है या वहां से अग्रसर होता है तो जलयान का भारसाधक व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) चलत जलयानों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए अतिभारित दशा में है यदि :—

(क) जलयान पर उस देश द्वारा, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है, जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भार लादा गया है ;

(ख) ऐसे मामले में जहां जलयान की बाबत कोई ऐसा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, जलयान का वास्तविक निर्बाध फलक उस निर्बाध फलक से कम है जो उस जलयान को इस भाग के अधीन रजिस्टर किए जाने की दशा में समनुदेशित किया गया होता।

(3) ऐसे चलत जलयान को, जो अतिभारित दशा में है और भारत में किसी पत्तन या स्थान से अग्रसर होने वाला है, तब तक निरुद्ध रखा जा सकता है जब तक उसका अतिभारित दशा में रहना समाप्त नहीं हो जाता है, किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन, जलयान के भारसाधक व्यक्ति के ऐसी अतिभारों की बाबत दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

433. स्वामी और टिंडल के बीच संविदाओं को विखंडित करने की न्यायालयों की शक्ति—जहां चलत जलयान के स्वामी और टिंडल के बीच उनके ऐसे संबंध की बाबत या उसके आनुषंगिक रूप में उठने वाले किसी विवाद की बाबत कोई कार्यवाई किसी न्यायालय में संस्थित की जाती है या इस धारा के प्रयोजन के लिए संस्थित की जाती है तो न्यायालय, यदि मामले की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह ऐसा करना न्यायसंगत समझता है तो स्वामी और टिंडल के बीच किसी संविदा को ऐसे निबंधनों पर विखण्डित कर सकता है जैसे वह न्यायसंगत समझे और यह शक्ति ऐसी अन्य अधिकारिता के अतिरिक्त होगी जिसका प्रयोग न्यायालय इस धारा से स्वतंत्र रूप में कर सकता है।

434. पोतों से संबंधित अन्य उपबंधों का चलत जलयानों को लागू होना—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि इस अधिनियम के इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न कोई उपबन्ध, जो चलत जलयानों को विनिर्दिष्टः लागू नहीं है, चलत जलयानों को ऐसी शर्तों, अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

²[**434क. चलत जलयान के कर्मीदल के सदस्यों का बीमा—**(1) इस धारा के अन्य उपबंधों और उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक चलत जलयान का स्वामी, उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार बीमा पालिसी कराएगा और उसे

¹ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 10 द्वारा (28-9-1981 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 2 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

चालू रखेगा जिससे कि ऐसे जलयान के कर्मिंदल के सभी सदस्य, सदस्य के रूप में नियोजन के अनुक्रम में हुई मृत्यु या दुर्घटना द्वारा हुई वैयक्तिक क्षति के विरुद्ध बीमाकृत रहें।

(2) प्रत्येक चलत जलयान के स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट बीमा पालिसी के लेने में आनुषंगिक खर्च उठाए तथा पालिसी को चालू रखने के लिए प्रीमियम का संदाय करे :

परन्तु ऐसी अधिकतम रकम, जिसका प्रीमियमों के रूप में प्रतिवर्ष संदाय करने के लिए चलत जलयान का स्वामी दायी होगा,—

(क) जहां कर्मिंदल के सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं है, वहां एक सौ पचास रुपए से,

(ख) जहां कर्मिंदल के सदस्यों की संख्या दस से अधिक है, वहां कर्मिंदल के प्रत्येक सदस्य के लिए पन्द्रह रुपए की दर से संगणित राशि से,

अधिक नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी जिसमें चलत जलयान के कर्मिंदल के रूप में नियोजित सभी सदस्यों के उनके ऐसे सदस्य के रूप में नियोजन के अनुक्रम में हुई मृत्यु या दुर्घटना द्वारा वैयक्तिक क्षति के विरुद्ध बीमा के लिए उपबंध होगा।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम में, निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :—

(क) चलत जलयान के कर्मिंदल के किसी सदस्य की दुर्घटना के कारण ऐसी वैयक्तिक क्षति की दशा में जिसके फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य क्षति की दशा में, संदाय की जाने वाली रकम :

परन्तु विभिन्न वैयक्तिक क्षतियों की बाबत जिनके फलस्वरूप मृत्यु नहीं होती है, विभिन्न रकमों के लिए उपबंध किया जा सकता है ;

(क) ऐसी रकमों के संदाय के लिए प्रक्रिया, और

(ख) स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय।

(5) जहां उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी चलत जलयान के किसी कर्मिंदल के सदस्य की, सदस्य के रूप में उसके नियोजन के अनुक्रम में किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु का वैयक्तिक क्षति की बाबत प्रतिकर संदेय है वहां यदि ऐसी मृत्यु या वैयक्तिक क्षति की बाबत इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार संदेय रकम—

(क) ऐसी अन्य विधि के अधीन संदेय प्रतिकर के बराबर है या उससे अधिक है तो ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा ;

(ख) ऐसी अन्य विधि के अधीन संदेय प्रतिकर से कम है तो ऐसी अन्य विधि के अधीन संदेय प्रतिकर को उक्त रकम में से घटा दिया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाई जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

434ख. बीमा पालिसी—(1) जब तक कि जलयान के कर्मिंदल के सदस्यों की बाबत धारा 434ख और उसके अधीन बनाई गई स्कीम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी चालू न हो तब तक कोई चलत जलयान न तो चलाया जाएगा और न ही अग्रसर होगा।

(2) कोई सीमाशुल्क कलक्टर किसी ऐसे चलत जलयान की, जब तक ऐसी बीमा पालिसी के स्वामी द्वारा उस पेश न किया जाए, तब तक पत्तन निकासी मंजूर नहीं करेगा।]

435. चलत जलयानों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) वह प्ररूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदनों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां ;

(ख) चलत जलयानों के टनभार को अभिनिश्चित करने की रीति ;

(ग) वह रीति जिसमें चलत जलयानों को निर्बाध फलक समनुदेशित किया जाएगा और निर्बाध फलक चिह्नांकित किया जाएगा ;

(घ) वे प्ररूप जिनमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे ;

(ङ) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और निरीक्षण प्रमाणपत्र के नष्ट हो जाने, खो जाने, गुम हो जाने, विरूपित या विकृत हो जाने की दशा में उनकी दूसरी प्रतियों का जारी किया जाना ;

(च) वह रीति जिसमें, और वह अवधि जिसके भीतर, चलत जलयानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में परिवर्तनों को रजिस्टर करने के लिए आवेदन किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रवर्तन की विशिष्टियों का पृष्ठांकन, चलत जलयानों को नए तौर पर रजिस्टर करने का निदेश दिए जाने की दशा में अनंतिम प्रमाणपत्रों की मंजूरी, अनंतिम प्रमाणपत्र के विधिमन्य रहने की अवधि और परिवर्तनों के रजिस्टर करने के आनुषंगिक सब अन्य विषय ;

(छ) वह रीति जिसमें चलत जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का भारत में एक पत्तन से अन्य पत्तन को अन्तरण करने के लिए आवेदन किए जाएंगे और ऐसे अन्तरण की बाबत रजिस्ट्रार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) वे प्राधिकारी जो चलत जलयानों का निरीक्षण करेंगे और इस भाग के अधीन निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेंगे ;

(झ) वह मापदण्ड जिसके अनुसार चलत जलयानों की, उन परिसीमाओं को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके भीतर उनका उपयोग व्यापार के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, वर्गीकृत किया जा सकेगा ;

(ञ) माल भाड़े की ऐसी दरों को नियत किया जाना जो चलत जलयान, भारत के तटीय व्यापार के संबंध में, किन्हीं विनिर्दिष्ट मालों या मालों के किसी वर्ग के लिए प्रभारित कर सकेंगे ;

(ट) वे उपस्कर जिनका वहन चलत जलयानों या चलत जलयानों के किसी वर्ग पर किया जाना चाहिए, जिनके अन्तर्गत टक्कर विनियमों द्वारा अपेक्षित जीवन रक्षा सम्बन्धी उपस्कर और अग्निसाधित्र, प्रकाश, शेष और संकेत भी हैं ;

(ठ) चलत जलयानों के यात्रियों के लिए व्यवस्था किए गए स्थान का सर्वेक्षण और ऐसे यात्रियों के लिए व्यवस्था की जाने वाले स्थान सुविधा का मापमान और प्रकार ;

(ड) वे प्राधिकारी जिन्हें रजिस्ट्रारों द्वारा इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों, परिवर्तनों को रजिस्टर करने और नए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की बाबत इत्तिला भेजी जाएगी ;

(ढ) चलत जलयानों के टिंडलों और कर्मीदल के अन्य सदस्यों की अर्हताएं, टिंडलों को अनुज्ञापत्र और कर्मीदल के अन्य सदस्यों को अभिज्ञान पत्र जारी करना, ऐसे अनुज्ञापत्र और अभिज्ञान पत्र जारी करने की शर्तें और उनका रद्दकरण या निलंबन ;

¹[(ण) वे फीस, जो रजिस्ट्री प्रमाणपत्रों के जारी करने या पुनः जारी करने के लिए, ऐसे प्रमाणपत्रों के जारी करने से पूर्व चलत जलयानों के सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए, चलत जलयानों के निरीक्षण के लिए और इस भाग के अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत की जा सकेगी तथा वह रीति जिससे ऐसी फीसों को वसूल किया जा सकेगा ;]

(त) वह प्ररूप जिसमें चलत जलयानों को चार्टर करने के लिए संविदा निष्पादित की जाएगी ;

(थ) वह प्ररूप जिसमें चलत जलयानों द्वारा मालों के वहन के लिए संविदा निष्पादित की जाएगी ;

(द) साधारणतया या तटीय व्यापार के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के बीच जलयानों द्वारा परिवहन के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं का लोकहित में या चलत जलयानों के हित में आरक्षण तथा वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा आरक्षण किया जा सकेगा ;

(ध) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ।

²[भाग 15क

मछली पकड़ने वाली नौका

435क. भाग का लागू होना—जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यह भाग मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका को लागू होगा ।

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 14 द्वारा खण्ड (ण) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

435ख. परिभाषा—इस भाग के प्रयोजनों के लिए “मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका” से अभिप्रेत है,—

(क) धारा 3 के खण्ड (12) में यथापरिभाषित प्रत्येक मछली पकड़ने का जलयान ;

(ख) लाभ के लिए मछली पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से लगा हुआ प्रत्येक चलत जलयान चाहे वह यांत्रिक नोदन साधनों से सुसज्जित हो अथवा नहीं ;

(ग) मछली पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग में आने वाली किसी अन्य प्रकार की प्रत्येक नौका या यान, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए मछली पकड़ने वाली नौका के रूप में विनिर्दिष्ट करे,

जो ऐसे व्यक्तियों के पूर्ण स्वामित्व में है, जिनमें से प्रत्येक को, यथास्थिति, धारा 21 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट वर्णनों में से कोई लागू होता है या जो ऐसी अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

435ग. रजिस्टर कराने के लिए बाध्यता—मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका इस भाग के अधीन रजिस्टर की जाएगी :

परन्तु इस भाग के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के भाग 5 या भाग 15 के अधीन या भारत में उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्टर की गई मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका को, इस भाग के अधीन इस भाग के प्रारम्भ से ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पुनः रजिस्टर किया जाएगा ;

परन्तु यह भी कि अयांत्रिक चलत जलयानों का रजिस्ट्रीकरण विभिन्न पत्तनों में ऐसी तारीखों को, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारम्भ किया जाएगा।

435घ. रजिस्ट्री पत्तन—(1) वे पत्तन जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, भारत में ऐसे पत्तन या स्थान होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के अधीन पत्तनों या रजिस्ट्री-स्थानों के रूप में, घोषित करे।

(2) ऐसे पत्तन या स्थान के बारे में, जिस पर किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका को इस भाग के अधीन तत्समय रजिस्टर किया गया है, यह समझा जाएगा कि वह उस नौका का रजिस्ट्री पत्तन या स्थान है और वही वह पत्तन या स्थान है, जिसकी वह नौका है।

435ङ. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के रजिस्ट्रार—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को प्रत्येक ऐसे पत्तन या स्थान पर जिसे धारा 435घ की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री पत्तन या स्थान के रूप में घोषित किया गया है, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

435च. रजिस्ट्री के लिए आवेदन—किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री के लिए—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो स्वामी के रूप में या उसके अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा करता है ;

(ख) एक से अधिक व्यष्टि की दशा में, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षा करते हैं, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा या, यथास्थिति, उसके या उनके अभिकर्ता या अभिकर्ताओं द्वारा; और

(ग) किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षा करती है, उसके अभिकर्ताओं द्वारा,

आवेदन किया जाएगा और अभिकर्ता के प्राधिकारी को, यदि उसकी नियुक्ति किसी व्यष्टि द्वारा की गई है तो उसे नियुक्त करने वाले व्यष्टि के हस्ताक्षर से और यदि किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसको सामान्य मुद्रा द्वारा लिखित रूप में, प्रमाणित किया जाएगा।

435छ. रजिस्ट्री प्रमाणपत्र—(1) प्रत्येक मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का स्वामी, जिसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना इस भाग के अधीन अपेक्षित है मछली पकड़ने वाली नौका के संबंध में, रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र के अनुदत्त किए जाने के लिए, विहित प्ररूप में, रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(2) मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका का ऐसा स्वामी, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, विहित रीति से, मछली पकड़ने वाली नौका के टनभार को अभिनिश्चित कराएगा।

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे आवेदन में, अन्तर्विष्ट विशिष्टियों की बाबत, ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मछली पकड़ने वाली नौकाओं का रजिस्टर कहा गया है) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की बाबत, निम्नलिखित विशिष्टियां दर्ज करेगा, अर्थात् :—

(क) मछली पकड़ने वाली नौका का नाम, वह स्थान जहां उसका निर्माण किया गया था और वह पत्तन जिसकी वह है ;

(ख) रिग, मछली पकड़ने वाली नौका का प्रकार और टनभार ;

(ग) मछली पकड़ने वाली नौका का समनुदिष्ट संख्यांक ;

(घ) मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी का नाम, उपजीविका और निवास-स्थान ;]

(ङ) स्वामी द्वारा मछली पकड़ने वाली नौका के संबंध में किए गए बंधक, यदि कोई हों ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(4) उपधारा (3) के अधीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं के रजिस्टर में, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की बाबत विशिष्टियों के दर्ज करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार आवेदक को विहित प्ररूप में, एक रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र, अनुदत्त करेगा ।

(5) मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका का स्वामी, रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र के लिए फीस का संदाय उस मापमान के अनुसार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, मछली पकड़ने वाली नौका के टनभार को ध्यान में रखते हुए, विहित की जाए, किन्तु ऐसी फीस सकल टनभार के प्रतिटन के लिए एक रुपए से अधिक नहीं होगी ।

(6) मछली पकड़ने वाली ऐसी भारतीय नौका को, जिससे यह अपेक्षा है कि वह इस भाग के अधीन रजिस्टर की जाए, किन्तु जो इस प्रकार रजिस्टर नहीं की गई है, समुचित अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक कि मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामी, कप्तान, टिंडल या उसका अन्य भारसाधक व्यक्ति मछली पकड़ने वाली नौका की बाबत रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है ।

435ज. पेंट की जाने वाली मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के संबंध में विशिष्टियां—इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का स्वामी मछली पकड़ने वाली नौका को काम में लाने से पूर्व, विहित रीति में अस्थायी रूप से वह नाम, जिससे मछली पकड़ने वाली नौका को रजिस्टर किया गया है, रजिस्ट्रार द्वारा मछली पकड़ने वाली नौका को समनुदिष्ट संख्यांक तथा उस पत्तन या स्थान का नाम जिसकी वह है, मछली पकड़ने वाली नौका के सहजदृश्य भाग पर स्थायी रूप से पेंट करेगा या करवाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा कि मछली पकड़ने वाली नौका पर इस धारा द्वारा अपेक्षित विशिष्टियां पेंट की गई स्थिति में बनी रहती हैं ।

435झ. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के नाम में परिवर्तन—इस भाग के अधीन रजिस्टर की गई किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा केवल इस निमित्त बनाए गए, नियमों के अनुसार ही किया जाएगा ।

435ञ. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के लिए विशेष उपबंध—इस भाग के अधीन रजिस्टर की गई मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका के फलक पर, ऐसे जीवन रक्षक साधित्र तथा अग्नि साधित्र जो धारा 288, 289 और 457 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ऐसी छूटों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका की बाबत, विशेष रूप से मंजूर किए जाएं, रखे जाएंगे ।

435ट. निरीक्षण प्रमाणपत्र—(1) कोई भी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका तब तक समुद्र यात्रा नहीं करेगी या यात्रा पर अग्रसर नहीं होगी जब तक उस मछली पकड़ने वाली नौका के संबंध में इस भाग के अधीन मंजूर किया गया कोई प्रवृत्तशील निरीक्षण प्रमाणपत्र न हो ।

(2) किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की बाबत निरीक्षण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी :—

(क) मछली पकड़ने वाली नौका का नाम और टन भार ;

(ख) मछली पकड़ने वाली नौका के कप्तान, टिंडल या उसके अन्य भारसाधक व्यक्ति का नाम ;

(ग) मछली पकड़ने वाली नौका के कर्मीदल के सदस्यों की अधिकतम संख्या जिसे ले जाने के लिए वह प्रमाणित की गई है ;

(घ) ऐसे सुरक्षा उपस्कर और साधित्र जो मछली पकड़ने वाली नौका के फलक पर ले जाने के लिए अपेक्षित हों ;

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करने के लिए ठीक समझे,

और उसमें इस आशय का कथन अन्तर्विष्ट होगा कि उसका हल, साजसज्जा, उपस्कर तथा मशीनरी जहां लगाई गई हो, ठीक दशा में है ।

(3) प्रत्येक, निरीक्षण-प्रमाणपत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या ऐसी लघुतर अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु जब मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका, प्रमाणपत्र के अवसान के समय, समुद्र में हो, तब प्रमाणपत्र, उस समय तक विधिमाम्य रहेगा जब तक कि वह प्रथम बार भारतीय में किसी पत्तन या स्थान में नहीं पहुंच जाती है।

435उ. निरीक्षण प्रमाणपत्र का रद्दकरण, पुनः जारी किया जाना, आदि—(1) जहां किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के संबंध में, निरीक्षण-प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् किसी समय रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मछली पकड़ने वाली नौका समुद्र में अग्रसर होने के योग्य नहीं है, तो वह स्वामी का, अध्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा।

(2) जहां निरीक्षण-प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् किसी समय यदि मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका में तात्त्विक परिवर्तन किया जाता है या वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या जहां उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण-प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाता है और ऐसे प्रमाणपत्र को पुनः जारी करने या नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है तो वहां रजिस्ट्रार, यथास्थिति, प्रमाणपत्र पुनः जारी करने या नया प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका का निरीक्षण कराएगा और यदि निरीक्षण करने वाला प्राधिकारी यह रिपोर्ट करता है कि मछली पकड़ने वाली नौका समुद्र में अग्रसर होने के योग्य नहीं है या उसका हल, साजसज्जा या उसके उपस्कर त्रुटिपूर्ण हैं, तो ऐसा प्रमाणपत्र पुनः जारी या जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि मछली पकड़ने वाली नौका ऐसे प्राधिकारी की राय में समुद्र में अग्रसर होने के योग्य नहीं हो जाती है या ऐसी त्रुटि ऐसे प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ठीक नहीं कर दी जाती है।

435ड. सुरक्षा उपस्करों और साधित्रों का निरीक्षण—(1) धारा 9 के अधीन नियुक्त कोई सर्वेक्षक, धारा 435ड के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अन्य अधिकारी किसी भी युक्तियुक्त समय पर यह देखने के प्रयोजन से किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का निरीक्षण कर सकेगा कि उसमें धारा 435अ में निर्दिष्ट नियमों के अनुरूप सुरक्षा उपस्करों और साधित्रों का उपबंध उचित रूप से किया गया है।

(2) यदि, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, सर्वेक्षक या रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी को यह पता चलता है कि मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका में पूर्वोक्त उपस्करों और साधित्रों का उपबंध नहीं किया गया है तो वह स्वामी, कप्तान या टिंडल या मछली पकड़ने वाली नौका के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में उसकी कमी को बताते हुए सूचना देगा और यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कमी को दूर करने के लिए अपेक्षित उपचार क्या है।

(3) कोई भी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, समुद्र में तब तक अग्रसर नहीं होगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेती है कि उसमें पूर्वोक्त नियमों के अनुरूप सुरक्षा उपस्करों और साधित्रों का उचित रूप से उपबन्ध कर दिया गया है।

435ढ. परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण—जब मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका में ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जो रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र में उसके संबंध में दर्ज की गई विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हैं तब ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामी ऐसे परिवर्तनों की रिपोर्ट उस पत्तन या स्थान के रजिस्ट्रार को करेगा, जहां ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका रजिस्टर की गई है और रजिस्ट्रार ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाए जाएं या तो परिवर्तनों को रजिस्टर कराएगा या यह निदेश देगा कि मछली पकड़ने वाली नौका को नवीन रूप से रजिस्टर कराया जाए।

435ण. रजिस्ट्री का अन्तरण—किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री भारत में के एक पत्तन या स्थान से दूसरे पत्तन या स्थान को मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी के आवेदन पर, ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाए जाएं, अन्तरित की जा सकती है।

435त. रजिस्ट्री का बन्द किया जाना—यदि मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका खो जाती है नष्ट हो जाती है, या सेवा के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाती है, तो ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामी बिना किसी विलम्ब के इस तथ्य की रिपोर्ट उस पत्तन या स्थान के रजिस्ट्रार को करेगा जहां मछली पकड़ने वाली नौका रजिस्टर की गई है और मछली पकड़ने वाली नौका की बाबत रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र भी भेजेगा, और तब रजिस्ट्रार मछली पकड़ने वाली नौका की रजिस्ट्री बन्द कर देगा।

435थ. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के अन्तरण पर निर्बन्धन—कोई व्यक्ति इस भाग के अधीन रजिस्टर की गई मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या उसके किसी हित को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्तरित या अर्जित नहीं करेगा; और इस धारा के उल्लंघन में किया गया कोई संव्यवहार, शून्य और अप्रवर्तनीय होगा।

435द. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का बंधक—(1) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या उसके किसी हित का प्रत्येक बंधक, जो उस तारीख के पश्चात् किया गया हो जिसको यह भाग प्रवृत्त होता है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया जाएगा।

(2) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या उसमें के किसी हित का प्रत्येक बंधक, जो उस तारीख के पूर्व किया गया था जिसको यह भाग प्रवृत्त होता है यदि वह उस तारीख को विद्यमान है तो, उस तारीख के तीन मास के भीतर, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे प्रत्येक बन्धक की, मछली पकड़ने वाले नौका रजिस्टर में, उस क्रम में प्रविष्टि करेगा जिसमें वह उसके पास रजिस्टर की गई है।

(4) यदि, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या उसमें के हित के संबंध में एक से अधिक बन्धक अभिलिखित हैं, तो किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक सूचना के होते हुए भी बंधकों को उस तारीख के अनुसार जिस तारीख को प्रत्येक बंधक रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर की गई है, पूर्विकता दी जाएगी न कि प्रत्येक बंधक की पूर्विकता अपनी तारीख के अनुसार होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन सापेक्ष पूर्विकताओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस भाग के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पूर्व उसी मछली पकड़ने वाली नौका या उसमें के हित के बारे में ऐसे बंधकों के बीच विद्यमान थी जो उस तारीख के पूर्व किए गए और उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर किए गए हैं।

435ध. रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र आदि के कपटपूर्ण उपयोग पर प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के संबंध में मंजूर किए गए रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र का उस मछली पकड़ने वाली नौका की विधि पूर्ण संक्रिया से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की संक्रिया के लिए ऐसे रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो उस मछली पकड़ने वाली नौका के सम्बन्ध में मंजूर नहीं किया गया है।

(3) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र है, किसी ऐसे प्रमाणपत्र की मांग किए जाने पर, मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी को, युक्तियुक्त हेतुक के बिना उसे परिदत्त करने से इंकार नहीं करेगा या उसे परिदत्त करने में लोप नहीं करेगा।

435न. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के कर्मिंदल से संबंधित विवरण को रखना—(1) रजिस्ट्रीकृत पच्चीस टन भार और उससे ऊपर की मछली पकड़ने वाली यांत्रिक भारतीय नौका का प्रत्येक स्वामी, कप्तान, टिंडल या अन्य भारसाधक व्यक्ति पकड़ने वाली नौका के कर्मिंदल का एक विवरण विहित रूप में रखेगा या रखवाएगा जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य की बाबत, निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :--

- (क) उसका नाम ;
- (ख) उसको संदेय मजदूरी ;
- (ग) उसके निकट संबंधियों के नाम और पते ;
- (घ) उसका नियोजन प्रारम्भ होने की तारीख ; और
- (ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तथा ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के वर्ग को इस उपधारा के उपबन्धों से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, छूट दे सकेगी।

(2) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के कर्मिंदल में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को, उपधारा (1) के अधीन विवरण में दर्ज किया जाएगा।

(3) ऐसे विवरण और उसमें दर्ज किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि संबंधित मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के रजिस्ट्री के पत्तन या स्थान के रजिस्ट्रार को, यथासम्भव शीघ्र, संसूचित की जाएगी।

435प. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका से संबंधित नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस भाग के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

- (क) वह प्ररूप जिसमें रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए जाएंगे और वे विशिष्टियां जो ऐसे आवेदनों में होनी चाहिए ;
- (ख) वह रीति जिसमें मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका का टनभार अभिनिश्चित किया जाएगा ;
- (ग) वह प्ररूप जिसमें मछली पकड़ने वाली नौका का रजिस्टर बनाए रखा जाएगा ;
- (घ) वे प्ररूप जिनमें रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र और निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे ;
- (ङ) रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र या निरीक्षण प्रमाणपत्र और इस भाग के अन्य सभी प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीसें ;

(च) वह रीति जिसमें मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का नाम, उसको समनुदेशित संख्यांक और उस पत्तन या स्थान का नाम जिसकी वह हो, पेंट किया जाएगा ;

(छ) वह रीति जिसमें मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका के नाम में परिवर्तन किया जा सकेगा ;

(ज) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका द्वारा ऐसे सुरक्षा उपस्कर और साधित्रों से संबंधित अपेक्षाओं से छूट जो ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका की बाबत धारा 435ज के अधीन विशेष रूप से दी जाए ;

(झ) वह रीति जिसमें मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं में परिवर्तनों को रिपोर्ट किया जाएगा तथा किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन किए जाएंगे, रजिस्ट्री-प्रमाणपत्र पर परिवर्तन की विशिष्टियों का पृष्ठांकन, उन दशाओं में अनंतिम प्रमाणपत्रों का दिया जाना, जिनमें मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को नए सिरे से रजिस्टर करने के लिए निदेश दिया गया है, वे मामले जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, वह अवधि जिसके लिए अनंतिम प्रमाणपत्र वैध रहेंगे तथा परिवर्तनों के रजिस्टर करने से आनुषंगिक सभी अन्य विषय ;

(ञ) वह रीति जिसमें मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री को भारत में एक पत्तन या स्थान से भारत के दूसरे पत्तन या स्थान में अंतरित किया जा सकेगा ;

(ट) वह प्ररूप जिसमें मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका के कर्मीदल के सदस्य का विवरण बनाए रखा जाएगा ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

435फ. पोतों से संबंधित अन्य उपबंधों का मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं को लागू होना—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों से भिन्न, जो अभिव्यक्त रूप से मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को लागू नहीं होते, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कुछ उपबंध मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं को भी ऐसी शर्तों, अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू होंगे ।

435ब. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं द्वारा मत्स्य आंकड़ों का प्रस्तुत किया जाना—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मछली पकड़ने वाली प्रत्येक भारतीय नौका या मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग से, रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में और ऐसे कालिक अन्तरालों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, मत्स्य आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

435भ. छूट देने की शक्ति—इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका या मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका के वर्ग या कप्तान, टिंडल या ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका के कर्मीदल के सदस्य या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के किसी वर्ग को, इस भाग के किसी उपबंध के अनुसरण में बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा विहित अथवा उनमें अन्तर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा या इस अधिनियम की किसी अन्य अपेक्षा से, जिसका मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं पर या धारा 435फ के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका में नियोजित कार्मिकों पर विस्तार किया गया हो तब छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा का सारतः अनुपालन किया गया है या अपेक्षा का अनुपालन करना असाध्य अथवा मामले की परिस्थितियों के अनुसार, अयुक्तियुक्त हो सकता है ।]

भाग 16

शास्तियां और प्रक्रिया

शास्तियां

436. शास्तियां—(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसके किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य है, अपराध का दोषी होगा ; तथा यदि किसी ऐसे अपराध के लिए कोई शास्ति उपधारा (2) में विशेष रूप से उपबंधित नहीं की गई है तो वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित अपराध, सारणी के चतुर्थ स्तम्भ में ऐसे अपराधों के प्रतिनिर्देश से उल्लिखित विस्तार तक, दण्डनीय होंगे :—

क्रम सं०	अपराध	इस अधिनियम की वह धारा जिसमें अपराध के प्रतिनिर्देश है	शास्तियां
1	2	3	4
1.	यदि भारतीय पोत का स्वामी या मास्टर धारा 28 की उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है।	28(2)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
2.	यदि व्यक्ति धारा 30 में निर्दिष्ट निर्माता प्रमाणपत्र में जानबूझकर मिथ्या कथन करता है।	30	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
3.	यदि व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है।	35(2)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
4.	यदि भारतीय पोत का स्वामी या मास्टर धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अपराध करता है।	35(4)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
5.	यदि मास्टर, बिना किसी उचित कारण के धारा 36 की उपधारा (4) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	36(4)	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
6.	यदि व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, जिसके बारे में यह कथित किया गया है कि वह गुम हो गया है, खो गया है या नष्ट हो गया है, अवैध उपयोग करता है या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का हकदार व्यक्ति यदि तत्पश्चात् किसी समय उसे अभिप्राप्त कर लेता है किन्तु उक्त प्रमाणपत्र को, धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षा के अनुसार, रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में असफल रहता है।	36(5)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
7.	यदि मास्टर, धारा 38 की उपधारा (2) या उपधारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार को परिदत्त करने में असफल रहता है।	38(2), 38(3)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
8.	यदि स्वामी धारा 39 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है या यदि मास्टर उस धारा की उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	39(1) 39(2)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
9.	यदि कोई व्यक्ति धारा 42 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है।	42(1)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
10.	यदि कोई व्यक्ति धारा 55 के उल्लंघन में स्वयं कार्य करता है या अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को करने देता है या उस धारा के अधीन अपेक्षित कोई बात करने में स्वयं लोप करता है या अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा लोप करने देता है।	55	एक हजार रुपए तक जुर्माना, किन्तु इसमें की कोई बात, उस धारा की उपधारा (4) के अधीन, पोत को निरुद्ध रखने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
11.	यदि स्वामी पोत को नए सिरे से रजिस्टर कराने के लिए या धारा 56 के अधीन पोत के परिवर्तन को रजिस्टर कराने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है।	56	एक हजार रुपए तक जुर्माना और उसके अतिरिक्त दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक जुर्माना।
12.	यदि धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन घोषित के सिवाय कोई सुभिन्न राष्ट्रीय ध्वज किसी भारतीय पोत पर फहराए जाते हैं।	63(1)	ध्वज फहराने वाला मास्टर, स्वामी और प्रत्येक अन्य व्यक्ति पांच हजार रुपए तक जुर्माने के दायित्वाधीन होगा।

1	2	3	4
13.	यदि कोई व्यक्ति धारा 64 का उल्लंघन करता है।	64	दो वर्ष तक कारावास या पांच हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
14.	यदि स्वामी या मास्टर धारा 65 का उल्लंघन करता है।	65	दो वर्ष तक कारावास या पांच हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
15.	यदि धारा 66 के अनुपालन में व्यतिक्रम किया जाता है।	66	मास्टर एक हजार रुपए तक जुर्माने का दायी होगा।
16.	यदि कोई व्यक्ति, भाग 5 के अधीन रजिस्ट्रार के समक्ष की गई किसी घोषणा में या उसे पेश की गई दस्तावेज में अथवा ऐसे रजिस्ट्रार को पेश की गई किसी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य में ;— (क) किसी पोत के हक या स्वामित्व के सम्बन्ध; या उसमें विद्यमान किसी हित के सम्बन्ध में या पोत में किसी अंश के सम्बन्ध में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करता है या मिथ्या कथन करने या उपाप्त करने में सहायता करता है; अथवा (ख) ऐसे मिथ्या कथन से युक्त कोई घोषणा करता है या दस्तावेज पेश करता है या बनाता है या जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है।	साधारण	छह मास तक कारावास या, एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
¹ [17.	यदि,— (क) कोई व्यक्ति अपेक्षित प्रमाणपत्रित कर्मियों के बिना किसी पोत या मछली पकड़ने के जलयान को समुद्र को ले जाता है। (ख) कोई व्यक्ति धारा 76 में निर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी के रूप में नियोजित किए जाने पर सम्यक् रूप से प्रमाणपत्रित हुए बिना ऐसे अधिकारी के रूप में समुद्र यात्रा पर जाता है। (ग) कोई मास्टर सुसंगत समुद्री यात्रा के प्रारम्भ से पूर्व अपेक्षित कर्मीदल की सूची प्रस्तुत करने में या उस सूची में किए गए परिवर्तनों की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।	साधारण 76 84(1) (ग)	छह मास तक कारावास या दस हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों। छह मास तक कारावास, या पांच हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों। पांच हजार रुपए तक जुर्माना और इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध चालू रहता है, एक हजार रुपए तक जुर्माना।]
18.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 93 की अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है।	93	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
19.	यदि मास्टर धारा 94 की अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन करने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहता है।	94	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
20.	यदि कोई व्यक्ति धारा 95 की उपधारा (2) या धारा 96 या धारा 97 के उल्लंघन में कार्य करता है।	95(2)' 96, 97	प्रत्येक नाविक के लिए जिसके सम्बन्ध में अपराध किया जाता है, एक सौ रुपए तक जुर्माना।
21.	यदि कोई व्यक्ति धारा 98 की उपधारा (2) या धारा 99 के उल्लंघन में समुद्र यात्रा पर किसी नाविक को नियोजित करता है या उसका वहन करता है।	98 (2), 99	प्रत्येक नाविक के लिए जिसके सम्बन्ध में अपराध किया जाता है, एक सौ रुपए तक जुर्माना।

¹ 1987 के अधिनियम सं० 13 की धारा 9 द्वारा (17-1-1989 से) प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
22.	यदि मास्टर किसी नाविक के साथ इस अधिनियम के अनुसरण में करार किए बिना उसे समुद्र यात्रा पर ले जाता है।	100	प्रत्येक नाविक के लिए जिसके सम्बन्ध में अपराध किया जाता है, एक सौ रुपए तक जुर्माना।
23.	यदि मास्टर किसी नाविक के साथ उस मापमान से कम मापमान पर रसद के लिए करार करता है जो धारा 101 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन नियत किया गया है।	101(2) (छ)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
24.	यदि मास्टर बिना किसी उचित कारण के, धारा 105, धारा 106 की उपधारा (4) या धारा 107 की अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है।	105, 106(4) 107	पचास रुपए तक जुर्माना।
25.	यदि कोई व्यक्ति— (क) धारा 109, ^{1***} या धारा 111 के उल्लंघन में, काम करने के लिए समुद्र यात्रा पर ले जाया जाता है, अथवा (ख) धारा 109, ^{1***} या धारा 111 के उल्लंघन में, किसी हैसियत में काम करने के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा यह मिथ्या व्यपदेशन करने पर पोत पर नियोजित किया जाता है कि उस युवक की आयु उतनी है कि ऐसा नियोजन उन धाराओं के उल्लंघन में नहीं है।	109, ^{1***} 111	मास्टर पचास रुपए तक जुर्माने का दायी होगा। माता-पिता या अभिभावक पचास रुपए तक जुर्माने के दायी होंगे।
26.	यदि मास्टर, पोत परिवहन मास्टर द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, धारा 111 के अधीन उसे परिदत्त किए गए शारीरिक योग्यता प्रमाणपत्र को निरीक्षण के लिए पेश करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है।	साधारण	पचास रुपए तक जुर्माना।
27.	यदि पोत का मास्टर, जहां कर्मिंदल के साथ कोई करार नहीं है, धारा 112 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित युवा व्यक्तियों के रजिस्टर को रखने में असफल रहता है या पोत परिवहन मास्टर द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर ऐसे रजिस्टर को निरीक्षण के लिए पेश करने से इन्कार या उपेक्षा करता है।	साधारण	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
28.	यदि भारतीय पोत से भिन्न पोत का मास्टर भारत में किसी नाविक को धारा 114 के अनुसार से अन्यथा नियोजित करता है।	114	नियोजित किए गए प्रत्येक नाविक के लिए, एक सौ रुपए तक जुर्माना।
29.	यदि कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता जानबूझकर धारा 115 के अधीन किसी आदेश की अवज्ञा करता है।	115	तीन मास तक कारावास, एक हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों।
30.	यदि मास्टर धारा 116 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	116	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
31.	यदि कोई व्यक्ति धारा 117 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को उस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में अडचन डालता है।	साधारण	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
32.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 118 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में कार्य करता है।	118(1), 118(2)	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
33.	यदि मास्टर धारा 119 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, उस धारा की उपधारा (2) की अपेक्षा के अनुसार	119(1), 119(2)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 32 की धारा 17 द्वारा लोप किया।

1	2	3	4
	सक्षमता प्रमाणपत्र को संबंधित अधिकारी को वापस करने में असफल रहता है।		
34.	यदि मास्टर धारा 120 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	120	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
35.	यदि कोई व्यक्ति— (क) नाविक के किसी सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या कार्य के बारे में किसी प्रमाणपत्र या निरन्तर सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि की कूटरचना करता है या उसमें कपटपूर्वक परिवर्तन करता है; अथवा (ख) नाविक के किसी सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या कार्य के बारे में किसी प्रमाणपत्र या निरन्तर सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि का, जो कूटरचित है या परिवर्तित किया गया है या उसका नहीं है, कपटपूर्वक प्रयोग करता है।	साधारण	छह मास का कारावास या पांच सौ रुपए तक जुर्माना या दोनों।
36.	यदि कोई व्यक्ति धारा 121 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है।	121(1)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
37.	यदि मास्टर— (क) किसी युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 122 की उपधारा (1) या उपधारा (3) का अनुपालन करने में असफल रहता है; अथवा (ख) धारा 122 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए मिथ्या कथन परिदत्त करता है।	122(1), 122(3) 122(2)	} दो सौ रुपए तक जुर्माना।
38.	यदि मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 125 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	125	
39.	यदि मास्टर या स्वामी नाविक की मजदूरी का संदाय ऐसी रीति में करता है जो धारा 128 की उपधारा (1) के उल्लंघन में है।	128(1)	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
40.	यदि मास्टर धारा 131 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	131	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
41.	यदि कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 133 के अधीन किसी अध्यक्ष का अनुपालन करने में असफल रहता है।	133	पचास रुपए तक जुर्माना।
42.	यदि नाविक धारा 135 की उपधारा (3) का उल्लंघन करता है।	135(3)	एक मास तक कारावास, या एक सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों, किन्तु इसमें की कोई बात ऐसे किसी अन्य उपचार को समाप्त नहीं करेगी या परिसीमित नहीं करेगी जिसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति, संविदा भंग करने के लिए या अग्रिम दिए गए धन के प्रतिदाय के लिए या अन्यथा, कर सकता है।
¹ [42क.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 138क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।	138क	जुर्माना, जो अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करने के लिए किसी

¹ 1998 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा (26-9-1997 से) अंतःस्थापित।

1	2	3	4
			नाविक को संदेय प्रति घंटा औसत मजदूरी के दुगुने तक का हो सकेगा।]
43.	यदि कोई व्यक्ति किसी अधिनिर्णय के ऐसे किसी निर्बन्धन को भंग करता है जो धारा 150 की उपधारा (5) के अधीन उस पर बाध्यकर है।	साधारण	एक मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
44.	यदि कोई नाविक या स्वामी धारा 151 का उल्लंघन करता है।	151	छह मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
45.	यदि मास्टर मृत नाविक या शिष्य की सम्पत्ति का प्रभार ग्रहण करने में या आफिशियल लाग बुक में उसके संबंध में उचित प्रविष्टियां करने में या, धारा 154 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, ऐसी सम्पत्ति का संदाय या परिदान करने में, इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	154(1)	हिसाब न दी गई सम्पत्ति के मूल्य के तीन गुने तक या, यदि ऐसा मूल्य अभिनिश्चित नहीं है तो पांच सौ रुपए तक जुर्माना, किन्तु इसमें की कोई, बात हिसाब न दी गई सम्पत्ति का हिसाब न देने के बारे में धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन, दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।
46.	यदि भारतीय पोत का मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 163 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, किसी नाविक को अपने पोत पर ग्रहण करने या उसे यात्रा व्यय या निर्वहन व्यय देने अथवा उसके लिए व्यवस्था करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है।	163(1)	ऐसे प्रत्येक नाविक के लिए, एक हजार रुपए तक जुर्माना।
47.	(क) यदि मास्टर धारा 168 की उपधारा (3) के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहता है।	168(3)	दो सौ रुपए तक जुर्माना, किन्तु इसमें की कोई बात धारा 168 की उपधारा (2) के अधीन पोत को निरुद्ध रखने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
	(ख) यदि मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति, जो ऐसे पोत पर रसद या जल का भारसाधक है, जो धारा 168 के अधीन निरीक्षण के दायित्वाधीन है, निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को उस प्रयोजन के लिए उचित सुविधा प्रदान करने से इन्कार करता है या उसमें असफल रहता है।	168(6)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
48.	यदि मास्टर नाविक के साथ किए गए करार के अनुसार उसे रसद देने में असफल रहता है और न्यायालय समझता है कि ऐसी असफलता मास्टर की उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण थी,	साधारण	पांच सौ रुपए तक जुर्माना, किन्तु इसमें की कोई बात धारा 169 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी।
49.	यदि मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 171 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	171	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
50.	(क) यदि धारा 172 की किसी अपेक्षा का किसी पोत की दशा में अनुपालन नहीं किया जाता, अथवा	172	स्वामी तब के सिवाय दो सौ रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा जब वह यह साबित कर सके कि अननुपालन का कारण उसकी असावधानी, या जानबूझकर व्यतिक्रम नहीं था।
	(ख) यदि पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अड़चन पहुंचाई जाती है।		स्वामी या मास्टर जब के सिवाय दो सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय

1	2	3	4
			होगा जब वह यह साबित कर सके कि अड़चन उसकी जानकारी या मौनानुकूलता से नहीं पहुंचाई गई थी।
51.	यदि धारा 173 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विदेशगामी जलयान के फलक पर कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा अधिकारी नहीं ले जाया जाता है।	173(1)	स्वामी ऐसी प्रत्येक समुद्र यात्रा के लिए, जब पोत के फलक पर सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा अधिकारी को नहीं ले जाया जाता है, दो सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
52.	यदि मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 184 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	184	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
53.	यदि कोई व्यक्ति धारा 187 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	187(1)	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
54.	यदि कोई व्यक्ति धारा 188 का उल्लंघन करता है	188	पचास रुपए तक जुर्माना।
55.	यदि कोई व्यक्ति धारा 189 के प्रतिकूल पोत के फलक पर जाता है।	189	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
56.	यदि मास्टर, नाविक या शिक्षु धारा 190 का उल्लंघन करता है।	190	दो वर्ष तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
57.	यदि नाविक या शिक्षु— (क) अपने पोत का अभित्यजन करता है।	191(1) (क)	फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह किसी अन्य ऐसे पोत पर, जिस पर उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहत किए जाने के दायित्वाधीन होगी, और वह नाविक या शिक्षु उतनी अधिक रकम की पूर्ति करने के दायित्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जिस पोत का उसने अभित्यजन किया है, मास्टर या स्वामी द्वारा उसके स्थान पर नियोजित किए गए प्रतिस्थानी को मजदूरी की उस दर से उच्चतर दर पर देनी पड़े जिस दर पर ऐसे नाविक या शिक्षु को मजदूरी का संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था, तथा ऐसा नाविक या

1	2	3	4
			शिक्षु तीन मास तक कारावास के दायित्वाधीन भी होगा ।
	(ख) धारा 191 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) का उल्लंघन करता है ।	191(1) (ख)	यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो ऐसा नाविक या शिक्षु जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से न अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, उसकी मजदूरी में से समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे तथा ऐसा नाविक या शिक्षु दो मास तक कारावास के दायित्वाधीन भी होगा ।
58.	यदि कोई व्यक्ति धारा 193 की उपधारा (3) का उल्लंघन करता है ।	193(3)	दो सौ रुपए तक जुर्माना ।
59.	यदि नाविक या शिक्षु नीचे विनिर्दिष्ट अपराधों के दोषी हैं :—	194	
	(i) धारा 194 का खण्ड (क) ;		उसकी मजदूरी में से एक मास की मजदूरी से अनधिक राशि का समपहरण ।
	(ii) धारा 194 का खंड (ख) ;		उसकी मजदूरी में से दो दिन की मजदूरी से अनधिक राशि का समपहरण ।
	(iii) धारा 194 का खंड (ग) ;		एक मास तक कारावास और ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा चलते रहने के दौरान प्रत्येक चौबीस घंटे के लिए उसकी मजदूरी में से छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि का, अथवा ऐसे किन्हीं व्ययों का जो उसके प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, समपहरण भी ;
	(iv) धारा 194 के खंड (घ) और (ङ) ;		तीन मास तक कारावास या पांच सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों ।
	(v) धारा 194 का खंड (च) ;		उसकी मजदूरी में से उतनी राशि का समपहरण जो उठाई गई क्षति के समतुल्य हो, और तीन मास तक कारावास भी ।
60.	यदि कोई मास्टर धारा 197 का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	197	एक मास तक कारावास या एक सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों ।
61.	यदि नाविक नियोजित किए जाने पर या उसके पूर्व, अपने अंतिम पोत के नाम या तथाकथित अन्तिम पोत के नाम के बारे में जानबूझकर और कपटपूर्वक मिथ्या कथन करता है या अपने नाम के बारे में कपटपूर्वक मिथ्या कथन करता है ।	साधारण	पचास रुपए तक जुर्माना ।

1	2	3	4
62.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 202 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माने का संदाय करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है।	202	जुर्माना, जो उसके द्वारा असंदत्त जुर्माने की रकम के छह गुने तक हो सकता है।
63.	यदि कोई व्यक्ति धारा 203 का उल्लंघन करता है।	203	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
64.	यदि कोई व्यक्ति धारा 204 का उल्लंघन करता है।	204	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
65.	यदि कोई व्यक्ति धारा 205 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, पोत पर समुद्र यात्रा पर जाता है।	205(1)	एक मास तक कारावास या दो सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
66.	(क) यदि कोई व्यक्ति धारा 206 के खण्ड (क) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध की जानबूझकर अवज्ञा करता है ; अथवा	206(क)	तीन मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
	(ख) यदि कोई मास्टर या स्वामी, धारा 206 के खण्ड (ख) में अपेक्षित रीति में, कोई मजदूरी, धन या अन्य सम्पत्ति या राशि जमा करने से इंकार करता है या उसमें उपेक्षा करता है।	206(ख)	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
67.	यदि मास्टर धारा 208 की उपधारा (1) या धारा 209 में उपबंधित रीति में उनमें निर्दिष्ट दस्तावेजों परिदत्त या पारेषित करने में असफल रहता है।	208(1), 209	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
68.	यदि मास्टर धारा 210 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है।	210(1)	तीन मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
69.	यदि कोई व्यक्ति किसी अभित्याजक को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए संश्रय देता है या छिपाता है कि उसने अभित्यजन किया है।	साधारण	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
70.	यदि मास्टर धारा 214 की उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	214(2)	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
71.	(क) यदि धारा 215 की उपधारा (1) का अनुपालन नहीं किया जाता है ;	215(1)	यदि इस अधिनियम में कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है तो मास्टर पचास रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
	(ख) यदि कोई व्यक्ति धारा 215 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है।	215(2)	तीन सौ रुपए तक जुर्माना।
72.	यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी आफिशियल लॉग बुक में किसी प्रविष्टि को नष्ट करता है या विरूपित करता है या उसे अपाठ्य बना देता है या आफिशियल लॉग बुक में जानबूझकर कोई मिथ्या या कपटपूर्वक प्रविष्टि करता है या प्रविष्टि का लोप करता है या करने में सहायता देता है।	साधारण	एक वर्ष तक कारावास।
73.	यदि मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 216 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	216	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
74.	यदि मास्टर या स्वामी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 217 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	217	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
75.	यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 229 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में उपेक्षा करता है।	229(1)	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।

1	2	3	4
76.	यदि स्वामी या मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 230 के अधीन प्रमाणपत्र परिदत्त करने में असफल रहता है।	230	एक सौ रुपए तक जुर्माना।
77.	यदि धारा 231 की अपेक्षा के अनुसार सर्वेक्षण प्रमाणपत्र नहीं लगाया जाता है या लगा नहीं रहने दिया जाता है।	231	स्वामी या मास्टर दो सौ रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा।
78.	यदि पोत, धारा 220 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, यात्रियों का वहन करता है या वहन करने का प्रयास करता है या उसके फलक पर यात्रियों की संख्या धारा 232 की उपधारा (1) के उल्लंघन में है।	220(1), 232(1)	स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर एक हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा।
79.	(क) यदि व्यक्ति धारा 233 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी है।	233(1)	संबंधित व्यक्ति पचास रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा ; किन्तु यह दायित्व किसी भाड़े की वसूली पर, जो उसके द्वारा देय हो, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
	(ख) यदि व्यक्ति धारा 233 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है।	233(2)	तीन सौ रुपए तक जुर्माना।
80.	यदि ¹ [कोई विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत, धारा 237 की उपधारा (1) के उल्लंघन में भारत के भीतर किसी पत्तन या स्थान को छोड़ता है या उससे रवाना होता है या वहां किन्हीं ¹ [विशेष व्यापार यात्रियों या तीर्थ यात्रियों] को उतारता है अथवा यदि किसी व्यक्ति को ¹ [किसी विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत पर, धारा 237 की उपधारा (2) के उल्लंघन में विशेष व्यापार यात्री या तीर्थ यात्री के रूप में ग्रहण किया जाता है।	237(1), 237(2)	मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता एक हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा।
81.	यदि ¹ [किसी विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 238 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है।	238(1)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
82.	यदि कोई व्यक्ति धारा 239 द्वारा प्राधिकृत प्रवेश या निरीक्षण में अड़चन डालता है या ऐसा प्रवेश या निरीक्षण किए जाने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है।	239	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
83.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 246 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	246	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
84.	यदि ¹ [किसी विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, भाग 8 में उल्लिखित प्रमाणपत्रों में से किसी प्रमाणपत्र को अभिप्राप्त करने के पश्चात् कपटपूर्वक कोई ऐसा कार्य करता है या किए जाने देता है, जिससे प्रमाणपत्र, पोत की परिवर्तित स्थिति में, उसके ¹ [विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों को या उन अन्य विषयों को, जिनसे प्रमाणपत्र संबंधित है, लागू न रहे।	साधारण	छह मास तक कारावास, या दो हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
85.	यदि ¹ [विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत का मास्टर या उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियोजित कोई ठेकेदार धारा 247 का उल्लंघन करता है।	247	ऐसे प्रत्येक ¹ [विशेष व्यापार यात्री] या तीर्थ यात्री के लिए जिसका विहित रसद का प्रदाय करने में लोप के कारण अहित हुआ है, तीस रुपए तक जुर्माना।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
86.	यदि ¹ [कोई विशेष व्यापार यात्री] पोत या तीर्थ यात्री पोत, धारा 248 की उपधारा (1) के उल्लंघन में ¹ [विशेष व्यापार यात्रियों] या तीर्थ यात्रियों का वहन करता है।	248(1)	मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता दो हजार रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
87.	यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 249 का उल्लंघन करता है।	249	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
88.	यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 252 का उल्लंघन करता है।	252	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
89.	यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 255 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	255(1)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
² [89क.	यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 255 की उपधारा (6) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	255(6)	दो हजार रुपए तक जुर्माना।]
90.	यदि ¹ [किसी विशेष व्यापार यात्री पोत] पर धारा 259 की उपधारा (1) या उपधारा (2) की अपेक्षा के अनुसार, चिकित्सा अधिकारियों या चिकित्सा परिचरों का वहन नहीं किया जाता है अथवा यदि पोत पर, उस धारा की उपधारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, अस्पताल, चिकित्सा भंडार और उपस्कर की व्यवस्था की नहीं की जाती है।	259	मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 259 के उल्लंघन में की गई प्रत्येक समुद्र यात्रा के लिए पांच सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
² [90क.	(क) यदि तीर्थ यात्री पोत पर, धारा 259 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसरण में, चिकित्सा अधिकारियों और परिचरों का वहन नहीं किया जाता है।	259(4) (क)	मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 259 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उल्लंघन में की गई प्रत्येक समुद्र यात्रा के लिए तीन सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
	(ख) यदि चिकित्सा अधिकारी या परिचर तीर्थ यात्री पोत पर, धारा 259 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) का उल्लंघन करता है।	259(4) (ग)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।]
91.	यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 260 का उल्लंघन करता है।	260	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
³ *	*	*	*
94.	यदि किसी पोत की दशा में धारा 291 का अनुपालन नहीं किया जाता है।	291	मास्टर या स्वामी एक हजार रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
95.	यदि किसी पोत की दशा में धारा 292 का अनुपालन नहीं किया जाता है।	292	मास्टर या स्वामी दो सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
96.	यदि कोई पोत, धारा 297 के उल्लंघन में, समुद्र यात्रा के लिए अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	297	मास्टर या स्वामी दो सौ रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
97.	यदि कोई पोत अपने फलक पर धारा 298 ⁴ *** द्वारा अपेक्षित जानकारी रखे बिना समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	298 ⁵ ***	मास्टर या स्वामी एक हजार रुपए तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।
98.	यदि कोई पोत, धारा 307 के उल्लंघन में समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	307	मास्टर या स्वामी निम्नलिखित जुर्माने से दण्डनीय होगा,

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 25 द्वारा (1-12-1976 से) अन्तःस्थापित।

³ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 25 द्वारा (1-12-1976 से) क्रम सं० 92 और 93 का लोप किया गया।

⁴ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा (28-5-1966 से) "की उपधारा (1)" अभिव्यक्ति का लोप किया गया।

⁵ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा (28-5-1966 से) "(1)" कोष्ठक और अंक का लोप किया गया।

1	2	3	4
			अर्थात् :—
			(क) यात्री पोत की दशा में, पोत पर वहन किए जा रहे प्रत्येक यात्री के लिए एक सौ रुपए तक जुर्माना, किन्तु यह जुर्माना इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपचार या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ; और
			(ख) यात्री पोत से भिन्न पोत की दशा में एक हजार रुपए तक जुर्माना ।]
¹ [98क.	यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 309क का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	309क	पांच सौ रुपए तक जुर्माना ।]
99.	यदि कोई पोत, धारा 312 के उल्लंघन में, समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है ।	312	मास्टर या स्वामी एक हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा ।
100.	यदि किसी पोत को धारा 313 के उल्लंघन में लादा जाता है ।	313	मास्टर या स्वामी दस हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा और इसके अतिरिक्त, पोत पर प्रत्येक ओर की समुचित भार रेखाएं जहां तक डूब जाएं या यदि पोत लवण जल में होता और उसमें कोई नीति न होती तो, भार रेखाएं जहां तक डूब जातीं, उस भाग के प्रत्येक इंच या उसके भाग के लिए ² [पांच हजार रुपए] से अनधिक उतने जुर्माने से दंडनीय होगा जितना न्यायालय, पोत की अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए या भार रेखाओं के डूब जाने के कारण उसकी अर्जन क्षमता जितनी बढ़ जाती उसको ध्यान में रखते हुए, अधिरोपित करना ठीक समझे :
			परन्तु मास्टर या स्वामी के लिए यह साबित करना अच्छा प्रतिवाद होगा कि उल्लंघन का एकमात्र कारण, मार्ग परिवर्तन या देरी था जो मौसम की खराबी या ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण थीं जिन्हें मास्टर या स्वामी या चार्टरर, यदि कोई है, रोक नहीं सकता था या उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकता था ।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित ।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 16 द्वारा "एक हजार रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4
101.	(क) यदि भारतीय पोत का स्वामी या मास्टर धारा 314 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है, या (ख) यदि कोई व्यक्ति धारा 314 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है।	314(1) 314(2)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
102.	यदि मास्टर या स्वामी धारा 317 की उपधारा ¹ [(8)] की अपेक्षा के अनुसार, प्रमाणपत्र परिदत्त करने में असफल रहता है।	317 ¹ [(8)]	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
103.	यदि मास्टर धारा 318 की उपधारा (1) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	318(1)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
104.	(क) यदि भारतीय पोत का स्वामी धारा 319 की उपधारा (1) के खंड (क) का अनुपालन करने में असफल रहता है ; अथवा (ख) यदि मास्टर धारा 319 की उपधारा (1) के खंड (ख) या उपधारा (2) के खंड (क) या खण्ड (ख) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	319(1)(क) 319(1) (ख), 319(2)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
105.	यदि मास्टर धारा 320 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	320(1)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
² [105क.	यदि स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर धारा 331क की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	331क	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
106.	(क) यदि मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता धारा 332 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का दोषी है ; अथवा (ख) यदि पोत का स्वामी या मास्टर धारा 332 की उपधारा (2) के अधीन अपराध का दोषी है। (ग) यदि मास्टर धारा 332 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित सूचना परिदत्त करने में असफल रहता है अथवा किसी ऐसी सूचना में कोई ऐसा कथन करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है अथवा बिना सोचे विचारे ऐसा कथन करता है जो तात्त्विक विशिष्टियों में मिथ्या है।	332(1) 332(2) 332(3)	तीन हजार रुपए तक जुर्माना। एक हजार रुपए तक जुर्माना।
107.	यदि पोत को धारा 333 की उपधारा (1) के उल्लंघन में लादा जाता है।	333(1)	मास्टर या स्वामी दस हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा और इसके अतिरिक्त, पोत पर प्रत्येक ओर की समुचित उपखंडीय भार रेखाएं जहां तक डूब जाएं या, यदि पोत लवण जल में होता और उसमें कोई नीति न होती तो, उपखंडीय भार रेखाएं जहां तक डूब जातीं, उस भाग के प्रत्येक इंच या उसके भाग के लिए एक हजार रुपए से अनधिक उतने जर्मनि से दंडनीय होगा जितना न्यायालय पोत की अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, या भार रेखाओं के डूब जाने के

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 18 द्वारा (19-12-1970 से) “(5)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

1	2	3	4
			कारण उसकी अर्जन क्षमता जितनी बढ़ जाती उसको ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना ठीक समझे।
108.	यदि कोई व्यक्ति धारा 334 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का दोषी है या मास्टर उपधारा (2) के अधीन अपराध का दोषी है।	334(1), 334(2)	छह मास तक कारावास या एक हजार रुपए तक जुर्माना।
¹ [108क.	यदि कोई भारतीय न्यूक्लीय पोत धारा 344ग की उपधारा (1) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	344ग	मास्टर या स्वामी दस हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा।
108ख.	यदि कोई भारतीय न्यूक्लीय पोत धारा 344घ का अनुपालन करने में असफल रहता है।	344घ	मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता छह मास तक कारावास, या दस हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों से, दंडनीय होगा।
108ग.	यदि भारतीय पोत से भिन्न कोई न्यूक्लीय पोत धारा 344ङ के उल्लंघन में भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश करता है।	344ङ	मास्टर दस हजार रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा।
108घ.	यदि किसी न्यूक्लीय पोत का मास्टर धारा 344च की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है।	344च	दस हजार रुपए तक जुर्माना।
108ङ.	(क) यदि न्यूक्लीय पोत का मास्टर धारा 344छ की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है।	344छ(1), (2) और (5)	एक वर्ष तक कारावास, या दस हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
	(ख) यदि न्यूक्लीय पोत का स्वामी धारा 344छ की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	344छ (3), (5)	एक वर्ष तक कारावास, या दस हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।]
109.	यदि पोत का मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 348 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	348	तीन मास तक कारावास या तीन सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
110.	यदि मास्टर धारा 349 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	349	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
111.	यदि स्वामी या मास्टर, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 350 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	350	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
112.	यदि स्वामी या अभिकर्ता, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 351 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	351	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
113.	यदि कोई व्यक्ति धारा 353 का उल्लंघन करता है।	353	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
114.	यदि मास्टर धारा 354 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	354	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
115.	(क) यदि मास्टर धारा 355 की उपधारा (1) या उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	355(1), 355(2)	छह मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।
	(ख) यदि मास्टर धारा 355 की उपधारा (5) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	355(5)	एक हजार रुपए तक जुर्माना।
¹ [115क.	यदि मास्टर धारा 355क का अनुपालन करने में असफल रहता है।	355क	छह मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।]
² [115ख.	(क) यदि तेल या तैलीय मिश्रण का निस्सारण धारा 356ग की उपधारा (1) के उल्लंघन में किया जाता है,—		

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 16 द्वारा क्रम सं. 115ख, 115ग और 115घ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1	2	3	4
	(i) जहां ऐसा निस्सारण समुद्र में कहीं भी किसी भारतीय टैंकर से किया जाता है ;	356ग(1)	टैंकर का मास्टर पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
	(ii) जहां ऐसा निस्सारण किसी भारतीय तटीय जल के भीतर कहीं भी विदेशी टैंकर से किया जाता है ।	356ग(1)	टैंकर का मास्टर, या यदि टैंकर का कोई कर्मी नहीं है तो संक्रिया का भारसाधक व्यक्ति, पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
	(ख) यदि तेल या तैलीय मिश्रण का निस्सारण धारा 356ग की उपधारा (2) के उल्लंघन में किया जाता है,—		
	(i) जहां ऐसा निस्सारण समुद्र में कहीं भी टैंकर से भिन्न किसी भारतीय पोत द्वारा किया जाता है ;	356ग(2)	पोत का मास्टर पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ;
	(ii) जहां ऐसा निस्सारण भारतीय तटीय जल में कहीं भी टैंकर से भिन्न किसी विदेशी पोत द्वारा किया जाता है ।	356ग(2)	पोत का मास्टर, या यदि पोत का कोई कर्मी नहीं है तो, संक्रिया का भारसाधक व्यक्ति, पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
	(ग) यदि तेल या तैलीय मिश्रण का निस्सारण धारा 356ग की उपधारा (3) के उल्लंघन में किया जाता है ।	356ग(3)	अपतटीय संस्थापन का मास्टर यदि वह चल यान हो या अपतटीय किसी अन्य प्रकार के संस्थापन का स्वामी, आपरेटर, या पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
115ग.	यदि भारतीय पोत, धारा 356ङ अधीन विहित उपस्कर से सज्जित नहीं है ।	356ङ	भारतीय पोत का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता, दस हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
115घ.	(i) यदि भारतीय टैंकर या अन्य भारतीय पोत का मास्टर धारा 356च द्वारा अपेक्षित तेल अभिलेख बही बनाए रखने में असफल रहता है या उस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है ;	356च	भारतीय टैंकर या अन्य भारतीय पोत का मास्टर, पांच लाख रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ;
	(ii) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तेल अभिलेख बही की किसी प्रविष्टि को नष्ट करता है या विरूपित करता है या अपाठ्य बना देता है या उस बही में कोई प्रविष्टि करने से रोकता है या धारा 356च के अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, ऐसी बही में मिथ्या प्रविष्टि करता है या किए जाने देता है ।	356च	अपराधी, कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।
115ङ.	यदि किसी पोत का मास्टर धारा 356छ की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित तेल अभिलेख बही में की किसी प्रविष्टि की प्रति को ऐसी प्रविष्टि की सही प्रति होने के रूप में प्रमाणित करने से इन्कार करता है ।	356छ(2)	पोत का मास्टर एक हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
115च.	यदि कोई व्यक्ति धारा 356ज की उपधारा (1) के अधीन उस पर तामील की गई सूचना द्वारा यथा अपेक्षित कार्रवाई करने में असफल रहता है ।	356ज(1)	अपराधी कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
115छ.	यदि किसी भारतीय पोत, टग, बजरे या किसी अन्य उपस्कर का स्वामी धारा 356ठ की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	356ठ(1)	अपराधी कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में अपराधी दोषसिद्धि के पश्चात् जितने दिन तक अपराध चालू रहता है, प्रत्येक

1	2	3	4
			दिन के लिए दस हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।]
¹ [115ज.	यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी धारा 356द का पालन करने में असफल रहता है।	356द	पंद्रह लाख रुपए तक का जुर्माना।
115झ.	यदि मास्टर धारा 356ध के उल्लंघन में समुद्र यात्रा के लिए अग्रसर होता है या अग्रसर होने का प्रयास करता है।	356ध	तीन लाख रुपए तक का जुर्माना।
115ञ.	यदि किसी भारतीय पोत का स्वामी या कोई व्यक्ति, धारा 356प के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए उपायों का अनुपालन करने में असफल रहता है।	356प	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।
115ट.	यदि पोत का मास्टर धारा 356फ द्वारा यथा अपेक्षित अभिलेख को रखने में असफल रहता है।	356फ	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।
115ठ.	यदि पोत का मास्टर धारा 356ब की उपधारा (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	356ब(2)	एक लाख पचास हजार रुपए तक का जुर्माना।]
116.	यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 358 की उपधारा (2) के अधीन सूचना देने के लिए बाध्य है, ऐसी सूचना देने में असफल रहता है।	358(2)	पांच सौ रुपए तक जुर्माना, और उसके संदाय के व्यतिक्रम की दशा में, तीन मास तक साधारण कारावास।
117.	यदि मास्टर या पोत का अधिकारी धारा 378 का अनुपालन करने में असफल रहता है।	378	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
118.	यदि कोई व्यक्ति ध्वंसावशेष के प्रापक द्वारा धारा 392 के अधीन दिए गए किसी निदेश की अवज्ञा करता है।	392	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
119.	यदि किसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी किसी व्यक्ति द्वारा धारा 393 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग किए जाने में अड़चन डालता है या किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है।	393	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।
120.	(क) यदि कोई व्यक्ति धारा 395 के खंड (क) की अपेक्षा के अनुसार, ध्वंसावशेष के प्रापक को किसी ध्वंसावशेष को पाने की सूचना देने में लोप करता है ; अथवा (ख) यदि कोई व्यक्ति धारा 395 के खंड (ख) की अपेक्षा के अनुसार किसी ध्वंसावशेष को परिदत्त करने में लोप करता है।	395(क) 395(ख)	एक हजार रुपए तक जुर्माना। एक हजार रुपए तक जुर्माना, और इसके अतिरिक्त उद्धरण और संदाय के सब दायित्वों का, यदि उनके दावे किए जाते हैं तो, ऐसे ध्वंसावशेष के प्रापक के पक्ष में, अथवा यदि ऐसे दावे नहीं किए जाते हैं तो सरकार के पक्ष में, समपहरण और ऐसे ध्वंसावशेष के मूल्य के दुगुने से अनधिक शास्ति।
121.	यदि कोई व्यक्ति धारा 400 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है।	400	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।

¹ 2014 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

1	2	3	4
122.	(क) यदि पोत को धारा 406 की उपधारा (1) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा पर ले जाया जाता है यदि पोत, धारा 407 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तटीय व्यापार में लगता है ;	406(1), 407(1)	उस पोत का मास्टर या स्वामी या, भारतीय पोत से भिन्न पोत की दशा में, मास्टर या स्वामी का भारत में अभिकर्ता या उस पोत का चार्टरर जिसकी बाबत उल्लंघन हुआ है, छह मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
	(ख) यदि धारा 406 या धारा 407 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की किसी परिसीमा या शर्त का, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन किया जाता है ।	406, 407	
123.	यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 406 या धारा 407 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, धारा 409 का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	409	एक सौ रुपए तक जुर्माना ।
124.	(क) यदि धारा 411 के अधीन दिए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है ; अथवा (ख) यदि धारा 412 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है ।	411 412(3)	स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता छह मास तक कारावास, या एक हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
125.	यदि वह स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता, जिस पर धारा 413 के अधीन सूचना तामील की गई है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करते समय कोई ऐसा कथन करता है जिसके बारे में वह जानता है कि उस कथन की कोई तात्त्विक विशिष्टि मिथ्या है ।	413	
126.	यदि कोई चलत जलयान जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 417 के अधीन रजिस्टर किया जाए, उस धारा के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्टर नहीं किया जाता है ।	417	स्वामी या टिंडल पांच सौ रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा ।
127.	यदि स्वामी धारा 418 का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	418	दो सौ रुपए तक जुर्माना ।
128.	यदि धारा 419 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है ।	419	स्वामी या टिंडल दो सौ रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा ।
129.	यदि कोई चलत जलयान निर्बाध फलक अंकित किए बिना समुद्र यात्रा पर जाने या रवाना होने का प्रयास करता है या उसे इस प्रकार से लादा जाता है जिससे उसके चिहनांकन जलमग्न हो जाते हैं अथवा वह धारा 421 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार निरीक्षण प्रमाणपत्र के बिना समुद्र यात्रा पर जाता है या अग्रसर होता है अथवा यदि ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है ।	420(3), 421	स्वामी या टिंडल छह मास तक कारावास, या पांच सौ रुपए तक जुर्माने, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
130.	यदि स्वामी धारा 423 का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	423	दो सौ रुपए तक जुर्माना और इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहे, बीस रुपए प्रति दिन तक जुर्माना ।
131.	यदि स्वामी धारा 425 का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	425	दो सौ रुपए तक जुर्माना ।
132.	यदि कोई व्यक्ति धारा 426 का उल्लंघन करता है ।	426	पांच सौ रुपए तक जुर्माना ।
133.	यदि कोई व्यक्ति धारा 428 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है ।	428	तीन मास तक कारावास, या दो सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों ।
134.	यदि स्वामी या टिंडल धारा 429 के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	429	दो सौ रुपए तक जुर्माना ।

1	2	3	4
135.	यदि स्वामी या टिंडल धारा 430 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	430(1)	तीन मास तक कारावास, या दो सौ रुपए तक जुर्माना या दोनों।
136.	(क) यदि कोई चलत जलयान धारा 431 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तटीय व्यापार में लगाया जाता है; अथवा (ख) यदि धारा 431 की उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित निबंधनों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है।	431(1) 431(2)	स्वामी, टिंडल या अभिकर्ता छह मास तक कारावास, या पांच सौ रुपए तक जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा।
¹ [136क.]	यदि कोई व्यक्ति धारा 432 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का दोषी है।	432(1)	
² [137.	यदि स्वामी धारा 434क की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहता है।	434क(1)	छह मास तक कारावास या पांच हजार रुपए तक जुर्माना, या दोनों।]
³ [137क.	यदि किसी मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका को जो धारा 435ग के अधीन रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित है, उस धारा के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर नहीं किया गया है।	435ग	स्वामी एक हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
137ख.	यदि मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का स्वामी धारा 435ज के उपबंधों का पालन करने में असफल रहता है।	435ज	स्वामी दो सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
137ग.	यदि धारा 435झ के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435झ	स्वामी दो सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
137घ.	यदि धारा 435ञ के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435ञ	मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका का स्वामी, कप्तान, टिंडल या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जितने दिन तक अपराध चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् पचास रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।
137ङ.	यदि धारा 435ट के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435ट	मछली पकड़ने वाली किसी भारतीय नौका का स्वामी, कप्तान, टिंडल या अन्य भारसाधक व्यक्ति जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और दोषसिद्धि के पश्चात् जितने दिन तक अपराध चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।
137च.	यदि धारा 435ड के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435ड	स्वामी जुर्माने से, दंडनीय होगा जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा और दोषसिद्धि के पश्चात् जितने दिन तक अपराध चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।

¹ 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 22 द्वारा (15-7-1985 से) 136क के रूप में पुनःसंख्यांकित।

² 1984 के अधिनियम सं० 41 की धारा 22 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 16 द्वारा (15-7-1985 से) अंतःस्थापित।

1	2	3	4
137छ.	यदि धारा 435ढ के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435ढ	स्वामी जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और दोषसिद्धि के पश्चात् जितने दिन तक अपराध चालू रहता है प्रत्येक दिन के लिए बीस रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।
137ज.	यदि धारा 435त के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435त	स्वामी दो सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
137झ.	यदि कोई व्यक्ति धारा 435थ के उपबंधों का उल्लंघन करता है।	435थ	अपराधी पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
137ञ.	यदि कोई व्यक्ति धारा 435ध के उपबंधों का उल्लंघन करता है।	435ध	अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकती है या जुर्माने से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।
137ट.	यदि धारा 435न के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है।	435न	मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का स्वामी, कप्तान, टिंडल या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति दो सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।]
138.	(क) यदि मास्टर धारा 444 की उपधारा (2) के अधीन अपराध का दोषी है; अथवा (ख) यदि स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता धारा 444 की उपधारा (3) के अधीन अपराध का दोषी है।	444(2) 444(3)	} एक हजार रुपए तक जुर्माना।
139.	यदि कोई व्यक्ति धारा 450 के उल्लंघन में पोत सर्वेक्षक की वृत्ति को अपनाता है।	450	
140.	यदि कोई व्यक्ति धारा 454 की उपधारा (2) के उल्लंघन में ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी बाबत कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है।	454(2)	दो सौ रुपए तक जुर्माना।
141.	यदि कोई व्यक्ति धारा 456 की उपधारा (2) के अधीन अपराध का दोषी है।	456(2)	पांच सौ रुपए तक जुर्माना।

प्रक्रिया

437. विचारण का स्थान—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, या विनियम के अधीन कोई अपराध करने वाले व्यक्ति का उस अपराध के लिए विचारण किसी ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह व्यक्ति पाया जाए या जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसका विचारण किया जा सकता है।

438. अपराधों का संज्ञान—¹[विशेष व्यापार यात्री पोत] और तीर्थ यात्री पोत के मास्टर और स्वामी धारा 436 के अधीन जिन शास्तियों के दायित्वाधीन हैं वे केवल प्रमाणन अधिकारी की इत्तिला पर प्रवृत्त की जाएंगी अथवा किसी ऐसे पत्तन या स्थान पर जहां ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, वहां ऐसे अन्य अधिकारी की इत्तिला पर प्रवृत्त की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

¹ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 2 द्वारा (1-12-1976 से) “बर्थ रहित यात्री” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

439. मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता—¹[महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट] से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम या विनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

440. दण्ड की बाबत विशेष उपबन्ध—²[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में] किसी बात के होते हुए भी ²[महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट] के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम या विनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कोई दण्डादेश पारित करे।

441. कम्पनी द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे उल्लंघन की दोषी समझी जाएगी तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने की भागी होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तथा यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ³“कम्पनी” के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी, फर्म] या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

442. जब साक्षी को पेश न किया जा सके तब अभिसाक्ष्यों का साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना—(1) जब भी भारत में किसी स्थान पर साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा अथवा साक्षियों की सहमति से प्राधिकृत ⁴[किसी न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या किसी व्यक्ति के समक्ष, इस अधिनियम के अधीन संस्थापित किसी विधिक कार्यवाही के अनुक्रम में, किसी विषय के सम्बन्ध में, किसी साक्षी का परिसाक्ष्य अपेक्षित है और प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति (यथास्थिति), ऐसा करने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् साक्षी को ⁴[न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष पेश नहीं करता है तो उस साक्षी द्वारा उसी विषय के सम्बन्ध में किसी ⁵[न्यायालय, न्यायाधिपति या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] के समक्ष भारत में किसी अन्य स्थान पर, अथवा समुद्री बोर्ड के समक्ष या किसी भारतीय कौंसलीय आफिसर के समक्ष, अन्यत्र, उससे पूर्व दिया गया कोई अभिसाक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य होगा यदि,—

(क) अभिसाक्ष्य उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या ⁶[न्यायाधिपति या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या समुद्री बोर्ड या कौंसलीय आफिसर के हस्ताक्षर से प्राधिकृत है जिसके समक्ष परिसाक्ष्य दिया गया है ;

(ख) प्रतिवादी या अभियुक्त को स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर है ;

(ग) कार्यवाही दाण्डिक है तो, यह सबूत पेश किया जाता है कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था।

(2) किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या शासकीय प्रास्थिति को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसे अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर किए गए प्रतीत होते हैं ; और ऐसे व्यक्ति का यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर था, तथा वह अभिसाक्ष्य, यदि वह किसी दाण्डिक कार्यवाही में दिया गया है तो, अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था, तब तक जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस बात का साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर था और वह अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था।

443. नुकसान करने वाले विदेशी पोत को निरुद्ध रखने की शक्ति—(1) जब भी भारत की सरकार या भारत के किसी नागरिक या कम्पनी की सम्पत्ति को भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत द्वारा विश्व के किसी भी भाग में कोई नुकसान पहुंचाया जाता है

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 32” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1981 के अधिनियम सं० 43 की धारा 11 द्वारा (28-9-1981 से) “कम्पनी के अंतर्गत किसी फर्म का” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “न्यायाधिपति या मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा “न्यायाधिपति, मजिस्ट्रेट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

और तत्पश्चात् किसी भी समय वह पोत भारतीय अधिकारिता के भीतर पाया जाता है तो, ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर जो यह अभिकथित करता है कि नुकसान पोत के मास्टर या पोत के कर्मिंदल में से किसी सदस्य के अवचार या कौशल के अभाव के कारण पहुंचा था, उच्च न्यायालय किसी समुचित अधिकारी को या आदेश में नामित अन्य अधिकारी को यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि पोत को तब तक के लिए निरुद्ध रखा जाए जब तक पोत का स्वामी, मास्टर या परेषिती नुकसान से संबंधित किसी दावे की पुष्टि नहीं कर देता है या उन सब खर्चों और नुकसानियों के संदाय के लिए जो किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जो नुकसानी के सम्बन्ध में संस्थित की जाएं, अधिनिर्णीत की जाएं, उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप से प्रतिभूति नहीं दे देता है तथा ऐसा अधिकारी जिसको वह आदेश निर्देशित किया गया है पोत को तदनुसार निरुद्ध रखेगा।

(2) जब भी यह प्रतीत होता है कि इसके पूर्व कि इस धारा के अधीन आवेदन किया जाए वह पोत, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया जाने वाला है भारत से या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र से रवाना हो जाएगा तो कोई भी समुचित अधिकारी पोत को उतने समय के लिए निरुद्ध रख सकेगा जितने समय में आवेदन किया जा सके और उसका परिणाम पोत को निरुद्ध रखने वाले अधिकारी को संसूचित किया जा सके, तथा वह अधिकारी ऐसे निरोध के सम्बन्ध में तब तक किन्हीं खर्चों या नुकसानियों के लिए दायी नहीं होगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि पोत को बिना किन्हीं युक्तियुक्त आधार के निरुद्ध रखा गया था।

(3) उपरोक्त प्रकार की किसी नुकसानी के सम्बन्ध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति प्रतिवादी बनाया जाएगा और ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस पोत का स्वामी है जिसने नुकसान पहुंचाया है।

444. पोत को निरुद्ध रखने की शक्ति—(1) जहां किसी पोत को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसा आदेश दिया जाता है वहां भारतीय नौसेना का कोई कमीशन्ड आफिसर या कोई पत्तन अधिकारी, पाइलेट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन संरक्षक या सीमाशुल्क कलक्टर पोत को निरुद्ध रख सकेगा।

(2) यदि कोई पोत निरोध के पश्चात् या ऐसे निरोध की किसी सूचना या आदेश की मास्टर पर तामील किए जाने के पश्चात् और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पोत को निर्मुक्त किए जाने के पूर्व समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है तो पोत का मास्टर इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि समुद्र यात्रा के लिए इस प्रकार अग्रसर होने वाला पोत तब जब पोत को निरुद्ध रखने या उसका सर्वेक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए उस पोत के फलक पर है समुद्र यात्रा पर चल देता है तो ऐसे पोत का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति को समुद्र यात्रा पर ले जाने और उसके आनुषंगिक सब व्ययों के संदाय का दायी होगा और उस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी भी होगा।

(4) जब कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता उपधारा (3) के अधीन अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है तब सिद्धदोष ठहराने वाला मजिस्ट्रेट ऐसे स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा इस उपधारा के अधीन व्ययों मद्दे संदेय रकम के बारे में जांच कर सकेगा और उसका अवधारण कर सकेगा तथा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी रकम उससे उसी रीति में वसूल की जाएगी जिस रीति में जुमाने की वसूली के लिए उपबन्ध किया गया है।

445. जंगम सम्पत्ति या पोत के करस्थम् द्वारा मजदूरी आदि का उद्ग्रहण—(1) जब किसी ¹[न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी मजदूरी या अन्य धनराशि के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश दिया जाता है और वह धनराशि निर्दिष्ट समय पर और रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो आदेश में उल्लिखित राशि, ऐसी अतिरिक्त राशि सहित जैसी खर्चों के रूप में अधिनिर्णीत की जाए, उस व्यक्ति की ²[जिसे ऐसे मजिस्ट्रेट] द्वारा उस प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले वारंट के अधीन उस राशि का संदाय करने का निदेश दिया जाता है, जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्ग्रहीत की जा सकेगी।

(2) जहां किसी ³[न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी] या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन यह शक्ति है कि वह किसी नाविक की मजदूरी, जुमाने या अन्य धनराशि का संदाय करने का निदेश देने का आदेश दे सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय करने का निदेश दिया गया है पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता है और आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय पर अथवा रीति में उसका संदाय नहीं किया जाता है तो वह ⁴[न्यायालय या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या अधिकारी] या प्राधिकारी, किसी ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने के अतिरिक्त जो उसे, संदाय करने के लिए वारंट द्वारा विवश करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त है, यह निदेश दे सकेगा कि वह रकम, जिसका संदाय नहीं किया गया है, पोत और उसके उपस्कर के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्ग्रहीत की जाए।

446. विदेशी पोत की बाबत की गई कार्यवाहियों की कौंसलीय प्रतिनिधि को सूचना देना—यदि भारतीय पोत से भिन्न कोई पोत इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जाता है, या किसी ऐसे पोत के मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है तो उस देश के, जिसमें पोत रजिस्टर किया गया है, कौंसलीय आफिसर पर उसकी सूचना तुरन्त उस

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "न्यायालय, मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "किसी मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "न्यायालय, मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "न्यायालय, मजिस्ट्रेट, अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पत्तन पर या उसके निकटतम पत्तन पर तामील की जाएगी जहां पोत तत्समय है, तथा ऐसी सूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिन पर पोत को निरुद्ध रखा गया है या कार्यवाहियों की गई हैं।

447. जुर्माने का उपयोग—इस अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला ¹[यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट] यदि ठीक समझता है तो यह निदेश दे सकता है कि सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अहित के लिए, जो उस कार्य या व्यतिक्रम के कारण उसे हुआ है जिसकी बाबत जुर्माना अधिरोपित किया गया है, प्रतिपूर्ति के लिए अथवा अभियोजन के व्ययों मद्दे संदाय के लिए उपयोजित किया जाए।

448. दस्तावेजों की तामील—जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर कोई दस्तावेज तामील की जानी है तो ऐसी दस्तावेज—

(क) किसी भी मामले में उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की जानी है, उसकी प्रति वैयक्तिक रूप से परिदत्त करके या उसे उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, अथवा डाक द्वारा, तामील की जा सकेगी ;

(ख) यदि दस्तावेज की तामील पोत के मास्टर पर, यदि कोई है, अथवा पोत के किसी व्यक्ति पर की जानी है, तो वहां दस्तावेज को ऐसे मास्टर या व्यक्ति के लिए उस पोत के फलक पर उस व्यक्ति के पास छोड़कर, जो पोत का समादेश करता है या उसका प्रभारी है या समादेश करने वाला या प्रभारी प्रतीत होता है, तामील की जा सकेगी ;

(ग) यदि दस्तावेज की तामील पोत के मास्टर पर की जानी है और उसका कोई मास्टर नहीं है तथा पोत भारत में है तो दस्तावेज की तामील पोत के स्वामी पर की जा सकेगी या, यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है तो, स्वामी के भारत में निवास करने वाले किसी अभिकर्ता पर की जा सकेगी या यदि कोई ऐसा अभिकर्ता ज्ञात नहीं है या नहीं मिलता है तो दस्तावेज की एक प्रति पोत के मस्तूल पर लगाकर उसकी तामील की जा सकेगी।

भाग 17

प्रकीर्ण

449. परीक्षक नियुक्त करने और पोत सर्वेक्षकों की अर्हताओं के बारे में नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार भारत में किसी पत्तन पर पोत सर्वेक्षक का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों की अर्हताओं की परीक्षा लेने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, और—

(क) ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए और अपेक्षित अर्हताओं के लिए ;

(ख) अर्हित व्यक्तियों को प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए ;

(ग) ऐसी परीक्षाओं और प्रमाणपत्रों के लिए संदत्त की जाने वाली फीसों के लिए ;

(घ) ऐसे प्रमाणपत्रों के धारकों की असक्षमता और कदाचार के आरोपों के बारे में जांच करने के लिए ; और

(ङ) ऐसे प्रमाणपत्र रद्द और निलंबित करने के लिए,

नियम बना सकेगी।

450. कोई व्यक्ति तब तक पोत सर्वेक्षक के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकेगा जब तक वह अर्हित न हो—कोई व्यक्ति किसी ऐसे पत्तन में, जिसमें कोई व्यक्ति पोत सर्वेक्षक का व्यवसाय कर रहा है और धारा 449 के अधीन मंजूर किए गए प्रमाणपत्र का धारक है, तब तक ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास इस धारा के अधीन मंजूर किया गया प्रमाणपत्र न हो :

परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को जो लायड्स रजिस्टर आफ शिपिंग या ब्यूरो बैरिटास द्वारा या, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य वर्गीकरण सोसाइटी द्वारा, विनिर्दिष्टतः नियोजित किसी व्यक्ति को, ऐसे नियोजन के किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित नहीं करेगी या ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे केन्द्रीय सरकार ने इस धारा के प्रवर्तन से विशेष रूप से छूट दी है।

451. पोत सर्वेक्षक की पोत का निरीक्षण करने की शक्ति—धारा 449 के अधीन मंजूर किया गया प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो भारत में किसी पत्तन पर पोत सर्वेक्षक का व्यवसाय कर रहा है, अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए किसी पोत के फलक पर जा सकेगा और उस पोत के तथा उसके प्रत्येक भाग की मशीन, उपस्कर और स्थोरा का निरीक्षण कर सकेगा तथा किसी स्थोरा, स्थिरक-भार या नौकोपकरण उतारने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगा।

452. भारतीय पोत के फलक पर मृत्यु के कारण के बारे में जांच—(1) यदि विदेशगामी भारतीय पोत के फलक पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पत्तन पर, जहां पोत के कर्मिंदल को नियुक्त किया जाए, समुचित अधिकारी, या उससे पूर्वोत्तर भारत में जिस पत्तन का स्पर्श किया जाए उसका समुचित अधिकारी, पत्तन पर पोत के आगमन पर, मृत्यु के कारण के बारे में जांच

¹ 1983 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 और अनुसूची द्वारा "कोई मजिस्ट्रेट" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

करेगा, तथा जांच के परिणाम के अनुसार आफिशियल लाग बुक में इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि मृत्यु के कारण का उस बुक में विवरण उसकी राय में सत्य है अथवा उसके विपरीत है।

(2) यदि ऐसी किसी जांच के अनुक्रम में समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पोत के फलक पर मृत्यु हिंसा के कारण या अन्य अनुचित साधन से हुई है तो वह उस विषय को या तो महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा अथवा, यदि मामले की आवश्यकता के कारण ऐसा अपेक्षित है तो, अपराधी के विचारण के लिए अविलम्ब कार्रवाई करेगा।

453. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना—निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक सर्वेक्षक ;

(ख) भाग 12 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक न्यायाधीश, असेसर या अन्य व्यक्ति ;

(ग) पोत परिवहन अपघटनाओं के बारे में इत्तिला की रिपोर्ट करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(घ) भाग 10 के अधीन कोई अन्वेषण या जांच करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति और वे सब व्यक्ति जिनका वह अपनी सहायता के लिए आह्वान करता है ;

(ङ) पोत पर कोई विस्फोट होने या आग लगने के बारे में धारा 388 के अधीन अन्वेषण करने के लिए निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(च) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इसके अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक अन्य अधिकारी या व्यक्ति।

454. अन्वेषण, आदि करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों की शक्तियाँ—(1) अन्वेषण या जांच करने के लिए या पोत पर चढ़ने या उसका सर्वेक्षण या निरीक्षण करने या उसे निरुद्ध रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त प्रत्येक न्यायाधीश, असेसर, अधिकारी या अन्य व्यक्ति—

(क) किसी पोत के फलक पर जा सकेगा और उस पोत या उसके किसी भाग या किसी मशीन, उपस्कर या उसके फलक पर की किसी वस्तु अथवा ऐसे मास्टर या अन्य अधिकारी के, जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंध लागू हैं प्रमाणपत्रों का पोत के समुद्री यात्रा पर अग्रसर होने में अनावश्यक निरोध या विलम्ब किए बिना, निरीक्षण कर सकेगा तथा यदि पोत की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो पोत को निरीक्षण या सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए डाक में ले जाने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) किन्हीं ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा जिनमें प्रवेश करना और जिनका निरीक्षण करना उपरोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;

(ग) स्वहस्ताक्षरित समन द्वारा ऐसे सब व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा जिन्हें वह अपने समक्ष बुलाना ठीक समझे और उपरोक्त प्रयोजन के लिए उनका परीक्षण कर सकेगा तथा किन्हीं ऐसी पृच्छताछों के, जैसी पृच्छताछ करना वह ठीक समझता है, उत्तरों या विवरणियों की अपेक्षा कर सकेगा ;

(घ) सब सुसंगत बहियों, कागजपत्रों या दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और पेश करा सकेगा ;

(ङ) शपथ दिला सकेगा या शपथ लेने या शपथ दिलाने के स्थान पर उस व्यक्ति से, जिसका वह परीक्षण करे, उसके परीक्षण के दौरान उसके द्वारा दिए गए विवरणों की सत्यता की घोषणा करने की और उन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकेगा ; तथा

(च) किसी पोत के कर्मीदल की हाजिरी ले सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या व्यक्ति को किसी पोत के फलक पर जाने से प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसमें बाधा नहीं डालेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी शक्तियों के प्रयोग में अन्यथा अड़चन नहीं डालेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “पोत” में चलत जलयान आता है।

¹[454क. वैकल्पिक फिटिंगें, आदि विहित करने की शक्ति—जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी पोत में किसी विशिष्ट प्रकार की फिटिंगें, सामग्री, साधित्र या उपकरण या उसकी कोई किस्में लगाई जानी चाहिए या उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए या पोत में कोई विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए तो केन्द्रीय सरकार, परीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि कोई अन्य फिटिंगें, सामग्री, साधित्र या उपकरण या उनकी किस्में या व्यवस्था उतनी ही प्रभावपूर्ण हैं

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 36 द्वारा (28-5-1966 से) अंतःस्थापित।

जितनी कि अपेक्षित है, तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी अन्य फिटिंगें, सामग्री, साधित्र या उपकरण या उसकी किस्म या व्यवस्था का उपयोग करने या उपलब्ध कराने की अनुज्ञा दे सकेगा।]

455. विदेशी और भारतीय लोक पोतों को छूट—(1) सिवाय वहां जहां विशेष रूप से उपबंधित है, यह अधिनियम किसी विदेशी राजा या राज्य के पोतों को और विदेशी राजा या राज्य के ऐसे पोतों को जो लाभ से अन्यथा लोक सेवा में लगे हुए हैं, लागू नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध सरकार के पोतों को या ऐसे पोतों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे।

456. छूट देने की शक्ति—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा या ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, किसी पोत या चलत जलयान को या किसी मास्टर, टिंडल या नाविक को इस अधिनियम में सम्मिलित या इसके अनुसरण में विहित की गई किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या किसी पोत या चलत जलयान या किसी मास्टर, टिंडल या नाविक की दशा में किसी ऐसी अध्यपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा का तात्त्विक रूप से अनुपालन कर दिया गया है या अपेक्षा के अनुपालन से उस मामले की परिस्थितियों में अभिमुक्ति प्रदान की जाए या की जानी चाहिए :

¹[परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी जो सुरक्षा अभिसमय द्वारा प्रतिषिद्ध है।]

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट किन्हीं शर्तों के रहते हुए दी जाती है वहां उन शर्तों में से किसी के व्यतिक्रम की बाबत यह समझा जाएगा कि वह, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन अपराध है।

457. नियम बनाने की साधारण शक्ति—इस अधिनियम में अन्यत्र सम्मिलित नियम बनाने की किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

458. नियमों और विनियमों की बाबत उपबंध—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम और विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियम या विनियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उनका कोई व्यतिक्रम—

(क) ²[धारा 331 या धारा 344] के अधीन बनाए गए, किसी नियम की दशा में, कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ;

(ख) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम या विनियम की दशा में, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा,

और दोनों ही दशाओं में, यदि व्यतिक्रम जारी रहने वाला है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस अवधि के दौरान जिसमें व्यतिक्रम जारी रहता है प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

³[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या ⁴[दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

459. नियमों, विनियमों और फीसों के मापमानों के बारे में परामर्श देने लिए समितियां गठित करने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, तो जब वह इस अधिनियम के अधीन नियमों, विनियमों या फीसों के मापमान बनाने या उनमें परिवर्तन करने पर विचार कर रही हो, उसे परामर्श देने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगी जिनमें उतने व्यक्ति होंगे जितने वह मुख्यतया प्रभावित होने वाले हितों का उनमें प्रतिनिधित्व करने के लिए, या उस विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करे।

(2) किसी ऐसी समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जैसे केन्द्रीय सरकार नियत करे।

¹ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 37 द्वारा (28-5-1966 से) जोड़ा गया।

² 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 38 द्वारा (28-5-1966 से) "धारा 331" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1966 के अधिनियम सं० 21 की धारा 38 द्वारा (28-5-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1976 के अधिनियम सं० 69 की धारा 26 द्वारा (1-12-1976 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) इस धारा के अधीन समितियों का गठन किन्हीं नियमों, विनियमों या फीसों के वेतनमानों के बारे में या तो साधारणतया या किन्हीं नियमों, विनियमों या वेतनमानों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए विशिष्टतया केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए अथवा इस अधिनियम से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

460. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भा व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

¹[460क. कठिनाइयों का निराकरण—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को, वहां तक जहां तक उनका संबंध सुरक्षा अभिसमय या भार रेखा अभिसमय या धारा 356ख के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिसमय से है, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई के निराकरण के लिए और ऐसे अभिसमय के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 25) के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी।]

भाग 18

निरसन और व्यावृत्ति

461. निरसन और व्यावृत्ति—(1) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उस अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निरसित की जाती हैं।

(2) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, वहां तक जहां तक वे भारत की विधि के भाग के रूप में विस्तारित और प्रवृत्त हैं, निरसित की जाती हैं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी—

(क) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या छूट, तब तक जब तक वह प्रतिसंहत नहीं की जाती, वैसे ही प्रभावी रहेगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई थी ;

(ख) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी और निर्वाचित या गठित कोई निकाय जारी रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या निर्वाचित या गठित किया गया था ;

(ग) किसी दस्तावेज में एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रति या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश है ;

(घ) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन उद्गृहीत किसी जुर्माने को वैसे ही वसूल किया जा सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था ;

(ङ) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए वैसे ही अभियोजन या दंड दिया जाएगा मानो वह अपराध इस अधिनियम के अधीन किया गया था ;

(च) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्टर किए गए चलत जलयानों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए गए हैं ;

(छ) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन भारत में किसी पत्तन पर रखी गई किसी रजिस्टर बही में अभिलिखित किए गए पोतों के किन्हीं बन्धकों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन रजिस्टर बही में अभिलिखित किए गए हैं ;

(ज) एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, क या ख प्रमाणपत्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र, अर्हित सुरक्षा प्रमाणपत्र, रेडियो-तार प्रमाणपत्र, रेडियो टेलीफोन प्रमाणपत्र, सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, छूट प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज के बारे में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त है, यह समझा

¹ 1970 के अधिनियम सं० 25 की धारा 19 द्वारा (19-12-1970 से) प्रतिस्थापित।

जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई है और वह सिवाय तब जब उसे इस अधिनियम के अधीन रद्द कर दिया जाए, उस प्रमाणपत्र या दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख पर्यान्त प्रवृत्त रहेगी।

(4) इस धारा में किन्हीं विशिष्ट विषयों के उल्लेख से यह नहीं समझा जाएगा कि वह, निरसनों के प्रभाव की बाबत, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अनुसूची
निरसित अधिनियमितियां
भाग 1
[धारा 461 (1) देखिए]

वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1838	19	तटीय जलयान अधिनियम, 1838	वहां तक जहां तक वह नोदन के यांत्रिक साधनों से युक्त समुद्रगामी जलयानों और चलत जलयानों को लागू है।
1841	10	भारतीय पोत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1841	सम्पूर्ण
1850	11	भारतीय पोत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1841) संशोधन अधिनियम, 1850	सम्पूर्ण
1923	21	भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1923	सम्पूर्ण
1946	21	भारतीय नाविक (मुकदमेबाजी) अधिनियम, 1946	सम्पूर्ण
1947	26	पोत परिवहन नियंत्रण अधिनियम, 1947	सम्पूर्ण
1949	18	वाणिज्य पोत परिवहन विधि (अंगीकार करने वाले राज्यों पर विस्तार) अधिनियम, 1949	सम्पूर्ण

भाग 2
[धारा 461 (2) देखिए]

वर्ष	संक्षिप्त नाम
1	2
1823	लशकर अधिनियम (4 जॉर्ज 4, सी० 80)।
1894	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (57 और 58 विक्टोरिया, सी० 60)।
1897	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (60 और 61 विक्टोरिया, सी० 59)।
1898	वाणिज्य पोत परिवहन (पोत के स्वामियों का दायित्व) अधिनियम (61 और 62 विक्टोरिया, सी० 14)।
1898	वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य समुद्री निधि) अधिनियम (61 और 62 विक्टोरिया, सी० 44)।
1900	वाणिज्य पोत परिवहन (पोत के स्वामियों और अन्य का दायित्व) अधिनियम (63 और 64 विक्टोरिया, सी० 31)।
1906	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (6 एडवर्ड 7, सी० 48)।
1907	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (7 एडवर्ड 7, सी० 52)।
1911	वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक आबंटन) अधिनियम (1 और 2, जॉर्ज 5, सी० 8)।
1911	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (1 और 2 जॉर्ज 5, सी० 42)।
1911	समुद्री अभिसमय अधिनियम (1 और 2, जॉर्ज 5, सी० 57)
1914	वाणिज्य पोत परिवहन (प्रमाणपत्र) अधिनियम (4 और 5, जॉर्ज 6, सी० 42)।
1916	वाणिज्य पोत परिवहन (उद्धारण) अधिनियम (6 और 7, जॉर्ज 5, सी० 41)।
1919	वाणिज्य पोत परिवहन (बेतार तार) अधिनियम (9 और 10, जॉर्ज 5, सी० 38)।
1921	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (11 और 12, जॉर्ज 5, सी० 28)।

1	2
1923	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम (13 और 14, जॉर्ज 5, सी० 40) ।
1925	वाणिज्य पोत परिवहन (समतुल्य उपबंध) अधिनियम (15 और 16, जॉर्ज 5, सी० 37) ।
1932	वाणिज्य पोत परिवहन (सुरक्षा और भार रेखा अभिसमय) अधिनियम (22 और 23, जॉर्ज 5, सी० 9) ।
1936	वाणिज्य पोत परिवहन (स्पेन को सामग्री का वहन) अधिनियम (1 एडवर्ड, 8 और 1, जॉर्ज 6, सी० 1) ।
1937	वाणिज्य पोत परिवहन (स्पेन सीमांत संप्रेक्षण) अधिनियम (1 एडवर्ड, 8 और 1, जॉर्ज 6, सी० 19) ।
1937	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (1 एडवर्ड, 8 और 1, जॉर्ज 6, सी० 23) ।
1937	वाणिज्य पोत परिवहन (अधिवार्षिकी अभिदाय) अधिनियम (1 जॉर्ज 6, सी० 4) ।
1940	वाणिज्य पोत परिवहन (उद्धारण) अधिनियम (3 और 4, जॉर्ज 6, सी० 43) ।